द्वितीय माला, खण्ड ५५—अंक ५९

बुधवार, ३ मई, १९६१
१३ वैशाख, १८८३ (शक

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५५ में अंक ५१ से अंक ६१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश मे

विषय-सूची

द्वितीय माला, खंड ५५—अंक ५१ से ६१—२२ अप्रैल से ५ मई, १९६१/२ से १५ वैशाख १८८३ (शक)

पृष्ठ

अंक ५१—शनिवार, २२ अप्रैल, १९६१/२ वैशाख, १८८३ (शक)

वित्त विधेयक

खण्ड २ से १७, १ तथा प्रथम और द्वितीय अनुसूची . ५९९९—६००३

पारित करने का प्रस्ताव . . ५९८३—६००३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तिरासीवां प्रतिवेदन . . . ६००४

तेलों के जमाये जाने पर रोक विधेयक (श्री झूलन सिंह का)—

विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . ६००४

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा १४ का संशोधन) (श्री सुब्बया अम्बलम का) ६००४

विचार करने का प्रस्ताव

परिचालित करने का संशोधन—स्वीकृत . . . ६००४—६००६

अत्यावश्यक पण्य (मूल्यों का निर्धारण, विनियमन तथा नियंत्रण) विधेयक (श्री नारायणन कुट्टि मेनन का) ६००७-१९

विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . ६००७—१९

अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक (श्री बालमीकी का)

विचार करने का प्रस्ताव ६०१९

दैनिक संक्षेपिका . . . ६०२०—२१

अंक—५२ सोमवार, २४ अप्रैल, १९६१
४ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४, १६८५, १६८७, १६८९, १६९१, १६९२, १६९५ से १६९८, १७००, १७०२ से १७०५ और १७०७, १७०८, १७१०, १७०९ और १६९० ६०२३—४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८६, १६८८, १६९३, १६९४, १६९९, १७०१ और १७०६ . . ६०४८—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७२६ से ३७५४, ३७५६ से ३७७३ और ३७७५ से ३७८२ . . . ६०५२—७४

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव	
१. पूर्व कजोरा कोयला खान में दुर्घटना . .	६०७४–७५
२. रूरकेला में आदिवासी कर्मचारियों की कथित गिरफ्तारी	६०७६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	
बिलासपुर में चावल के लाने ले जाने के लिए वैगन	६०७७–७८
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	६०७८
कलकत्ता क्षेत्र में बिजली के बारे में वक्तव्य	६०७८
आय-कर विधेयक ––पुरस्थापित .	६०७९
तार विधियां (संशोधन) विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन अस्वीकृत हुए.	६०७९–८०
औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन स्वीकृत हुए . .	६०८०–८१
दण्ड विधि संशोधन विधेयक .	६०८१—६०१३
विचार करने का प्रस्ताव .	६०८१––६१०१
पारित करने का प्रस्ताव . . .	६१०१—६१०३
भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमों के बारे में प्रस्ताव	६१०३––०८
दैनिक संक्षेपिका . .	६१०९––१४

अंक ५३ मंगलवार, २५ अप्रैल, १९६१/
५ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७११, १७१२, १७१४ से १७१६, १७१९ से १७२१, १७२३ और १७२५ से १७३० .	६११५—३९
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७१३, १७१७, १७१८, १७२२ और १७२४	६१३९—४१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३७८३ से ३८४५ और ३८४७ से ३८६०	६१४१—७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	६१७८–७९
भाखड़ा बांध के बिजली घर में दुर्घटना––	
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	६१७९–८०
अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) १९५८–५९ के बारे में वक्तव्य–	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवेज) १९५८–५९ के बारे में वक्तव्य––	
लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति	६१८०
तीसरा प्रतिवेदन––	

विषय	पृष्ठ
उड़ीसा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	६१८१—८५
राज्य-सभा द्वारा पास किया गया विचार के रूप में	६१८०—८४
खंड २, ३, और १	६१८४
पारित करने का प्रस्ताव	१६८४—८५
औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक	६१८५—९७
विचार प्रस्ताव	६१८५—९१
खंड २, ३ और १	६१९२
पारित करने का प्रस्ताव	६१९२—९७
उड़ीसा अनुदानों की मांगें १९६१–६२	६१९७—६२०८
इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर-इंडिया इंटरनैशनल कारपोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	६२०८—२१
उड़ीसा की अनुदान की मांगों के बारे में	
दैनिक संक्षेपिका	६२२२—२७

अंक ५४—बुधवार, २६ अप्रैल, १९६१/
६ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३१, १७३२, १७३७ से १७४३ और १७४५ से १७५०	६२२९—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३३ से १७३६, १७४४ और १७५१ से १७५३	६२५४—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ३८६१ से ३९६६, ३९६८ से ३९७१ और ३९७३ से ३९७९	६२६०—६३०८
दिनांक २८–३–१९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४३७ के उत्तर में शुद्धि	६३०८
स्थगन प्रस्ताव—	
कुछ डाक तथा तार यूनियनों को शिकायतें पेश करने से रोकना	६३०८—११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
उड़ीसा में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को नौकरी से निकालना	६३११–१२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६३१२–१३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौरासीवां प्रतिवेदन	६३१३
समिति के द्वारा द्वारा निर्वाचन	६३१३–१४

विषय	पृष्ठ
१. भारतीय खान स्कूल की प्रशासक परिषद् . . .	६३१३–१४
२. राष्ट्रीय एटलस और भौगोलिक नामों के लिए सलाहकार समिति बोर्ड	६३१४
उड़ीसा की अनुदानों की मांगें––१९६१–६२ . .	६३१४–१६
अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक	६३१९–२६
विचार करने के लिये प्रस्ताव . .	६३१९–२५
खण्ड १ और २ .	६३२५
पारित करने का प्रस्ताव .	६३२५–२६
विधि व्यवसायी विधेयक––	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६३२६–३९
दैनिक संक्षेपिका	६३४०–४७

गुरुवार, २७ अप्रैल, १९६१

अंक ५५–– ——————————

७ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७५४ से १७५८, १७६० से १७६३ और १७६६ से १७६९ . .	६३४९–७१
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७५९, १७६४ और १७७० से १७७६ .	६३७१–७६
अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८० से ५०२६ और ४०२८ से ४०४७	६३७६–६४०२
स्थगन प्रस्ताव––	
कलकत्ता में बिजली का बन्द होना	६४०२–०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६४०३–०४
प्राक्कलन समिति ––	
कार्यवाही का सारांश	६४०४
२२ अप्रैल, १९६१ को पूर्व कजोरा कोयला खान में हुई दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	६४०४–०५
सभा का कार्य	६४०५–०६
उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१––पुरस्थापित	६४०६
विधि व्यवसाई विधेयक	६४०६–३३
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६४०६–२०
खंड २, ४ से २३, २५ से २८, ३१ से ५७, ३, २४, २९, ३०, अनुसूची तथा खंड १ .	६४२०–३३
पारित करने का प्रस्ताव .	६४३३–३४

विषय	पृष्ठ
आयकर विधेयक, १९६१ .	६४३४--३९
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	६४३४--३९
अशोक होटल में गो मांस परोसे जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	६४४०--४६
दैनिक संक्षेपिका	६४४७--५१

अंक ५६--शुक्रवार, २८ अप्रैल, १९६१/८ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७७७, १७७८, १७८३ से १७८७, १७८९ से १७९१, १७९३, १७९४ और १७९६ से १७९८ ६४५३--७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७७९ से १७८२, १७८८, १७९२ और १७९५ . ६४७५--७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४८ से ४१२९, ४१३१ और ४१३२ ६४७८--६५१५

अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

बैसाखी के अवसर पर जमना में डूब कर मरने की घटनायें ६५१५---१६

प्राक्कलन-समिति . . ६५१६--१७

(१) कार्यवाही सारांश

(२) एक सौ अठतीसवां प्रतिवेदन

राज्य सभा से संदेश ६५१६

विशेषाधिकार समिति--

बारहवां प्रतिवेदन . ६५१७

सभा का कार्य . . . ६५१७--१८

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन विधेयक---पुरस्थापित ६५१८

उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१--पारित ६५१८--१९

आयकर विधेयक ६५१९---३१

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ६ १९--३१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

चौरास्सीवां प्रतिवेदन . . ६५३१

धर्म परिवर्तन कर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के बारे में संकल्प---अस्वीकृत ६५३१--४३

व्यक्तिगत आय के बारे में संकल्प ६५४३---४५

दैनिक संक्षेपिका ६५४६--५१

विषय पृष्ठ

अंक ५७—सोमवार, १ मई, १९६१/११ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९९, १८००, १८०२, १८०३, १८०५ से १८०८, १८१०, १८११, १८१३ और १८२० ६५५३—७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१०, १८०४, १८०९, १८१२, १८१४ से १८१९ और १८२१ से १८३२ . . . . ६५७६—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१३३ से ४२४० और ४२४२ से ४२४९ ६५८५—६६३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हावड़ा पुरी एक्सप्रेस की दुर्घटना . ६६३४–३५

कलकत्ते में बिजली की कमी के सम्बन्ध में वक्तव्य के बारे में ६६३५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६६३५–३६

राज्य-सभा से सन्देश ६६३६–३७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ६६३७

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में ६६३७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन ६६३७–३८

विशेषाधिकार समिति—

बारहवां प्रतिवेदन ६६३८–३९

आयकर विधेयक, १९६१ ६६३९—४३

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव ६६३९—४३

दिल्ली नगरीय क्षेत्र काश्तकार सहायता विधेयक ६६४३—६५

विचार करने का प्रस्ताव ६६४३—६२

खंड २ और तीन २६६३—६५

दैनिक संक्षेपिका ६६६६—७३

अंक ५८—मंगलवार, २ मई, १९६१/१२ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८३३ से १८३६, १८३८, १८४० से १८४४ और १८४६ से १८५० ६६७५—९७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ ६६९८—६७०२

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३९, १८४५ और १८५१ से १८५९ .	६७०२--०७
अतारांकित प्रश्न संख्या ४२६० से ४३२६	६७०७--४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
अंगुल परगने के लोगों से "वैद्यकरण शुल्क" की वसूली	६७४१--४२
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में--	
न्यू एज में प्रकाशित कुछ बातें	६७४२-४३
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	६७४३--४५
भारती रेलवे (संशोधन) विधेयक--पुरस्थापित . .	६७४५
दिल्ली (नगरीय-क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक	६७४६--४९
खंड ३ से ९ और १	६७४६-४७
पारित करने का प्रस्ताव . .	६७४७--४९
भारतीय बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक .	६७४९-५०
विचार करने का प्रस्ताव	६७४९-५०
खंड १ और २	६७४९-५०
पारित करने का प्रस्ताव .	६७५०
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५८-५९	६७५०--५८
विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६१--पारित	६७५८-५९
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५८-५९	६७५९-६०
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १९६१--पारित	६७६१--६३
कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	६७६३--६७
भारतीय श्रम सम्मेलन के सत्रवें और अठारहवें अधिवेशन के बारे में प्रस्ताव .	६७६८--७५
दैनिक संक्षेपिका	६७७६--८२

अंक ५९--बुधवार, ३ मई, १९६१/१३ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १८६० से १८६४, १८६६, १८६८, १८७१ से १८७४, १८७६ से १८७९ और १८८२ .	६७८४--६८०७

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७, १८६९, १८७०, १८७५, १८८०, १८८१ और १८८३ से १८९८ . .	६८०७–१६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४३२७ से ४३३५, ४३३७ से ४४६५, ४४६५-क, ४४६५-ख, ४४६५-ग और ४४६५-घ . . .	६८१७–७८
स्थगन प्रस्ताव—	
भारतीय विमान बल के डकोटा विमान का लापता होना . .	६८७९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारतीय ब्रिटिश और यूरोपीय नौवहन समवायों के बीच मिल जुल कर काम करने की व्यवस्था .	६८७९–८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६८८०—८४
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	६८८४–८५
सदस्य की गिरफ्तारी	६८८५
कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक . .	६८८५–९७
विचार करने का प्रस्ताव . . .	६८८५—९३
खंड २ से ५ तथा १	६८९३–९४
पारित करने का प्रस्ताव . . .	६८९४—९७
दिल्ली दुकान तथा संस्थान (संशोधन) विधेयक . . .	६८९७—९१९
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६८९७—९१७
खंड २ से ५ तथा १ .	६९१७—१९
पारित करने का प्रस्ताव .	६९१९
सालारजंग संग्रहालय विधेयक . . .	६९१९–२०
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	
भाखरा नंगल परियोजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	६९२०–२१
दैनिक संक्षेपिका	६९२२—३०

अंक ६० गरुवार, ४ मई, १९६१/१४ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८९९, १९०४, १९०५, १९०७ से १९११, १९१४ और १९१५	६९३१—५७

विषय	पृष्ठ
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १६	६९५७—५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९००, १९०१, १९०३, १९०६, १९१२, १९१३, १९१६, १९१६-क और १९१७ से १९२५ . .	६९५९—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४४६६ से ४५७३, ४५७५ से ५४८७, ४५८९ से ४५९२, ४५९४ से ४६०६, ४६०६-क और ४६०६-ख .	६९७६—७०२४
भारतीय विमान बल के डकोटा विमान के लापता होने के बारे में वक्तव्य	७०२४—२५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
यू० पी० के एक गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के घरों में आग लगाने की कथित घटना . .	७०२५—२६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७०२६—२८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश . . .	७०२८
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	
कर्यवाही सारांश	७०२८
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति संबंधी समिति—	
कार्यवाही सारांश	७०२८
राज्य-सभा से सन्देश . . .	७०२९
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	
ग्यारहवां प्रतिवेदन	७०२९
सालारजंग संग्रहालय विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	७०२९—५३
खंड २ से २८ और खंड १	७०४९—५३
पारित करने का प्रस्ताव .	७०५३
सदस्य को सजा	७०४३
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—	
राज्य-सभा के संशोधनों पर विचार . . .	७०५४—५६
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	७०५६—६३
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के बारे में आधे घंटे की चर्चा	७०६३—६५
दैनिक संक्षेपिका	७०६६—७५

विषय	पृष्ठ

अंक ६१—शुक्रवार, ५ मई, १९६१/१५ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२६, १९२९, १९३३ से १९४०, १९४२, १९४३ से १९४५, १९४७, १९४६ और १९४६-क १९४२-क, . ७०७७—९७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ से २१ . . . ७०९८—७१०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२७, १९२८, १९३० से १९३२ और १९४१ ७१०४—०७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६०७ से ४६२६, ४६२८ से ४६९४ और ४६९६ से ४७०३ . . . . . ७१०७—४६

स्थगन प्रस्ताव . . . . . ७१४६—४८

स्वदेशी काटन मिल्स में ताला बन्दी

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ७१४८–४९

१. दिल्ली में मकान बनाने वाले मजदूरों की हड़ताल ।
२. पाकिस्तानी पानी संसाधन विशेषज्ञों द्वारा कलकत्ता पत्तन की यात्रा ।
३. रानीगंज की कोयले की पट्टी क्षेत्र की कुछ कोयला खानों की घटनायें ।
४. व्यापारियों और उत्पादकों के पास रूई का बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाना ।
५. पूर्वोत्तर सीमांत अभिकरण के सीमांत डिवीज़न में स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के शस्त्रागार से कुछ शस्त्राशत्रों का कथित गायब हो जाना ।
६. अलीपुर में खंड क्षेत्र में बाढ़ आने का खतरा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ७१४९—५१

राउरकेला में आदिवासी विस्थापित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य ७१५१

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति ७१५२

कार्यवाही सारांश

याचिका संबंधी ७१५२

कार्यवाही सारांश

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश ७१५२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ७१५२

प्राक्कलन समिति ७१५२

एक-सौ पैंतीसवां, एक-सौ छतीसवां और एक-सौ सैंतिसवां प्रतिवेदन

विषय	पृष्ठ
लोक लेखा समिति . .	७१५३
सैंतीसवां प्रतिवेदन ।	
याचिका समिति	७१५३
बारहवां प्रतिवेदन ।	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८५ के उत्तर की शुद्धि .	७१५३
पूंजीकुन्नू नैमांम, जिला त्रिवेन्द्रम में हुए विस्फोट के बारे में वक्तव्य	७१५३–५४
विधेयक–पुरस्थापित	७१५४
१. काफी (संशोधन) विधेयक	
२. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक	
भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक .	७१५४––६०
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में .	७१५६
संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प और कोर्ट फीस विधियां) विधेयक १९६१–पुरस्थापित	७१६१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	७१६१––६५
वृद्धावस्था पेंशन विधेयक (श्री अरविन्द घोषाल का)–पुरस्थापित .	७१६५
अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक (श्री बाल्मीकी का)–वापिस विचार करने का प्रस्ताव	७१६५––९३
संविधान (संशोधन) विधेयक . . .	७१९३
(धारा २२६ का संशोधन) (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् का) विचार करने का प्रस्ताव	
पंजाब में सेवाओं के एकीकरण के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	७१९४––९९
बिदाई संबंधी उल्लेख . . .	७१९९
दैनिक संक्षेपिका	७२००––०९
तेरहवां सत्र के कार्यवाही सारांश . . .	७२१०––१२

नोट :–मौखिक उत्तर वाले प्रश्न के किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—586 (Ai) LSD—8-7 61—125.

लोक-सभा

बुधवार, ३ मई, १९६१

१३ वैशाख, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोनार बांध

†*१८६०. { **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री कुन्हन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १८ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोनार बांध पर किये गये कार्य के लिए मसर्स हिन्द पटेल एण्ड कम्पनी को किये गये अधिक भुगतान के मामले में मध्यस्थनिर्णय की जो कार्यवाही चल रही थी, क्या वह इस बीच पूरी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) जी, हां ।

(ख) यह मामला दामोदर घाटी निगम के विचाराधीन है ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अभी तक हुकूमत ने हिन्द पटेल एंड कम्पनी को ब्लैक लिस्ट किया है या नहीं ?

†**श्री हाथी :** उस फ़र्म को ब्लैक लिस्ट में रखने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी रकम इनकी तरफ जायद निकलती है, और वह कौनसा मामला है जो अभी तक जेर गौर है और उसका कब तक फैसला हो जाएगा ?

†मूल अंग्रेजी में

580 (Ai) LS.—1.

†**श्री हाथी :** दामोदर घाटी निगम ने लगभग २.९ करोड़ रुपये के २९ दावे रखे। पंचाट १२ अप्रैल को दिया गया है।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** एक पूर्व प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि जांच-कार्य अप्रैल, १९६० तक पूरा हो जायेगा। विलम्ब के क्या कारण हैं?

†**श्री हाथी :** कई दावे थे। दामोदर घाटी निगम ने मध्यस्थ के समक्ष २.९ करोड़ रुपये के मूल्य के २९ दावे रखे थे। ठेकेदारों ने दामोदर घाटी निगम के विरुद्ध १.४२ करोड़ रुपये के मूल्य के ५३ दावे रखे। मध्यस्थ को लगभग ४१६ बैठक करनी पड़ीं। अतः इसमें समय लगा।

†**श्री तंगामणि :** मध्यस्थ-निर्णय की कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी और पंचाट कब तक दिया जायेगा?

†**श्री हाथी :** वह कार्य पूरा हो चुका है और १२ अप्रैल को पंचाट दिया जा चुका है।

श्री अ० मु० तारिक : मैं जानना चाहता हूं कि जब १२ अप्रैल को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और तमाम बातें साफ हो गयीं और मालूम हो गया कि कितनी रकम उनकी तरफ निकलती है, फिर इस केस को आगे चालू करने में क्या दिक्कत है?

श्री हाथी आगे चालू करने से आपका क्या मतलब है?

श्री अ० मु० तारिक : मैं जानना चाहता हूं कि उसके खिलाफ क्या ऐक्शन लिया जा रहा है और अभी कौन सा मामला जेरगौर है।

†**श्री हाथी :** कोई कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं है क्यों कि मध्यस्थ ने, मैं समझता हूं, ठेकेदारों के पक्ष में ४६ लाख रुपये का फैसला दिया है। अतः उनको ब्लैक लिस्ट में रखने का कोई प्रश्न नहीं है।

रुड़की-बद्रीनाथ सड़क

*१८६१. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** १४ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुड़की-बद्रीनाथ सड़क के विकास व सुधार-कार्यक्रम के अन्तर्गत जो कार्य अधूरे थे, उन्हें पूर्ण करने की दिशा में इस बीच और क्या प्रगति हुई है;

(ख) शेष निर्माण-कार्य के कब तक पूर्ण हो जाने की आशा की जाती है; और

(ग) ऋषीकेश से जोशीमठ तक उस सड़क का जो पर्वतीय अंश है, उस पर बारहों मास बिना किसी विघन-बाधा के मोटर यातायात जारी रह सके, इस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिये कौन-से कदम उठाये जा रहे हैं?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). एक और निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। अधूरे निर्माण कार्यों की अन्तिम स्थिति के संबंध में एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५०]**

(ग) लगभग यह सारी सड़क पहाड़ी क्षेत्र से हो कर जाती है। इस सड़क का लगातार सुधार किया जा रहा है। यदा कदा पहाड़ गिरने से आने वाली बाधाओं को छोड़ कर जिन को ऐसे क्षेत्र से दूर करना कठिन है, यह सड़क पहले से ही मोटर यातायात के योग्य है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, खंड (ग) के बारे में मंत्री जी ने कहा कि वे प्रयत्नशील हैं। लेकिन क्या उनके ध्यान में यह बात आयी है कि पीपलकोटी से आगे जो जोशीमठ तक सड़क है वह बरसात को चार पांच महीनों में ऐसी खराब हो जाती है कि उस पर एक तरफ का ट्रैफिक भी नहीं हो पाता और इस कारण पारसाल राष्ट्रपति जी को भी बड़ी असुविधा हुई थी ? जब वहां पर इतने इंजिनियरों की तादाद मौजूद है तो क्यों नहीं ऐसा प्रयत्न किया जाता कि इस सड़क पर बराबर यातायत चालू रह सके ?

श्री राज बहादुर : जैसा मैं ने निवेदन किया वह पहाड़ी जरा फुसफुसी है।

श्री अ० मु० तारिक : यह फुसफुसी—क्या लफ्ज है ?

श्री राज बहादुर : इसका मतलब यह है कि मजबूत नहीं है। तारिक साहब अगर लुगत देखें तो उनको यह लफ्ज मिल जाएगा। लेकिन अगर उनको ऐतराज है तो मैं यह लफ्ज इस्तैमाल नहीं करूंगा।

मैं अर्ज कर रहा था कि यह पहाड़ी जरा कमजोर है और इसलिए बरसात में जोर पड़ने से वह गिर पड़ती है। धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि इसको मजबूत किया जाए।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, जोशीमठ से आगे जो सड़क बन रही है उसके कारण यात्रियों को बद्रीनाथ यात्रा में जो कि १२ मई से प्रारम्भ होने वाली है असुविधा होने की आशंका है और डर है इस सड़क के कारण उसमें बाधा पड़ जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि इस सीजन में यात्रा के मार्ग पर यात्रियों को कोई असुविधा न हो और तीर्थ यात्री सुविधापूर्वक यात्रा कर सकें ?

श्री राज बहादुर यात्रियों को यथासम्भव सुविधा हो इसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार हर बरस देखती है और मुझे आशा है कि इस बार भी वह देखेगी।

भारत में हृदय रोग

+

†*१८६२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री हेम राज :
श्री लै० अचौ सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ६ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७१९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में हृदय–रोगों की वृद्धि के कारणों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो ये कारण क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इसके कारणों की जांच करने के लिये समिति नियुक्त की है ?

†**श्री करमरकर** : इसमें दो अध्ययन किये गये हैं एक मेडिकल कालिज, आगरा में और दूसरा लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज, नई दिल्ली में । ये अध्ययन भारतीय मेडिकल चिकित्सा परिषद के तत्वावधान में किये जा रहे हैं ।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या यह सच है कि भारतीय मेडिकल अनुसन्धान परिषद निकट भविष्य में हृदय रोग के विशेषज्ञों और स्पेशलिस्टों की एक गोष्ठी कर रही है और यदि हां, तो क्या प्रेक्षकों के रूप में इस विषय में अभिरुचित डाक्टरों को इसमें भाग लेने की आज्ञा दी जायेगी ?

†**श्री करमरकर** : गोष्ठी के बारे में उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये । सर्वेक्षण के बारे में मैं अन्य प्रश्नों का स्वागत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्य माननीय सदस्य कुछ और बात जानना चाहते थे । माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि क्या गोष्ठी में भाग लेने के लिये संसद सदस्यों को अवसर दिया जायेगा ।

†**श्री करमरकर** : गोष्ठी के बारे में मैंने पूर्व सूचना मांगी है । मैं सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं ।

†**श्री त्यागी** : क्या यह समाज में बढ़ते हुए आंतक के कारण हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : संभवतः माननीय सदस्य मंत्री महोदय को विशेषज्ञ बनाना चाहते हैं ।

†**श्री त्यागी** : विशेषज्ञों ने यह रिपोर्ट दी है कि यह समाज में बढ़ते हुए आंतक के कारण हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं टेक्निकल किस्म के प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा । सांख्यिकी, सर्वेक्षण, समिति की नियुक्ति आदि के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं । उनसे इस बात का ब्योरा नहीं पूछा जा सकता कि कारण क्या है आदि ।

†**श्री त्यागी** : मैं अपना प्रश्न वापस लेता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें प्रश्न वापस लेने की आवश्यकता नहीं ।

†**श्री तिरुमल राव** : मंत्री महोदय ने बताया कि प्रयोगों के लिये मेडिकल कालिज, आगरा और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज को चुना गया है । क्या यह क्रमशः पुरुषों गौर महिलाओं में रोग के अध्ययन के बारे में है ?

†**श्री करमरकर**: इस समिति के भारतीय जनता में हृदय रोग और हाइपर-टेन्शन के विद्यमान रहने का उन पहलुओं के सम्बन्ध में जिनकी हृदय रोग होता है, पता लगाना है । यह पुरुषों और महिलाओं-दोनों के सम्बन्ध में है ।

श्री पद्म देव : क्या इस व्याधि की जानकारी के लिए आयुर्वेद विशेषज्ञों की भी कोई राय ली गयी है या ली जाती है ?

†**श्री करमरकर** : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता । वास्तव में हम सर्वेक्षण की आयुर्वेद विशेषेज्ञों से योजना का स्वागत करेंगे । भारतीय मेडिकल अनुसन्धान परिषद प्रत्येक व्यक्ति को अनुदान देती, चाहे वह आधुनिक डाक्टर हो, चाहे वह आयुर्वेद विशेषज्ञ हो अथवा साधारण व्यक्ति हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कासलीवाल** : एक सर्वेक्षण के प्रश्न के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने नकारात्मक उत्तर दिया था। क्या मंत्री महोदय यह मानने को तेयार हैं कि भारत में हृदय रोग वृद्धि पर है ?

†**श्री करमरकर**: हमारे पास दिल्ली के दो अस्पतालों के आंकड़े हैं और उससे पता चलता है कि मेडिकल वार्डों में प्रवेश हुए कुल मरीजों में हृदय रोग के मरीजों की संख्या एक प्रतिशत है। वर्ष १९५५–५९ के दौरान वर्ष १९५१–५५ की अवधि की अपेक्षा तुलनात्मक अध्ययन किया गया। उससे पता चला कि इस अवधि में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वह दिल्ली में वास्तविक प्रयोग और रिकार्ड के परिणामस्वरूप है।

†**डा० सुशीला नायर**: क्या भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद की हृदय रोग का अध्ययन करने अथवा सर्वेक्षण करने की कोई योजना है ?

श्री करमरकर: जी, नहीं।

†**डा० विजय आनन्द** : क्या सरकार ने रूस और अमरीका की सहायता मांगी है क्यों कि वे इस सर्वेक्षण-कार्य में काफी आगे हैं ?

†**श्री करमरकर** : जी, नहीं। हमारे व्यक्ति हमारे हृदयों के बारे में इस प्रश्न की देखभाल के लिये समर्थ हैं और अभी तक यह आवश्यक नहीं समझा गया कि इस देश में हमारे हृदयों से उत्पन्न समस्याओं के अध्ययन के लिये विदेशी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय**: स्पष्टत: मंत्री महोदय हृदय के अन्य कार्य का निर्देश कर रहे हैं।

†**श्री करमरकर**: जी, नहीं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यह सर्वेक्षण आयु दल अथवा रोजगार सम्बन्धी दल के बारे में होगा ? यदि नहीं, तो क्या इन दोनों दलों को पृथक-पृथक लिया जायेगा ?

†**श्री करमरकर**: मैं ऐसा समझता हूं।

†**श्री त्यागी** : राजनीतिज्ञ भी।

†**श्री स० मों० बनर्जी** : क्या मंत्री महोदय को यह बताया गया है कि बाज दफा कार्डियोग्राम' से ठीक स्थिति का पता नहीं चलता। यदि हां, तो उन मामलों में जहां 'कार्डियोग्राम' काम नहीं करता, हृदय की स्थिति का पता लगाने के लिये क्या अन्य उपकरण इस्तेमाल किया जायेगा ?

†**श्री करमरकर**: हो सकता है कि बाज दफा इससे ठीक स्थिति का पता नहीं चले जैसे कि बाज दफ़ा थर्मामीटर से ठीक स्थिति का पता नहीं चलता। हाल ही में मुझे पता चला कि बाजार में कुछ ऐसे थर्मामीटर बिक रहे हैं जिनसे ठीक स्थिति का पता नहीं चलता। यदि वह उपकरण पर्याप्त नहीं है, तो अन्य उपकरणों की आवश्यकता होगी और उसके लिये मुझे विशेषज्ञों से पूछना पड़ेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न को अनावश्यक रूप से बढ़ाया जा रहा है। वह केवल यह जानना चाहते थे कि क्या 'कार्डियोग्राम' से अधिक विश्वसनीय भी कोई अन्य उपकरण है।

†**श्री करमरकर** : हृदय के बारे में मैंने 'कार्डियोग्राम' के बारे में सुना है। परन्तु कोई अय उपकरण है, तो मैं उसका पता लगाऊंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय रेलवे इंजनों का निर्यात

†*१८६३. **श्री पांगरकर :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **रेलवे** मंत्री १८ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच किसी ऐसे देश का पता लगाया गया है जहां पर कि भारतीय रेलवे इंजनों का निर्यात किया जा सकता है; और

(ख) इस बारे में क्या सफलता मिली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री पांगरकर :** देश की आवश्यकता पूरी करने के बाद भारत किस हद तक रेलवे इंजनों का निर्यात कर सकता है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी:** तीन प्रकार के रेलवे इंजन हैं । जहां तक डीजल के इंजनों का सम्बन्ध है, हमें अभी उनका निर्माण आरम्भ करना है । जहां तक बिजली के इंजनों का सम्बन्ध है, हमने चित्तरंजन रेलवे इंजन कारखाने में निर्माण आरम्भ कर दिया है । अन्य किस्म भाप से चलने वाले इंजनों की है । चित्तरंजन रेलवे इंजन कारखाना में हमारी अधिष्ठापित क्षमता बड़ी लाइन के १६४ रेलवे इंजनों की है । 'टेल्को' में मीटर गेज के १०० रेलवे इंजनों के निर्माण की क्षमता है । अब यह क्षमता पूरी बुक है । परन्तु यदि हमें विदेशों से क्रयादेश (आर्डर) मिलें, तो हम निर्यात कर सकेंगे ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में भारतीय रेलवे इंजनों का मूल्य अन्य देशों में निर्मित रेलवे इंजनों की तुलना में कैसा है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जहां तक भाप से चलने वाले रेलवे इंजनों का सम्बध है, उनके मूल्य बहुत अनुकूल हैं । वास्तव में, यहां पर हमारा मूल्य आयातित इंजन के मूल्य से बहुत कम है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** मंत्री महोदय ने बताया कि हम 'प्रतियोगिता-मूल्य' पर उत्पादन कर रहे हैं । मंत्री महोदय ने पिछली बार यह भी बताया था कि हम निर्यात कर सकते हैं । तो फिर उनके निर्यात के लिये स्थान का पता क्यों नहीं लगाया जा रहा है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जब तक आडर नहीं मिलते, निर्यात करना सम्भव नहीं है । वास्तव में हम ने विदेशों में अपने दूतावासों को हमारी उत्पादन और संभरण की क्षमता के बारे में जानकारी देने की हिदायतें भेजी हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या इस बात का प्रचार करने के लिये कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं कि हम इनमें से कुछ रेलवे इंजनों का निर्यात कर सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हमने अपने दल विदेश भी भेजे हैं । हमने विदेशों में अपने दूतावासों को पत्रिकायें और अन्य कागजात भी भेजे हैं ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या इन रेलवे इंजनों के निर्यात की संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिये विदेशों को कोई शिष्टमण्डल भेजा जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने अभी इसका उत्तर दिया है ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी, हां ।

†**अध्यक्ष महोदय**: उन्होंने बताया कि दल भेजे गये हैं । मैं नहीं जानता कि दल और शिष्टमण्डल में कोई बड़ा अन्तर है ।

†**श्री हेडा**: क्या इस बात का पता लगाने का कोई प्रयत्न किया गया है कि इन पड़ोसी राज्यों को किस प्रकार के इंजनों की आवश्यकता है और यदि हां, तो क्या उन इंजनों का निर्माण करने और उनको संभरण के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बताया कि अभी तक कोई मांग नहीं है ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी**: हमारे पड़ोसी देशों में भी बड़ी लाइन है परन्तु दुर्भाग्यवश वे डीजल से चलने वाले इंजन खरीद रहे हैं और भाप से चलने वाले नहीं ।

राष्ट्रीय राजपथ विस्तार योजना

†*१८६४. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य इंजीनियरों के सम्मेलन में आगामी बीस वर्षों में राष्ट्रीय राजपथ विस्तार योजना के बारे में कोई निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं । भारत की सड़क विकास योजना सम्बन्धी मुख्य इंजीनियरों की रिपोर्ट (१९६१-६२) पर, इसमें राष्ट्रीय राजपथों के विस्तार के बारे में निहित सिफारिशों समेत, ब्योरेवार विचार परिवहन, आयोजन और समेकन समिति की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने तक स्थगित कर दिया गया है ।

(ख) प्रश्न उपन्न नहीं होता ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या राज्यों से यह प्रस्थापना देने को कहा गया है कि क्या वे राष्ट्रीय राजपथों का विस्तार चाहते हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : जो कुछ मैं कह चुका हूं उसको ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि तृतीय योजना में राष्ट्रीय राजपथों के लिये केवल ४७.५ करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो कि वर्तमान राष्ट्रीय राजपथों के सामान्य सुधार और विकास के लिये ही पर्याप्त नहीं है ।

†**श्री कासलीवाल** : मंत्री महोदय ने बताया है कि सारी योजना को आस्थगित कर दिया गया है । क्या उसका यह तात्पर्य है कि कुछ राष्ट्रीय राजपथों पर जो कार्य चल रहा है, क्या वह भी रोक दिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर :** यह प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होता । यह बिल्कुल भिन्न प्रश्न है । वर्तमान राष्ट्रीय राजपथों का विकास तृतीय योजना में इस कार्य के लिये किये गये सीमित वित्तीय आवंटनों को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा । इसके अतिरिक्त न तो यह सम्भव है कि राष्ट्रीय राजपथ योजना का किसी विशिष्ट तरीके से विस्तार किया जाये और न ही यह सम्भव है कि ३३ बड़ी नदियों पर पुल के निर्माण के समेत, जो बिना पुल के रहेंगी, वर्तमान राष्ट्रीय राजपथों के लिये आवश्यक निर्माण-कार्य किया जाये ।

†**श्री कासलीवाल :** परन्तु जिन राजपथों पर कार्य आरम्भ हो चुका है, वहां तो वह पूरा किया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : पूरा करने से यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य नेशनल हाईवेज़ के मिसिंग लिंक्स से है, तो मैं समझता हूं कि उन सब 'लिंक्स' की व्यवस्था की जावेगी । राष्ट्रीय राजपथों को जोड़ने वाले मार्ग बनाये जायेंगे । फिर बड़ी नदियों पर पुल बनाने का प्रश्न उठता है । ३३ नदियां बिना पुलों के रहेंगी । फिर उपमार्गों और लेबल क्रासिंग का प्रश्न भी चतुर्थ योजना-काल के लिये उठा रखा जायेगा ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि इस सम्मेलन ने वर्ष १९६१–८१ के लिये एक योजना बनायी है । मैं जानना चाहता हुं कि क्या यह कार्यक्रम एक निर्धारित कार्यक्रम होगा; और यदि हां, तो यह कितने वर्षों में पूरा किया जायेगा ।

†**श्री राज बहादुर :** बीस वर्षीय योजना नामक 'इंजीनियरों की रिपोर्ट' ४ योजनाकालों के लिये १९६१ से १९८१ तक की अवधि के लिये है । स्पष्टतः, उन्हें प्रक्रम-वार चलना पड़ता है; परन्तु उन्होंने विकास के विभिन्न कार्यों के लिये लक्ष्य निर्धारित किये हैं । समूची मार्ग पद्धति को वर्तमान ३९३,००० मील से बढ़ा कर ६५७,००० मील किया जायेगा जिससे सड़क का मील योग का औसत प्रति वर्ग मील ०.२६ से ०.५२ हो जायेगा ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या आसाम में नार्थ ट्रंक रोड को राष्ट्रीय राजपथ बनाने के लिये सरकार को आसाम सरकार से कोई प्रस्थापना मिली है; और यदि हां, तो क्या सम्मेलन में इस पर विचार किया गया था ?

†**श्री राज बहादुर :** हमें केवल यही प्रस्थापना ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्य सरकारों से अन्य प्रस्थापनायें भी मिली हैं । परन्तु जैसा कि मैंने अभी बताया है, हम तृतीय योजना में धन के सीमित उपबन्ध के कारण विवश हैं ।

†**श्री बसुमतारी:** इस बात को देखते हुए कि गौहाटी से पाण्डू तक ब्रह्मपुत्र नदी पर एक रेल-पुल बनाया जाना है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए भी कि इस समय राष्ट्रीय राजपथ अन्य क्षेत्र में है जहां पर कोई पुल नहीं है, क्या भारत सरकार के समक्ष अन्य ओर से उत्तरी किनारे तथा बिजनी और सिडनी के रास्ते कूच-बिहार से गौहाटी तक दूसरा राजपथ बनाने की कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री राज बहादुर :** कूच-बिहार––गोहाटी सड़क का कुछ भाग राष्ट्रीय राजपथ में शामिल है । जैसा कि अब प्रस्ताव किया गया है, इसका बाकी भाग भी वहां तक जहां यह पाण्डू में पुल से मिलता है, राष्ट्रीय राजपथ में शामिल कर लिया जायेगा । परन्तु वह भी तृतीय योजना में वित्तीय आवंटन पर निर्भर है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसा सिद्धान्त बनाया है कि नेशनल हाईवेज बनाते वक्त एक सूबे से दूसरे सूबे का सम्बन्ध स्थापित हो और इसके अलावा जितने मशहूर तीर्थ स्थान हैं उन तक भी नेशनल हाईवेज पहुंचाये जायें, मसलन बिहार से रामेश्वरम् तक कोई नेशनल हाईवे बनाने का क्या सरकार का ख्याल है ?

श्री राज बहादुर : नेशनल हाईवेज अथवा राष्ट्रीय जनमार्गों का उद्देश्य यह होता है कि वे एक राज्य की राजधानी को दूसरे राज्य की राजधानी से मिलायें या जो हमारे देश में तटों पर विभिन्न मुख्य-मुख्य स्थान हैं उनको केन्द्र से मिलायें अथवा एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से मिलायें । जहां तक तीर्थ स्थानों का सम्बन्ध है, हम उनको सारे तीर्थ स्थानों को ले जायें, यह शायद सम्भव नहीं है। जो मुख्य-मुख्य तीर्थ स्थान हैं, जैसे पुरी है, रामेश्वरम् है, बद्रीनाथ है और द्वारका है, इन चार तीर्थ स्थानों के निकट तक वर्तमान राष्ट्रीय मार्ग अवश्य पहुंच गये हैं, राष्ट्रीय जन मार्ग ठेठ उन तक न पहुंच सकें, यह दूसरी बात है ।

श्री पद्म देव : माननीय मन्त्री जी ने कहा कि इस वक्त जो चालू नेशनल हाईवेज हैं उनको वे बन्द नहीं कर रहे हैं बल्कि चालू रख रहे हैं । क्या उनको मालूम है कि हिन्दुस्तान-तिब्बत रोड की जो अपर लिंक है वह अर्से से बन्द है, और हालांकि वह पहले नेशनल हाईवे था, लेकिन अब उसको उस तरह नहीं माना जा रहा है, और क्या उसको पुनः जीवित किया जायेगा ?

श्री राज बहादुर: मेरी जानकारी में शायद माननीय सदस्य की सूचना सही नहीं है ।

†**श्री खीमजी :** क्या कांडला को अहमदाबाद से मिलाने वाले राष्ट्रीय राजपथ संख्या ८ पर कच्छ के रान में पुल का निर्माण-कार्य आरम्भ किया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर :** हमारा यही इरादा है । वास्तव में माननीय सदस्य को पता है कि इसमें पूना में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् अनुसन्धान केन्द्र में किये गये प्रयोगों के कारण कुछ विलम्ब हुआ है । वह कार्य पूरा हो गया है और अब निर्माण-कार्य आरम्भ हो सकता है ।

†**श्री खीमजी :** क्या इस पुल के डिजाइन तैयार हैं ?

†**श्री राजबहादुर :** उसका उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री सुब्बया अम्बलम:** इस बात को देखते हुए कि तृतीय योजना में शामिल करने के लिये मद्रास सरकार ने पूर्व-तटीय सड़क की सिफारिश की थी और धन की कमी के कारण यह तृतीय योजना में नहीं रखी गयी है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इसको सामान्य राजपथ योजना में शामिल किया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर :** मेरा पहला उत्तर भी इस सड़क के बारे में है ।

†**श्री शिवनंजप्पा :** पश्चिम तटीय राष्ट्रीय राजपथ में कहां तक प्रगति हुई है ?

†**श्री राज बहादुर :** पश्चिम तटीय सड़क राष्ट्रीय राजपथ नहीं है । यह ऐसी सड़क है जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार ने एक विशेष स्तर तक उसके विकास के लिये धन लगाने की जिम्मेदारी ली है । और वह कार्य किया जा रहा है ।

†**श्री राधेलाल व्यास :** क्या राष्ट्रीय राजपथों के 'मिसिंग लिंक्स' की पूरी सूची तैयार की गयी है और यदि हां, तो क्या उसकी प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर:** सूची तैयार है। यदि उपयुक्त पूर्व सूचना दी जाये तो यह रखी जा सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** पुस्तकालय में।

श्री पद्म देव : माननीय मन्त्री जी ने कहा कि मेरी जानकारी ठीक नहीं है। क्या वे अपनी जानकारी की जांच करेंगे क्योंकि मैं वहां का ही रहने वाला हूं और मुझे मालूम है कि कितने अर्से से वह नेशनल हाईवे बन्द है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मन्त्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर न दें। मैंने माननीय सदस्य को एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश से आये हैं। मैं सभी सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति देना चाहता हूं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने अभी बतलाया कि जब तक निर्योगी समिति की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक राष्ट्रीय जन मार्गों की सूची में और सड़कों को नहीं जोड़ा जा सकेगा। पर क्या यह सत्य नहीं है कि पिछले दिनों तीन सड़कों को इस सूची में जोड़ा गया है ? अगर यह बात सत्य है है तो चीफ इंजीनिअर्स की कमेटी ने जो सिफारिश की है, जैसे बद्रीनाथ की सड़क का स्वयं उल्लेख मन्त्री जी ने अभी किया है, उनको इस सूची में जोड़ने में उन्हें क्या ऐतराज है ?

श्री राज बहादुर : अगर मैं माननीय सदस्य की स्मरण शक्ति को थोड़ा जाग्रत कर सकूं तो इन सड़कों को रिपोर्ट के बाद में नहीं जोड़ा गया है। यह जो तीन सड़कें जोड़ी गई थीं, वे पहले जोड़ी गई थीं और उनकी घोषणा सन् १९६० के बजट में हुई थी या उससे पूर्व हो गई थी।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री पद्म देव।

श्री पद्म देव : अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जिस सड़क की जानकारी मैंने दी है, उसके बारे में मेरी जानकारी गलत है। क्या माननीय मन्त्री जी मेरी जानकारी के गलत होने और अपनी जानकारी के सही होने की कोई पड़ताल करेंगे ?

श्री राज बहादुर : मैं अवश्य पड़ताल करने की चेष्टा करूंगा, किन्तु मैं यह जानता हूं यह जो हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क के नाम से मार्ग है उस पर धीरे-धीरे काम हो रहा है। किस मात्रा में और किस गति से काम चल रहा है, इसके बारे में माननीय सदस्य का अनुमान दूसरा हो सकता है और मेरा अनुमान दूसरा हो सकता है। बहरहाल इस रोड के बारे में सूचना मैं इस वक्त नहीं दे सकता।

चम्बल बांध से बिजली

*१८६६. **श्री भोगजी भाई :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चम्बल बांध से मध्य-प्रदेश तथा राजस्थान के किन-किन जिलों को बिजली मिलेगी;

(ख) क्या उदयपुर डिवीजन के सब जिलों को बिजली मिल जायेगी; और

(ग) क्या बांसवाड़ा (राजस्थान) को भी, जो सैलाना से केवल ४० मील दूर है और जहां चम्बल विद्युत् उपलब्ध है, इससे लाभ होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा है ।

विवरण

(क) मध्य-प्रदेश तथा राजस्थान के निम्नलिखित जिले चम्बल परियोजना में बिजली लेंगे ।

(१) मध्य-प्रदेश :

१. मांडसौर	२. रतलाम	३. उज्जैन
४. इन्दौर	५. शाजापुर	६. धार
७. देवास	८. सेहोर	९. रेसन
१०. विदिशा	११. होशंगाबाद	१२. खण्डवा
१३. खडगोन	१४. ग्वालियर	१५. भिण्ड
१६. मोरेना	१७. राजगढ़	१८. झाबुआ
१९. गुणा	२०. शिवपुरी	२१. दातिया

(२) राजस्थान :

१. जयपुर	२. सवाई माधोपुर	३. अजमेर
४. टोंक	५. भरतपुर	६. अलवर
७. बूंदी	८. कोटा	९. झालावाड़
१०. उदयपुर	११. भीलवाड़ा	१२. डूंगरपुर
१३. बांसवाड़ा	१४. चित्तौड़	१५. जोधपुर
१६. पाली	१७. परवतसर-नागरपुर जिले की सब दिवीजन ।	

(ख) जी, हां ।

(ग) इसकी सम्भाव्यता पर राजस्थान सरकार जांच कर रही है ।

श्री भोगजी भाई : बांसवाड़ा को बिजली मिलने की कोई सम्भावना है ?

†**श्री हाथी** : यह प्रश्न बिजली के वितरण के बारे में है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह बिजली के बारे में जानना चाहते हैं ।

श्री हाथी : बिजली जहां-जहां पहुंचने वाली है उनके नाम यहां दिये हुए हैं :

"मांडसौर, रतलाम, उज्जैन, इन्दौर, शाजापुर, धार, देवास, सेहोर, रेसन, विदिशा, होशंगाबाद, खंडवा, खडगोन, ग्वालियर, भिण्ड, मोरैना, राजगढ़, झाबुआ, गुणा, शिवपुरी, दातिया ।"

इन २१ जगहों में पहुंचेगी, और जगहों के बारे में मुझे पता नहीं है ।

श्री राधेलाल व्यास : यह प्रश्न बांसवाड़ा के सम्बन्ध में था और माननीय मन्त्री जी ने जो स्थान बतलाये वे मध्य-प्रदेश में हैं और मध्य-प्रदेश सरकार वहां बिजली पहुंचायेगी । बांसवाड़ा हालांकि राजस्थान में है लेकिन वह मध्य-प्रदेश के बार्डर से बिल्कुल नजदीक है, तो क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि मध्य-प्रदेश के थ्रू इस लाइन को बढ़ा कर बांसवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है वहां तक बिजली पहुंचाई जा सके ? क्या मन्त्री महोदय मेरे मित्र के इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री हाथी : बांसवाड़ा राजस्थान में है, और राजस्थान के नीचे जो जो जगहें बतलाई गई हैं उनमें बांसवाड़ा भी है जिसको बिजली मिलने के लिये लिखा गया है। मैंने सोचा था कि बांसवाड़ा मध्य-प्रदेश में कोई जगह होगी और उसके बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं। अगर इसका सम्बन्ध राजस्थान के बांसवाड़ा से है तो उस का नाम तो इस में है।

रक्त–चाप की नई औषधि

+

†*१८६८. { **श्री नंजप्प :** **श्री रामशंकर लाल :** **श्री हेम बरुआ :** }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली की आयुर्वेदिक परिषद ने चीनी धनिया" नाम की एक नई चमत्कारपूर्ण औषधि की खोज की है, जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि उच्च रक्तचाप का इलाज करने में वह सर्पगन्धा से भी अधिक गुणकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो रोगियों पर इस औषधि का प्रयोग करने के परीक्षणों का क्या परिणाम निकला है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री नंजप्प :** क्या किसी अन्य संस्था ने इस औषधि का पता लगाया है या बनायी है ?

†**श्री करमरकर :** हमारी जानकारी के अनुसार यह 'चीनी धनिया' नाम की औषधि विद्यमान नहीं है। 'धनिया' अवश्य है परन्तु 'चीनी धनिया' का हमें कोई पता नहीं चला है। मैं माननीय सदस्य को यह भी बता दूं कि हमने इस मामले में आगे जांच की क्योंकि यह संगठन अपने आपको 'आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद' कहता है और हमें पता लगा कि यह एक सदस्यीय निकाय है जिसकी नकली दवाइयां बेचने में अधिक रुचि है। क्योंकि पहले उन्होंने किसी अन्य औषधि के बारे में भी बताया था जो आंख में खराबी को ठीक करने के लिये है। कई सदस्यों ने इस बारे में शिकायत की और हमने मामले की जांच की। और हमें यह आश्चर्य नहीं होगा यदि इस मामले में भी 'चीनी धनिया' अन्वेषक की रुपया बनाने के ख्याल से केवल एक कल्पना हो।

†**डा० सुशीला नायर :** क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे स्वास्थ्य मंत्रालय इस प्रकार की बातों को रोक सके ? क्या उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये कोई विधि है, जो बार-बार ऐसा करते हैं ? यदि नहीं, तो क्या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ऐसे अधिकार लिये जाने की कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री करमरकर :** यह कहना कठिन है कि वे धोखा दे रहे हैं क्योंकि इसके लिये हमें साक्ष्य ढूंढने हैं और साक्ष्य हमेशा नहीं मिलते हैं। इसका एक तरीका यह है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं को

---

†मूल अंग्रेजी में

आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद आदि के नाम से पुकारे जाने से, ऐसे निकायों को सीमित करके, रोका जाये। हमारा मंत्रालय उस पर इस दृष्टिकोण से विचार कर रहा है। अन्यथा इन व्यक्तियों को चमत्कारपूर्ण औषधि अधिनियम, जो हम बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, के अधीन के अतिरिक्त इन औषधियों का विज्ञापन करने से रोकना कठिन है। परन्तु ऐसे व्यक्तियों की गतिविधि को सीमित करना कठिन है। एक तरीका यह होगा कि ऐसी निकायों के बारे में प्रश्न ही न पूछे जायें। जो कुछ मैं कह रहा हूं, मैं अभी स्पष्ट करता हूं। मुझे इस मामले में चिन्ता है। यह विज्ञापन समाचारपत्रों में "चमत्कारपूर्ण औषधि" के नाम से निकलता है। समाचारपत्र सामान्य औषधि के बारे में इतने विज्ञापन नहीं छापते जितने कि "चमत्कारपूर्ण औषधि" के बारे में छापते हैं। नासमझ रोगी उन्हें लेते हैं और जब उन्हें कोई परिणाम नहीं मिलता तो वे शिकायत करते हैं। और फिर इसको रोकना कठिन होता है। माननीय मित्र ने इस बारे में सुना होगा परन्तु अब पता चलेगा कि दिल्ली में एक आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद है जो ऐसी औषधियों के विज्ञापन के लिये एक-सदस्यीय निकाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

इस 'चीनी धनिया' के बारे में हमने आयुर्वेदिक निकायों को निर्दिष्ट किया। पाठय-पुस्तकों में इसका उल्लेख नहीं है। हमने बाजार में मालूम किया। यह वहां भी नहीं मिलती। मैं केवल एक सुझाव दे रहा हूं कि इस सभा में और प्रश्न पूछ कर गलत आदमियों को लाभ न उठाने दिया जाये।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मंत्री महोदय ने इस 'चीनी' शब्द के लिये शब्दकोष देखा है?

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु कुछ को छोड़ कर सभी माननीय सदस्य यहां डाक्टर नहीं हैं। अतः यदि कोई कहता है कि क्या मंत्री महोदय, अपने एजेंटों अजवा विशेषज्ञों के जरिये, यह पता लगाते हैं कि क्या वह औषधि वास्तव में "चमत्कारपूर्ण" है या नहीं? विज्ञापन यहां पर माननीय सदस्यों के कारण नहीं छपते

†**श्री करमरकर**: जी, नहीं। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने माननीय सदस्यों पर कोई कटाक्ष नहीं किया परन्तु सम्बन्धित पक्ष इस सभा में प्रश्नों के जरिये प्रचार में अभिरुचित होगी। मैंने यह कहा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : केवल डा० सुशीला नायर ने यह प्रश्न पूछा था। माननीय सेदस्यों से ऐसे प्रश्न न पूछने को कहने के बजाय--मैं उनको अनुमति दे रहा हूं क्योंकि यदि यह "चमत्कारपूर्ण औषधि" है तो हममें से प्रत्येक इसका इस्तेमाल कर सकता है--मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि अब के बाद किसी भी "चमत्कारपूर्ण औषधि" का पहले, समाचारपत्रों में विज्ञापन से पूर्व केन्द्रीय अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जायेगा। या ऐसी ही कोई कार्यवाही की जायेगी। क्योंकि वे इससे अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं इसलिये वह ऐसी बात कह रहे हैं। वह परामर्श देना ठीक नहीं है। दूसरी ओर, मंत्री महोदय इस बारे में कार्यवाही करें कि इन लोगों को दण्ड दिया जाये और यदि इन औषधियों का सक्षम प्रयोगशाला अथवा परिषद में परीक्षण नहीं किया जाता तो वे बेची नहीं जानी चाहिये और उनका विज्ञापन नहीं दिया जाना चाहिये। माननीय सदस्यों को ऐसे मामले न उठाने को कहने के बजाय ऐसी कोई कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री करमरकर: जो कुछ आपने कहा, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं; परन्तु कानून किसी अवस्था तक लागू होता है। मान लीजिये कि कोई "चमत्कारपूर्ण" या "जादुई" औषधि है और

---

†मूल अंग्रेजी म

किसी के द्वारा यह कहा जाये कि उस औषधि के सेवन से 'मधुमेह' ठीक हो सकता है तो उस हद तक उस पर प्रतिबन्ध है । परन्तु अगर कोई व्यक्ति समाचारपत्रों में यह विज्ञापन देता है कि 'यह औषधि लीजिये और आपका दन्तरोग जाता रहेगा' तो कानून मुझे या सरकार को कार्यवाही करने का अधिकार नहीं देता ।

उस दृष्टिकोण से मैं यह कहता हूं कि ऐसी चमत्कारपूर्ण औषधियों के बारे में, इस सभा में प्रश्न रखने के बजाय माननीय सदस्य पहले मुझसे पत्र व्यवहार कर लें मैं उन्हें आश्वसन देता हूं कि पत्र प्राप्त होने के ७२ घंटों के भीतर उत्तर दे दिया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य ऐसे छलकपट को रोकने के लिये कार्यवाही करने में मंत्री महोदय को सहयोग प्रदान करेंगे । यह कहना ठीक नहीं है 'मेरे पास कानून नहीं है ।' संविधान बदला जा रहा है । अतः यदि आवश्यक है, तो वह कानून बना सकते हैं ।

†**श्री तिरुमल राव :** देश के प्रत्येक भाग में, केवल इसी औषधि और इसी रोग के लिये नहीं बल्कि कई रोगों के लिये, बड़ी संख्या में झूठे विज्ञापनों से जनता की रक्षा के लिये सरकार क्या ठोस कार्यवाही कर रही है क्योंकि जनता इन मिथ्या चिकित्सकों और धोखा लेने वाले विज्ञापनों की दया पर निर्भर करती है ? कानून में संशोधन करके अथवा इन विज्ञापनों की सत्यता का परीक्षण करने के लिये एक 'स्टैण्डर्ड औषधि अनुसंधान प्रयोगशाला' बना कर मंत्रालय क्या ठोस कार्यवाही कर रहा हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय समूचे देश के लिये उत्तरदायी हैं और अतः यदि वे कोई पग उठाना चाहते हैं, मैं नहीं समझता कि यहां पर कोई भी सदस्य जिसने इसमें भाग लिया हो, उनके मार्ग में रोड़ा अटकायेंगे ; वास्तव में वे सदस्य भी जिनको प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दी गयी है, मंत्री महोदय की सहायता करेंगे और उन्हें उन व्यक्तियों को, जो अच्छी औषधियों के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, पकड़ने के लिये अधिकार देंगे ।

†**डा० मा० श्री अणे :** मंत्री महोदय ने अभी बताया कि उन्होंने जांच की थी और पता लगाया कि यह केवल एक-सदस्यीय निकाय है । क्या मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने उस व्यक्ति को बुलाया था और उससे उस औषधि के बारे में बताने को कहा जिसका इस प्रश्न में जिक्र है और जो मंत्री महोदय को बाजार में नहीं मिल सकी ?

†**श्री करमरकर:** मैं समझता हूं कि मैं वह भी प्रयत्न करूंगा । हम उस व्यक्ति को पत्र लिखेंगे और उससे कहेंगे कि वह हमें बताये कि वह औषधि कौन सी है ; और यदि कोई उत्तर प्राप्त हुआ, तो मैं वह सभा-पटल पर रख दूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह इसकी जांच करें ।

झांसी में वाटर वर्क्स

†*१८७१. **डा० सुशीला नायर : क्या रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झांसी में रेलवे मंत्रालय, प्रतिरक्षा मंत्रालय और वहां के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से वाटर-वर्क्स स्थापित करने की एक प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की क्रियान्विति के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रत्येक पक्ष द्वारा कितना योगदान करने का विचार हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या यह सच नहीं कि एक वर्ष पहले ऐसी एक प्रस्थापना थी ? क्या इस प्रस्थापना को छोड़ दिया गया है अथवा क्या इसे जल्दी ही क्रियान्वित किया जायेगा ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : एक ऐसी प्रस्थापना थी कि माताटीला बांध के पानी से रेलवे मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार और प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से एक वाटर वर्क्स बनाया जाये । जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, उसे झांसी में अपनी पानी सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में लगभग आत्म-निर्भरता प्राप्त है । कुछ पानी की अविलम्ब रूप से आवश्यकता थी इसलिये हमने अपनी एक योजना को क्रियान्वित करना शुरू किया क्योंकि 'संयुक्त योजना' में बहुत विलम्ब हो रहा था । अब संयुक्त योजना में हमारे शामिल होने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता ।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या यह सच है कि रेलवे की योजना पर एक करोड़ रुपया लागत आयी ? क्या यह भी सच है कि संयुक्त योजना अधिक लाभप्रद सिद्ध होती और उससे जनता के बहुत बड़े भाग को लाभ पहुंचता, और यदि हां, तो माननीय मंत्री संयुक्त योजना को बचाने के लिए कुछ करेंगे ?

†**श्री जगजीवन राम** : ये सारे अनुमान ठीक नहीं हैं । रेलवे योजना की लागत १ करोड़ रु० नहीं है ।

†**डा० सुशीला नायर** : इस पर कितनी लागत आयी है ?

†**श्री जगजीवन राम** : जैसा कि मैंने बताया है । हमें अपनी आवश्यकताओं के बारे में लगभग आत्म-निर्भरता प्राप्त है । हमें पानी की बहुत थोड़ी अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता थी । यह योजना लगभग ६ लाख रु० की है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या संयुक्त योजना को हाथ में लेना सम्भव नहीं है ? क्या वह अधिक लाभप्रद नहीं होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : : मेरा विचार है कि सदस्य महोदय उत्तर को समझ नहीं पाये । रेलवे को कुछ पानी की अविलम्ब आवश्यकता थी । रेलवे स्थानीय अधिकारियों के साथ संयुक्त योजना में शामिल होने को तैयार थी । किन्तु संयुक्त योजना में देर हो रही थी । अब उन्होंने ६ लाख रु० व्यय करके आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है ।

†**डा० सुशीला नायर** : यह ६ लाख रु० व्यय करने का प्रश्न नहीं है । वहां पर रेलवे की एक बहुत बड़ी वर्कशाप और रेलवे कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी बस्ती है । पिछले वर्ष की प्रस्थापना के अनुसार रेलवे को काफी पानी की आवश्यकता थी । जहां तक शेष आवश्यकताओं का सम्बन्ध है क्या रेलवे मंत्रालय संयुक्त योजना के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय और स्थानीय अधिकारियों के साथ शामिल होने के प्रश्न पर विचार करेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नागार्जुन सागर परियोजना के लिए ऋण

†*१८७२. **श्री रामी रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि नागार्जुन सागर परियोजना के लिए दिये गये ऋण पर दिये जाने वाले ब्याज की अदायगी की शर्तों में परिवर्तन किया जाये;

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रस्थापनाओं का क्या ब्योरा है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस विषय मे क्या कार्यवाही की जा रही है।

†**सिंचाई और विद्युत उपमन्त्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश को नागार्जुन सागर परियोजना के लिए दिये जा रहे ऋण के निबंधन और शर्तें अभी तय नहीं की गयीं। वित्त मंत्रालय के परामर्श से उन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

†**श्री रामी रेड्डी** : इस बात को देखते हुए कि सिंचाई परियोजना पर किये जाने वाले विनियोजन से तुरन्त लाभ नहीं होता, क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले ऋण पर कम ब्याज लिया जायेगा।

†**श्री हाथी** : यह निर्णय किया गया है कि ३१ मार्च, १९५८ तक मंजूर किये गये ऋणों पर ४॥ प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा और इसके बाद की रकमों पर ३ प्रतिशत ब्याज लिया जायेगा। अतः ३१ मार्च, १९५८ तक दी गयी रकमों पर, जो सिंचाई कार्यों के लिये उधार दी गयी है, ३ प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा।

†**श्री रामी रेड्डी** : यह परियोजना कब पूरी होगी ? इस परियोजना के पहले १९६३–६४ में पूरा होने का अनुमान था किन्तु मैं समझता हूं कि अब शायद यह परियोजना चौथी योजना के मध्य तक चलेगी। क्या यह सच है ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस परियोजना के मौजूदा ९१ करोड़ रु० के प्राक्कलन में २० करोड़ रु० की वृद्धि होने का अनुमान है ?

†**श्री हाथी** : आन्ध्र प्रदेश से हमें जो पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त हुए हैं उसमें ९१ करोड़ रु० का उल्लेख है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कब पूरा होगा ?

†**श्री हाथी** : मेरा ख्याल है १९६५–६६ तक।

†**श्री रामी रेड्डी** : मंत्रालय द्वारा आज परिचालित किये गये 'नोट' से पता चलता है कि इसकी लागत का पुनरीक्षण किया जा रहा है और इसमें २० करोड रु० की वृद्धि होने का अनुमान है और यह परियोजना तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त से पहले पूरी नहीं है और इसके चौथी योजना के दौरान पूरा होने का अनुमान है। मैंने इसीलिये प्रश्न पूछा था।

†**श्री हाथी** : मैं ने बताया था कि सितम्बर, १९६० में मंजूर किया गया पुनरीक्षित अनुमान ९१.१२ करोड़ रु० का है। जहां तक मुझे पता है यह परियोजना तीसरी योजना के अन्त तक पूरी हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा :** क्या दोनों सरकारों के बीच हो रही बातचीत और चर्चा के दौरान जितनी रकम की आवश्यकता पड़ेगी, क्या केन्द्रीय सरकार आन्ध्र सरकार को उतनी रकम प्रदान कर रही है ?

†**श्री हाथी :** दूसरी पंच वर्षीय योजना में ३२ करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी थी और व्यय ३४ करोड़ रु० हुआ है । कुल व्यय ३९ करोड़ रु० हुआ है । तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में भी हम इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए शेष रकम की व्यवस्था करेंगे ।

†**श्री तिरुमल राव :** ब्याज का हिसाब किस आधार पर लगाया जाता है ? मंत्री महोदय ने बताया है कि १९५८ से पहले ब्याज की दर ४।। प्रतिशत थी किन्तु इसके पश्चात इसे घटा दिया गया है ।

†**श्री हाथी :** वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी । उनका कहना था कि विद्युत परियोजनाओं से जल्दी आय होने लगती है अतः इनके लिए दिये गये ऋण पर अधिक ब्याज लगना चाहिए और १९५८ तक सिंचाई परियोजनाओं के लिए दिये गये ऋणों पर ३ प्रतिशत दर के हिसाब से ब्याज लगना चाहिए ।

†**श्री तिरुमल राव :** १९५८ तक दिये गये ऋण पर ब्याज की दर ४।। प्रतिशत है । क्या मैं ठीक समझा हूं ?

†**श्री हाथी :** जी नहीं, यह एक जटिल सी बात है । कल्पना करें कि ब्याज १९५७ में दिया गया था । अर्थात् १९५८ से पहले दिया गया था । उस पर ४।। प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया गया था । किन्तु ऋण की बकाया राशि पर, जिसकी अदायगी ३१ मार्च, १९५८ से पहले की जानी है, ब्याज की दर ३ प्रतिशत होगी ।

†**श्री मि० सू० मूर्ति :** आन्ध्र प्रदेश को १९५८ से पहले और १९५८ के पश्चात कितना ऋण दिया गया ?

†**श्री हाथी :** केन्द्र द्वारा १९५५ से १९६१ तक कुल ३४ करोड़ रु० ऋण दिया गया ?

†**श्री रामी रेड्डी :** क्या यह सच है कि केन्द्री सरकार आन्ध्र सरकार को इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त धन प्रदान नहीं कर रही, और इस परियोजना के पूरा होने में इसीलिए विलम्ब हो रहा है ?

†**श्री हाथी :** दूसरी योजना में पहले ३२.३ करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी थी । केन्द्र ने ३४ करोड़ रु० अर्थात् उससे २ करोड़ रु० अधिक ऋण प्रदान किया और राज्य सरकार को समाबोजन के द्वारा अतिरिक्त व्यय करने की अनुमति दी गयी । इस प्रकार कुल ३९ करोड़ रु० व्यय हुआ । नागार्जुनसागर परियोजना पर योजना में की गयी व्यवस्था से ७ करोड़ रु० अधिक व्यय हुआ । वास्तविक स्थिति यह है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्लाइडर निर्माण परियोजना

+

†*१८७३. { **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री कुन्हन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ग्लाइडर निर्माण परियोजना को किसी गैर-सरकारी सार्थ को सौंपने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) और (ख). भारत में दो प्राइवेट कम्पनियों अर्थात् मैसर्स एरोनाटिकल सर्विसिज लिमिटेड, कलकत्ता और मैसर्स ए० एफ० सी० ओ० (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा ग्लाइडर बनाये जा रहे हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** इस बात को देखते हुए कि हमें १० ग्लाइडिंग केन्द्र खोलने हैं, क्या सरकार की इन ग्लाइडर निर्माण करने वाले कारखानों में से किसी कारखाने को अपने हाथ में लेने की कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** जी नहीं। ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या इन ग्लाइडर निर्माण परियोजनाओं के अतिरिक्त देश में कोई विमान-निर्माण और मुरम्मत-केन्द्र खोले जा रहे हैं और यदि हां, तो किन स्थानों पर ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** इस बात का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री तंगामणि :** कलकत्ता और बम्बई की इन फर्मों की क्षमता कितनी है और हमारी मौजूदा मांग कितनी है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** इन फर्मों को ४० और ५० के बीच आर्डर दिये गये हैं। इस समय इनकी क्षमता १० अथवा १५ ग्लाइडर प्रति वर्ष की है।

†**श्री यादवनारायण जाधव :** क्या ये ग्लाइडर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** ये ग्लाइडर भारतीय परिस्थितियों के लिए अपेक्षित विशिष्टियों के अनुसार बनाये जाते हैं और ये अच्छे ग्लाइडर हैं।

हीराकुद बांध

†*१८७४. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उन लोगों को, जिन्हें हीराकुद बांध के निर्माण के कारण निष्कासित किया गया था, पूरा मुआवजा दे दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अब तक कुल कितनी रकम की अदायगी की गयी है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो पूरा मुआवज कब दिये जाने की संभावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) मार्च, १९६१ के अन्त तक ७,३२,६२,४७२.२४ रु० अदा किये गये थे ।

(ग) अनुमान है कि पूरा मुआवजा देने में दो वर्ष लग जायेंगे ।

†**श्री प्र० मं० देव** : अभी कितना प्रतिकर दिया जाना बाकी है ?

†**श्री हाथी** : कुल व्यवस्था ११ करोड़ रु० की है जिसमें परिवहन भी शामिल है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या मुआवजे के दावों का भुगतान करने के लिए कोई पृथक संगठन स्थापित किया गया है ? यदि हां, तो पिछले १० वर्षों में ११ करोड़ रु० का मुआवजा अदा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

†**श्री हाथी** : ११वें वर्ष के पहले मुआवजे की अदायगी नहीं की जानी थी क्योंकि यह क्षेत्र जलमग्न हो रहा था इस लिए मुआवजा दिया जाना था । कई मामले मध्यस्थ निर्णय के लिए भेजे गये कई मामलों में लोगों ने अपील की है । इसीलिए पूरा मुआवजा नहीं दिया जा सका ।

†**श्री प्र० मं० देव** : इस असाधारण विलम्ब को देखते हुए, क्या सरकार राज्य सरकार को शेष मामलों का भुगतान करने के लिए आर्थिक सहायता देगी ?

†**श्री हाथी** : यह धन की कमी का प्रश्न नहीं है । मुख्य बात यह है कि अभी तक कई मामलों का अन्तिम रूप से फैसला नहीं हुआ ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सरकार को पता है कि कई मामलों में, जिनके बारे में पिछले दो वर्ष से फैसला हो चुका है, पंचाट में निर्धारित दर के अनुसार मुआवजा नहीं दिया गया ?

†**श्री हाथी** : मुझे जानकारी नहीं, किन्तु यदि वह कोई मामला मेरे ध्यान में लायेंगे तो मैं निश्चित ही उसकी जांच करूंगा ।

दामोदर में बाढ़

†*१८७६. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में दामोदर घाटी निगम द्वारा असमय पर बहुत सा पानी छोड़ देने के कारण दामोदर में बाढ़ आ गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो यह पानी क्यों छोड़ा गया था और कितनी क्षति पहुंची है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). दामोदर नदी में अप्रैल १९६१ के प्रथम सप्ताह में कोई बाढ़ नहीं आयी । किन्तु पिछले वर्षों के समान, मैथोन और पंचेत जल-विद्युत बिजली घरों को, बिजली के सम्भरण की स्थिति खराब होने के कारण, पूरी क्षमता से काम करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप वर्ष के इस भाग में जल का निस्सारण सामान्य से अधिक

†मूल अंग्रेजी में

मात्रा में हुआ था। जल का दैनिक निस्सारण औसतन ६००० क्यूसेक था और केवल एक दिन उसकी मात्रा १६००० क्यूसेक हो गयी थी और यह बाढ़ की चेतावनी की सीमा से, जो १७००० क्यूसेक पर होती है, कम है।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या सरकार को पता है कि दामोदर नदी के किनारे पर स्थित बहुत से मकान डूब गये हैं ?

†**श्री हाथी** : बाढ़ के कारण ?

†**श्री अरविन्द घोषाल** : पानी के एकाएक छोड़े जाने के कारण।

†**श्री हाथी** : जी नहीं। पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार किसी मकान को क्षति नहीं पहुंची। स्थिति यह है कि कलकत्ता में बिजली की कमी के कारण मैथोन और पंचेत के बिजलीघरों को पूरी क्षमता के साथ काम करना पड़ा और इसलिए कुछ पानी को 'रिलीज़' करना पड़ा।

†**श्री अरविन्द घोषाल**: क्या पानी को 'रिलीज़' करने से पहले चेतावनी देने की कोई व्यवस्था है ?

†**श्री हाथी** : चेतावनी दी जाती है किन्तु लोग पानी के 'रिलीज़' के लिए तैयार ही नहीं थे ?

†**श्रीमती रेण चक्रवर्ती** : इस बात को देखते हुए कि कलकत्ता में बिजली की मांग उस मात्रा से बढ़ गयी है जिसकी सप्लाई दामोदर घाटी निगम कर सकता है, और दामोदर घाटी निगम को कम जल वाले मौसम में भी पूरी तरह से चलाना पड़ेगा, भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को किस प्रकार रोका जायेगा ?

†**श्री हाथी** : ऐसी स्थिति हमेशा उत्पन्न नहीं होगी, यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी हालत में १७००० क्यूसेक से अधिक जल 'रिलीज़' नहीं किया जायेगा।

यात्री और भारवाही जहाजों पर लाइफ-बोट ले जाने के विनियम

†*१८७७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री और भारवाही जहाजों पर लाइफ-बोट ले जाने के विनियमों का पुनरीक्षण करने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना का क्या ब्योरा है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो यात्रियों की सुरक्षा के प्रबन्धों में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) यात्री जहाजोंपर जान बचाने के उपकरण ले जाने की बात समुद्र में जीवन-सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय, १९४८ और शिमला नियम, १९३१ द्वारा विनियमित होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन नियमों में सब लोगों के लिये लाइफ-बोट और पीपों द्वारा तैरने की व्यवस्था की गयी है । यह व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जान बचाने वाले इन उपकरणों का निरीक्षण कितनी बार, कैसे और किन के द्वारा किया जाता है ?

†**श्री राज बहादुर** : सामान्यतः इनका निरीक्षण जहाज के सर्वेक्षण समय होता है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यात्री जहाजों और भारवाही जहाजों में भी इन उपकरणों की व्यवस्था होती है अथवा केवल यात्री-जहाजों में ?

†**श्री राज बहादुर**: इन उपकरणों को उनको दिये गये अनुसार ले जाया जाता है । विशेषतः यात्री जहाजों को इन निदेशों का पालन करना पड़ता है । जैसा कि मैंने कहा कि बिना 'बर्थ' वाले यात्री जहाजों को जहाज के सभी यात्रियों के लिये जान बचाने के उपकरण ले जाने पड़ते हैं ।

ग्राम्य क्षेत्रों में एक्सप्रैस चिट्ठियां और तारों का पहुंचाया जाना

†*१८७८. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गांवों में एक्सप्रेस चिट्ठियों और तारों के शीघ्र वितरण के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : सरकार एक्सप्रेस डिलीवरी व्यवस्था में सुधार करने और उसमें परिवर्तन करने के प्रश्न पर सक्रियता से विचार कर रही है । प्रयोग के रूप में, दिल्ली और नई दिल्ली में १-५-१९६१ से एक्सप्रैस डिलीवरी की वस्तुओं का कार्य तारघरों से लेकर डाकघरों को सौंप दिया गया है और इसका निरीक्षण किया जा रहा है । तारों के सम्बन्ध में, ग्राम्य क्षेत्रों में और तार घर खोले जा रहे हैं ।

श्रीमती मंजुला देवी : क्या ग्रामों में डाकघरों के 'पार्ट टाइम' कर्मचारियों के स्थान पर पूरे समय काम करने वाले कर्मचारी रखे जा रहे हैं ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : अभी सारे मामले पर विचार कर रहे हैं । फैसला करने से पहले हर बात पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री बासप्पा** : क्या एक्सप्रेस पत्रों के शीघ्र वितरण के लिये प्रोत्साहन-पारितोषिक देने की प्रणाली लागू की जायेगी ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

†**श्री प्रभातकार** : क्या इस समय गांवों में एक्सप्रेस डिलीवरी की कोई व्यवस्था है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : मैंने कई बार बताया है कि एक्सप्रेस पत्रों की डिलीवरी प्रायः तार-चपरासियों द्वारा की जाती थी और हमने अक्सर यह देखा है कि ये पत्र सामान्य पत्रों के बाद पहुंचते हैं । अतः हमने इस बात पर विचार किया है कि इन पत्रों के शीघ्र वितरण के लिये डाकिये नियुक्त किये जायें । किन्तु उसकी लागत का अनुमान लगाया जा रहा है । और प्रयोग के रूप में दिल्ली और नई दिल्ली में इसका परीक्षण किया जा रहा है ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : इस बात को देखते हुए कि आसाम के न केवल गांवों में बल्कि महत्वपूर्ण कस्बों में भी रविवार को एक्सप्रेस पत्रों और तारों का वितरण नहीं किया जाता, क्या सरकार इस बात के लिये कदम उठायेगी कि इनका वितरण शीघ्रता से हो ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० प० सुब्बरायन : हम अपनी ओर से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

†श्री प्रभातकार : क्या यह सच है कि साधारण तारों को मूल स्थान से पत्रों की तरह भेज दिया जाता है ?

†डा० प० सुब्बरायन : मैं इस आरोप को मानने के लिए तैयार नहीं। यह सच नहीं है।

†श्री यादव नारायण जाधव : ग्राम पंचायतों के कितने गांवों में अभी डाक-व्यवस्था की जानी है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह बात मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती।

लोको रनिंग शैड, कोजीकोडे की छत का गिरना

+

†*१८७९. श्री कुन्हन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री वें० ईयाचरण :
श्री जीनचन्द्रन :
श्री कुट्टिकृष्णन् नायर :
श्री नल्लाकोया :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोको रनिंग शैड, कोजीकोडे (दक्षिण रेलवे) की छत के बैठ जाने से तीन श्रमिकों को भारी चोटें आयी हैं :

(ख) क्या घायल कर्मचारियों को कोजीकोडे के सिविल अस्पताल में रेलवे कर्मचारियों के लिये आरक्षित 'वार्ड' में दाखिल नहीं किया गया है, क्योंकि रेलवे प्राधिकारियों ने उन्हें प्रमाणपत्र नहीं दिया ;

(ग) क्या शैड की छत के एकाएक बैठ जाने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कारण थे ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां। १३-४-६१ को लोको शेड की छत का पूर्वी हिस्सा ढ़ह गया जिसके फलस्वरूप ५ कर्मचारियों को मामूली चोटें आईं।

(ख) जी, नहीं। घायल कर्मचारियों को तुरन्त सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया जिनमें से ४ को अस्पताल में चिकित्सा के लिये रख लिया गया और ५वें व्यक्ति को फर्स्ट एड चिकित्सा के बाद अस्पताल से छोड़ दिया गया।

(ग) और (घ). जी, हां। लकड़ी का ढांचा और खपड़ैल की छत तेज़ बारिश और आंधी की वजह से अचानक ढह गईं। सम्य-समय पर किये जाने वाले जांच के दौरान इस ढांचे में कोई खराबी नज़र नहीं आई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कुन्हन** : क्या यह सच है कि कोझीकोड के नागरिकों और कर्मचारियों के संघों ने इस इमारत के पुनर्निर्माण की मांग की है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इमारतों की नियमित जांच दक्ष अधिकारियों द्वारा की जाती है और जिस इमारत में कोई खतरा नज़र आता हो उसे गिराकर नयी इमारत बना दी जाती है। इस लोको शेड के गिरने का अन्देशा है ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई । लेकिन अचानक तेज़ आंधी और बारिश आ गई ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या नागरिकों और कर्मचारी संघों ने इमारत के गिरने से पहिले अधिकारियों से उसे फिरसे बनाने के लिये कहा था ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमें ऐसे किसी सुझाव का इल्म नहीं है ।

†**श्री वें० ईयाचरण** : इस इमारत की अन्तिम जांच कब की गई थी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : आई ओ० डब्ल्यू० द्वारा इसकी जांच २४ फरवरी, १९६० को और असिस्टेंट इंजीनियर द्वारा २२ सितम्बर, १९६० को की गई थी ।

†**श्री कुन्हन** : क्या घायल कर्मचारियों को कोई मुआवज़ा दिया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : सभी कमचारियों पर कामगार प्रतिकर अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं और जो भी कर्मचारी मआवज़ा पाने का हकदार है उसे मुआवज़ा ज़रूर दिया जायेगा ।

"पैकेज प्रोग्राम"

†*१८८२. **श्री तंगामणि** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में 'पैकेज प्रोग्राम' को अन्य केन्द्रों में भी लागू किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या मद्रास राज्य में तंजौर के अतिरिक्त किसी अन्य जिले को भी चुना गया है ; और

(घ) मद्रास राज्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । (क) और (ख) केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मैसूर, असम और जम्मू और काश्मीर इन बचे हुए राज्यों के एक-एक जिले में यह कार्यक्रम चालू करने का निश्चय किया गया है । राज्य सरकारों ने कृषि उत्पादन और सहकारी संस्थाओं के स्थायित्व की दृष्टि से जो जिले फिलहाल उपयुक्त बताये हैं उनकी उपयुक्तता विचाराधीन है । कार्यक्रम के कार्यान्वय के लिये भारत सरकार की औपचारिक मंजूरी राज्य सरकारों को जल्दी ही भेज दी जायेगी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) मदरास की तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस कार्यक्रम के लिये १.५० करोड़ रुपया मंजूर किया गया है जिसमें से इस वर्ष का अर्थात् १९६१–६२ का आवंटन १९.०३ लाख रुपया है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सारा रुपया तंजौर जिले में खर्च किया जाने वाला है या कि तीसरी योजना में इस कार्यक्रम में कोई और जिला भी शामिल किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० पं० शा० देशमुख :** चूंकि हमने प्रत्येक राज्य का एक जिला लिया है इसलिये यह रुपया तंजौर में ही खर्च किया जायेगा ।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह कार्यक्रम मदरास राज्य के किसी और जिले में भी कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** जी, नहीं । हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या इस कार्यक्रम के बारे में कोई साहित्य पुस्तकालय में रखा गया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** जी, हां ।

†**श्री शिवनंजप्प :** क्या मैसूर राज्य का मान्डय जिला इस कार्यक्रम के लिये चुना गया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** इस जिले की सिफारिश की गई है और बहुत कर वह स्वीकार कर ली जायेगी । किन्तु अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने से पहले मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय किया जाना होगा ।

†**श्री विभूति मिश्र :** क्या यह सही है कि जहां जहां पैकेज प्रोग्राम शुरू किया गया है वहां वहां ओवर-स्टाफ है और जितना काम होना चाहिये उतना नहीं होता है ? ऐसी सूरत में क्या यह अधिक अच्छा न होता कि सरकार जितनी ये सुविधायें हैं, किसानों को पहुंचा देती ताकि प्रोडक्शन बढ़ सकता ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** मैं नहीं समझता कि यह दुरुस्त बात है । यह हो सकता है कि माननीय सदस्य उस स्टाफ का जिक्र कर रहे हों जो ट्रेनिंग में है । जिस वक्त तक वह ट्रेनिंग में रहेगा सरपलस मालूम होगा । मगर जब वह काम पर आ जायेगा तो सरपलस मालू नहीं होगा ।

†**श्री तंगामणि :** माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री ने पहले एक बार बताया था कि विभिन्न जिलों में इस प्रयोग को देखने के बाद विभिन्न राज्यों में कुछ और जिलों को जोड़ दिया जायेगा । तंजौर में यह प्रयोग कई वर्षों से किया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न तीसरी बार पूछा जा रहा है । माननीय मंत्री बता चुके हैं कि केवल एक जिला लिया गया है । तब माननीय सदस्य यह सुझाव क्यों दे रहे हैं कि एक और जिला लिया जाना चाहिये ।

†**श्री तंगामणि :** विवरण में इसका उल्लेख है । कुछ राज्यों में जिलों को आवंटित किया गया था तथा कुछ राज्यों में एक जिला जोड़ा जाना था । खाद्य तथा कृषि मंत्री श्री स० का० पाटिल ने एक बार पहले बताया था कि इस प्रयोग के आधार पर अन्य जिलों को भी शामिल किया जायेगा । हम जानना चाहते हैं कि क्या अन्य जिलों को भी शामिल किया जायेगा । १.५० करोड़ रुपया बहुत होता है और इसको देखने पर पता लगता है कि अन्य जिलों को भी शामिल किया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह एक जिले के लिये है अथवा दो जिलों के लिये ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** 'पैकेज प्रोग्राम' समस्त तीसरी योजना के लिए है । एक राज्य में अन्य जिलों को मिलाने का प्रश्न ही नहीं उठता है । मैंने यह कहा था कि यदि इस प्रयोग में सफलता मिली तो अन्य जिलों को बाद में ले लिया जायेगा परन्तु तीसरी योजना में नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यादव नारायण जाधव :** केन्द्रीय सरकार के आवंटन के अतिरिक्त राज्य सरकार कितना धन व्यय करेगी ।

†**डा० पं० शा० देशमख :** पूरी योजना है जिसका मैं इस समय वर्णन नहीं कर सकता हूं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मुगलसराय रेलवे यार्ड

†*१८६५. **श्री कालिका सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माल डिब्बों के परिवहन के लिए मुगलसराय यार्ड की मौजूदा क्षमता कितनी है ;

(ख) मुगलसराय यार्ड के अग्रेतर विस्तार की क्या योजनायें हैं और दोनों तरफ से माल डिब्बों के परिवहन के लिए जो वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उसके अनुसार इसकी अन्तिम क्षमता कितनी होगी ;

(ग) इस समय कुल जितने माल डिब्बों का परिवहन किया जाता है उनमें कोयले के डिब्बों का क्या अनुपात है और उसका अन्तिम लक्ष्य क्या है ; और

(घ) मुगलसराय यार्ड में भीड़भाड़ को कम करने के लिए मंत्रालय की क्या योजना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) प्रतिदिन २,६,०० वैगन आने जाने ।

(ख) मुगलसराय यार्ड की क्षमता के विस्तार की योजनायें निम्न हैं :

(१) अप-यार्ड में यंत्रीकृत ऊंचा स्थान बनाना

(२) डाउन यार्ड का रूपभेद करना

इन कार्यों के समाप्त हो जाने के बाद आशा है कि प्रति दिन ३,५०० वैगन से ज्यादा वैगन आने जाने लगेंगे ।

(ग) तीसरी योजना के अन्त में तथा इस समय अप की ओर कोयले के वैगन तथा अन्य वैगन का अनुपात नीचे दिया जाता है :

इस समय :

कोयला : प्रति दिन १९०० वैगन

अन्य सामान : प्रति दिन ७०० वैगन

तीसरी योजना के अन्त में

कोयले के आने जाने के लक्ष्य विचाराधीन है ।

अन्य सामान : अनुमानतः प्रति दिन १००० वैगन

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) भाग (ख) में बताई गई योजनाओं के अतिरिक्त मुगलसराय यार्ड को सुविधा देने के लिये गढ़वा रोड तथा चुर्क के बीच नई लाइन बनाई जा रही है ।

हुगली नदी के लिये तलकर्षण-यंत्र

†*१८६७. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली नदी में से मिट्टी, रेत आदि निकालने के लिए मज़गांव गोदी, बम्बई को तलकर्षण यंत्रों के लिए कोई आर्डर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की संभावना है ; और

(ग) क्या देश में तलकर्षण-यंत्रों का निर्माण करने की क्षमता में वृद्धि करने की कोई योजना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) देश में तलकर्षण यंत्र बनाने की कोई विशेष योजना नहीं है । तलकर्षण यंत्र बनाना बड़ा ही विशेष कार्य है जिसको स्थान विशेष की आवश्यकतानुसार बनाया जाता है । परन्तु कुछ भारतीय सार्थ विदेशों के सहयोग से तलकर्षण यंत्र बनाने के लिए कह रही हैं ।

माल-डिब्बों के आवंटन की प्रक्रिया

†*१८६९. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार को रेलवे मालडिब्बों के आवंटन के सिद्धान्त का पुनरीक्षण करने और विशेष प्रकार की प्राथमिकताओं का निर्धारण करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चाय बागानों के लिये उर्वरक

†*१८७०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में चाय बागानों को उर्वरकों का वितरण करने के लिए कितने एजेंट नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) उनमें से कितने एजेंट आसाम के हैं और कितने बाहर के हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इन एजेंटों की प्रणाली के द्वारा सरकार यह बात सुनिश्चित करती है कि आसाम के चाय बागानों के लिए निर्धारित उर्वरक अन्य मार्केटों में न ले जाये जायें ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) आसाम तथा पश्चिम बंगाल के चाय बागानों की सेवा के लिये, २० ।

(ख) पांच फर्मों के मुख्य कार्यालय आसाम में हैं ।

(ग) उर्वरकों का आवंटन आसाम और पश्चिम बंगाल के चाय बागानों के लिए सम्मिलित रूप से किया जाता है। वितरक दोनों राज्यों में से किसी में भी इस का विक्रय कर सकते हैं। परन्तु इनआर्गेनिक फर्टिलाइजर्स (मूवमेंट) आर्डर, १९६० के अधीन इनके आने जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

इटारसी स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु

†*१८७५. **श्री र० सिंह० फिलेदार :**
श्री चांडक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के इटारसी रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले दो रेलवे कर्मचारियों को अभी हाल में, जब वहां पर एक गाड़ी शंटिंग कर रही थी, अपनी जान से हाथ धोना पड़ा ;

(ख) इस दुर्घटना की जिम्मेदारी किस पर है ; और

(ग) अपराधियों को दण्ड देने और इन दो कर्मचारियों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) कोई नहीं । दुर्घटना अचानक हो गई थी ।

(ग) (१) भाग (ख) के उत्तर के कारण दण्ड का प्रश्न नहीं उठता है ।

(२) एक व्यक्ति काम पर मारा गया था उसको प्रतिकर देने का प्रबन्ध किया जा रहा है। तब तक के लिए कामगर प्रतिकर अधिनियम के अधीन २०० रुपये का अनुदान स्वीकार कर दिया गया है। दूसरे मृत व्यक्ति को प्रतिकर देने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि वह काम पर नहीं था।

हवाई अड्डों पर भोजन व्यवस्था के ठेके

†*१८८०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २० अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ठेकेदारों द्वारा सरकार को ठेके के अन्तर्गत प्रति वर्ष कितनी रकम दी गयी और उन्होंने कितना मुनाफा कमाया ;

(ख) इन ठेकेदारों का प्राक्चरित क्या है और अन्य व्यापार क्या है ;

(ग) इन ठेकेदारों ने कितनी पूंजी लगा रखी है और इसके विनियोजन की रूपरेखा क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

¹Antecedents.

(घ) इन ठेकों को देने में जिस पद्धति को अपनाया जाता है, क्या असैनिक उड्डयन विभाग द्वारा दिये जाने वाले सभी ठेकों में उसी पद्धति का अनुसरण किया जाता है ?

†**असैनिक उड्डयन उप-मंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) पालम, दम-दम, मद्रास तथा शांताक्रुज, ४ अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर गत तीन वर्षों में भोजन व्यवस्था के ठेकेदारों से सरकार ने जो राजस्व लिया है उसको दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है**[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५१]**। ठेकेदारों द्वारा लिए गए लाभ की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ५१]**।

(घ) और (ङ) भोजन व्यवस्था के ठेकेदारों की ही पद्धति भारत के सभी हवाई अड्डों पर है।

केरल में मीटरगेज रेलवे मालडिब्बों का कारखाना

†*१८८१. **श्री जीनचन्द्रन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अभी हाल में मीटरगेज रेलवे मालडिब्बों के निर्माण के लिए राज्य सरकार के तत्वावधान में क्विलोन में सरकारी क्षेत्र में एक दर्मियाने दर्जे का इंजीनियरी कारखाना खोलने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या मंजूरी दे दी गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) केरल राज्य के उद्योग मंत्री से हाल में ही एक अर्द्ध सरकारी पत्र मिला है जिसमें उन्होंने एम०जी० रेलवे वैगन के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में क्विलोन में कारखाना बनाने के लिए लिखा है।

(ख) और (ग) रेलवे मंत्रालय प्रस्ताव की जांच कर रहा है।

नमक के यातायात के लिए माल डिब्बों की कमी

†*१८८३. **श्री गोरे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को थाना जिले के नमक उत्पादकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें मालडिब्बों की भीषण कमी की शिकायत की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार नमक को उस स्थान से उत्तरी मंडियों में ले जाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) पश्चिमी रेलवे के थाना ज़िले के वे कुछ भाग के नमक उत्पादकों से शिकायत मिली हैं। मध्य रेलवे के थाना ज़िले के भाग से कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) नमक उत्पादकों की मांगें पूरी करने के लिये प्रयत्न किए जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

लंका के लिये नाव सेवा का बंद किया जाना

†*१८८४. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री तंगामणि :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनुषकोडि से लंका के लिये नाव-सेवा बंद कर दी गयी है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां। १८ तथा १९ अप्रैल १९६१ को अस्थाई रूप से ।

(ख) लंका में आपाती स्थिति होने के कारण लंका गवर्नमेंट रेलवेज़ के कहने पर इसको बंद करना पड़ा था।

रेलवे वर्दी समिति

†*१८८५. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री कोडियान :
श्री वारियर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पांगरकर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **रेलवे** मंत्री २२ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे वर्दी समिति की रिपोर्ट की जांच इस बीच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख) रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय उष्ण देशीय ऋतु विज्ञान संस्था

†*१८८६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय उष्णदेशीय ऋतुविज्ञान संस्था खोलने की प्रस्थापना पर विचार कर लिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है।

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुही उद्दीन)** (क) और (ख) मामला अभी भी विचाराधीन है।

चाय उद्योग के लिये रासायनिक उर्वरक

†*१८८७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में भारतीय चाय उद्योग के लिए रासायनिक उर्वरकों की कुल कितनी आवश्यकता पड़ेगी ;

(ख) क्या उद्योग को उसकी कुल आवश्यकता के अनुसार उर्वरक उपलब्ध किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) भारतीय चाय बोर्ड के प्राक्कलनों के अनुसार १९६१–६२ के लिए नाइट्रोजेनस उर्वरक की आवश्यकता सल्फेट आफ अमोनिया के अनुसार लगभग १.५ लाख टन है।

(ख) और (ग) उर्वरक की कमी के बावजूद भी चाय बागानों की आवश्यकता पूरी करने का विचार है।

गाड़ी की टक्कर

†*१८८८ **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बमोने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे की एक सवारी गाड़ी ६ अप्रैल, १९६१ को छपरा-कचहरी स्टेशन यार्ड पर उसी लाइन पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गयी;

(ख) यदि हां, तो इससे क्या हानि हुई और उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस दुर्घटना के क्या कारण थे ?

रेलवे उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख)

इंजन	२,४०० रुपये
डिब्बे	५,००० रुपये
स्थायी पटरी	२,००० रुपये
अन्य रेलवे सम्पत्ति	१,२३० रुपये
जोड़	१०,७३० रुपये

(ग) रेलवे प्रशासन इसकी जांच कर रहा है।

†मूल अंग्रेजी में

चेचक नियंत्रण आयोग

†*१८८९. **डा० सुशीला नायर :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेचक नियंत्रण सलाहकार समिति और राज्यों की स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशकों की अभी हाल में हुई एक बैठक में सर्वसम्मति से यह सिफारिश की गयी थी कि भारत सरकार चेचक नियंत्रण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए एक चेचक नियंत्रण आयोग स्थापित करे ; और

(ख) यदि हां, तो आयोग के कितनी जल्दी स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी हां ।

(ख) सिफारिश विचाराधीन है ।

आन्ध्र प्रदेश में 'पोलिओ' रोग

†*१८९०. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पोलिओ रोग' कोठागुडियम, खम्मम जिला, आन्ध्र प्रदेश तक फैल गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितन लोगों के रोगग्रस्त होने का समाचार मिला है ;

(ग) क्या सोवियत रूस से इस बीच टीके प्राप्त हो गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनको किस प्रकार इस्तेमाल किया जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) भारत सरकार को कोठागुडियम में कोलिओ माह-लिटिस के फैलने का कोई समाचार नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी हां ।

(घ) रूस से प्राप्त वैक्सीन आन्ध्र प्रदेश के प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को खिलाने का विचार है । २-५ वर्ष के बच्चों में रोग है इसलिए उनमें से वैक्सीन देने के लिए बच्चे चुने जायेंगे । वैक्सीन देने की प्रक्रियां बना ली गई है । रोग रोधक कार्यक्रम शीघ्र बनाया जायेगा ।

रूरकेला और तालचेर के बीच रेलवे लाइन

†*१८९१. **श्री प्र० गं० देव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला और तालचेर के बीच, दक्षिण पूर्व रेलवे के बारकोट नामक स्थान से होकर जाने वाली, रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

(ख) इस पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) इस पूरी परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है ?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) से (ग) तीसरी योजना के प्रारूप में यह शामिल नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में विद्युत-व्यवस्था का अस्त-व्यस्त होना

†*१८९२. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री राधा रमण :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम दिल्ली को विद्युत पहुंचाने वाले भूमिगत तार १६ **अप्रैल,** १९६१ को टूट गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बात से दिल्ली में विद्युत संकट की स्थिति और भी गम्भीर हो गयी तथा दिल्ली नगर में जल और दूध के सम्भरण को खतरा उत्पन्न हो गया और नगर के कई भागों में बिजली की सप्लाई के निर्धारित समय में बाधा उत्पन्न हो गयी और १६ अप्रैल, १९६१ को नई दिल्ली का लगभग दो तिहाई भाग अंधकार में डूब गया; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जाने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत उप-मंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१३ अप्रैल १९६१ को नंगल-दिल्ली १३२ के० वी० ट्रांसमीशन लाइन टूट जाने से दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग ने बारी बारी से विभिन्न स्थानों की बिजली बन्द करनी शुरू कर दी थी । पश्चिम दिल्ली को, जहां सीधे नंगल से बिजली मिलती थी, लाहौरी गेट बिजली घर से भूमिगत तारों के द्वारा बिजली पहुंचाई गई । १६ अप्रैल १९६१ को २.२० बजे इस तार का जोड़ लगातार अधिक भार उठाने से बेकार हो गया । इससे पश्चिम करौल बाग़, पटेल नगर, नजफगढ़ रोड औद्योगिक बस्ती तथा नज़फ़गढ़ की अन्य बस्तियों में बिजली नहीं पहुंची । जल संभरण तथा दिल्ली दुग्ध केन्द्र योजना जैसी अत्यावश्यक सेवाओं की बिजली बन्द नहीं की गई । इसका असर नई दिल्ली पर बिल्कुल नहीं हुआ । इस तार की मरम्मत कर दी गई तथा १७ अप्रैल १९६१ को ८.३० बजे बिजली वहां पहुंचा दी गई ।

बिजली का उपभोग

†*१८९३. **श्री हरिशचन्द्र माथुर :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में प्रत्येक राज्य में तथा **अखिल** भारतीय स्तर पर बिजली का प्रति-व्यक्ति उपभोग कितना रहा ;

(ख) प्रस्तावित आवंटन के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में स्थिति क्या होगी; **और**

(ग) क्या इससे विभिन्न राज्यों में बिजली के उपभोग की मात्रा का अन्तर और अधिक नहीं हो जायेगा और यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

†**सिंचाई और विद्युत उप-मंत्री (श्री हाथी)**: (क) पहली योजना के अन्त में तथा १९५९–६० के अन्त में आंकड़े बताने वाले दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५२]** १९६०–६१ के राज्य-वार आंकड़े अभी इकट्ठा नहीं किए गए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग) तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त के पूर्वी-अनुमानित राज्यवार प्रति-व्यक्ति खपत के आंकड़े अभी बनाये नहीं गये हैं। दूसरी तथा तीसरी योजना के अन्त में अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति खपत के आंकड़े क्रमश: ४५ के डब्ल्यु० एच० और ६० के डब्ल्यु एच० है।

कुरडुवाडी मिराज–लातूर लाइन

†*१८६४. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री त० ब० विट्ठल राव:
श्री पांगरकर:
श्री गु० के० जेधे :
श्री नलदुर्गकर:

क्या रेलवे मंत्री १ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुरडुवाडी–मिरज–लातूर के छोटी लाइन के सैक्शन को बड़ी लाइन और मीटर गेज लाइन में बदलने के बारे में इस बीच निश्चय किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है;

(ग) इस परियोजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) इस कार्य को कब हाथ में लिया जायेगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार मिरज–कुरडुवाडी–लातूर के छोटी लाइन के सैक्शन को मीटरगेज (२०७ मील) में बदलने में लगभग ८ करोड़ रुपया लगेगा। मिरज–कुरडुवाडी छोटी लाइन को बड़ी लाइन (१५१.६५ मील) में बदलने में लगभग ८.८० करोड़ रुपया लगेगा। कुरडुवाडी–लातूर छोटी लाइन के सैक्शन को बड़ी लाइन में बदलने की अभी जांच नहीं की गई है।

(घ) अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

डीजल रेलवे इंजनों के निर्माण के लिए कारखाना

†*१८६५. श्री अ० मु० तारिक : क्या रेलवे मंत्री ६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में सरकारी क्षेत्र में डीजल रेलवे इंजनों के निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): सरकारी क्षेत्र में डीजल रेलवे इंजनों के निर्माण के लिए कारखाने की स्थापना के परियोजना प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

हैजा नियंत्रण

†*१८९६. **डा० सुशीला नायर:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर हैजे पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की विशेषत: इस बात को देखते हुए, कि यह रोग बंगाल के केवल एक छोटे से क्षेत्र में सीमित है, राष्ट्रीय हैजा नियंत्रण कार्यक्रम को हाथ में लेने में क्या कठिनाइयां हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गांवों के डाकियों के लिए दैनिक भत्ता

†*१८९७. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों के डाकियों को, जो अपनी ड्यूटी पर मुख्य कार्यालय से एक से अधिक दिन के लिए अनुपस्थित रहें, दैनिक भत्ता प्रदान करने के बारे में, जैसी कि दूसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गयी है, इस बीच कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस तिथि से लागू किया जायेगा; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) जी हां । शीघ्र आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

(ख) १ जुलाई, १९५९ से ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इर्विन अस्पताल, दिल्ली

†*१८९८. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के इर्विन अस्पताल में पिछले कुछ समय से रोगियों को निर्धारित स्तर से निचले स्तर का भोजन दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अस्पताल में पोषक-भोजन का निर्धारित प्रमाप क्या है और यह उस प्रमाप-स्तर से कितना कम रहा; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अतेली-मंडी (पंजाब) में पी० सी० ओ०

†४३२७. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अतेली-मंडी (पंजाब) में पी०सी० ओ० आरम्भ करने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) यह कब तक बना दिया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). अतेली-मंडी का पी० सी० ओ० २२-३-६१ से खोल दिया गया है।

पंजाब में विकास खंड

†४३२८. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में किन-किन स्थानों पर कितने विकास खण्ड खोले गये; और

(ख) १९६१–६२ में किन-किन स्थानों पर कितने विकास खण्ड खोले जायेंगे ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उप-मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति)**: (क) १९६०–६१ में पंजाब में १८ पूर्व-विस्तार खण्ड खोले गये थे। १९५९–६० में खोले गये १४ पूर्व-विस्तार खण्ड १९६०–६१ में श्रेणी–१ में परिवर्तित कर दिये गये। इन खण्डों के नाम बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५३]**

(ख) प्रावस्था भाजित कार्यक्रमानुसार २२ पूर्व विस्तार खण्ड पंजाब को दिये जाने हैं तथा १९६०–६१ में खोले गये १८ पूर्व-विस्तार खण्डों को १९६१–६२ में श्रेणी–१ में परिवर्तित करना है। राज्य के वर्तमान खण्डों में कुछ श्रेणियों के प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी होने के कारण अप्रैल, १९६१ में २२ पूर्व-विस्तार खण्डों में से ११ पूर्व-विस्तार खण्डों के आवंटन का प्रश्न लम्बित है। आवंटन के बाद ही नये खण्डों के चुनाव राज्य सरकार करेगी। इसलिए इन खण्डों के नामों की अभी जानकारी नहीं है।

पंजाब में नये टेलीफोन कनेक्शन

†४३२९. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दी० च० शर्मा :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में जिलेवार पंजाब में कितने नये टेलीफोन कनैक्शन दिये गये; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितना धन व्यय किया गया ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन) : (क) जिलेवार नये टेलीफोन कनक्शनों की संख्या बताने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५४]**

(ख) सब्सक्राइबर्स स्थापनाओं पर लगभग ५·४ लाख रुपया व्यय किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूरी स्टेशन पर प्रतीक्षालय

४३३०. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के पुरी स्टेशन पर पिछले पांच वर्षों में कितने प्रतिक्षालय बनाये गये; और

(ख) यदि एक भी नहीं बनाया गया तो, इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) कोई नहीं।

(ख) इस स्टेशन पर आमतौर पर जितने यात्री आते-जाते हैं, उनकी संख्या को देखते हुए वर्तमान सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

मध्य रेलवे पर चोरियां

†४३३१. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे पर नवम्बर, १९६० से जनवरी, १९६१ तक कितनी चोरी, उठाईगीरी तथा सम्पत्ति की हानि की घटनायें हुईं; और

(ख) १९५९–६० की इसी अवधि के आंकड़े क्या थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). एक विवरण संबद्ध है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ५५]**

मध्य प्रदेश में खाद्यान्नों का लाना ले जाना

†४३३२. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा १९५९–६० में मध्य प्रदेश से कितना खाद्यान्न बाहर से लाया गया तथा इसी अवधि में कितना खाद्यान्न मध्य प्रदेश में लाया गया; और

(ख) खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर रेलवे को कुल कितना धन मिला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी)**: (क) १९५९–६० में अनुमानतः मध्य प्रदेश से ९,०५,४४६ टन खाद्यान्न मध्य प्रदेश से बाहर ले जाया गया तथा अनुमानतः १,००,६५७ टन खाद्यान्न मध्य प्रदेश में लाया गया।

(ख) खाद्यान्नों के लाने ले जाने से अनुमानतः २४९,७७,८१० रुपये की आय हुई।

मनीपुर तथा त्रिपुरा में कृषि योग्य भूमि

†४३३३. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर तथा त्रिपुरा में कृषि योग्य भूमि कितनी है तथा इसमें से क्रमशः कितनी सिंचाई के योग्य है तथा कितनी सिंचाई के अयोग्य है; और

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक कितनी सिंचाई योग्य भूमि में सिंचाई के साधन बनाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा)**: (क) जानकारी नीचे दी जाती है :—

(एकड़ों में)

	कृषि योग्य भूमि	सिंचाई योग्य	सिंचाई के अयोग्य
१. मनीपुर	२,३४,०००*	सिंचाई योग्य भूमि के प्राक्कलन बताना	
२. त्रिपुरा	५,४०,०००*	संभव नहीं है।	

* १९५६-५७ के अन्तिम प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार।

(ख) १. मनीपुर ६,१५० एकड़

२. त्रिपुरा २१,००० एकड़

महाराष्ट्र में गांवों में बिजली लगाना

†४३३४. **श्री पांगरकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पश्चिम महाराष्ट्र के गांवों में बिजली लगाने का प्रस्ताव किया है और केन्द्रीय सरकार की सहायता तथा सहयोग मांगा है;

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमन्त्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग) राज्य सरकार ने गांवों में बिजली लगाने तथा विविध विकास योजनाओं का प्रस्ताव किया है। इनका अनुमान ३३९.५९ लाख रुपये है और इससे पश्चिमी महाराष्ट्र के १३८ स्थानों पर बिजली लगाई जा सकती है। इन में से कुछ योजनाओं को विदेशी सहायता कार्यक्रम के अधीन सहायता देने पर विचार किया जा जा रहा है।

दिल्ली दुग्ध योजना

४३३५. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा १ जनवरी, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक विभिन्न मदों पर प्रतिमास कितना खर्च किया गया ;

(ख) उक्त योजना से प्रतिमास विभिन्न मदों पर कितनी आय हुई ;

(ग) दुग्धशाला (डेरी) तथा विभिन्न स्टालों पर कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं और उक्त अवधि में उन्हें कितना वेतन, पारिश्रमिक या भत्ता दिया गया ;

(घ) इसी अवधि में दुग्ध वितरण या इकट्ठा करने के लिये कितने ट्रक काम में लाये गये और उन पर कितना खर्च हुआ;

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत प्रति मास कितना दूध, मक्खन या घी बेचा जाता है और प्रतिदिन कितना बच जाता है; और

(च) बची हुई वस्तुओं का किस प्रकार उपयोग किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि उपमन्त्री (श्री मों० वे० कृष्णप्पा) : (क) से (च) एक विवरण नत्थी कर दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) अप्रैल, १९६० से जनवरी १९६१ की अवधि के लिये जानकारी अनुबन्धन 'क' में दी गई है। जनवरी-मार्च, १९६० की अवधि के लिये जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा की टेबिल पर रख दी जायेगी।

(ग) योजना में भर्ती किये गये कर्मचारियों की कुल संख्या नीचे दिये गये विवरण के अनुसार १५४७ है :—

(१) डेरी	
प्रथम श्रेणी .	. ६
द्वितीय श्रेणी	. १८
तृतीय श्रेणी .	. २४२
चतुर्थ श्रेणी .	. १०१
	३६७
(२) डिपो कर्मचारी	. ८७४
(३) दैनिक कर्मचारी .	. ३०६
कुल .	.१५४७

१ अप्रैल, १९६० से ३१ दिसम्बर, १९६० तक वेतन और भत्तों के रूप में उक्त कर्मचारियों को दी गई कुल राशि १०,०५,४७९ रुपये होती है।

(घ) इस समय योजना द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाली गाड़ियों तथा टैंकरों की संख्या क्रमशः ३८ और ४ है। अप्रैल, ६०—जनवरी, ६१ तक गाड़ियों और टेंकरों का कुल खर्च, ९,२०,९२१ रुपये है जैसा कि अनुबन्ध 'क' में दिये गये विवरण में दिखाया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ५६]**

(ङ) अप्रैल ६० से जनवरी ६१ तक की अवधि के लिये सूचना अनुबन्धन 'ख' में दी गई है। **(देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ५७)**

(च) बिना बिका हुआ दूध अलग कर दिया जाता है और उस से प्राप्त की गई क्रीम, मक्खन और घी में परिणित कर दी जाती है। यदि क्रीम निकला हुआ दूध मीठा हो तो उससे क्रीम निकला हुआ पाउडर बनाया जाता है अन्यथा उसे किलाटि में बदल दिया जाता है।

मछवों के लिए खाद्य संबधी आवश्यकतायें

†४३३७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के समुद्र में काम करने वाले मछवों के निर्वाह के लिये खाद्य की अनुमानित आवश्यकता कितने कैलोरी है; और

(ख) भारतीय मछवों को वास्तव में प्रतिव्यक्ति कितने कैलोरी खाद्य उपलब्ध हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) भारतीय मछुवों की कार्य के दौरान कैलोरी सम्बन्धी आवश्यकतायें वहीं होंगी जो कि शारीरिक कार्य के लिये होनी चाहिये । मछुवों को समुद्र पर कार्य के दौरान प्रति घण्टे कार्य के लिये सामान्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त लगभग १५० से ३०० कैलोरी की आवश्यकता होगी । इसके आधार पर समुद्र पर कार्य करने वाले मछुवों को समुद्र में बिताये समय के अनुसार ३००० से ३५०० कैलोरियों की आवश्यकता होगी ।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों की नियुक्ति

†४३३८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में १९६०–६१ में स्वीकृत अनुपात में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उस वर्ष में कितनी नियुक्तियां की गई थीं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : जी नहीं, पूरा कोटा नहीं भरा जा सका ।

(ख) जनरल मैनेजर को प्रदत्त विशेष शक्तियों के अन्तर्गत भरती की व्यवस्था की जा रही है ।

(ग) १२०४ ।

पंजाब में चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण

†४३३९. श्री दलजीत सिंह : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार को वर्ष १९६०–६१ में 'चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण' मद के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा पोषित योजनाओं के लिये कोई पिण्ड राशि अनुदान दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो कितने के अनुदान दिये गये हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब सरकार को १९६०–६१ में विभिन्न केन्द्र द्वारा पोषित योजनाओं के लिये २३.६६ लाख रुपए का पिण्ड राशि अनुदान दिया गया है जिसमें चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये सहायता भी सम्मिलित है ।

ओलवक्कोट में चौथी श्रेणी के कर्मचारी

†४३४०. श्री कुन्हन : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के ओलवक्कोट डिवीजन में वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में चौथी श्रेणी के कितने कर्मचारी भरती किये गये हैं;

(ख) उन में से कितने पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित थे;

(ग) इस सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से कुल कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) उनमें से कितनों का प्रवरण किया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) से (घ). उत्पन्न नहीं होते ।

सिलीगुड़ी के निकट रेल दुर्घटना

†४३४१. **श्री इ० मधुसूदन राव :**
श्री अरविन्द घोषाल:

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २० अप्रैल, १९६१ को सिलीगुड़ी के निकट हुई रेलवे दुर्घटना अन्तर्ध्वंस के परिणामस्वरूप हुई थी; और

(ख) उसमें कितने व्यक्ति हताहत हुए और कितनी क्षति हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) दुर्घटना के कारण की रेलवे के सरकारी निरीक्षक द्वारा जांच की जा रही है ।

(ख) **हताहतों का ब्यौरा**

मृत	३५
घायल	
गम्भीर . . .	३४
साधारण . . .	४६
योग . . .	८०

रेलवे सम्पत्ति की क्षति का अनुमान लगभग ५ लाख रुपए लगाया गया है ।

विजयवाड़ा में ऊपरी पुल

†४३४२. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **रेलवे** मन्त्री २३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा स्टेशन पर ऊपर के पुल के निर्माण में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है; और

(ख) पुल कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) पुनरीक्षित यार्ड के नक्शे के उपयुक्त सड़कों के अन्तिम मिलान की रेलवे द्वारा नगरपालिका परिषद के साथ मिल कर जांच की जा रही है ।

(ख) इस अवस्था में कार्य की समाप्ति की लक्ष्य तिथि का संकेत नहीं किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरे दर्जे के यात्री

†४३४३. **श्री इ० मधुसूदन राव:** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या रेलवे उपमन्त्री ने तीसरे दर्जे के यात्रियों की कठिनाइयों का निर्धारण करने के लिये तीसरे दर्जे के डिब्बे में यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उपमन्त्री की उपपत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार तीसरे दर्जे में यात्रा करने वाली जनता की कठिनाइयां दूर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

†**रेलवे उपमत्री (श्री सें०वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां। रेलवे उपमन्त्री श्री सें० वें० रामस्वामी ने दिसम्बर, १९६० में दक्षिण रेलवे की उपनगरीय रेलगाड़ियों के तीसरे दर्जे के डिब्बों में यात्रा की थी।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है। [**देखिए परिशिष्ट ६, अनुबंध सख्या ५८**]

फूलबाग में रेलवे स्टेशन

†४३४४. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) नैनीताल जिले की तराई में फूलबाग का रेलवे स्टेशन कब तक चालू हो जायेगा; और

(ख) क्या यह सच है कि स्टेशन का नाम श्री गोविन्द बल्लभ पन्त की स्मृति में गोविन्द नगर रखा जा रहा है ?

†**रेलवे उपमत्री (श्री ०सें वें० रामस्वामी)**: (क) गोकुलनगर और लालकुआ स्टेशनों के बीच फूलबाग रेलवे स्टेशन १ मई, १९६१ से यात्री बुकिंग के लिए खोल दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

आन्ध्र प्रदेश म ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण

†४३४५. **श्री इ० मधुसूदन राव:** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युतीकरण योजनाओं के लिए १९६०–६१ में कितनी सहायता दी गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: आन्ध्र प्रदेश को १९६०–६१ में निर्दिष्टत: ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए कोई सहायता नहीं दी गई थी।

आन्ध्र प्रदेश में सामुदायिक विकास

†४३४६. **श्री इ० मधुसूदन राव:** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश सरकार को सामदायिक विकास के लिए वर्ष १९६१–६२ में कुल कितना आवण्टन किया गया था ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)** : केन्द्रीय बजट में आन्ध्र प्रदेश के सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर वर्ष १९६१–६२ के व्यय के लिए केन्द्रीय अंश के रूप में

---

†मूल अंग्रेजी में

३३७.१८ लाख रुपये (१७६.७३ लाख रुपये अनुदान के रूप में और १६०.४५ लाख रुपये ऋण के रूप में) का उपबन्ध किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय भाण्डागार

†४३४७. **श्री इ० मधुसूदन राव:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में १९६०–६१ में किन-किन स्थानों में केन्द्रीय भाण्डागारों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और प्रत्येक की संग्रहण क्षमता कितनी है;

(ख) १९६१–६२ में आन्ध्र प्रदेश में किन-किन स्थानों में भाण्डागारों की स्थापना की जायेगी और उनकी संग्रहण क्षमता कितनी होगी; और

(ग) क्या इन भाण्डागारों से स्थानीय किसानों को लाभ हो रहा है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) आन्ध्र प्रदेश में १९६०–६१ में निम्नलिखित स्थानों में भाण्डागार स्थापित किये गये थे :

बारंगल . .	४,८०० टन—केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा निर्मित।
	१,००० टन—किराये की जगह में।
एडोली . .	१,१०५ टन—किराये की जगह में।
हैदराबाद . .	६०० टन—किराये की जगह में।
जनगाव .	९०० टन—किराये की जगह में।
गुन्टूर . .	४५० टन—किराये की जगह में।
निज़ामाबाद . .	१,६६० टन—किराये की जगह में।

(ख) १९६१–६२ में तेनाली, दुग्गीराला, विजयवाड़ा, टेडेप्पलीगुडम्, राजमुंदरी और विशाखापटनम में भाण्डागारों की स्थापना करने का विचार है। जो पहले किराये की जगहों में होंगे। क्षमता प्रत्येक स्थान में उपयुक्त जगह की उपलब्धता पर निर्भर होगी।

(ग) जी, हां।

आन्ध्र प्रदेश में परिवार नियोजन केन्द्र

†४३४८. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में १९६०–६१ में कितने परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये हैं; और

(ख) ऐसे केन्द्र किन-किन स्थानों में चालू किये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

निजामुद्दीन स्टेशन के निकट दीवार का निर्माण

†४३४९. **राजा महेन्द्र प्रताप:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के निकट एक दीवार का निर्माण किया गया है जिससे तीन गांवों का रास्ता रुक गया है;

(ख) क्या उस दीवार के सम्बन्ध में कोई मुकदमा चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो प्रभावित ग्रामीणों को सहायता देने के लिए किस प्रकार के कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार किया जा रहा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) रेलवे की भूमि का अतिक्रमण रोकने और उसका अनधिकृत रास्ते के रूप में प्रयोग करने के लिए स्टेशन की इमारत के सामने की ओर ट्रांजिट रोड और माल प्लेटफार्म के समानान्तर एक चहरदीवारी का निर्माण किया गया है। परन्तु इससे किसी गांव का रास्ता नहीं रुका है।

(ख) हां, श्रीमान। ग्रामीणों ने एक मुकदमा दायर किया था जो १९-११-५८ को खर्च सहित अस्वीकृत कर दिया गया परन्तु उन्होंने एक नया मुकदमा दायर किया है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि मामला न्यायाधीन है।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

४३५०. **श्री भक्त दर्शन:**
श्री सरजू पाण्डेय:

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष १९६०-६१ में टेलीफोन कनेक्शनों की कुल कितनी मांग थी;

(ख) उन में से कुल कितने व्यक्तियों को वर्ष के अन्त तक कनेक्शन दिये जा सके;

(ग) इस समय कितने प्रार्थनापत्र विचाराधीन पड़े हैं; और

(घ) उस परिमण्डल में अधिक से अधिक टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र से शीघ्र दिये जाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) ४३५९ ।

(ख) १७५४ ।

(ग) ८९९२ (३१ मार्च, १९६१ को) ।

(घ) नये एक्सचेंज लगाये जा रहे हैं और उपलब्ध साधनों व स्थान आदि की व्यवस्था के अनुसार मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार किया जा रहा है। फिर भी, बहुत बढ़ी हुई मांगों तथा पिछली सभी मांगों को उपलब्ध साधनों द्वारा पूरा न कर पाने के कारण टेलीफोन की कमी इस समय देश भर में व्यापक रूप से अनुभव की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे कर्मशालाओं में मजूरियों का आकलन

†४३५१. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या रेलवे मंत्री १ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मशालाओं में कर्मचारियों को कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त समय की मजूरी के आकलन में मकान किराये के भत्ते का विचार किये जाने के प्रश्न के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय हुआ है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). मामला अभी तक विचाराधीन है।

विमानों की खरीद

†४३५२. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ६ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में खरीद किये जाने वाले विमानों की संख्या और किस्म के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) और (ख). एयर इंडिया इंटरनेशनल कार्पोरेशन द्वारा अर्जित किये गये बोइंग ७०७ जेट विमान के अर्जन, जैसा कि ५ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१०९ के उत्तर में संकेत किया गया था, के अतिरिक्त कार्पोरेशन ने, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, दो और बोइंग ७०७ जेट विमानों का व्यादेश दिया है जिन पर ८.०० करोड़ रुपये की लागत लगने का अनुमान है।

इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन द्वारा तीसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में खरीद किये जाने वाले विमानों की किस्म और संख्या के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

चिकित्सा संबंधी अध्ययन के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय

†४३५३. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या स्वास्थ्य मंत्री ६ दिसम्बर, १९६० के तारांकि प्रश्न संख्या ७२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा सम्बन्धी अध्ययन के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) एक नया पुस्तकालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक से सम्बद्ध पुस्तकालय का सुधार किया जा रहा है ताकि उसकी

†मूल अंग्रेजी में

सेवायें दिल्ली के बाहर की जनता को भी उपलब्ध हो सकें। इस प्रयोजन के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में वित्तीय आवण्टन के सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश के वनों में पशु चराना

४३५४. **श्री पद्म देव:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के जंगलों पर चरान्द का बोझ बढ़ रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके ही कारण भूमि कटाव भी वृद्धि पर हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो सरकार ने इसकी रोकथाम के लिये क्या पग उठाये हैं ?

कृषी मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) जी हां।

(ख) जी हां, उन कारणों में से पशु का चरना एक कारण है।

(ग) हिमाचल प्रदेश से बाहर चराने वालों को पिछले सालों से अधिकृत संख्या से अधिक संख्या में परमिट देना मना किया जा रहा है। वन रोपण और अन्य भूमि संरक्षण के उपाय भी किये जा रहे हैं।

सिंचाई-प्रशिक्षण

४३५५. **श्री पद्म देव:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६० में कितने सरकारी कर्मचारी सिंचाई सम्बन्धी प्रशिक्षण हेतु विदेश गये ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी): १९६० में १५ अधिकारी सिंचाई के सम्बन्ध में विदेशों में प्रशिक्षणार्थ भेजे गये थे, जिसका विवरण निम्नलिखित है :—

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	९
राज्य सरकार के कर्मचारी	६
	१५

दूसरी योजना में रेलवे की प्रगति

†४३५६. **श्री राजेश्वर पटेल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंच वर्षीय योजना में वास्तव में कुल कितना व्यय किया गया है ;

(ख) इस अवधि में कितने मील की अतिरिक्त रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया है ;

(ग) कितने मील रेलवे लाइनों को दोहरा किया गया है ;

(घ) उखाड़ी हुई कितनी रेलवे लइनें पुनः स्थापित की गई हैं ; और

(ङ) कितने मील रेलवे लाइनें छोटी और मीटर लाइनों से बड़ी लाइन में परिवर्तित की गई हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) समस्त दूसरी पंच वर्षीय योजना के लिए कुल वास्तविक व्यय अभी तक उपलब्ध नहीं है। कुल अनुमानित व्यय, जिसमें पहले चार वर्षों का

†मूल अंग्रेजी में

वास्तविक व्यय और अंतिम वर्ष का पुनरीक्षित प्राक्कलन सम्मिलित है, १०९२.८३ करोड़ रुपए है जिसमें रेलवे विद्युतीकरण योजनाओं के संबंध में डाक तथा तार और विद्युत संभरण प्राधिकारियों के लिए अलग रखी गई १५ करोड़ रुपए की राशि सम्मिलित है ।

(ख) ७६८.३३ मील ।

(ग) ९२५.३५ मील ।

(घ) २९.८७ मील ।

(ङ) ५२.७५ मील ।

कुष्ठ नियंत्रण

४३५७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के सहायतार्थ कोई अनुदान १९६० और ३१ जनवरी १९६१ तक दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी-कितनी राशि प्रत्येक राज्य को दी गई ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिये कोई अस्पताल खोलने का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक खुल जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सहायता देने की संशोधित प्रणाली के अनुसार 'रोगों के नियंत्रण की लोक स्वास्थ्य योजनायें' नामक वर्ग, जिसमें कुष्ठ नियंत्रण योजना भी आ जाती है, में सम्मिलित योजनाओं के लिये १९५९–६० और १९६०–६१ में निम्नलिखित सहायतानुदान दिये गये :—

राज्य का नाम	१९५९–६० में दिया गया सहाय्यानुदान	१९६०–६१ में दिया गया सहाय्यानुदान
	रु० लाखों में	रु० लाखों में
आन्ध्र प्रदेश	११.३३	४०.३४
आसाम	३.३७	७.९१
बिहार	९.८१	२०.४६
बम्बई (कम्पोज़िट)	१६.०१	गुजरात ८.७४ महाराष्ट्र १५.०५
जम्मू व काश्मीर	१.२७	१.४७
केरल	६.१७	२१.३८
मध्य प्रदेश	१२.५४	११.१२
मद्रास	१५.८३	२९.८८७
मैसूर	६.८०	८.७८४
उड़ीसा	५.०९	१४.०१

†मूल अंग्रेजी में

राज्य का नाम	१९५९–६० में दिया गया सहाय्यानुदान	१९६०–६१ में दिया गया सहाय्यानुदान
पंजाब	४.८८	१४.८८
राजस्थान	६.१६	९.८९
उत्तर प्रदेश . .	१८.१३	८.२५
पश्चिम बंगाल . . .	७.७९	९.५२
इस वर्ग का योग	१२५.१८ लाख रु०	२२१.६९१ लाख रु०

एक वर्ग के अन्दर विभिन्न योजनाओं पर होने वाले व्यय के नियमन के लिये राज्य सरकारें स्वतन्त्र हैं ।

(ग) केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय राजपथों का विकास

†४३५८. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथों का १०० मील मिलाने वाली सड़कें बनाने, ४० बड़े पुलों और ३५०० मील वर्तमान सड़कों के सुधार का लक्ष्य दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो कमी के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) नवीनतम स्थिति के अनुसार "सुधार" और "बड़े पुलों" के संबंधित लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिए गए हैं । परन्तु "मिलाने वाली सड़कों" के संबंध में थोड़ी सी कमी है । इस कमी की वास्तविक मात्रा संबंधी जानकारी उपलब्ध हो जाने पर लोक-सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेल दुर्घटना

†४३५९. **श्री सुबिमन घोष:** क्या **रेलवे** मंत्री कलकत्ता के निकट उल्टाडंगा स्टेशन पर हुई रेल की टक्कर के संबंध में १९ दिसम्बर, १९६० को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ९८४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच पूरी हो गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ख) क्या कोई घायल बाद में मर गया था;

(ग) क्या किसी को कोई प्रतिकर भुगतान किया गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कितना ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां, श्रीमान, दुर्घटना रेलवे कर्मचारियों की चूक के कारण हुई थी ।

(ख) नहीं, श्रीमान ।

(ग) से (ङ). अभी तक कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है ।

दामोदर घाटी निगम की नौपरिवहन नहर

†**४३६०. श्री सुबिमन घोष:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री १२ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८३३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम की नौपरिवहन नहर जुलाई, १९५९ में चालू हो गई हैं जैसी कि कल्पना की गई थी ;

(ख) क्या नाव सेवा वर्ष भर चल रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ।

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) नौपरिवहन नहर के यातायात के लिए १९६२ के मध्य तक खोल दिए जाने की संभावना है ।

केन्द्रीय अपराध ब्यूरो

†**४३६१. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राज्य और अन्तर्रेलवे अपराध तथा अपराधियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिये दिल्ली में रेलवे बोर्ड की स्थापना के अंग के रूप में स्थापित किये गये केन्द्रीय अपराध ब्यूरो ने अभी तक क्या प्रगति की है; और

(ख) रेलवे की मूल्यवान सम्पत्ति की चोरी को रोकने के लिये रेलवे स्टोर डिपोओं तथा कर्मशालाओं में इलेक्ट्रोनिक मेटल डिटेक्टर्स की व्यवस्था करने के प्रयोगों में क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) रेलवे बोर्ड में निर्मित केन्द्रीय अपराध ब्यूरो ने अपने ९ महीनों के कार्यकरण में अनेक उपयोगी रिकार्ड बनाये हैं जिनकी सहायता से वह ३ अन्तर्राज्य तथा अन्तर्रेलवे प्रकृति के अपराध के मामलों का पता लगा चुका है जिनका पुलिस द्वारा पता नहीं लगाया जा सका था । ब्यूरो ने सरकार रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस के सहयोग से अपराधियों के तीन गिरोहों को भी नष्ट कर दिया है ।

(ख) चूंकि यह यन्त्र मूलत: जिस प्रयोजन के लिये तैयार किया गया था उसके लिये उपयोगी नहीं सिद्ध हुआ अत: एक अन्य इलेक्ट्रोनिक युक्ति निकालने का प्रयन किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी नस्ल के मुर्गी के बच्चे

†४३६२. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से प्राप्त किए गए चूजों (मुर्गी के बच्चों) की नस्ल का, जो कम समय में और कम खर्च से अधिक भार प्राप्त कर लेते हैं, का विभिन्न राज्यों में प्रचार करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) क्या राज्यों को इस नस्ल की जानकारी कराई गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (डा० पं० शा० देशमुख):** (क) उस नस्ल की मादाओं को अण्डों के उत्पादन के लिये रखा जा रहे हैं ताकि उनसे उत्पन्न चूजों का विभिन्न जलवायु की परिस्थितियों के अन्तर्गत ब्रॉयलर उत्पादन के लिये अग्रेतर अध्ययन किया जायेगा ।

(ख) अभी तक के प्रयोगों में प्राप्त परिणामों पर एक नोट विभिन्न राज्यों को परिचालित किया गया है ।

हावड़ा-बर्दवान स्टेशन पर बिजली से रेलें चलाना

†४३६३. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा-बर्दवान सेक्शन के विद्युतीकरण का कार्य समस्त संसार में से टेंडर आमन्त्रित करके ठेके पर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो ठेका देने के लिये क्या तरीका अपनाया गया था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चिल्का झील में मछलियां

†४३६४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा की चिल्का झील में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मछलियों की संख्या बढ़ाने की किसी योजना का अनुमोदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनायें किस प्रकार की हैं;

(ग) क्या इस शीर्षक के अन्तर्गत उड़ीसा को वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में कोई राशि आवण्टित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

†**कृषि उपमंत्री ((श्री मो० वें० कृष्णप्पा):** (क) से (घ) संघ सरकार ने चिल्का झील के अग्र तट को समुद्री मछलियों के योग्य बना की योजना का अनुमोदन किया है । इसके अतिरिक्त मीन क्षेत्रों के संरक्षण की एक योजना बालूगांव गवेषणा केन्द्र में, जो केन्द्रीय अन्तर्देशीय मीनक्षेत्र गवेषणा संस्था का एक गवेषणा एकक है, केन्द्र और राज्य मीनक्षेत्र गवेषणाकर्ताओं द्वारा संयुक्त

†मूल अंग्रेजी में

रूप से चलाई जा रही है। पुनरवायण योजना के अन्तर्गत चिल्का झील के अग्रतट की भूमि में धान की खेती के योग्य भूमि निकालने और मछली पालने के लिये जलक्षेत्र बनाने का प्रयत्न किया जाये। गवेषणा योजना के अन्तर्गत जीव शास्त्री संरक्षण उपायों की सिफारिश करने के उद्देश्य से मु वाणिज्यिक मछलियों के जीवन इतिहास और जैववासिकी (बायोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं।

इन योजनाओं के लिये वर्ष १९६१–६२ के लिये निम्नलिखित वित्तीय आवण्टन किये गये हैं :

(१) चिल्का झील के अग्र तट का पुनरवायण . १.४० लाख रुपए।

(२) समुद्री जीव शास्त्र पर व्यावहारिक गवेषणा . ०.३१ लाख रुपए।

भारतीय रेलों द्वारा रियायती दरों पर वस्तुओं का परिवहन

†४३६५. **श्री पांगरकर:** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा किन किन वस्तुओं का परिवहन विशेष रियायती दरों पर किया जाता है;

(ख) रेलवे द्वारा सरकारी विभागों, जैसे, डाक तथा तार विभाग, प्रतिरक्षा विभाग आदि को कितनी रियायत दी जाती है और उसके कारण वार्षिक आय में कितनी कमी होती है;

(ग) रेलवे द्वारा किन-किन वस्तुओं का वास्तविक लागत से कम दर पर परिवहन किया जाता है; और

(घ) १९५८–५९ और १९५९-६० के वित्तीय वर्ष में रेलवे द्वारा कम दरों पर कितने 'टन मील' वस्तुओं का परिवहन किया गया था और उससे आय में कितनी हानि हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) १९५८–५९ में सैनिक परिवहन तथा डाक और तार विभाग को क्रमश: १८० लाख और ३० लाख रुपयों की रियायत दी गयी थी।

(ग) और (घ). यह जानकारी देना सम्भव नहीं है क्योंकि रेलवे विभिन्न वस्तुओं के परिवहन के सम्बन्ध में अलग अलग आंकड़े नहीं रखती।

उड़ीसा में मध्यम सिंचाई परियोजनायें

†४३६६. **श्री कुम्भार :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा राज्य के लिये मंजूर की गयी कई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को रोक दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी योजनाऐं रोक दी गयी हैं ;

(ग) उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में लघु सिंचाई परियोजनायें

†४३६७. **श्री कुम्भार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के लिये प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत कई लघु सिंचाई परियोजनाओं को रोक दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी योजनाओं को रोका गया है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)**: (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रस्सी उद्योग के लिये रेशों का उत्पादन

†४३६८. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रस्सी बनाने के लिये रेशों के उत्पादन के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) रस्से के उत्पादन वर्ष के हिसाब के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(ग) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में उसके विकास के लिये कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) रस्से बनाने के लिये जिन रेशों का प्रयोग किया जाता है वे ये हैं : (१) सीसल (२) सन हैम्प (३) मेस्टा और (४) नारियल जटा । उनके वार्षिक उत्पादन के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

(१) सीसल	१,००० टन
(२) सनहैम्प	८०,००० टन
(३) मेस्टा	१,९६,००० टन
(४) नारियल जटा	१,५०,००० टन

रस्से के निर्माण के लिये उनके इस्तेमाल के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।;

(ख) से (घ). सीसल और मेस्टा की मात्रा तथा किस्म को सुधारने के लिये कई योजनायें प्रारम्भ की गयी हैं ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में सीसल के उत्पादन के बारे में अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ करने के लिये उड़ीसा में एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने का विचार है । भारत के सीसल उत्पादन क्षेत्रों में उसके उत्पादन को बढ़ाने की एक योजना प्रारम्भ की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सन हैम्प की मात्रा और किस्म के विकास के सम्बन्ध में भी एक योजना प्रारम्भ करने का विचार है ।

सहायक प्रचार निरीक्षक

४३६९. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान साप्ताहिक हिन्दी पत्र 'आवाज' के दिनांक १९ जनवरी, १९६१ के अंक में प्रकाशित असिस्टेंट पब्लिसिटी इंस्पैक्टर की नियुक्ति के बारे में आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस समाचार के तथ्य क्या हैं और उस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम हुआ है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). झांसी के मंडल अधीक्षक के कार्यालय में १५०–२२५ रु० के निर्धारित वेतन-मान में सहायक प्रचार निरीक्षक की जगह सितम्बर, १९६० में खाली हुई थी । साधारणतः यह जगह सेलेक्शन के आधार पर भरी जानी थी, लेकिन चूंकि सेलेक्शन पेनल खत्म हो चुका था और नया पेनल बनाने में काफी समय लगने की संभावना थी, इसलिए स्थानीय व्यवस्था के रूप में यह जगह अस्थायी तौर पर भर ली गयी । साधारणतः कुछ समय पहले पेनल बन गया होता, लेकिन चूंकि यह जगह अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित थी और इसी बीच अनुसूचित जाति अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिए सेलेक्शन पद आरक्षित करने का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया हुआ था, इसलिए मध्य रेलवे को निदेश दिया गया कि आरक्षित जगहों के लिए कोई सेलेक्शन न किया जाय और यदि पेनल में कोई न हो, तो तदर्थ रूप से ऐसी जगहें अस्थायी तौर पर भर ली जायें । इसके अनुसार झांसी के सहायक प्रचार निरीक्षक के पद पर आर० पी० रिजरैया अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं । पत्रकारिता के अपने अनुभव और अच्छी शिक्षा के कारण श्री रिजरैया उपलब्ध उम्मीदवारों में सब से उपयुक्त समझे गये (इन्होंने अंग्रजी साहित्य, हिन्दी साहित्य और राजनीति शास्त्र विषयों को लेकर बी० ए० पास किया है ।)

त्रिपुरा में भूमि का अर्जन

†४३७०. **श्री दशरथदेव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सोनपुर डिवीजन, त्रिपुरा में धबाईजाला के लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन में क्या लिखा है ; और

(ग) क्या विरोध के कारण जाला में भूमि के अर्जन की योजना त्याग दी गयी है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) जी हां ।

(ख) जाला की नाली व्यवस्था में सुधार करने के लिये अर्जित आवश्यक गैर-सरकारी भूमि के कुछ टुकड़ों का विरोध किया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छुट्टी जाने वालों के स्थान पर काम करने वाले टिकट कलक्टर

४३७१. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर छुट्टी पर जाने वालों के स्थान पर काम करने वाले टिकट कलेक्टर टी० टी० ई० (टिकट परीक्षकों) का काम १९५७ से कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें व सब सुविधायें दी जाती हैं जो टिकट परीक्षकों को उपलब्ध होती हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एवजी टिकट कलेक्टर जब चल टिकट परीक्षकों (टी० टी० ई०) का काम करते हैं तो उन्हें नियमानुसार मिलने वाली सभी सुविधायें दी जाती हैं, लेकिन संघटित यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता, क्योंकि नियमानुसार यह भत्ता उन्हें नहीं दिया जा सकता । लेकिन वे यात्रा भत्ता पाने के हकदार हैं ।

मद्रास में मीनक्षेत्रों का विकास

†४३७२. **श्री इलयापेरूमाल**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में मीनक्षेत्रों के विकास के लिये कोई राशि मंजूर की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो १९५९–६० और १९६०–६१ के लिये इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई थी ; और

(ग) यदि कोई राशि मंजूर नहीं की गयी है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)**: (क) मद्रास राज्य में मीनक्षेत्रों के विकास सम्बन्धी योजना के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन ९५.१४ लाख रुपये आवंटित किये गये थे । तृतीय योजना के अधीन इसके अधीन २२२ लाख रुपये आवंटित किये गये हैं ।

(ख) और (ग). गत दो वित्तीय वर्षों में किये गये आवंटन के सम्बन्ध में अलग आंकड़ उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि पुनरीक्षित प्रक्रिया के अधीन यह राशि "पशु पालन, दुग्धशालाओं और मीन-क्षेत्रों" के विकास के अधीन सम्मिलित की जाती है । १९५९–६० और १९६०–६१ सम्बन्धी एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

१९५९–६० मंजूर की गयी राशि		१९६०–६१ मंजूर की गयी अस्थायी राशि	
ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
२०.३४ लाख रुपये	२१.१५ लाख रुपये	३९.१४ लाख रुपये	२५.८२ लाख रुपये

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास राज्य में लघु सिंचाई योजनायें

†४३७३. **श्री इलयापेरूमाल:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० और १९६०–६१ में लघु सिंचाई कार्यों के विकास के लिये मद्रास राज्य को कितनी राशि आवंटित की गयी थी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा):** १९५९–६० और १९६०–६१ के लिये मद्रास की लघु सिंचाई योजनाओं के लिये क्रमश: १३९.५०लाख रुपये और १७३.०७ लाख रुपये आवंटित किये गये थे। इन राशियों में १९५९–६० में लघु सिंचाई कार्यों के सुधार के सम्बन्ध में आवंटित ८५ लाख रुपये और १९६०–६१ में आवंटित ९९.०० लाख रुपये भी सम्मिलित हैं।

मद्रास राज्य में ग्रामों में बिजली लगाना

†४३७४. **श्री इलयापेरूमाल :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के ग्रामों में बिजली लगाने के लिये मद्रास राज्य को कोई राशि मंजूर की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ के लिये कोई राशि मंजूर की गयी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) से (ग). द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में विशेष रूप से ग्राम्य विद्युत योजनाओं के लिये कोई राशि मंजूर नहीं की गयी थी। इनके लिये धन विभिन्न विकास योजनाओं के लिये दी गयी राशि में से लिया गया है। १९५९–६० में ग्रामों में बिजली लगाने के लिये केन्द्र की ओर से ऋण सम्बन्धी सहायता जारी की गयी थी। परन्तु मद्रास सरकार द्वारा इस योजना के अधीन कोई राशि नहीं मांगी गयी थी। मद्रास राज्य को १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में विद्युत सुविधाओं के विकास के लिये निम्नलिखित राशियां ऋण के रूप में दी गयी हैं :—

१९५८–५९	१९.७९ लाख रुपये
१९५९–६०	१.९७ ,, ,,
१९६०–६१	—

उक्त ऋणों के अतिरिक्त प्रविधिक सहयोग मिशन से प्राप्त कुछ सामग्री और उपकरण भी राज्य सरकार को संभरित किये गये हैं। उन वस्तुओं की लागत निम्नलिखित है :—

१९५८–५९	३५,७३,८३९ रुपये
१९५९–६०	—
१९६०–६१	६७.०३४

हार्ड कोक का माल-डिब्बा

†४३७५. **श्री यादव नारायण जाधव:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ फरवरी, १९६१ को हार्ड कोक लदा हुआ एक वैगन नं० ६०२८, जो **पायरडीह** से लसलगांव जाना था, बाइकुला बम्बई में रुका हुआ है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि यह इस प्रकार की तीसरी घटना हुई है और निफ़ाद ताल्लुका हलवाई होटल यूनियन के कोयला डिपो लसलगांव ने उससे होने वाली कठिनाइयों के विरुद्ध शिकायतें की हैं ; और

(ग) इसके लिये कौन व्यक्ति जिम्मेवार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें०वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख) यह वैगन गलती से १८-२-६१ को बइकुल्ला पहुंच गया था। उसे १४-३-६१ को लसलगांव भेज दिया गया था जहां २९-३-६१ को वह कोयला 'हलवाई होटल कोल डिपो" को दे दिया गया था ।

केवल इसी के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है ।

(ग) इस बात का पता लगाया जा रहा है कि इसके लिये कौन कर्मचारी जिम्मेवार हैं ।

कैलाशहर, त्रिपुरा खण्ड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध अभ्यावेदन

†४३७६. **श्री दशरथ देव** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन को कैलाशहर, त्रिपुरा के खण्ड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन में क्या लिखा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्त्ति)** : (क) जी हां ।

(ख) अभ्यावेदन में ग्राम सेवकों के लिये क्वार्टरों के निर्माण में अनियमितताओं और सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में आरोप लगाये गये हैं ।

(ग) मामला त्रिपुरा प्रशासन के विचाराधीन है ।

सूत-क्रय-विक्रय सहकारी समिति त्रिपुरा

†४३७७. **श्री दशरथ देव** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९-६० की सूत क्रय-विक्रय सहकारी समिति त्रिपुरा के लेखों का परीक्षण कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो लेखा परीक्षण रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)**: (क) सूत क्रय-विक्रय सहकारी समिति त्रिपुरा के १९५८-५९ और १९५९-६० के लेखों का परीक्षण किया जा रहा है । १९६०-६१ में इस संस्था को "त्रिपुरा राज्य औद्योगिक सहकारी समिति लिमिटेड" के नाम में बदल दिया गया । उस समिति के १९६०-६१ के लेखों का परीक्षण ३० जून, १९६१ के बाद किया जायेगा ।

(ख) क्योंकि अभी तक लेखा परीक्षण का संकलन नहीं किया गया है, इसलिये इस सम्बन्ध में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बस्ती उत्तर-प्रदेश में रेलवे अस्पताल का खोला जाना

†४३७८. **श्री राम शंकर लाल:** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर और गोंडा के बीच पूर्वोत्तर रेलवे के ९० मील के फासले में न तो कोई रेलवे अस्पताल है और न ही कोई डिस्पेंसरी है जिसकी वजह से रेल कर्मचारियों को प्राय: गैर-रेलवे डाक्टर बुलवाने पड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गोरखपुर और गोंडा के बीच बस्ती में एक रेलवे अस्पताल, डिस्पेंसरी या स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई विचार है; और

(ग) वह कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) गोरखपुर और गोंडा के बीच कोई भी अस्पताल या डिस्पेंसरी नहीं है, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि रेलवे कर्मचारियों को प्राय: गैररेलवे डाक्टर बुलवाने पड़ते हैं।

(ख) और (ग). १९६१–६२ में बस्ती में स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की एक प्रस्थापना थी, परन्तु वह १९६२–६३ तक के लिये उठा रखी गई है।

कलकत्ता में चाय के लिये भाण्डागार

†४३७९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता में चाय के लिये कई मंजिलों का वातानुकूलित भाण्डागार (एयरकन्डीशंड वेयरहाउस) बनाने के लिये मंजरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) ११५.०५ लाख रुपये।

(ग) उसके लिये नींव रखने का कार्य पूरा हो गया है, इमारत के निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

तहसील सहकारी समिति के धन का गबन

४३८०. **श्री पद्म देव** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के जिला महासु की तहसील ठयोग की तहसील सहकारी समिति का लाखों रुपयों का गबन हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस धन के लौटने की कोई आशा नहीं है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो सरकार इस दिशा में क्या कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री व० सू० मूर्त्ति): (क) जी हां, १,७५,०२१ रु० का गबन इस संस्था में १९५६ तक हुआ ।

(ख) इस समय यह कहना कठिन है क्योंकि ऊपर वाली रकम के तीन मुकदमे अदालतों में दायर हैं ।

(ग) सहकारी विभाग को संघ के धन की हानि की जब जानकारी हुई तो उन्होंने १९५६ से निम्नलिखित कदम उठाये :—

(१) धन के गबन के लिए जिम्मेवार प्रबन्ध कमेटी से अधिकार ले लिया गया और संघ के कार्यों को सम्हालने के लिए एक प्रशासक मुकर्रर कर दिया गया । जिन से बड़ी बड़ी रकमें वसूल करनी थीं उनके व उनकी जमानतों और प्रबन्धक समिति के सदस्यों के खिलाफ सालसी मुकदमे तैयार किये गये ।

(२) प्रशासक ने बाद में रु० ३४०७३.५० की डिगरी ले ली । अब डिगरी की इजरा दीवानी अदालत में कराई जा रही है ।

(३) एक और डिगरी रु० १,५८,०७६.७२ की भी ले ली गई । इस के खिलाफ अपील दायर हुई और मामला अपील वाली अदालत में अभी दायर है ।

(४) तीसरा रु० २२,६८६.५१ का सालसी मुकदमा सालिस के सामने है ।

(५) ऊपर बताये गये दीवानी दावे दायर करने के अलावा नीचे दिये गये फौजदारी दावे भी चलाये गये :

(१) थियोग सहकारी संघ के एजेंट के खिलाफ़ एक मुकदमा चलाया गया है । उस ने संघ के नाम पर एक निजी ट्रक को रास्ते पर चलाने की इजाज़त देने के जाली कागजात बनाये थे । वह थियोग में पहले दर्जे के न्यायाधीश के सामन मुलज़िम है ।

(२) एजेंट के खिलाफ एक और ५०,००० रुपये के मुकदमे की जांच हो रही है । यह रकम १,५८,०७६.७२ की डिगरी में शामिल है ।

(६) संघ को ऋण-निस्तार-अधिकारी के अधीन कर दिया गया है और वह इन दावों की पैरवी कर रहा है ।

हिमाचल प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा धन का गबन

४३८१. **श्री पद्म देव** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६० तक हिमाचल प्रदेश में जिलावार सहकारी समितियों और संगठनों का कितना-कितना रुपया गबन हुआ था; और

(ख) उक्त राशियों की वसूली के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : (क) ज़िलवार जानकारी नीचे दी गई है :

नाम ज़िला	अन्तर्ग्रस्त समितियां	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त धन (रुपये)
१. महासु	२२	७६	४,७५,३७१.१५
२. विलासपुर . .	१	१	३८०.००
३. चम्बा .	१	१	१,०००.००
४. मंडी .	१४	१४	५३,४०२.३१
योग	३८	९२	५,३०,१५३.४६

(ख) इन पुराने मामलों के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं उनमें सालिस मुकर्रर करना, भारी गबन के मामलों में फ़ौजदारी मुकदमे चलाना और जहां ज़रूरी होता है दिवालिया करार देना शामिल है। अब तक रु० ९५,२५७ वसूल किये जा चुके हैं। अब यह बेकायदगियां काबू के अन्दर हैं। एक ज़िला सहकारी व संभरण अधिकारी बीच में पड़े हुए मामलों की पैरवी के लिए जल्दी मुकर्रर किया जायेगा।

हिमाचल प्रदेश सहकारी विपणन विकास संघ

४३८२. **श्री पद्म देव:** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सहकारी विपणन विकास संघ का संचालक मण्डल समाप्त कर दिया गया है और उसका प्रशासन सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति): (क) जी हां। हिमाचल प्रदेश सहकारी विपणन विकास संघ का संचालक मण्डल अगस्त १९६० में मुअत्तल किया गया और एक प्रशासक सलाहकार कमेटी के साथ जिसमें तीन सरकारी व तीन गैर सरकारी सहकारी सदस्य थे उसके काम सम्हालने के लिये मुकर्रर किया गया था।

(ख) १. संचालक मण्डल कानून के मुताबिक नहीं बना हुआ था।

२. संघ की कार्यवाहियों का प्रबन्ध ठीक नहीं था।

३. अनौचित्य धन का दुरुपयोग, नियमों का उल्लंघन।

४. उधार लेने की सीमा से बहुत ज्यादा बाहर से कर्जा लेना।

५. धन देनेवाली संस्था (हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक) का विश्वास न रहा। उन्होंने मार्च १९६० में अपने प्रस्ताव द्वारा रजिस्ट्रार से प्रार्थना की कि संघ के संचालक मण्डल को मुअत्तल कर दिया जाए।

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में आलू की बिक्री

४३८३. **श्री पद्म देव:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९६० में हिमाचल प्रदेश में सहकारिता विभाग के सहयोग से बेचे गये आलू का पूरा मूल्य किसानों को चुका दिया गया है और यदि नहीं, तो वह कब तक चुकाया जायेगा ?

कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा): विभागीय लेखों के अनुसार २३.२३ लाख रुपये की राशि बाकी है और जो राशि पहले दे दी गई है वह २२.७१ लाख रुपये है। बाकी रकम सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा लेखों की पुष्टि करने के पश्चात् ६०,७४०.०० रुपये वर्गीकृत संभरण के परिनियम के साथ अदा कर दी जायेगी।

भोजन व्यवस्था सम्बन्धी कालेज[1]

†४३८४. **श्री नंजप्प:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने भोजन व्यवस्था सम्बन्धी कालेज (कालेज ऑफ केटरिंग) स्थापित किये जायेंगे ;

(ख) वे कहां कहां पर स्थापित किये जायेंगे ;

(ग) केन्द्र तथा राज्यों द्वारा क्या सहायता दी जायेगी ; और

(घ) उन कालेजों में क्या क्या विषय पढ़ाये जायेंगे और प्रत्येक कालेज में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) और (ख) बम्बई के 'कालेज आफ केटरिंग एण्ड इंस्टीट्यूशनल मेनेजमेंट' के पुनर्गठन तथा उसे स्थायी बनाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है और अन्य नगरों जैसे, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता, में भी उसी प्रकार की संस्थाएं स्थापित करने का विचार है। संस्थाओं की वास्तविक संख्या और उनके स्थानों के सम्बन्ध में अभी विचार किया जा रहा है।

(ग) पूंजीगत व्यय तथा आवर्तक व्यय केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जायेगा। खर्च के वहन के अंशों के सम्बन्ध में अभी विचार किया जा रहा है।

(घ) ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

तटवर्ती नौवहन

†४३८५. **श्री मुहम्मद इलियास:** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटवर्ती नौवहन में कमी हो जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि तटवर्ती जहाजों द्वारा नमक का परिवहन बहुत कम हो गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) हाल के कुछ वर्षों में तटवर्ती व्यापार में कोई विशेष कमी नहीं हुई है।

---

[1]College of Catering.

†मूल अंग्रजी में

(ख) और (ग). नमक का तटवर्ती जहाजों से परिवहन पश्चिमी तट से कलकत्ता को और तूतीकोरिन से कलकत्ता को किया जाता है। पहले सेक्टर में तो परिवहन कम हो गया है, परन्तु दूसरे सेक्टर में नमक का परिवहन पर्याप्त बढ़ गया है। परन्तु पश्चिमी तट के पत्तनों से कलकत्ता को नमक के परिवहन में कुछ कमी हो गयी है।

(घ) सरकार ने कलकत्ता से दक्षिण भारतीय तथा पश्चिमी तट के पत्तनों को कोयले के वार्षिक परिवहन को १० लाख से २० लाख टन तक कर देने का निर्णय किया है। कोयला खानों में काम करने वालों को रोजगार देने के लिये पश्चिमी तटवर्ती पत्तनों से कलकत्ता क्षेत्र को नमक को समुद्र के द्वारा ले जाने के सम्बन्ध में यत्न किये जा रहे हैं।

नई दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां

†४३८६. **श्री बलराज मधोक:** क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों के क्या नाम हैं और उनके सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्यौरा क्या है;

(१) मकानों की संख्या;

(२) खाली प्लाटों की संख्या;

(३) क्या वह बस्ती दिल्ली नगर निगम अधिनियम के लागू होने से पहले बसी थी या बाद में;

(ख) गत तीन वर्षों में जिन अनधिकृत बस्तियों को नियमित कर दिया गया है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) किस किस आधार पर उन बस्तियों को नियमित बनाया गया था ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र में कोई भी अनधिकृत बस्ती नहीं है। केवल नई दिल्ली के आसपास कहीं कहीं अनधिकृत झुग्गियां तथा मजदूरों के टैंट लगे हुए हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

रेलवे कर्मचारियों का नौकरी से निकाला जाना

†४३८७. **श्री सुबिमन घोष:** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६० में और १९६१ में (मार्च तक) रेलवे संस्थापन संहिता खण्ड १ के नियम, १४९ के अनुसार किन्हीं रेलवे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो जोनवार कितने कर्मचारियों को निकाला गया है; और

(ग) उनमें से कितनों को (१) दुर्घटनाओं, (२) भ्रष्टाचार, (३) उच्च पदाधिकारीयों के साथ बुरा व्यवहार, तथा (४) अन्य कारणों से निकाला गया था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खा)** : (क) जी, हां। माननीय सदस्य सम्भवत: महा-- प्रबन्धकों द्वारा 'समरी पावर्स' (संक्षिप्त न्याय परीक्षण के अधिकार) से निकाले गये मामलों के बारे में पूछ रहे हैं।

(ख) पूर्व रेलवे १
दक्षिण पूर्व रेलवे . . . २

---

†मूल अंग्रेजी में

तीनों के तीनों कर्मचारी तीसरी श्रेणी के कर्मचारी हैं ।

(ग) (१) दुर्घटना . . . कोई भी नहीं

(२) भ्रष्टाचार . . . २

(३) अधीक्षण पदाधिकारियों पर आक्रमण १

(४) अन्य कारण . . . कोई भी नहीं ।

मध्य प्रदेश में नदी परियोजनायें

४३८८. **श्री डामर:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के झाबुआ और धार आदिवासी जिलों में कितनी नदी बांध परियोजनायें आरम्भ करने का विचार है जिन पर १० लाख रुपये से अधिक लागत आयेगी; और

(ख) जिला झाबुआ की लगान तहसील पेटलावद में ऐसी कितनी परियोजनाओं के लिये सर्वेक्षण हो चुका है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) तथा (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली दुग्ध योजना

†४३८९. **श्री अ० मु० तारिक :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुग्ध संभरण योजना के कुछ दुग्ध-वितरक केन्द्रों से धन के गड़बड़ के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा): (क) से (ग). अभी तक केवल एक ही मामला सरकार के ध्यान में आया है जिसमें डिपो के मैनेजर ने राशि का ठीक हिसाब नहीं दिया था । इसलिये उसके हिसाब का परीक्षण किया गया और १०२३.०० रुपये, जिसकी उसने कम अदायगी की थी, उस से ले लिये गये । उस डिपो मैनेजर को सेवा से मुअत्तिल कर दिया गया है और सम्बन्धित कैश क्लर्क के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है ।

जंगपुरा (नई दिल्ली) में जल की कमी

†४३९०. **श्री राम गरीब :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि जंगपुरा क्षेत्र नई दिल्ली में पानी की भारी कमी है ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में घरेलू उपयोग के लिये नल नहीं दिये जाते जब कि वाणिज्यिक उपयोग के लिये नल दिये जा रहे हैं और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उस क्षेत्र के निवासियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) वास्तव में जंगपुरा क्षेत्र में पानी के संभरण की कोई कमी नहीं है। दूसरी ओर यह अनुमान लगाया गया है कि इस प्रश्न का भोगल क्षेत्र से मुख्यतया सम्बन्ध है जहां जल संभरण इस समय केवल सार्वजनिक नलों के द्वारा किया जाता है।

(ख) जंगपुरा ऐक्सटेन्शन क्षेत्र में कम पानी मिलने के बारे में दिल्ली नगरपालिका निगम के पास केवल एक या दो आकस्मिक शिकायतें आई हैं।

(ग) जल केवल उन मकानों को, जहां नाली की फ्लश व्यवस्था है, अस्पतालों, स्कूलों और मन्दिरों को न केवल घरेलू उपयोग के लिये अपितु वाणिज्यिक, शिक्षा सम्बन्धी तथा धार्मिक कामों के लिये बिना भेदभाव के दिये जाते हैं, यदि वहां उचित नाली व्यस्था है।

(घ) जंगपुरा, भोगल, निजामुद्दीन आदि क्षेत्रों में पानी को बढ़ाने के लिये हार्डिंग ब्रिज से निजामुद्दीन तक एक नई ट्रंक मेन डाली जा रही है, जिसके एक महीने में पूर्ण हो जाने की आशा है।

डाक व तार विभाग की इमारत, अमृतसर

†४३९१. **श्री बलराज मधोक :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर तार सब डिवीजन की विभागीय इमारत के लिये मंजूर बिजली प्राक्कलनों की निधि का १९५६ में अमृतसर में आयोजित कांग्रेस सत्र के लिये उपयोग किया गया ;

(ख) क्या मंजूर विभागीय प्राक्कलनों से निधि को राजनीतिक सम्मेलनों के लिये लगाना नियमानुकूल है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके लिये जो लोग जिम्मेवार हैं उनके विरुद्ध सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन्)** : (क) अमृतसर सब डिवीजन में विभागीय इमारतों के किसी मंजूर बिजली के प्राक्कलन की किसी निधि का कांग्रेस सत्र के लिये प्रयोग नहीं किया गया।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंजाब सर्कल में डाक व तार कर्मचारी

†४३९२. **श्री बलराज मधोक :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सर्कल में कुल कितने कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है और उनमें से कितने मुअत्तिल किये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वहां अनुशासनिक कार्यवाही के विरुद्ध कितनी अपीलों का फैसला नहीं हुआ है;

(ग) क्या यह सच है कि वहां मुअत्तिल कुछ कर्मचारियों को पिछले डेढ़ वर्ष से पूरा मुअत्तिल भत्ता नहीं दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन):** (क) १ अप्रैल, १९६१ को १७१ कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चल रही थी जिनमें ३७ मुअत्तिल थे ।

(ख) ६७

(ग) नहीं श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

काली खांसी आदि से उन्मुक्ति के लिये कार्यवाही

†४३९३. **डा० सुशीला नायर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली खांसी उन्मुक्ति के बुरे परिणामों की सूचना की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) बच्चों को डिपथीरिया, टिटेनस और काली खांसी से उन्मुक्ति दिलाने के लिये ट्रिपलवैक्सीन का कितना उपयोग किया जाता है ; और

(ग) यदि केवल डिपथीरिया और टिटेनस से उन्मुक्ति के उपयोग की व्यवस्था करने तथा उसे लोकप्रिय बनाने के लिये कोई कार्रवाई की गई है तो वह क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) हां । काली खांसी वैक्सीन से कभी कभी बुरी प्रतिक्रिया होती हैं--किन्तु यह साधारणतया बहुत हल्की होती है और यह दूसरे प्रौफिलैक्टिटिक टीकों की प्रतिक्रिया से किसी प्रकार भिन्न नहीं होती । कुछ मामलों में लोगों की अतिसंवेदनीयता के परिणाम स्वरूप अलर्जी हो जाती है । किसी किसी मामले ही सिफालोऐंथी हो सकती है किन्तु यदि बच्चों में या परिवार में कन्वलशनों का पूर्व इतिहास हो या बच्चे को अभी किसी संक्रामक बीमारी से राजी हुए हों या दांत निकाल रहा हो, तो वैक्सीन का प्रयोग न करने से बीमारी रोकी जा सकती है ।

(ख) बच्चों को डिपथीरिया, टिटेनस और काली खांसी से उन्मुक्ति के लिये ट्रिपल वैक्सीन का भारत में उपयोग इस समय बहुत सीमित है क्योंकि यह वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में यहां नहीं मिलती ।

(ग) भारत सरकार ने काली खांसी, टिटेनस और डिपथीरिया का मुकाबला करने के लिये विश्वस्वास्थ्य संघ और यूनिसैफ के सहयोग से, केन्द्रीय अनुसंधान संस्था, कसौली में ट्रिपल वैक्सीन के उत्पादन की व्यवस्था करने का फैसला किया है

विश्व स्वास्थ्य संघ का एक अल्पकालीन सलाहकार हाल ही में वर्तमान प्रयोगशाला में संगठनात्मक परिवर्तनों के बारे में तथा बड़े पैमाने पर ट्रिपल वैक्सीन तैयार करने में अपनाये जाने वाले तरीकों के बारे में सलाह करने के लिये आया है । यूनिसैफ उपकरण की भी शीघ्र आने की संभावना है और उत्पादन उसके बाद आरम्भ होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

काली खांसी, टिटैनस और डिपथीरिया को रोकने के लिये ट्रिपल वैक्सीन के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाएगी जब उपयोग करने के लिये वह वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी ।

टेलीफोन एक्सचेंज, इम्फाल

†४३९४. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल के लिये १०० टेलीफोन लाइनों के विस्तार की प्रस्तावित योजना पिछले दो वर्षों से शिलांग के डाक तार निदेशक द्वारा मंजूर नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) और (ख). योजना सितम्बर, १९५९ में मंजूर की गयी थी । आवश्यक सामान मिलते ही टेलीफोन लाइनें लगाने का काम आरम्भ किया जाएगा ।

पंजाब में भूमिहीन श्रमिकों का बसाया जाना

†४३९५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में भूमिहीन श्रमिकों को बसाने के लिये पंजाब सरकार को कुछ राशि दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) क्या इसका पूर्णतया उपयोग किया गया है ; और

(घ) कुल कितने भूमिहीन मजदूर बसाये गये हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) से (घ). पंजाब के साथ मिलने से पहले भूतपूर्व पैप्सू सरकार ने पैप्सू काश्तकारी और कृषि भूमियां अधिनियम १९५५ के अन्तर्गत बेदखल किये गये किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों को बसाने के लिये एक योजना बनाई थी । दूसरी योजना के आरम्भ में इसके लिये १४·२० लाख रुपये आवंटित किये गये थे । बाद में इस अधिनियम को पैप्सू सरकार ने विलय के समय संशोधन किया और वे उपबंध जिनके अर्थात् बेकार भूमियों का (जिन पर बसाया जाना था) अधिग्रहण किया जाना दरकार था, हटा दिये गये । किसी वैधानिक उपबंध के न होने से योजना पंजाब सरकार द्वारा समाप्त कर दी गयी ।

फालतू क्षेत्रों का अनुमान लगाने और पंजाब भूधृति रक्षण अधिनिचम १९५३ तथा पैप्सू काश्तकारी और कृषि भूमियां अधिनियम, १९५५ के अतर्गत जो बसाये जाने के लिये अर्ह हैं उन लोगों की सूचियां तैयार करने के काम में पर्याप्त प्रगति हो चुकी है । तीसरी योजना में राज्य सरकार ने निम्न दो योजनायें शामिल की हैं :

(१) भूमिहीन कृषि मजदूरों को बसाना, जिन्हें उस फालतू क्षेत्र के कुछ भाग पर बसाया जाएगा, जिसका पंजाब भू-धृति रक्षा अधिनियम १९५३ तथा पैप्सू काश्तकारी एवं कृषि भूमि अधिनियम १९५५ के अन्तर्गत अनुमान लगाया जा रहा है—८५ लाख पये

†मूल अंग्रेजी में

(२) पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम १९४९ के अन्तर्गत हरिजनों और कृषि मजदूरों को बसाना--१५ लाख रुपये ;

जोड़ १ करोड़ रुपये ।

५०० बेदखल किये गये कास्तकारों को ३१ अक्तूबर १९६० तक फालतू भूमि पर राज्य सरकार ने बसाया है ।

दक्षिण पूर्व रेलवे पर भूमिगत तारों का बिछाया जाना

†४३९६. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया कि है दक्षिण पूर्व रेलवे के कतिपय भागों के विद्युतीकरण में, डाक व तार विभाग द्वारा भूमिगत तारों को बिछाने और मिलाने का काम पूरा न किये जाने के कारण बहुत विलंब हो गया ; और

(ख) यदि हां, तो विलंब का क्या कारण है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) डाक व तार कामों को रेलवे तथा विद्युत संभरण प्रशासनों के कामों से मिलाया जाता है । डाक व तार के कारण कोई अधिक विलंब नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पश्चिम रेलव में काम न करने वाले इंजन

†४३९७. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेल और मांडला पत्तन पर काम करने वाले ३० या चालीस प्रतिशत इंजन बेकार पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन में गड़बड़ है ।

टिड्डी निरोधक उपाय

†४३९८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिड्डी निरोधक उपायों की चर्चा करने के लिये हाल ही में जयपुर में राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की एक बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां २८ अप्रैल १९६१ को ।

(ख) भारत सरकार अनुसूचित "मरु भूमि क्षेत्र" में टिड्डी विरोध कार्यों के लिये उत्तरदायी है । इस काम के लिये उन्होंने एक टिड्डी पूर्व सूचना संगठन स्थापित किया है जिसमें ४१ चौकियां होंगी जहां मूल प्रविधिक कर्मचारी हैं जो राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारिओं तथा स्थानीय

---

†मूल अंग्रेजी में

जनता के साथ घनिष्ठ सम्पर्क से काम करेंगे। जिस तरीके से सब संबद्ध व्यक्तियों के प्रयत्नों का समन्वय और यह सहयोग प्राप्त किया जाए इस बात की चर्चा बैठक में की गई। इस में अन्य बातों के साथ यह फैसला किया गया था :

(१) कि इस काम के लिये पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाएगा ।

(२) कि जो लोग टिड्डियों के अंडों या उनके बैठने या अंडे देने या पतंगों के प्रकट होने के बारे में सब से पहले सही सूचना लाते हैं उन्हें पारितोषिक दिये जायंगे ।

(३) कि स्थानीय तौर पर जितने अधिक कर्मचारियों की जरूरत होगी वे केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकार रखेगी और ऐसे कर्मचारियों की संख्या का फैसला किया गया ।

(४) प्रजनन की स्थिति से टिड्डी विरोधी कार्यों के लिये पर्याप्त संख्या में मजदूर लगाये जायंगे; और

(५) कि एक विमान पूर्णतया राजस्थान में टिड्डी विरोधी कार्यों के लिये टिड्डी पूर्व सूचना संगठन के पास रखा जाएगा ।

दक्षिण रेलवे के ओलावाक्कोट में आकामिस्क श्रमिक

†४३९९. **श्री वें० ईयाचरण:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, १९६० से मार्च १९६१ तक की अवधि में दक्षिण रेलवे के ओलावाक्कोट डिवीजन में मैकेनीकल इंजनियरिंग और यातायात सैक्शनों में कितने आकस्मिक श्रमिक भर्ती किये गये हैं ;

(ख) उनमें से कितनों को लगातार नौकरी मिली और प्रत्येक श्रेणी में स्थायी स्थानों में लगाये गये हैं ;

(ग) प्रत्येक सैक्शन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने लोग हैं ; और

(घ) क्या किसी को रोजगार दफ्तर की मार्फत लिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० व० रामस्वामी) :**

	मैकेनिकल इंजनियरिंग	यातायात
(क)	२५०	१३९
(ख)	..	..
(ग)	२४	७५
(घ)		..

सहकारी क्षेत्रों में चीनी की मिलें

४४००. **श्री खुशवक्त राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने सहकारी क्षेत्र में चीनी की कितनी मिलें और किन-किन स्थानों पर लगाने की सिफारिश की है ;

(ख) इन में से कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और कितनी अस्वीकृत कर दी गई हैं ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के क्या कारण थे ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग) द्वितीय योजना लक्ष्य के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन सहकारी कारखाने, बाघपत, जिला मेरठ, बाज़पुर, जिला नैनीताल, और सरसावा, जिला सहारनपुर में स्थापित करने की सिफोरिश की थी। यह सब प्रस्ताव स्वीकार कर लिये गये थे ।

तृतीय योजना लक्ष्य के अनुसार राज्य सरकार ने, १० सहकारी कारखाने स्थापित करने की सिफारिश की है। इनमें से अभी तक, एक सुझाव, प्रस्ताविक स्थान के उचित होने के कारण स्वीकृत किया गया है । दूसरे सुझाव विचाराधीन हैं ।

रेलवे पुलिस के सिपाही के खिलाफ कार्यवाही

४४०१. **श्री डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री २९ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २९३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे पुलिस के सिपाही संख्या ५५३ के, जिसने २४ मार्च, १९६० की रात को बायाना स्टेशन पर एक महिला के साथ बुरा बर्ताव किया था, खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) इस मामले में जो कार्रवाई की गयी है उसके बारे में पुलिस अधिकारियों से अंतिम रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग और पुल

†४४०२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों के निर्माण के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष कितना धन व्यय किया गया ;

(ख) उस धन से किन-किन राजमार्गों और पुलों का निर्माण किया गया और किन-किन का निर्माण अभी किया जा रहा है ;

(ग) इन कार्यों पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितना धन व्यय होने का अनुमान है ; और

(घ) इस समय उत्तर प्रदेश की कौन-कौन सी सड़कें राष्ट्रीय राजमार्गों में सम्मिलित हैं और उन में से प्रत्येक की लम्बाई कितनी है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क)

वर्ष	व्यय (लाखों में)
१९५६–५७	९३.१७
१९५७–५८	६७.३६
१९५८–५९ .	८६.३८
१९५९–६० . . .	९६.०६
१९६०–६१ .	१००.४४ (अनुमानित)
	४४३.४१

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) मांगी गयी सूचना से संबंधित विवरण] संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० २९३१/६१]**

(ग) लगभग १६० लाख रुपये (सड़क निर्माण के काम के लिए १२० लाख रुपये और पुलों के निर्माण कार्य के लिए ४० लाख रुपये)।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिय परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५९]**।

इम्फाल नगरपालिका के निर्वाचन

†४४०३. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मनीपुर गजट २४ मार्च, १९६१ की ओर दिलाया गया है कि इम्फाल नगरपालिका बोर्ड का आगामी नागरिक चुनाव व्यस्क मताधिकार के आधार पर होगा और आसाम नगरपालिका अधिनियम १९५९ की धारा १४ में उपयुक्त संशोधन किया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस फैसले को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) आसाम नगरपालिका अधिनियम १९५६ की धारा १४ में, जिसका मनीपुर के संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तार किया गया है, उस क्षेत्र में नगरपालिका चुनावों में व्यस्क मताधिकार को जारी करने की दृष्टि से, संशोधन करने के लिये विधान बनाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है।

रेलवे कर्मचारियों का नौकरी से हटाया जाना

†४४०४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीज़नल सुपरिटेंडेंट लखनऊ के दफ्तर के कुछ कर्मचारी जो जुलाई १९६० की हड़ताल की पूरी अवधि में काम करते रहे हैं, उनको हड़ताल में भाग लेने के कारणों पर सेवा से निकाल दिया गया है ;

(ख) यदि हां तो उन के विरुद्ध क्या दोष हैं ;

(ग) उन की संख्या कितनी है ;

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) १४ फरवरी १९६१ को दी गई उन की अपीलों पर यदि कोई फैसला किया गया है तो क्या ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

विमान उद्योग

†४४०५. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री प्रभात कार :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री दशरथ देब :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमानों और संबद्ध पुर्जों की निर्माण इकाइयां आरंभ करने तथा विमान उद्योग के पूर्ण राष्ट्रीयकरण के बारे में पश्चिम बंगाल के लगभग ५०० लोगों के हस्ताक्षरों के अधीन एक ज्ञापन, जिस में पश्चिम बंगाल विधान सभा के बहुत सदस्यों ने भी हस्ताक्षर किये हैं, सरकार को पेश किया गया है ;

(ख) क्या इस पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग). जी, हां । प्रधान मंत्री को संबोधन करके बहुत से समान अभ्यावदन सरकार के पास आए हैं जिन में ये मांगें की गई हैं :—

(१) दमदम में विमान उद्योग की निर्माण इकाई आरंभ करने की मांग ; और

(२) विमान परिवहन उद्योग को राष्ट्रीयकरण के कार्यक्रम को पूरा करने की मांग ।

मांग संख्या २ के बारे में नीति वक्तव्य उपमंत्री असैनिक उड्डयन द्वारा लोक-सभा में १ दिसंबर १९६० को दिया गया था ।

मांग संख्या १ के लिय पुर्जों का निर्माण विचाराधीन है ।

गणतंत्र दिवस को डाकघरों में कार्य

†४४०६. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोस्ट मास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल के अधीन आसनसोल डाकखाने में २६ जनवरी, १९६१ को कुछ क्लर्कों ने काम किया;

(ख) क्या उन्होंने उस तिथि को स्वेच्छा से काम करना चाहा या उन्हें काम करने को कहा गया;

(ग) यदि उन्हें काम करने को बाध्य किया गया तो इस के क्या कारण थे; और

(घ) क्या किसी दूसरे डाक घर में कर्मचारियों को उस तिथि को काम करने को बाध्य किया गया ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). डिलिवरी डाक घर के कर्मचारियों को सीमित सेवा के तौर पर डाक की छुट्टियों को अदल बदल से काम करना पड़ता है, विशेषकर डाक की छुट्टियों को भी जनता को एक बार चिट्ठियां बांटी जाती हैं ।

(घ) हां, न केवल पश्चिम बंगाल सर्कल में, अपितु दूसरे सर्कलों में भी ।

मोनिटरिंग स्टेशन, कलकत्ता की इमारत

†४४०७. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में मोनिटरिंग स्टेशन की कोई स्थायी इमारत बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी लागत से और वह इमारत शहर के किस भाग में है; और

(ग) यह कब कार्य आरम्भ करेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) हां ।

(ख) लागत २,६१,००० रुपये ।

स्थान---६ मील पत्थर, बज बज रोड कलकत्ता (गोपालपुर गांव के पास) ।

(ग) दिसम्बर, १९६१ तक कार्य आरम्भ करने के लिये तैयार होने की आशा है ।

गाड़ी परीक्षक

†४४०८. **चौ० रणवीर सिंह :**
श्री गणपति राम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५०–२२५ रुपये के वेतन-क्रम के गाड़ी परीक्षक जिन्होंने १० फरवरी, १९५८ को उपयुक्तता परीक्षा पास की, उन को उन से वरिष्ठ माना गया जिन्होंने उत्तर रेलवे में बाद को परीक्षा पास की;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली डिवीजन में भी ऐसा ही किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि जिन लोगों पर कुप्रभाव पड़ा था उनके अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है और उत्तर रेलवे के महा प्रबंधक ने उन्हें स्वीकार नहीं किया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान् ।

(ग) जी, हां, उत्तर रेलवे के मुख्य-कर्मचारी अफसर के द्वारा ।

(घ) उन लोगों को जिन्होंने फरवरी, १९५८ से पहले परीक्षा पास की, उन से वरिष्ठ मानने का निर्णय, जिन्होंने बाद में परीक्षा पास की, उत्तर रेलवे के सब डिवीजनों पर लागू होता है और दिल्ली डिवीजन के बारे में कोई अपवाद नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली दुग्ध योजना

४४०९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत जो दूध दिया जाता है वह निर्धारित स्टैंडर्ड के बराबर नहीं है;

(ख) क्या उसमें किसी किस्म का पाउडर (चूर्ण) मिलाया जाता है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या नाम है और वह किस मात्रा में मिलाया जाता है; और

(घ) ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). दिल्ली दुग्ध योजना ३ किस्म का दूध बेचती है अर्थात् (१) भैंस (२) गाय और (३) टोन्ड। इन किस्मों के दूध का मिश्रण निम्न प्रकार है :—

दूध की किस्म	जैसा दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा संभरण किया गया		जैसा खुराक में मिलावट रोकने के अधिनियम में दिया गया है	
	चरबी%	एस० एन० एफ०%	चरबी%	एस० एन० एफ०%
भैंस	६.४ से ६.५	९.२	६.००	९.००
गाय	४.६ से ४.८	८.५ से ८.७	४.००	८.५
टोन्ड	३.१	८.८	३.००	८.५

जब इन किसमों के दूध में चरबी अथवा "चरबी के अतिरिक्त ठोस" की मात्रा खुराक में मिलावट रोकने के अधिनियम द्वारा व्यवस्थित न्यूनतम मात्रा से कम हो तब यह आवश्यक समझा गया है कि उनको बढ़ाने के लिये ताज़ा क्रीम या फुवारे द्वारा सुखाया हुआ दूध का चूर्ण मिलाया जाये।

नाला संख्या ८ का नजफगढ़ झील में ले जाया जाना

†४४१०. **श्री च० कृ० नायर :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाला संख्या ८ (ड्रेन नं० ८) का कुछ भाग नजफगफ़ झील की ओर ले जाया जा रहा है जिससे दिल्ली राज्य के लिए पानी जमा हो जाने की और बड़ी समस्याएं पैदा होंगी;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन या केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया था; और

(ग) इस खतरे से दिल्ली क्षेत्र को बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†मूल अंग्रेजी में

सिचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) सिचाई और विद्युत् मंत्रालय द्वारा नियुक्त तीन व्यक्तियों की समिति की सिफारिश के अनुसार, जहाजगढ़ क्षेत्र में मलमूत्र के जमा होने से रोकने के लिए नजफगढ़ झील में नाला संख्या ८ के प्रपात से, ४५० क्यूसेक पानी की निकासी की क्षमता का कटाव मंजूर कर लिया गया है । लेकिन कमी करने से पहले निम्नलिखित निर्माण कार्य पूरे हो जाने चाहिये :—

(१) गोहाना से पंजाब प्रदेश होते हुए यमुना नदी तक डाइवर्शन चैनल

(२) नजफगढ़ नाला योजना, दौर २

(२) प्रस्तावित कमी सम्बन्धी कन्ट्रोल रेग्यूलेटर्स

(४) नजफगढ़ नाले को और बड़ा बनाना

नजफगढ़ क्षेत्र से अतिरिक्त पानी को पानी की सतह आर० एल० ६८८ पर पहुंचने के बाद ही झील में जाने दिया जायेगा ।

(ख) दिल्ली और पंजाब के निकटवर्ती क्षेत्रों की नाली समस्या पर २९-१०-१९६० को सिंचाई और बिजली मंत्रालय की एक बैठक में विचार किया गया था । उस बैठक में केन्द्रीय सरकार, दिल्ली प्रशासन और पंजाब सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित थे । इस बैठक में नाली समस्याओं की छानबीन करने के लिए तीन व्यक्तियों वाली एक समिति नियुक्त की गयी थी । उस समिति की रिपोर्ट सभी सम्बन्धित व्यक्तियों ने स्वीकार कर ली थी और जहाजगढ़ क्षेत्र से नजफगढ़ झील तक कटाव का जहां तक सम्बन्ध है, उपर्युक्त (क) के उत्तर में बतायी गयी शर्तें निर्धारित की गयी हैं ।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई

†४४११. **श्री च० कृ० नायर :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली शहर के लिए पीने का पानी पूरा पूरा सप्लाई करने के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में शहर को पीने का पानी पूरी मात्रा में सप्लाई करने के लिए कौन सी योजनाएं चल रही हैं; और

(ग) इन योजनाओं की कुल लागत कितनी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) दिल्ली को पीने का पानी पहुंचाने के लिए दिल्ली नगर निगम उत्तरदायी है । दिल्ली को पानी सप्लाई के सम्बन्ध में संसद् में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय उत्तरदायी है । दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ (१९५७ का संख्या ६६) की धारा ४८७ के अधीन दिल्ली नगर निगम को निदेश देने के लिए गृह-कार्य मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में, जलकल (वाटर वर्क्स) की क्षमता ९ करोड़ गैलन से १३ करोड़ गैलन प्रति दिन बढ़ाने का विचार है और इसके लिए सभी निर्माणकार्य जैसे रौ वाटर पम्प्स, मेन्स, ट्रीटमेन्ट प्लान्ट्स, रिजर्वायर्स, वेन्चुरी मीटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स आदि, तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये गये हैं ।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की जाने वाली स्वीकृत योजनाओं की लागत ५००·३२ लाख रुपये है ।

नाला संख्या ८ का जमुना की ओर ले जाया जाना

†४४१२. **श्री च० कृ० नायर :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहतक के नाले संख्या ८ को नाले संख्या ६ के जरिये जमुना की ओर ले जाये जाने के सम्बन्ध में दिल्ली के कुछ ग्रामवासियों की तरफ से सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) उनकी शिकायतें दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) केन्द्रीय और पंजाब सरकार ने कौनसा रेखांकन मंजूर किया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) पंजाब और केन्द्रीय सरकार के तकनीकी विशेषज्ञ इस विषय की ओर ध्यान दे रहे हैं ।

(ग) अभी तक कोई रेखांकन मंजूर नहीं किया गया है ।

दिल्ली में सर्जनों का वेतन क्रम

†४४१३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के अधीन काम करने वाले डाक्टरों अर्थात् असिस्टेंट सर्जन, ग्रेड १ और ग्रेड २ के लिये वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतन-क्रम अभी तक कार्यान्वित नहीं किये गये हैं;

(ख) यदि हां तो इस अनुचित विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ डाक्टरों को ३७५—८०० रुपये के वेतन क्रम में रखा गया है ;

(घ) क्या वेतन आयोग ने इस वेतन क्रम की सिफारिश की थी;

(ङ) क्या चिकित्सा न करने का भत्ता (नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउन्स) सभी डाक्टरों को दिया जाता है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) असिस्टेंट सर्जन, ग्रेड २ का वेतन बढ़ाने के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित की गयी हैं । असिस्टेंट सर्जन, ग्रेड १ के पद केन्द्रीय स्वास्थ्य

---

†मूल अंग्रेजी में

सेवा के ग्रेड ५ में शामिल किये गये हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की सभी श्रेणियों के लिये जिनमें ग्रेड ५ भी शामिल है, नये वेतनक्रम अधिसूचित किये जा चुके हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा पदालि अभी न बनाये जाने के कारण व्यक्तिगत पदों के, जिनमें असिस्टेंट सर्जन, ग्रेड १ के पद भी शामिल हैं, नये वेतनक्रम निर्धारित करने के लिये कार्यवाही की गयी है।

(ग) और (घ). जी नहीं।

(ङ) निम्नलिखित को छोड़ कर, दिल्ली प्रशासन के अधीन सभी डाक्टरों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउन्स दिया जाता है :—

१. प्रिंसिपल, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज।

२. अतिरिक्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेट, इरविन अस्पताल।

३. वे चिकित्सा पदाधिकारी जिन्हें सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों की चिकित्सा के लिये अधिकृत मेडिकल अटेन्टेण्ट घोषित किया जा चुका है।

४. आंख, नाक, गला विशेषज्ञ।

(च) निम्नलिखित को प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति है :—

१. अतिरिक्त मेडिकल सुपरिन्टटेन्डेट जो स्टाफ सर्जन, दिल्ली के पद पर भी काम करते हैं।

२. आंख, नाक, गला विशेषज्ञ।

३. जिन चिकित्सा पदाधिकारियों को अधिकृत मेडिकल अटेन्डेन्ट घोषित किया गया है, उन्हें केवल अधिकारी सरकारी कर्मचारियों के परिवारों में ही प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति है।

सम्बलपुर और रूरकेला के बीच स्टेशनों पर बिजली लगाना

†४४१४. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बलपुर और रूरकेला के बीच रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाने के सम्बन्ध में इस बीच कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कुल कितनी रकम मंजूर की गयी है; और

(ग) वह काम सम्भवतः कब तक पूरा हो जायगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). सम्बलपुर और रूरकेला के बीच, ५ स्टेशनों पर, अर्थात् रूरकेला, राजगंगपुर, झरसुगुदा, सम्बलपुर सड़क और सम्बलपुर स्टेशनों पर लगभग ६७,९२१ रुपये की लागत से बिजली लगायी गयी है। ५००० रुपये की प्रत्याशित लागत से पंपोश स्टेशन पर बिजली लगा ने का काम १९६१–६२ के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया जा चुका है।

उड़ीसा में सिंचाई के लिये पानी की कमी

†४४१५. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में औनली क्षेत्र में गर्मियों के महीनों में सिंचाई के लिये पानी की भारी कमी होती है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जिला सम्बलपुर में सामदायिक खंड

†४४१६. **श्री प्र० गं० देव**: क्या **सामदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बलपुर जिले में १९६० में कुल कितने सामुदायिक खण्ड खोले गये हैं;

(ख) उन खण्डों के नाम क्या हैं और प्रत्येक खण्ड पर कितनी रकम खर्च की गयी है; और

(ग) अभी तक देवगढ़ सब-डिवीजन मे कोई खण्ड क्यों नहीं खोला गया ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: (क) १९६० में सम्बलपुर जिले में ४ पूर्व-विस्तार खण्ड खोले गये हैं । इसके अलावा, मानेश्वर और अम्बथोना के २ पूर्व विस्तार खण्ड भी, जो १९५९ में उस जिले में खोले गये थे, १९६० में स्टेज-१ में बदल दिये गये ।

(ख) १९६० में खोले गये ४ पूर्व-विस्तार खण्डों के नाम और प्रत्येक खण्ड में किया गया खर्च इस प्रकार है :—

(१) रायराखोल	५,५०० रुपये	(फरवरी, १९६० तक)
(२) बिजेपुर .	६,९४७ रुपये	(मार्च १९६१ तक)
(३) देवगढ़ .	५५८ रुपये	(फरवरी १९६१ तक)
(४) जुजुमारा. .	९९१ रुपये	(फरवरी १९६१ तक)

(ग) देवगढ़ सब-डिवीजन में, अक्टूबर, १९६० में देवगढ़ खण्ड और अप्रैल, १९६१ में बरकोटे खण्ड खोला गया है ।

भुवनेश्वर-रूरकेला बस सर्विस

†४४१७. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि भुवनेश्वर से रूरकेला तक सरकारी बसों में गर्मियों में सफर करने में जनता को बड़ी कठिनाई होती है ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या इस मार्ग पर गर्मी में वातानुकूलित बस सर्विस चालू करने का सरकार का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी उड़ीसा सरकार से प्राप्त की जा रही है और वह उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ब्राम्हिणी नदी (उड़ीसा) पर पुल

†४४१८. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने तलछर और देवगढ़ सीमा के पास ब्रम्हिन नदी पर पुल बाने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार ने पहले दिसम्बर, १९५७ में इस पुल के निर्माण के लिये प्रस्ताव रखा था जिसके लिये खर्च उस राज्य को केन्द्रीय सड़क निधि के नियतन से दिया जाता । पुनर्विचार के बाद राज्य सरकार ने अपने प्रस्ताव बदल दिये और उनके परिवर्तित प्रस्तावों में इस पुल के काम को काफी ऊंची प्राथमिकता नहीं दी गयी । परिणाम यह हुआ कि राज्य नियतन खाते में स्वतन्त्र शेष के अन्तर्गत इस काम का तालमेल नहीं बैठाया जा सका ।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ६

†४४१९. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बाट कोट और सम्बलपुर के बीच से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ६ पूरा हो चुका है;

(ख) इसके लिये कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार अब तक उन लोगों से भू-रास्जव लेती और वसूल करती रही है जिनकी भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग के लिये अधिग्रहण किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) अब तक उन लोगों को कितना प्रतिकर दिया गया है; और

(च) क्या वसूल किया गया भू-राजस्व वापिस कर दिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) सम्बलपुर और बारकोट के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का पूरा सैक्शन सीधा है और इस मार्ग पर चलने वाले यातायात में कोई रुकावट नहीं पड़ती । तथापि कुछ सुधार कार्य किये जा रहे हैं ।

(ख) से (च). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा के कुंचडा सब डिवीजन में फल

†४४२०. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि उड़ीसा का कुचंडा सब डिवीजन संगतरा, आम और अन्य फलों के लिये प्रसिद्ध है ;

(ख) यदि हां तो क्या औद्योनिकी विभाग के पास इस क्षेत्र में फल उद्योग का विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यारा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) हां ।

(ख) हां ।

(ग) १९६०–६१ से लेकर गहन फल उत्पादन आन्दोलन चल रहा है और इस क्षेत्र में आम, संगतरा और दूसरे उष्ण कटिबंधीय फलों की खेती पर केन्द्रीयकरण करने के कार्य किये गये हैं ।

उड़ीसा में चावल को रखने के लिये गोदाम

†४४२१. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य में चावल रखने के लिये कोई गोदाम या भाण्डागार बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना खर्च किया गया है और गोदाम कहां पर हैं; और

(ग) क्या उड़ीसा में धनकनाल जिला में कियाकाटा और बागडिया तथा सम्बलपुर जिला के भोजपुर और बारकोट में कोई गोदाम बनाये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). खुराछारोड में १०,००० टन क्षमता का गोदाम बनाया जा रहा है और १,७१,२३७३ रुपये के अनुमानित व्यय में से अब तक ३,१७,५३६ रुपये निर्माण पर खर्च हो चुके हैं ।

बालासोर, भुवनेश्वर और रूरकेला प्रत्येक में ५००० टन क्षमता के और गोदाम बनाने के प्रस्ताव अनुमोदित हो चके हैं ।

(ग) जी नहीं ।

सम्बलपुर और देवगढ़ के बीच ट्रंक टेलीफोन लाइन

†४४२२. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा में संबलपुर और देवगढ़ के बीच एक सीधी ट्रंक टेलीफोन लाइन लगा रही है ;

(ख) यदि नहीं तो क्या कारण है ; और

(ग) क्या कंचंक्ष के बीच से टेढ़े मेढ़े जाने वाली लाइनों के स्थान पर छोटा मार्ग बनाना सस्ता है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन्)** : (क) नहीं ।

(ख) सीधा सर्किट युक्तियुक्त नहीं है ।

(ग) नहीं ।

उड़ीसा में देवगढ़ अस्पताल

†४४२३. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि उड़ीसा के देवगढ़ अस्पताल में सरकारी विनियमों के अनुसार पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९४७ की तुलना में इस समय विधि सैक्शन में कितने कर्मचारी हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में इमारती लकड़ी के संभरण की प्रक्रिया

†४४२४. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि उड़ीसा में मकानों के निर्माण के लिये इमारती लकड़ी या बांस के संभरण के बारे में प्रक्रिया बड़ी खराब है और उससे लोगों को अपनी मांग पूरी करने में बड़ी कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस तरीके को आसान बनाया जाएगा ताकि लोगों को आसानी से इमारती लकड़ी मिल जाए ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ?

हीराकुद परियोजना से सम्बलपुर को बिजली का संभरण

†४४२५. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि सम्बलपुर क्षेत्र को हीराकुद बांध से बिजली दी जा रही है ; और

(ख) यदि हां तो अब जब वहां से बिजली ली जा रही है फिर लोगों से अधिक शुल्क क्यों लिया जा रहा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) जब से यानि १ नवम्बर १९६० से राज्य सरकार ने सम्बलपुर बिजली संभरण उपक्रम को अपने हाथ में लिया है । सम्बलपुर क्षेत्र में सामान्य जल विद्युत प्रशुल्क लागू है । अधिक प्रशुल्क नहीं लिया जाता ।

उड़ीसा में डाकघर

†४४२६. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के देवगढ़ डाक एंव तार घर में पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं;

(ख) क्या उड़ीसा में दूसरे डाक घर भी हैं जहां पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन्)** : (क) नहीं ।

(ख) कुछ डाक घरों में डाक कर्मचारियों की कमी है ।

(ग) रिक्त स्थानों को भरने के लिये चुने हुए लोगों को नियुक्त किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भुवनेश्वर में ग्लाईडिंग क्लब

†४४२७. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में एक ग्लाइडिंग क्लब आरंभ करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) नहीं श्रीमान् । ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मुचकुंड जल विद्युत् परियोजना

†४४२८. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुचकुंड जल विद्युत परियोजना के निर्णय के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ग) इसके कब पूर्ण होने की संभावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : विवरण संलग्न है ;

विवरण

(क) मुचकुंड जल-विद्युत परियोजना १७००० किलोवाट प्रत्येक वाली तीन इकाइयों, और २१२५० किलोवाट प्रत्येक वाली तीन इकाइयों के चालू होने के साथ पूरी हुई है । ११४७५० किलोवाट कुल जैनरेटिंग क्षमता में उड़ीसा राज्य का ३० प्रतिशत भाग है । उड़ीसा राज्य ने मुचंकुड (डुडुआ) से रायगाड़ा (प्रक्रम) और राय गाडा से बरहामपुर (प्रक्रम २) तथा ३३ के वी० और ११ के वी ब्रांच लाइनों की १३२ के वी० ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण हाथ में लिया । १३२ के वी० लाइन का डुडुआ–राय गाड़ा सैक्शन और ३३ के वी० लाइनों का अधिकांश भाग पूरा हो चुका है तथा रायगाड़ा–बरहामपुर सैक्शन का काम प्रगति पर है ।

(ख) दूसरी योजना के अन्त तक कुल अनुमानित व्यय इस प्रकार था :

आंध्र प्रदेश का भाग	२६·९९ करोड़ रुपये
उड़ीसा का	७·२९ करोड़ रुपये

(ग) आंध्र प्रदेश के काम पहले से पूर्ण हो चुके हैं । उड़ीसा के काम १९६२ में पूर्ण होने की संभावना है ।

सम्बलपुर (उड़ीसा) में बामरा-गारपोश मोटर सड़क

†४४२९. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के संबलपुर जिला के बामरा और गारपोशा के बीच मोटर सड़कों की अच्छी तरह देख भाल नहीं की जाती;

(ख) १९५९ और १९६० में कुल कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ग) क्या काम विभाग द्वारा किया जा रहा है या ठेकेदारों के द्वारा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश के डाक-तार परिमंडल में नये डिवीजन और सब डिवीजन

४४३०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न-संख्या ३३६७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ जनवरी, १९६१ से उत्तर प्रदेश के डाक-तार परिमण्डल में कुछ नये डिवीजन और सब-डिवीजन बनाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में डाक-तार विभाग के अन्य कौन से डिवीजन और सब-डिवीजन खोलने पर विचार किया जा रहा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) कोई नया डिवीज़न नहीं बनाया गया है ; किन्तु दो तार सब-डिवीज़न बनाए गय हैं ।

(ख) नैनीताल तथा नजीबाबाद तार सब-डिवीज़न ।

(ग) उत्तर प्रदेश परिमण्डल में दूर संचार प्रणाली का कुछ अंशों में पुनर्गठन करने के प्रश्न की जांच की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ नये डिवीज़न तथा सब-डिवीज़न बनाये जा सकते हैं ?

खाद्यान्न से लदे वैगनों का भेजा जाना

†४४३१. { **श्री र० सिं० केदार :**
श्री चांडक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्न से भरी लगभग एक दर्जन ब्राड गेज गाड़ियां, लगभग दस दिनों में, मध्य रेलवे के करेली स्टेशन के माल लादने के प्लेटफार्म पर खड़ी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनको भेजने के लिये क्या प्रयत्न किया जा रहा है ताकि वहां लादने के लिये और गाड़ियां लाई जा सकें ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नये टेलीफोन

†४४३२. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज बंगलौर, ने नया कम शोर वाला टेलीफोन तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस टेलीफोन का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसे तैयार करने का क्या कार्य क्रम है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन्)** : (क) जी हां !

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अधिक अच्छे टेलीफोन रिसीवर, सरकिट और घंटी वाला एक नया टेलीफोन बनाया गया है। उस रिसीवर में आवाज की किस्म बड़ी अच्छी है और तेज आवाज की क्षमता है। छोटी लाइनों पर आवाज कम करने के लिए नियंत्रण की भी व्यवस्था की गयी है। ऊंची कार्यक्षमता के कारण भूमिगत केबुल कन्डक्टर कम किये जा सकते हैं और इस प्रकार केबुल्स की लागत कम हो जायगी। घंटी के आवाज का परिमाण भी टेलीफोन में लगाये गये वॉल्यूम कन्ट्रोल नौब द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।

(ग) चालू वर्ष में नये ढंग के १०,००० टेलीफोन तैयार करने का विचार है। आगामी वर्षों में उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ा दी जायगी।

दिल्ली में कृषि सहकारी संस्था द्वारा देय धन

४४३३. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने वे ४२,००० रुपये बट्टे खाते में डालने का आदेश दिया है जो दिल्ली प्रशासन के अधीन कृषि सहकारी संस्था द्वारा दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे ऐसा करने का अधिकार है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

रेलवे बोर्ड के दफ्तर में फाइलों का खो जाना

†४४३४. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड की अनुसूचित जाति शाखा सम्बन्धी ४ फाइलें जिनमें संसद-सदस्यों के, अखिल भारतीय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, रेलवे कर्मचारी संघ के बारे में उल्लेख हैं, लापता हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) फाइलों में चर्चित विषयों पर विचार हो चुका था और उचित कार्यवाही की गयी है।

बटाला और मोरिंडा सहकारी चीनी मिलें

†४४३५. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी तैयार करने के लिए बटाला और मोरिन्डा सहकारी चीनी मिलों को संयंत्र दिया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो संयंत्र कब सप्लाई किया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). मेसर्स इंडियन शुगर एण्ड जनरल इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, यमुनानगर, जिला अम्बाला, द्वारा बटाला और मोरिन्डा सहकारी चीनी मिलों को संयंत्र और मशीनें दी जा रही हैं। अनुमान है कि मोरिन्डा कारखाने को मशीनों की सप्लाई जुलाई, १९६१ तक और बटाला कारखाने को मार्च, १९६२ तक पूरी हो जायगी ।

दिल्ली के लिये बिजली सप्लाई

†४४३६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिए चार बिजली घरों के निर्माण के बाद, पंजाब और भाखड़ा बांध से बिजली दी जायगी; और

(ख) यदि हां, तो कितनी बिजली अस्थायी रूप से दी जायगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर और पूर्व रेलवे में विधि निरीक्षक और विधि सहायक

†४४३७. **श्री प्रमथनाथ बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व और उत्तर रेलवे में विधि पदाधिकारियों (लॉ आफिसर्स) के अधीन केवल दो श्रेणियों के अधीनस्थ कर्मचारी काम करते हैं, अर्थात एक विधि सहायक (लॉ असिस्टेंट) जो ऊंची श्रेणी के हैं और दूसरे विधि निरीक्षक (लॉ इन्स्पेक्टर), जो निचली श्रेणी के हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि पहले लॉ इन्स्पेक्टरों के पदों पर केवल वे एडवोकेट / लीडर सालिसिटर रखे जाते थे जिनके पास बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री हो और जिन्हें अदालत में वकालत का कम से कम ५ साल का अनुभव हो ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क) और (ख). जी हां ।

रेलवे में विधि निरीक्षक

†४४३८. **श्री प्रमथनाथ बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने अभी हाल में विधि निरीक्षक (लॉ इन्स्पेक्टर्स) की भरती के लिए शर्तों और योग्यताओं में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो अब क्या योग्यता रखी गयी है;

(ग) पहले क्या योग्यता रखी गयी थी; और

(घ) इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) कानून की उपाधि और अदालत में ३ साल की वकालत का अनुभव ।

(ग) कानून की उपाधि और एडवोकेट के तौर पर ५ साल का अनुभव ।

(घ) पहले रखी गयी योग्यता वाले उम्मीदवारों को आकर्षित करने में कठिनाई महसूस हुई ।

सहकारी आंदोलन पर फिल्म

†४४३९. **श्री तंगामणि** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मों के ज़रिये सहकारी आन्दोलन का प्रचार करने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि हथकरघे के सम्बन्ध में मद्रास राज्य में कंजीवरम में १९६० में एक ऐसी फिल्म तैयार की गयी थी;

(ग) क्या वह चालू की गयी थी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसे चालू न करने के क्या कारण हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). इस सम्बन्ध में २७-४-६१ को सूचना तथा प्रसारण मंत्री द्वारा दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४१ के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

रेलवे द्वारा भूमि का अर्जन

†४४४०. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टूंडला-आगरा सेक्शन में एतमादपुर स्टेशन पर लाइन के आर-पार जाने के लिए एक आम रास्ता तैयार करने के लिए कुछ जमीन प्राप्त की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो पहले अर्जित की गयी भूमि उस प्रयोजन के लिए क्यों नहीं काम में लायी जा रही है और कुछ इमारतों तथा मन्दिर वाली जमीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए क्यों अर्जित की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). एतमादपुर रेलवे यार्ड के ठीक बीचोंबीच एक लेवल क्रासिंग मौजूद है । इससे यार्ड के काम में बाधा होती है और साथ ही सड़क यातायात को रुकावट होती है । इसलिए यह तय किया गया है कि लेवल क्रासिंग किसी अधिक उपयुक्त स्थान पर ले जाया जाये जिसके लिए आवश्यक जमीन प्राप्त की जा रही है । इस प्रयोजन के लिए पहले कोई भूमि अर्जित नहीं की गयी थी । जो भूमि अर्जित की जा रही है उस पर न कोई मंदिर है और न कोई दूसरी इमारतें हैं । भूमि-अर्जन कार्यवाही के दौरान जमीन के मालिक ने एक छोटा सा ढांचा खड़ा किया और इस उद्देश्य से एक मूर्ति भी स्थापित कर दी कि उस कार्यवाही में अड़चन पैदा हो । वह असैनिक अधिकारियों को हटाना पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ठेकेदारों का जमानती धन

४४४१. **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन १९४६ में जिन ठेकेदारों ने बी० एंड ए० रेलवे के सियालदह डिवीजन में भवन निर्माण के कार्यों के सिलसिले में जमानती धन जमा करवाया था क्या उन सब को वह लौटा दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो किस-किस की कितनी-कितनी जमानती धन की राशि अभी देनी बाकी है;

(ग) इस धन के अभी तक न लौटाये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या देश के विभाजन से पूर्व भारत सरकार के पास जमा करवाये गये धन के लिये पाकिस्तान सरकार से कोई प्रमाणपत्र लेना जरूरी है ;

(ङ) यदि हां, तो पाकिस्तान के अस्तित्व में आने से पूर्व भारत सरकार से किये गये लेन-देन के बारे में पाकिस्तान सरकार से प्रमाणपत्र लेने में क्या तुक है; और

(च) सरकार इस प्रकार के जमानती धन को उनके मालिकों को जल्दी से जल्दी लौटाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अब तक इस तरह के केवल पांच मामले नोटिस में आये हैं । इनमें से हर एक में जमानत की जितनी रकम जमा की गयी थी और जिसे अब तक नहीं लौटाया गया है, उनका विवरण इस प्रकार है :—

(१) सर्वश्री हरिप्रसाद चटर्जी लिमिटेड ९,००० रु० (नकद)

(२) सर्वश्री हालदर एण्ड कं० २,००० रु० (नकद)

(३) श्री जे० एस० मधुर ३,२७८ रु० (नकद)

(४) सर्वश्री सिटी सेनिटेशन कं० ३०० रु० (नकद)

(५) श्री चूड़ामणि मण्डल २०० रु० (ग० प्रो० नोट)

(ग) (१) सर्वश्री हरि प्रसाद चटर्जी लिमिटेड के ९,००० रु० के सम्बन्ध में केन्द्रीय दावा संगठन ने (जिनके जरिये ऐसे दावों पर कार्रवाई की जाती है) रिपोर्ट दी है कि कि पाकिस्तान ईस्टर्न रेलवे ने इस रकम का सत्यापन नहीं किया है, लेकिन श्री हरि पाद चटर्जी नाम के किसी आदमी की रकम सत्यापित कर दी गयी है । इन दोनों नामों में बहुत थोड़ा अन्तर है, इसलिये यह पूछा जा रहा है कि क्या इसे लिखावट की भूल मान कर दावेदार को भुगतान कर दिया जाय ।

(२) जैसा कि केन्द्रीय दावा संगठन ने सूचित किया है, पाकिस्तान ईस्टर्न रेलवे ने कहा है कि विभाजन से पहले की बंगाल आसाम रेलवे के खातों में सर्वश्री हालदर एण्ड कम्पनी के नाम में कोई रकम बाकी नहीं है । पार्टी से कहा गया है कि रकम जमा करने की रसीद का नम्बर और तारीख बतायें ताकि आगे कार्रवाई की जाय ।

(३) जहां तक श्री जे० एस० मधुर द्वारा जमा किये गये ३,२७८ रु० का सवाल है, इसके बारे में ठेकेदार की विधवा पत्नी से कहा गया था कि वह केन्द्रीय दावा संगठन (भारत) के जरिये दावा पेश करे, लेकिन अभीतक उनकी ओर से इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली है ।

(४) वे ही कारण हैं जो उपरोक्त मद (३) में बताये गये हैं ।

(५) श्री चूड़ामणि मण्डल द्वारा जमा किये गये जमानत के २०० रुपये नहीं लौटाये जा सके, क्योंकि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय दावा संगठन (भारत) को पाकिस्तान ईस्टर्न रेलवे से सत्यापन-रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(घ) और (ङ). जिन मामलों के रिकार्ड पाकिस्तान में सम्बन्धित अधिकारियों के पास होते हैं, उनकी जमानत की रकम लौटाने से पहले केन्द्रीय दावा संगठन के जरिये पाकिस्तान रेलवे से मूल रिकार्ड के आधार पर दावों का सत्यापन कराया जाता है । यह स्पष्ट है कि सरकार दावेदारों के कहने पर ही भुगतान नहीं कर सकती । यह बात केवल रेलवे पर नहीं, बल्कि सब कहीं लागू होती है ।

(च) (१) उपरोक्त मद (ख) (१) में उल्लिखित भुगतान के सम्बन्ध में अन्तिम कार्रवाई तभी की जायेगी जब उपरोक्त मद (ग) (२) में बतायी गयी सूचना मिल जाये ।

(२) दावेदारों की ओर से आगे कोई सूचना न मिलने के कारण उपरोक्त (ख) (२) से (४) तक के सम्बन्ध में आगे कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है ।

(३) उपरोक्त मद (ख) (५) में उल्लिखित मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय दावा संगठन पाकिस्तान अधिकारियों से लिखा पढ़ी कर रहा है ।

दिल्ली में छने हुये पानी की बरबादी

†४४४२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में ९ करोड़ गैलन छने हुए पानी की कुल सप्लाई में से ३ रोड़ ५० लाख गैलन से अधिक पानी दुरुपयोग या चूने के कारण बरबाद होता है; और

(ख) यदि हां तो यह बरबादी रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं । अनुमान है कि लगभग १५ प्रतिशत पानी बरबाद होता है ।

(ख) बरबादी रोकने के लिये दिल्ली नगर निगम निम्नलिखित कार्यवाही कर रहा है :—

(१) बहुत कम नये सार्वजनिक नल दिय जा रहे हैं और जहां कहीं व्यावहारिक हो, पुराने सार्वजनिक नल बन्द करने की कोशिश की जा रही है ।

(२) निःशुल्क वाशर लगाने की सेवा चालू की गयी है और चूती हुई टोंटियों की निःशुल्क मरम्मत की जाती है ।

(३) कई हजार पानी-मीटरों के लिये आर्डर दिये गये हैं और यथाशीघ्र सभी कनेक्शनों के लिये मीटर लगाये जाने वाले हैं । इससे पानी के दुरुपयोग और बरबादी करने के लिये लोग निरुत्साहित होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य परिवहन विभाग, उड़ीसा के कर्मचारी

†४४४३. **श्री कुम्भार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिये सेवा नियमों के अनुसार उड़ीसा राज्य परिवहन विभाग में अधिकतर कर्मचारियों को स्थायी नहीं बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक श्रेणी में ऐसे कितने कर्मचारी हैं;

(घ) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोग कितने हैं; और

(ङ) कर्मचारियों के लिये सेवा नियमों के अनुसार उसी राज्य के तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह उन्हें स्थायी बनाने के लिये किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ङ). आवश्यक जानकारी उड़ीसा सरकार से प्राप्त की जा रही है और वह उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी ।

दिल्ली का चिड़ियाघर

†४४४४. { **श्री आगाड़ी** :
श्री सुगन्धि :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के चिड़ियाघर के सम्पूर्ण नक्शे की अनुमानित लागत क्या है ;

(ख) वह नक्शा किसने तैयार किया है ;

(ग) जिस वस्तु कला विशारद ने नकशा तैयार किया उसे कितना पारिश्रमिक दिया गया;

(घ) नक्श के मुताबिक चिड़ियाघर को सुसज्जित करने की अनुमानित लागत क्या होगी; और

(ङ) उद्यान के रख रखाव पर कुल अनुमानित आवर्तक व्यय कितना होगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) वर्तमान नकशे और खाके के अनुसार सभी प्रकार से परियोजना पूरी करने के लिये लगभग १६० लाख रुपये ।

(ख) इस प्रयोजन के लिये नियुक्त एक जर्मन परामर्शदाता श्री कार्ल हगेनबेक ।

(ग) १,००,४०० ज्यूशमार्क (१,१३,८४१ रुपये ८१ नये पैसे)

(घ) उपर्युक्त (क) में सम्मिलित ।

(ङ) अनुमानित आवर्तक व्यय प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग होगा । १९५९–६० से १९६१–६२ तक तीन वर्षों के लिये खर्च इस प्रकार होगा :—

१९५९–६०	४,०६,४१२ (वास्तविक)
१९६०–६१	४,६०,००० (संशोधित अनुमान)
१९६१–६२	४,६०,००० (बजट अनुमान)

अनुमान है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में आवर्तक व्यय २८.०५ लाख रुपये होगा ।

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय तार घर, नई दिल्ली के कर्मचारी

†४४४५. **श्री कुम्भार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय तार घर, नई दिल्ली के बहुत से टेलीग्राफिस्टों को, जिन्होंने पांच वर्ष से अधिक सेवा कर ली है, अभी तक अर्ध-स्थायी भी नहीं बनाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अर्ध-स्थायी न होने के कारण वे पदोन्नति के लिये विभागीय परीक्षा में नहीं बैठ सकते; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें अभी तक अर्ध-स्थायी घोषित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्) : (क) अभी तक केवल १४ टेली-ग्राफिस्टों को, जिन्होंने पांच वर्ष से अधिक सेवा की है, अर्ध-स्थायी घोषित नहीं किया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) किसी पदाधिकारी को अर्ध-स्थायी घोषित किये जाने से पूर्व कुछ औपचारिक बातें पूरी करनी पड़ती हैं । इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

बाल पक्षाघात (पोलियो) संबंधी अनुसंधान

†४४४६. **श्रीमती मंजुला देवी** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार बाल पक्षाघात (पोलियो) के सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान कर रही है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि बाल पक्षाघात के मरीजों को ठीक करने के लिये आसाम में एक मशहूर होमियोपेथी के डाक्टर द्वारा एक आश्चर्यजनक खोज की गयी है; और

(ग) क्या सरकार को पक्षाघात के मरीजों से पक्षाघात के सफल इलाज के प्रमाण पत्र भेजे गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

बिजली का उत्पादन

†४४४७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में पैदा की गयी बिजली का (१) ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों, (२); (क) बड़े पैमाने के उद्योग, (ख) घरेलू कार्यों, (ग) छोटे पैमाने के उद्योग, (घ) कृषि में किस प्रकार वितरण किया गया है ;

(ख) विभिन्न क्षेत्रों को यह किस दर पर उपलब्ध की जाती है; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना में पैदा की जाने वाली बिजली का किये गये भार-सवक्षण के अनुसार राज्य वार वितरण किस प्रकार किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) (१) ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बिजली के ठीक वितरण के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(२) (क) से (घ). संलग्न विवरण १ में उपभोक्ताओं की इन श्रेणियों को उपलब्ध सीमा तक बिजली के उपभोग के आंकड़े दिये गये हैं । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६०**]

(ख) विवरण संख्या २ संलग्न है जिसमें आवश्यक जानकारी दी हुई है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६१**] ।

(ग) विवरण संख्या ३ संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६२**] ।

वारंगल में निचला पुल

†४४४८. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या रेलवे मंत्री ५ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वारंगल में निचला पुल बनाने के बारे में और क्या प्रगति की गयी है ;

(ख) क्या इस परियोजना पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस प्रस्थापना पर जोर नहीं दिया है । न ही उन्होंने इस कार्य को तृतीय योजना काल में ऊपरी/निचला पुल बनाने की अपनी योजनाओं में शामिल किया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर रेलवे कर्मचारी सहकारी ऋण समिति, दिल्ली

†४४४९. **श्री बाल्मीकी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान उत्तर रेलवे कर्मचारी सहकारी ऋण समिति, दिल्ली के विरुद्ध दावे का निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) यह मामला अब तक स्थगित क्यों रखा गया है ; और

(ग) दावों का मूल्य क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). संभवतः माननीय सदस्य उत्तर-पश्चिम रेलवे सहकारी ऋण समिति, दिल्ली का, जो लाहोर में समिति की तरह है, जिक्र कर रहे हैं । जहां तक रेलवे मंत्रालय का सम्बन्ध है, उपरोक्त समिति के विरुद्ध दावों के निबटारे में कोई विलम्ब नहीं हुआ है । इस प्रश्न पर पुनर्वास मंत्रालय फरवरी, १९५९ तक विचार कर रहा था, जब उस मंत्रालय के साथ बातचीत के परिणाम स्वरूप, यह सुझाव दिया गया था कि इस बारे में रेलवे मंत्रालय विधि मंत्रालय के परामर्श से आगे कार्यवाही करें क्योंकि उस मंत्रालय के प्रयत्न सफल नहीं हुए । विधि मंत्रालय द्वारा दिये गये परामर्श के अनुसार उपरोक्त समिति का परिसमापन करने की कार्यवाही की गयी और दिसम्बर, १९६० में दिल्ली की सहकारी समितियों

---

†मूल अंग्रेजी में

के रजिस्ट्रार ने एक परिसमापक नियुक्त किया। सहकारी समिति अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, परिसमापक को दावों को मांगने और उन्हें उपलब्ध संसाधनों के अनुसार निपटाने के अधिकार दिये गये हैं। इस बारे में परिसमापक को निपटारे में शीघ्रता करने के लिये आवश्यक आदेश जारी किये गये हैं।

(ग) दावों के मूल्य का लगभग १३ लाख रुपये का अनुमान लगाया गया है।

अनुसूचित जातियों के रेलवे कर्मचारियों की पदनियुक्ति

४४५०. **श्री खुशवक्त राय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने दिसम्बर, १९६० में एक पत्र विभिन्न रेलवे के जनरल मैनेजरों को लिखा था कि अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को अपने निवास-स्थान से दूर नहीं भेजा जाना चाहिये ;

(ख) क्या इसका पालन किया गया है ; और

(ग) इसके फलस्वरूप कितने कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी नहीं। रेल प्रशासनों को केवल यह सुझाव दिया गया है कि जहां तक व्यावहारिक हो, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की बदली उनके अपने जिलों या आस पास के जिलों में या ऐसी जगहों में की जाये, जहां प्रशासन उनके लिए मकान की व्यवस्था कर सके।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता।

सरकारी बस्तियों में मच्छरों का आतंक

†४४५१. **श्री राम गरीब :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम/नयी दिल्ली नगरपालिका के नियंत्रण के अधीन सरकारी कर्मचारियों की रिहायशी बस्तियों में मच्छरों का आतंक दूर करने के लिए कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या कार्यवाही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) और (ख). दिल्ली/नई दिल्ली में आतंक कम करने के लिए ऐन्टी-लारवल उपाय किये जा रहे हैं। बसन्त और वर्षा के मौसमों में ये उपाय और तेजी से किये जाने हैं।

रात की हवाई डाक सेवा

†४४५२. **श्री तंगामणि :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रात की हवाई डाक सेवा का मार्ग बदलने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ; और

(ग) नागपुर की जगह कौन सा हवाई अड्डा जंकशन के तौर पर होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†असैनिक उड्डयन उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मद्रास राज्य में चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण

†४४५३. श्री तंगामणि : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य को 'चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण' मद के अधीन केन्द्र समर्थित योजनाओं के लिये कोई इकट्ठी रकम दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में कितनी रकम दी जा रही है ;

(ग) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए मद्रास राज्य को ऐसा अनुदान दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी रकम मंजूर की गयी थी, कितनी दी गयी और कितनी खर्च की गयी ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) से (घ) केन्द्र समर्थित तथा केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता देने के लिये संशोधित प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार को निधि मार्गोपाय अग्रिम के रूप में माहवार दी जाती है और अन्तिम भुगतान मंजूरी वित्त वर्ष के अन्त में दी जाती है। इस योजना के लिये मद्रास राज्य को इस वर्ष का नियतन अभी निश्चित करना है । दूसरी पंचवर्षीय योजना के पिछले तीन साल में चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये निम्नलिखित सहायक अनुदान राज्य सरकार को दिये गये थे :—

	रुपये
१९५८–५९	१०,०३,५००
१९५९–६०	२५,८४,०००
१९६०–६१	३७,४६,०००

दी गयी संपूर्ण धनराशि राज्य सरकार ने खर्च की है ऐसा समझा जाता है ।

खाद्यान्न संग्रहण गोष्ठी

†४४५४. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल में नयी दिल्ली में विज्ञान मन्दिर में आयोजित खाद्यान्न संग्रहण संबंधी राष्ट्रीय गोष्ठी में किन किन विषयों पर विचार किया गया था ;

(ख) इस गोष्ठी में क्या विचार या सुझाव रखे गये थे ; और

(ग) उस संबंध में सरकार की क्या राय हैं ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) (१) अनाज रखने की इमारतें और अनाज उठाने धरने का साज-समान ।

(२) जीव विज्ञान संबंधी बातें जिनका अनाज के संग्रहण पर असर पड़ता है ।

(३) संग्रह किये गये अनाज में कीड़ों का रोग और कीड़ों का नियंत्रण ।

(४) संग्रहण की हानि का अनुमान ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) गोष्ठी ने निम्नलिखित सिफारिशें की थीं :—

(१) संग्रहण ढांचों के बारे में अधिकाधिक जागरूकता होनी चाहिये ताकि अधिक संग्रहण की सहूलियत हो और उचित संरक्षण उपाय किये जा सकें ।

(२) किस्म संबंधी विशिष्ट बातें शीघ्र निर्धारित की जानी चाहिये ताकि उपयुक्त किस्मों को थोक रूप में या बोरियों में रखा जा सके ।

(३) अनेक संग्रहण कीड़ों का महत्व मालूम करने के लिये अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया जाना चाहिये ।

(४) मार्गस्थ अनाज के धूमन की संभावनाओं का पता लगाया जाये ।

(५) मनुष्यों और पशुओं के उपभोग के योग्य अनाज के साथ संश्लिष्ट कीटनाशक पदार्थों का प्रत्यक्ष मिश्रण रोका जाना चाहिये ।

(६) उपयुक्त धूमन पदार्थों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ।

(ग) सिफारिशों की छानबीन हो रही है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में 'आउटलुक डिवीजन'[1]

†४४५५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में "आउटलुक डिविजन" स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी संरचना और उसके कार्य क्या होंगे ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा):** (क) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अर्थशास्त्र तथा अंकसंकलन निदेशालय के वर्तमान डिविजनों में से एक डिविजन में "आउटलुक स्टडीज" के संबंध में काम शुरू किया जायगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वनस्पति उद्योग

†४४५६. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति उद्योग के लिये कच्चे माल के आधार में अभी हाल कोई रद्दोबदल करने की सरकार की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो वैकल्पिक कच्चे माल कौन से हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० मु० थामस) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Outlook Division.

दिल्ली-जयपुर ट्रंक काल प्रणाली

†४४५७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और जयपुर के बीच नयी ट्रंक काल व्यवस्था कायम करने का विचार है ताकि समय कम लगे और जिसके अधीन दिल्ली और जयपुर के बीच लोग सीधे बातचीत कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) क्या इसी प्रकार भारत के किसी अन्य नगरों या शहरों के बीच भी संबंध कायम करने का विचार है और यदि हां, तो वर्ष १९६१–६२ के लिये योजना क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्) :** (क) नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मद्रास राज्य में आमातिसार[1]

†४४५८. **श्री नरसिंहन् :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मद्रास राज्य के उत्तरी अर्काट जिले में एक नये ढंग के आमातिसार से काफी लोग मर रहे हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय चिकित्सा अनुसंधान संस्था ने इस रोग के निदान, इलाज आदि के संबंध में कोई जांच पड़ताल की है या कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) उत्तरी अर्काट में ऐसा रोग फैलने का कोई समाचार भारत सरकार को नहीं मिला है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दिल्ली में सड़क-कर कूपन

†४४५९. **श्री च० कृ० नायर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मोटर गाड़ियों के लिये सड़क-कर कूपन प्राप्त करने के लिये दिल्ली में लोगों को घंटों तक और वह भी दो-तीन दिन लगातार लाइन में खड़ा होना पड़ता है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि पिछले तीन साल में दिल्ली में रजिस्टर्ड मोटर गाड़ियों की संख्या काफी बढ़ गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो सरलता से सड़क-कर की अदायगी और सड़क कर कूपन तुरन्त जारी किये जाने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) नयी व्यवस्था के अधीन, अब कर की अदायगी में सिर्फ कुछ मिनट ही लगते हैं । कर दे दिये जाने के बाद उसी दिन थोड़े से ही समय में टोकन दे दिया जाता है । प्रत्येक तिमाही के पहिले महीने के आखिरी

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Dysentry.

१० दिनों में कुछ अधिक समय लगता है जबकि काफी संख्या में लोग अर्जियां पेश करते हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) हर तिमाही शुरू होने से पहले अखबारों के जरिये इस बात का काफी प्रचार किया जाता है कि मोटर-कर यथा शीघ्र चुका दिया जाये ताकि मालिकों को असुविधा न हो । कर इकट्ठा करने और टोकन जारी करने का काम तिमाही शुरू होने से करीब १० रोज पहले ही शुरू कर दिया जाता है । तिमाही के पहिले महिने के अन्त तक कर अदा किया जा सकता है जिसका मतलब यह है कि मालिक ४० दिन के अन्दर आसानी से भुगतान कर सकते हैं । वार्षिक आधार पर भी भुगतान मंजूर किया जाता है । काम निबटाने के लिये परिवहन विभाग, अत्यधिक व्यस्तकाल में, ८ नियमित खजांचियों के अलावा, ६ अतिरिक्त खजांची नियुक्त करता है ।

दिल्ली दुग्ध योजना

†४४६०. **श्री नरदेव स्नातक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पण्डारा 'ई' टाइप फ्लैटस् के 'ए' ब्लाक में मिल्क बूथ में रजिस्टर्ड कार्ड होल्डरों की संख्या आसपास के मिल्क बूथ में रजिस्टर्ड संख्या की तुलना में बहुत अधिक है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना का एक अधिकारी 'बी' ब्लाक में एक दूसरा मिल्क बूथ खोलने के लिये उपयुक्त स्थान चुनने के लिये उस बस्ती में आया था ; और

(ग) यदि हां, तो वहां के निवासियों की कठिनाइयां दूर करने के लिये एक अतिरिक्त मिल्क बूथ खोलने का सरकार का विचार है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग) विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६३]** ।

सीधा ट्रन्क काल

†४४६१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन स्थानों के बीच अभी सीधे ट्रंक काल व्यवस्था मौजूद है ; और

(ख) किन किन स्थानों के बीच यह व्यवस्था चालू वर्ष में शुरू करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्)** : (क) लखनऊ और कानपुर के बीच अभी सीधे ट्रंक काल किया जा सकता है ।

(ख) चालू वर्ष में दिल्ली-आगरा के बीच यह सेवा चालू करने का बिचार है ।

दिल्ली में चेचक का टीका

†४४६२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चेचक के टीके की अग्रिम परियोजना के आरम्भ से अब तक कितने आदमियों को टीका लगाया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) टीके लगाये और न टीके लगाये हुए कितने कितने व्यक्तियों को चेचक निकला और प्रत्येक में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(ग) क्या किसी मामले में कोई हानिकारक प्रभाव भी हुए ; और

(घ) यदि हां तो क्या ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (घ). आवश्यक जानकारी दिल्ली नगर निगम से मांगी गयी है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत में टीका

†४४६३. **श्री दी० च० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५१–५२ में ब्रिटिश चिकित्सकों से भारत में अनिवार्य टीके के विरुद्ध कोई याचिका प्राप्त हुई है;

(ख) उस में उल्लिखित तथ्यों को देखते हुए क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) याचिका प्रस्तुत करने वालों को क्या उत्तर भेजा गया ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). ऐसी कोई याचिका प्राप्त नहीं हुई है ।

टीके के हानिकारक प्रभाव

†४४६४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहिंसक दल के सचिव की ओर से टीके के खतरों और हानिकारक प्रभावों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) अहिंसक दल के सचिव को क्या उत्तर भेजा गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). अहिंसक दल के सचिव को यह बताया गया कि भारत में टीका समाप्त करने की योजना मंजूर नहीं की जा सकती ।

भूतपूर्व दिल्ली राशनिंग विभाग के कर्मचारी

†४४६५. **श्री वाजपेयी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राशनिंग विभाग के सभी भूतपूर्व उन कर्मचारियों का वेतन, जो सी० सी० एस० (आर० पी०) नियम, १९४७ के अधीन भारत सरकार और दिल्ली प्रशासन के अन्य कार्यालयों में अब स्थानांतरित किये गये हैं, पुनर्निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों की वास्तविक संख्या कितनी है जिनका वेतन अभी पुनर्निर्धारित नहीं किया गया है ; और

(ग) इस मामले में देर के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी नहीं ।

(ख) लगभग कुल एक हजार मामलों में से १२ मामलों में सी०सी०एस० (आर० पी०) नियम, १९४७ के अधीन वेतन पुनर्निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) सी० सी० एस० (आर० पी०) नियम, १९४७ के अधीन, राशनिंग विभाग के कर्मचारियों के वेतनक्रम १९५० में अधिसूचित किये गये थे और अधिकतर कर्मचारियों का वेतन १९५४ में राशनिंग विभाग के सभापन से पहले इन नियमों के अधीन निर्धारित किये गये थे। दो श्रेणियों के कर्मचारियों के अर्थात सीनियर क्लर्कों और सब-इन्स्पेक्टरों के मामले में मंजूर किये गये वेतन अपर्याप्त समझे गये और उनकी समीक्षा की सिफारिश की गयी। सीनियर क्लर्कों के संबंध में ये वेतन क्रम १९५५ में बढ़ाये गये और सब-इन्स्पेक्टरों के वेतन क्रम १९५७ में बढ़ाये गये। इस समय तक राशनिंग विभाग बंद किया जा चुका था और देश भर में भारत सरकार के २४ मंत्रालयों विभागों में उन्हें जगह दी गयी थी। सीनीयर क्लर्कों और सब-इन्स्पेक्टरों के कुल ३१६ मामलों में से ३०४ मामलों में इस बीच फैसला हो चुका है। शेष १२ मामलों में खास ढंग की पेचीदगी है। इन में से अधिकतर मामलों में कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हो रही है ।

मद्रास और मैसूर राज्यों में प्लेग

†४४६५-क. **डा० सुशीला नायर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर और मद्रास राज्यों के कुछ क्षेत्रों में प्लेग के मामले हो रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने; और

(ग) इसका फैलाव रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी मद्रास और मैसूर सरकारों से मांगी गयी है और यथा समय सभापटल पर रख दी जायगी।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा

†४४६५-ख. **डा० सुशीला नायर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ साल पहले प्रस्थापित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा स्थापित हो गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना के आरम्भ में उस में सम्मिलित डाक्टरों की सूची जारी की जा चुकी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं और वह कब तक किया जायगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के कुछ पहलुओं की समीक्षा की गयी है और अनुमान है कि संशोधित योजना शीघ्र ही अंतिम रूप से निर्धारित की जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

घनौली स्टेशन के पास एक डिपो में आग

†४४६५–ग. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नंगल–रूपड़ सेक्शन में घनौली रेलवे स्टेशन से करीब १०० गज दूर एक डिपो में रखे गये 'भब्बर घास' में, जो लगभग १५० डिब्बों का बोझ था, १८ अप्रैल, १९६१ में आग लग गयी थी;

(ख) यदि हां, तो कितना नुक्सान हुआ ; और

(ग) इस घटना का क्या कारण है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : यद्यपि रेलवे मंत्रालय का इस प्रश्न से संबंध नहीं है, फिर भी उस के पास उपलब्ध जानकारी इस प्रकार है :—

(क) जी हां ।

(ख) इस घटना के कारण सरकारी तार विभाग और मेसर्स श्री गोपाल पेपर मिल्स, जगाधरी को क्रमशः १००० रुपये और ७५००० रुपये का नुक्सान पहुंचा ।

(ग) जंगल से 'भब्बर घास' मिल डिपो ले जाने वाली ट्रक में आग लग गयी जिस से घास में भी आग लग गयी । उस समय तेज हवा के कारण आग तुरन्त भड़क उठी ।

अदन में चीनी बाजार

†४४६५–घ. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान २३ अप्रैल, १९६१ के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिस में यह कहा गया था कि अनियमित जहाजी व्यवस्था के कारण अदन में भारत की चीनी का बाजार खत्म हो जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) अदन को बेची गयी चीनी के जहाज नियमित जाते र , सिर्फ पिछली जनवरी में एक स्टीमर रद्द किये जाने के कारण जहाजों के आवागमन में कुछ खलल पड़ गयी थी । इस विशिष्ट मामले में विलम्ब का कारण खरीददारों को बता दिया गया था जिन्होंने समय बढ़ाना मंजूर कर लिया था । बढ़ाये गये समय के अन्दर सप्लाई भेज दी गयी थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव

भारतीय विमान बल के डकोटा विमान का लापता होना

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री ब्रजराज सिंह ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, जो तराई के घने जंगलों में कुमाऊं पहाड़ियों के निकट भारतीय विमान बल के एक डकोटा विमान के लापता होने के बारे में है। विमान और उस के चालक वगैरह सभी लापता हैं।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : एक डकोटा विमान १ मई, १९६१ को आगरे से ६ बजकर ४५ मिनट पर चला था वह माल गिराने के लिये गया था। उस में चार चालक कर्मचारी थे और पांच अन्य माल गिराने वाले कर्मचारी थे। उस डकोटा विमान के पास १२ बजे तक के लिये ही पेट्रोल था। लेकिन १२ बजे तक वह लौटा नहीं। इसलिये १२ बजे उस के लापता होने की सूचना दी गई। नियमों के अनुसार उस घटना की पूरी जांच की कार्यवाही की गई। चिकित्सा गाड़ी के साथ एक फौजी टुकड़ी घटना-स्थल पर गई ; क्योंकि एक समाचार के अनुसार एक क्षेत्र-विशेष में कोई विमान पाया गया था। लेकिन वह अफवाह निकली। अभी तक किसी दुर्घटना का या उस दुर्घटना ग्रस्त विमान का पता नहीं चल सका है। हेलीकोप्टर के जरिये छान बीन की जा रही है। छान बीन का काम पहली मई को शुरू हुआ था और अभी तक जारी है। इस कार्य में असैनिक अधिकारी और थल सेना भी सहायता कर रही है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : इस के लापता होने का हमारे सीमा विवाद से तो कोई संबंध नहीं है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं ने बताया कि वह भारवाही विमान था और माल गिराने जा रहा था।

वह विमान किस क्षेत्र में माल गिराने भेजा गया था और किस दिशा में भेजा गया था, यह मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी उसे गोपनीय रखना ही लोकहित में है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारतीय, ब्रिटिश और यूरोपीय नौवहन समवायों के बीच मिलजुल कर काम करने की व्यवस्था

†**श्री रघुनाथ सिंह** : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर परिवहन तथा संचार मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"भारतीय, ब्रिटिश और यूरोपीय नौवहन समवायों के बीच एक साथ मिलकर कार्य करने की व्यवस्था।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, 'इंडियन लाइंस' मार्च १९६० से ही ब्रिटेन और यूरोपीय नौवहन समवायों के साथ नौ-व्यापार में अपना हिस्सा निश्चित कराने के लिये बातचीत चला रही थी। 'इंडियन लाइंस' तथा सम्बन्धित दलों के प्रतिनिधियों के बीच उस वार्ता के फलस्वरूप नवम्बर, १९६० में जो करार हुआ, उसकी मोटा-मोटी रूपरेखा इस प्रकार है :—

(१) **भारत / ग्रेट ब्रिटेन व्यापार** : 'इंडियन लाइंस' को आरम्भ में संग्रहीत धन का ३० प्रतिशत भाग मिलेगा। उसमें प्रतिवर्ष १ प्रतिशत की वृद्धि होगी और दस वर्षों में ४० प्रतिशत तक वृद्धि होगी।

(२) **भारत-यूरोप व्यापार** : 'इंडियन लाइंस' को धन-संग्रह में से ४० प्रतिशत भाग मिलेगा। यह व्यवस्था १ जनवरी, १९६१ से लागू हुई है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नौवहन विकास निधि (ऋण) नियम

†**श्री राज बहादुर** : मैं वणिक् नौवहन समवाय, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा की (३) के अन्तर्गत दिनांक ८ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४९४ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि (ऋण) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिय संख्या एल० टी०–२९२४/६१]**

कृष्णा-गोदावरी आयोग की स्थापना के संबंध में विवरण

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : मैं कृष्णा-गोदावरी आयोग की स्थापना के सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० २९२५।६१]**

†**श्री रामी रेड्डी** (कड़पा) : क्या आयोग की स्थापना से पहले सरकार ने इस के निर्देश-पदों के सम्बन्ध में राज्यों से परामर्श किया था?

†**श्री हाथी** : सम्बन्धित राज्यों से परामर्श करने के बाद ही यह कदम उठाया गया था। राज्यों को इसकी एक मोटी रूपरेखा बताई गयी थी। निर्देश-पदों के बारे में उनसे परामर्श नहीं किया गया था।

†**श्री तिरूमल राव** (काकिनाडा) : इस आयोग के सदस्य कौन-कौन हैं? क्या उनकी सहमति ले ली गई है?

†**श्री हाथी** : मैं यह विवरण पढ़ कर सुनाता हूं। कृष्णा और गोदावरी भारत की दो बड़ी नदियां हैं। उनके जल को सिंचाई और विद्युत् के लिये उपयोग करने की बड़ी गुंजाइश है। १९५१ में इनका एक मूल्यांकन किया गया था। उसके बाद से इन नदियों पर कई परियोजनायें शुरू की गई हैं और कई अन्य परियोजनायें योजनाओं में सम्मिलित की गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसलिये अब आवश्यक हो गया है कि वर्तमान स्थिति का पुनरीक्षण कर के पता चलाया जाये कि अब कितनी आवश्यकता और पूरी की जानी है, और की जा सकती है । इसी के लिये भारत सरकार ने एक आयोग स्थापित करने का निर्णय किया है । इस बीच मंजूर शुदा परियोजनाओं का काम योजना के अनुसार चलता रहेगा ।

२. आयोग में रहेंगे :—

(१) श्री एन० डी० गुलाटी, आई० एस० ई० (निवृत्त), सभापति के रूप में ;

(२) श्री डी० डी० जैनी, आई० एस० ई० (निवृत्त) ; और

(३) श्री आर० सी० हून, निदेशक, सी० डब्ल्यू० एण्ड जी० सी०—सदस्यों के रूप में ।

३. आयोग के निर्देश-पद ये होंगे :—

(१) ऊपरी बहाव के जल के उपयोग को ध्यान में रखते हुए और जल को पुनः प्राप्त करने की गुंजाइश छोड़ते हुए, विजयवाड़ा और अन्य स्थानों पर नदी के वार्षिक बहाव के आधार पर, कृष्णा नदी के जल की सुलभता के बारे में प्रतिवेदित करना ;

(२) कृष्णा नदी की परियोजनाओं की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में प्रतिवेदित करना ;

(३) ऊपरी बहाव के जल के उपयोग को ध्यान में रखते हुए और जल को पुनः प्राप्त करने की गुंजाइश छोड़ते हुए, दौलेश्वरम्, और अन्य स्थानों पर नदी के वार्षिक बहाव के आधार पर, गोदावरी नदी के जल की सुलभता के बारे में प्रतिवेदित करना ;

(४) गोदावरी नदी की परियोजनाओं की आवश्यकताओं के सम्बध में प्रतिवेदित करना ; और

(५) गोदावरी के जल की अतिरिक्त मात्रा को कृष्णा नदी तक ले जाने की व्यावहारिकता, और उसकी लागत ।

४. आयोग से कहा गया है कि वह नवम्बर १९६१ तक अपना प्रतिवेदन दे दें ।

इस सारी योजना का आधार है गोदावरी के जल की अतिरिक्त मात्रा को कृष्णा नदी में पहुंचाना, जिससे कि जल की पर्याप्त मात्रा सुलभ रहे ।

†**श्री रामी रेड्डी** : क्या आयोग का प्रतिवेदन आने तक कृष्णा और गोदावरी की कुछ परियोजनाओं की मंजूरी रोक रखी जायेगी ?

†**श्री हाथी** : जिनकी मंजूरी दी जा चुकी है, उनकी प्रगति नहीं रोकी जायेगी । नयी परियोजनाओं की मंजूरी अवश्य रोकी जायेगी, छः महीने बाद जल की कुल सुलभता का मूल्यांकन प्राप्त होने तक ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : क्या इस प्रतिवेदन के मिलने तक पोचमपाद बांध का निर्माण रुका रहेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामी रेड्डी** : श्री सैलम बांध का क्या होगा ?

†**श्री हाथी** : इन दोनों परियोजनाओं पर अभी विचार हो रहा है । उनका निर्माण जल की सुलभता पर निर्भर है। इसी पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : पोचम्पाद परियोजना पर तो सरकार वर्षों से विचार कर रही है ।

†**श्री हाथी** : यह पूरा प्रश्न कृष्णा और गोदावरी के पूरे बेसिन और जल की सुलभता से सम्बंधित हैं ।

कृष्णा और गोदावरी के जल के उपयोग का अनुमान लगाने के बाद ही हमें यह पता चल सकेगा कि कितना जल सुलभ रहेगा ।

†**श्री तिरूमल राव** : क्या इन निर्देशपदों का प्रारूप सम्बधित राज्यों की सहमति से तैयार किया गया था ?

†**श्री हाथी** : कृष्णा और गोदावरी की पूरी योजना पर चर्चा की गई थी कि कितना जल दोनों नदियों में सुलभ हो सकेगा और कितनी लागत पड़ेगी । ये निर्देश-पद उस चर्चा की मुख्य बातों पर ही आधारित किये गये हैं। इनके पाठ पर चर्चा नहीं हुई ।

†**श्री तिरूमल राव** : क्या वे राज्य सरकारें एक मोटे तौर पर इस योजना से सहमत हो गई थीं ?

†**श्री हाथी** : योजना के बारे में एक मौटे तौर पर सहमति थी । मौटे तौर पर सिद्धांतों पर सहमति थी । लेकिन ये निर्देश-पद उनके पास नहीं भेजे गये और न इन पर उनकी सहमति ली गई है ।

†**श्री बासप्पा** (तिपतुर) : क्या मैसूर सरकार के अधीन आने वाली कृष्णा नदी की और अन्य परियोजनाओं को शुरू किया जायेगा और क्या जो निर्माण-कार्य शुरू हो चुके हैं उनकी गति में कोई बाधा नहीं पड़ेगी ?

†**श्री हाथी** : १९५१ में भी जो परियोजनायें चल रही थीं, उनकी आवश्यकताओं पर भी विचार किया जायेगा । आगे चल कर, अन्य परियोजनाओं पर भी विचार किया जायेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : आंध्र प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री ने तो हाल में कहा था कि उनकी सरकार १९६१ के करार में कोई भी रूप भेद करने की बात पर सहमत नहीं हुई है ।

†**श्री हाथी** : इन निर्देश-पदों का यह अर्थ नहीं है कि कोई रूपभेद किया जायेगा । आयोग तो कुल आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिये ही स्थापित किया गया है । वह पता लगायेगा कि राज्यों की आवश्यकतायें क्या हैं ।

†**श्री रंगा** : इतने वर्षों से विचाराधीन पोचम्पाद परियोजना को स्थगित करना उचित नहीं है ।

†**श्री हाथी** : यदि सद्भावना और सहयोग के साथ काम किया जा सके, तो ज्यादा अच्छा रहेगा । छः महीने की तो बात ही है । और उसकी मंजूरी हो भी जाये, तो मानसून के दिनों में तो वैसे भी काम शुरू करना ठीक नहीं रहेगा

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेडा** : (निज़ामाबाद) पहले तो आश्वासन दिया गया था कि १९५१ के करार का पालन होगा । अब कहा जा रहा है कि पोचमपाद परियोजना पर तभी विचार किया जायेगा जब आयोग का प्रतिवेदन मिल जायेगा ।

†**श्री हाथी**: आयोग की नियुक्ति उस करार में कोई रूपभेद करने के लिये नहीं की गई है ।

†**श्री शंकरय्या** (मैसूर) : मैसूर सरकार तो उस करार में सम्मिलित नहीं हुई थी। इसलिये यदि उस परियोजना को चालू रहने दिया जाये तो क्या हानि होगी ?

†**श्री हाथी** : यह सही नहीं है कि उस करार में मैसूर सरकार शामिल नहीं थी। यह तो वह भी नहीं कहती । वह तो इतना ही कह रही है कि वह इस करार की पुष्टि नहीं करती ।

†**श्री मं० रं० कृष्णा** (करीमगंज–रक्षित–अनुसूचित जातियां) क्या आयोग की उपपत्तियां राज्य सरकारों के लिये माननी अनिवार्य होंगी ?

†**श्री हाथी** : आयोग कोई पंचाट तो नहीं देगा। सभी सम्बन्धित राज्यों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिये ही यह आयोग नियुक्त किया जा रहा है ।

आयोग सभी परियोजनाओं––१९५१ के करार की और नयी परियोजनाओं की भी, आवश्यकताओं का पता लगायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब इस पर और अधिक प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के संबंध में की गई कार्यवाही के बारे में विवरण

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा वर्ष १९५८–५९ के अपने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही बताने वाले विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०––२९३०/६१]**

विमान निगम अधिनियम के अधीन पत्र

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : मैं सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) वायु निगम अधिनियम, १९५३ की धारा १५ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(क) वर्ष १९५८–५९ के लिए एयर-इण्डिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के वार्षिक लेखे और उस पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

(ख) वर्ष १९५७–५८ के लिए इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन के वार्षिक लेखे और उस पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुहीउद्दीन]

(२) वायु निगम नियम, १९५४ के नियम ३ के उपनियम (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) वर्ष १९६१–६२ के लिए इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के राजस्व और-व्यय के आय-व्यय प्राक्कलनों का सारांश ।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की पूंजी के अन्तर्गत वर्ष १९५९–६० के वास्तविक आंकड़ों, वर्ष १९६०–६१ के आय-व्ययक प्राक्कलन और पुनरीक्षित प्राक्कलन और वर्ष १९६१–६२ के आय-व्ययक प्राक्कलनों का सारांश ।

(ग) वर्ष १९६१–६२ के लिये एयर-इंडिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन के आय-राजस्व और व्यय के आय-व्ययक प्राक्कलनों का सारांश ।

(घ) एयर-इण्डिया इन्टरनेशनल की पूंजी के अन्तर्गत , वर्ष १९५९–६० के वास्तविक आंकड़ों तथा वर्ष १९६०–६१ के आयव्ययक प्राक्कलनों और पुनरीक्षित प्राक्कलनों तथा वर्ष १९६१–६२ के आय-व्ययक प्राक्कलनों का सारांश । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखये संख्या एल० टी०—क्रमशः २९२६/६१, २९२७/६१, २९२८/६१, और २९२९/६१]

अनुपस्थिति की अनुमति

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने चौबीसवें प्रतिवेदन में इन सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति, प्रतिवेदन में उन के नाम के आगे उल्लिखित काल के लिये, देने की सिफारिश की है:—

लाला अचित राम
श्री पोकर साहेब
श्री फतह सिंह घोडासर
श्री स्वामी
श्री ई० मधूसूदन राव
श्री जीनचन्द्रन्
श्री चं० शरण सिंह
श्री लै० अचौ सिंह
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी
श्री न० म० देव
श्री दुराय स्वामी गौंडर
कुंवरानी विजयराजे
श्री स० र० अरुमुगम्

म समझता हूं कि सभा इस से सहमत है ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा ।

सदस्य की गिरफ्तारी

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कोझे-कोडे नगर के एक पुलिस इन्स्पैक्टर से २ मई, १९६१ के दो तार प्राप्त हुए हैं ; जिन में बताया गया है कि श्री कुट्टिकृष्णन् नायर, सदस्य, लोक-सभा को केरल पुलिस अधिनियम की धारा ३८(२) के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था और एक दिन तक कोझे-कोडे की विशेष सब-जेल में रखा गया था ।

कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सभा सरदार स्वर्ण सिंह द्वारा २ मई, १९६१ को प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी कि कोयला खनन (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ को संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

श्री ब्रज राज सिंह भाषण जारी रखें ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, कल म कह रहा था कि जो यह नई एक्साइज ड्यूटी माननीय मंत्री महोदय लगाने वाले हैं उनका प्रस्ताव है कि उस से ७ करोड़ रुपया एकत्र करें । इस सात करोड़ रुपए में से वह तीन करोड़ सेंट्रल रोपवेज़ स्कीम पर लगाना चाहते हैं । जैसा कि कल मंत्री महोदय ने कहा, इस स्कीम पर कुल १५ करोड़ रुपया खर्च होने को है । मेरी समझ में यह नहीं आया कि यह १५ करोड़ रुपया सरकार प्राइवेट माइन ओनर्स की प्रार्थना पर लगाने जा रही है या अपने आप ही उनको यह सुविधा देने के लिए यह रुपया लगा रही है । जहां तक प्राइवेट माइन ओनर्स (निजी खान मालिक) की प्रार्थना का सवाल है, मैं समझता हूं कि उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि उन्होंने इस तरह की कोई स्कीम सरकार बना कर दे और जो स्टोइंग के लिए रेत आता है उस में सौफीसदी सहायता दे । उन्होंने जो कुछ कहा है वह तो यह है कि उनको वैगन्स नहीं मिलते इसलिए वैगन्स की व्यवस्था की जाए, लेकिन हम यह देखते हैं कि मंत्री महोदय इस कानून के द्वारा उनको सौ फीसदी सहायता करने जा रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सहायता प्राइवेट सेक्टर की जो खदानें हैं उन को कुछ विशेष सुविधाऐं देने के लिए की जा रही है या इस से कोयले के उत्पादन पर भी कोई प्रभाव पड़ने वाला है ।

इस सात करोड़ रुपए में से चार करोड़ रुपए कोयले को पानी के जहाजों द्वारा ले जाने पर खर्च होगा । यह रुपया सहायता के रूप में दिया जाएगा । मैंने कल भी इस के बारे में कहा था और आज फिर दोहराना चाहता हूं कि जब तक हम कोयला ढोने की एक निश्चित नीति निर्धारित नहीं करेंगे कि जिस के मुताबिक सड़क, रेल और पानी के जहाज से कोयला ढोया जाए, और उस को हर साधन से ढोने के जब तक अलग अलग लक्ष्य स्थिर नहीं किए जाएंगे, तब तक मैं समझता हूं कि कोयले को ढोने का संकट देश के सामने बार बार आता रहेगा । इसलिए मैं चाहूंगा कि इस वक्त, जब कि इस बिल पर विचार हो रहा है, सरकार की तरफ से इस तरह की किसी योजना की घोषणा की जाए, जिस के मुताबिक तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोयला ढोने का संकट बचाया जा सके । विशेष तौर से मैं यह जाना चाहता हूं कि सड़क

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

परिवहन द्वारा कोयला ढोने के बारे में सरकार की तरफ से क्या नीति अपनायी जाने वाली है । क्या इस बारे में कोई जांच पड़ताल चल रही है और अगर चल रही है तो सरकार ने सड़क द्वारा कोयला ढोने के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी रकम निर्धारित की है ।

एक प्रश्न उठाया गया बार बार इस सदन में और अभी भी उस के बारे में चर्चा हुई । माननीय मंत्री महोदय ने इस बिल को पेश करते हुए अपने भाषण में कहा कि अभी सारे देश के लिए कोयले की एक सी दर लागू करने के सम्बन्ध में वह निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, यानी वह सम्भव नहीं है । मैं जानता हूं मंत्री महोदय की कठिनाई को । ऐसा करने से उस औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन पर असर पड़ सकता है जो कि कोयला खदानों के आस पास हैं जैसे कि बंगाल और बिहार का क्षेत्र और हमारे स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा और बिहार में लगने को हैं और लगे हुए हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रश्न पर केवल इसी क्षेत्र की दृष्टि से विचार किया जा रहा है या सारे देश की दृष्टि से विचार किया जा रहा है खास कर जब कि स्टील के सम्बन्ध में सरकार ने दूसरी नीति अपनाई हुई है । मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार स्टील का औद्योगिक उत्पादन की क्षमता पर असर पड़ता है उसी तरह से कोयले का भी पड़ता है । मैं जानना चाहूंगा कि जब स्टील के बारे में सरकार ने एक नीति निर्धारित की है तो कोयले के बारे में भी वह नीति क्यों नहीं निर्धारित की जाती । मेरा निवेदन है कि सारे देश के लिए कोयले का एक सा मूल्य स्थिर करने के प्रश्न पर सरकार विचार करे । जिस से कि जो क्षेत्र कोयला क्षेत्र से दूर पड़ते हैं उन को किसी तरह का डिसएडवांटेज न रहे उन क्षेत्रों के मुकाबले में जो कि कोयला क्षेत्र के पास पड़ते हैं । अगर ऐसा नहीं किया गया और सारे देश के लिये कोयले की एक सी दर स्थिर नहीं की गयी तो जो उत्पादन क्षेत्र कोयला क्षेत्र से दूर स्थित हैं उनका उत्पादन उन क्षेत्रों से जो कि कोयला क्षेत्र के आस पास हैं अधिक खर्चीला पड़ेगा और उन को नुक्सान होगा । इस लिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस प्रश्न पर विचार करे कि अगर सारे देश के लिये एक ही सी कोयले की कीमत निर्धारित करने दी जाती है है तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा के औद्योगिक क्षेत्र को कितनी हानि होगी और बाकी के क्षेत्र को कितना लाभ होगा , और इन दोनों की लाभ ह नि का मुकाबला कर के देखेंकि कुल मिला कर देश को ऐसा करने से लाभ होगा या हानि । मैं चाहूंगा कि इस पर भी मंत्री महोदय अपने विचार प्रकट करें ।

इस बिल में रेलवेज के संबंध में जो व्यवस्था की गई है वह स्वागत करने लायक है और मैं उसका स्वागत करता हूं । लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि ऐक्साइज के द्वारा इस तरीके से एक बहुत विस्तृत शक्ति सरकार को अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिये । इसके मुताबिक जब भी वह चाहे नोटिफिकेशन के द्वारा कोयले पर जितनी चाहे ऐक्साइज बढ़ा दे और इस तरह कोयले की कीमत बढ़ाने की तरफ एक कदम उठाये । यह ध्यान देने योग्य बात है कि सितम्बर सन् १९५८ में अर्थात आज से तीन साल से भी कम समय हुआ जब कोयले पर ३८ नये पैसे के हिसाब से ऐक्साइज ली जा रही थी और अब ८८ या ९४ नये पैसे ले रहे हैं और इस बिल के कानून बन जाने के बाद १२० नये पैसे या १ रुपया और ५० नये पैसे लेंगे । इस ढाई साल के अर्से में कोयले पर चौगुनी ऐक्साइज बढ़ा देना यह एक विचारणीय बात है और इस बढ़ोतरी का औद्योगिक उपादन पर और रेलों क परिचालन पर क्या असर पड़ेगा ? इस संदर्भ में यह बात ध्यान रखने की है कि रेलवेज़ को जितना कोयले ढोने का खर्चा दिया जाता है वह रेलवे के परिचालन व्यय से कम होता है । एक तरफ तो

हम पानी के जहाजों के वास्ते जोकि प्राइवेट उद्योगपतियों के हाथ में हैं, उस इंडस्ट्री को कायम रखने के लिये ऐक्साइज ड्यूटी बढ़ा कर यह विशेष सहायता दें और दूसरी तरफ रेलवेज जोकि हमारा राष्ट्रीय उद्योग बढ़ रहा है उसका परिचालन व्यय बढ़ा दें। मैं समझता हूं कि यह उचित बात नहीं है। सरकार को इस सारे मसले पर पूरी तरह से विचार करने की जरूरत है।

आज कोयला ढोने में रेलवेज का परिचालन व्यय जितना होता है उतना किराया नहीं मिलता है। हमें देखना है कि उसको बढ़ा करके हम उसको सहायता दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। मैं मोटे अन्दाजे से यह कह सकता हूं कि ७ करोड़ रुपया जो अभी ऐक्साइज से आना है उसमें से अकेले रेलवेज को ही १ करोड़ २० लाख रुपया देना पड़ेगा। यह हमारा राष्ट्रीय उद्योग है और जब उसको १ करोड़ और २० लाख रुपया देना पड़ेगा तो उसका नतीजा यह होगा कि रेलवे विभाग कहेगा कि अब हमें किराया बढ़ाने की जरूरत है। परेशानियां पैदा होंगीं। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि इस मसले पर गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिये, सब पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये, तब ऐक्साईज ड्यूटी बढ़ाने की बात होनी चाहिये। ऐक्साईज ड्यूटी बढ़ा कर हम औद्योगिक उत्पादन में व्यय बढ़ाने में सहायता देते हैं और इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। इसलिये इन तमाम प्रश्नों पर, कानून बनाने से पहले, सरकार को बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार कर लेना चाहिये और यह सोचना चाहिये कि कहीं इनका यह तो असर नहीं पड़ेगा कि मुल्क के औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और मुद्रास्फीति बढ़ जाये। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इन सारे प्रश्नों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और अगर इस बिल को कानून की शयल दे दी जाती है तो उसके बाद भी नोटिफिकेशन के द्वारा कम से कम ही ऐक्साईज ड्यूटी बढ़ायें। उसको इस शक्ल में न बढ़ायें जिससे केवल प्राइवेट उद्योगपतियों को ही सहायता देने का हमारा काम हो जाय।

मुझे लगता है कि ७ करोड़ रुपया जो हम ऐक्साईज डयूटी बढ़ाने जा रहे हैं वह प्राइवेट खदानों के मालिकों को सहायता देने जा रहे हैं या जो प्राइवेट पानी के जहाज हैं उनको हम सहायता देने जा रहे हैं। राष्ट्रीय उद्योगों से हम ऐक्साईज ले करके इन लोगों को पैसा दें यह मुझे मुनासिब नहीं लगता है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस के बारे में स्पष्ट रूप से अपनी नीति की घोषणा करे।

अन्त में मैं अपनी उसी बात को फिर दुहराऊंगा कि जहां तक कोयले के ढोने की नीति का प्रश्न है उस पर बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। खास तौर से तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोयले के ढोने का जो लक्ष्य रक्खा है उसको ढोने के लिये अगर हम अभी से एक सुनिश्चित योजना नहीं बनाते हैं तो उसका नतीजा यह होगा कि बारबार मुल्क में कोयला ढोने के संकट होंगे। कोयले की खदानों के पास कोयला पड़ा होगा और उसमें आग लगने की संभावना होगी और दूसरी जगह मुल्क में औद्योगिक उत्पादन इसलिये मन्द पड़ेगा और बन्द हो जायगा क्योंकि कोयला वहां हम समय पर पहुंचा नहीं पायेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि कोयले के ढुलाई के रेल, रोड और सी, सब के अलग अलग लक्ष्य निर्धारित हों जिससे हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो कोयले का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं उसमें कभी कोई संकट और बाधा पैदा न हो।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : हम द्वितीय योजना के लिये निर्धारित कोयले के उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। कोयले के परिवहन के संबंध में भी कठिनाई रही है। इसलिये इस विधेयक की आवश्यकता थी।

कोयला खानों के क्षेत्रों में रेलवे को संरक्षण देने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब उत्पादन शुल्क १ रुपये से बढ़ाकर ४ रुपये किया जा रहा है। इसका क्या प्रयोजन है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० मेलकोट]

वर्तमान कोयला खानों के मालिक नयी खानों का पता लगाने में असमर्थ रहे हैं। अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से जो धन प्राप्त हो, उससे खान मालिकों और उनके अभिकर्त्ताओं की सहायता न की जाये। उस धन को समूचे राष्ट्र के हित में लगाया जाना चाहिये।

कोयले के परिवहन का गतिरोध मिटाया जाना चाहिये।

चूंकि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क मालिकों पर नहीं बल्कि उपभोक्ताओं पर लगाया जा रहा है, इसलिये सारे देश में कोयले के मूल्यों में एकरूपता होनी चाहिये। दूरस्थ और कम विकसित क्षेत्रोंको कोयला महंगा नहीं पड़ना चाहिये, क्योंकि इससे उनके औद्योगीकरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

समुद्री तटों पर कोयले की लदान हमारे अपने पोतों को ही करनी चाहिये। इससे हमारे देशवासियों को अधिक रोजगार मिलेगा और औद्योगीकरण में सहायता मिल सकेगी। इन तीनों पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, कोयले पर उत्पादन-कर एक रुपया फी टन बढ़ा कर चार रुपया फी टन करने का अधिकार सरकार ने इस विधेयक में मांगा है और मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि इस मंत्रालय के पास उत्पादन कर लगाने की जितनी शक्ति अभी तक थी उसका भी पूरे तौर पर इस मंत्रालय ने इस्तेमाल नहीं किया है। अभी तक ८८ नये पैसे या ९४ नये पैसे ही उत्पादन कर लगा हुआ था। उसके पास यह अधिकार था कि वह एक तरह से १२ नये पैसे और ६ नये पैसे तक इस कर को बढ़ा सकता है। लेकिन खुशी की बात है कि मंत्रालय ने यह समझा कि देश के रिप्रिजेंटेटिव्ज़ के पास गये बिना उसको इस अख्तियार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये। अभी मेरे माननीय सदस्य श्री ब्रजराज सिंह जी ने सन्देह प्रकट किया है कि यह कर इसलिये लगाया जा रहा है या इसलिये बढ़ाया जा रहा है कि किसी जहाजी कम्पनी को फायदा पहुंचाना है या जो कोयले के उत्पादक हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनको फायदा पहुंचाना है। मैं समझता हूं कि जो इस तरह की बातें कहते हैं वे सरासर गलती पर हैं। यह शक्ति इसलिये ली जा रही है कि इस देश में कोयला अधिक पैदा करने की आवश्यकता है और कोयले का उत्पादन जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक इस देश की तरक्की पूरे तौर पर नहीं हो सकती। इस वास्ते आवश्यकता इस बात की है कि कोयले के उत्पादन को बढ़ाया जाये।

आये दिन कोयले की खानों के अन्दर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। उनको भी जहां तक मुमकिन हो सके, रोका जाये, यह भी एक इस विधेयक का उद्देश्य है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि कोयले का उत्पादन तो काफी हो जाता है लेकिन कोयले को ढोने की रेलों में शक्ति नहीं होती है और वह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। एक तरह से बाटलनैक्स पैदा हो जाते हैं। काम रूक जाता है, इस लास्ते यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कोयले की ढुलाई का कोई और भी साथ साथ प्रबन्ध किया जाये। कोयले को साधनों से अन्य ढोने का और इस काम को सुचारू रूप से चलाने का अख्तियार भी इस विधेयक में मांगा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि इस मंत्रालय ने जहां तक कोयले के उत्पादन का संबंध है, तीसरे प्लान के अन्दर ९ करोड़ ७० लाख टन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। यह जो उत्पादन बढ़ेगा यह केवल प्राइवेट पूंजीपतियों द्वारा ही नहीं बढ़ाया जायेगा बल्कि पब्लिक सैक्टर द्वारा भी बढ़ाया जायेगा। २०० लाख टन यानी दो करोड़ टन पब्लिक सैक्टर पैदा करेगा। अब ऐसी हालत

में अगर कोई यह कहता है कि प्राइवेट पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि वह सही बात नहीं कहता है, गलत बात कहता है। इस मैदान में, इस फील्ड में पब्लिक सैक्टर ने हाथ बढ़ाया है और पब्लिक सैक्टर सुचारू रूप से आगे बढ़ सके और देश की उन्नति में सहायक हो सके, इस उद्देश्य से यह उत्पादन कर बढ़ाने की शक्ति मांगी जा रही है। उत्पादन कर बढ़ाने से जो लाभ होगा उसका २५ प्रतिशत या उससे कुछ कम पब्लिक सैक्टर को पहुंचेगा। मैं श्री ब्रजराज सिंह जी की ताईद करता हूं जब उन्होंने यह कहा कि जहां आज हम यह देखते हैं कि जो अनाज है वह रेल हैड पर, हर रेलवे स्टेशन पर सरकार एक ही भाव पर पहुंचाती है, उसी तरह से उसे कोयला भी पहुंचाना चाहिये। अनाज हर एक के खाने की चीज है चाहे कोई पंजाबी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे मद्रासी हो या बम्बई वाला है, हर कोई अनाज खाता है और यह जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं में से सब से आवश्यक वस्तु है। इसी तरह से कोयला भी मैं यह तो नहीं कहूंगा कि अनाज जितना ही जरूरी है लेकिन बहुत जरूरी चीज है और इसकी ओर भी आपका समुचित ध्यान जाना चाहिये। हो सकता है कि मंत्रालय के रास्ते में बहुत सी रुकावटें हों, बहुत सी मुश्किलात हों, उस नीति के निर्धारण में या उसको चलाने में लेकिन मैं चाहता हूं कि यह मंत्रालय इसके बारे में थोड़ा सोचे क्योंकि इस देश के सभी भागों का आर्थिक विकास तभी हो सकता है जबकि देश की तरक्की के लिये, सब चीजों का और खास तौर पर कोयले के वितरण न्यायोचित ढंग से हो। यह ठीक है कि भगवान ने बिहार, उड़ीसा इत्यादि में कोयले की खानें रखी हैं और इससे उन इलाकों को फायदा पहुंचता है। एक फायदा तो कोयला निकालने से ही पहुंचता है और दूसरा फायदा कुछ कारखानों की इस वजह से स्थापना हो जाने की शक्ल में भी पहुंचता है। लेकिन उस फायदे को हमें इस हद तक नहीं खींचना चाहिये कि दूसरे इलाकों को गिला होने लग जाये। आप जानते हैं कि रिजनल बेसिस पर विकास की हर इलाका मांग करता है और खास तौर पर प्रजातांत्रिक ढांचा जहां होगा वहां पर तो यह कुदरती बात है कि हर इलाके के लोग यह चाहेंगे कि उनका इलाका भी आर्थिक तौर पर तरक्की करे और उसके लिये यह जरूरी है कि वहां जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, उनको आप पहुंचायें।

कल माननीय मंत्री जी ने बताया कि ८८ और ९४ नये पैसे की दर जो उत्पादन कर की है, उसको ज्यादा से ज्यादा वह १२० या १५० नये पैसे तक ले जाना चाहते हैं। मेरी राय है कि अगर इसको और भी कुछ बढ़ाने की आवश्यकता हो और मंत्रालय इस बात का इंतिजाम कर सके कि पंजाब के अन्दर तथा दूसरे प्रांतों के अन्दर भी जिस भाव पर कोयला बंगाल, बिहार इत्यादि में दिया जाता है, उसी भाव पर दिया जाये, तो यह एक स्वागत योग्य बात होगी। इस उद्देश्य से अगर इस कर को बढ़ाया जाता है तो कैसे कहा जा सकता है कि यह उद्योगपतियों के हक की बात है या किसी जहाजरानी कम्पनी के हक की बात है। उस सूरत में यह देश के लाभ की बात होगी।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक कोयले को रोड से ढोने का वास्ता है, अगर वह भी बिहार, उड़ीसा इत्यादि के आसपास के इलाकों में और हो सके तो उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में ट्रकों से ढो कर पहुंचाया जा सके, तो यह अच्छी बात होगी। वहां जितना कोयला जाना है वह सब ट्रकों से भजा जाये तो इसका मतलब यह होगा कि रेलों के ऊपर जो आज दबाव है, वह कम किया जा सकेगा। रेलवे के पास आज इतने वैगन नहीं हैं कि कोयले को सारे देश में ठीक तरह से और समय पर वह पहुंचा सके। मैं चाहता हूं कि जहां थोड़ा बहुत रुपया जहाजरानी कम्पनियों पर दर को ठीक स्तर पर लाने के लिये, रेल के दर के बराबर लाने के लिये खर्च किया जाये वहां ट्रक्स के ऊपर जो थोड़ा बहुत खर्चा अगर फालतू होता है, तो उसको भी सब-सिडाइज करने पर इस्तेमाल किया जाये।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर): ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधेयक के तीन उद्देश्य हैं। पहला तो झरिया तथा रानीगंज कोयला खदानों में गैर सरकारी खदान मालिकों को रेल का संभरण करना, दूसरे तटीय नौवहन को सहायता देना तथा तीसरे अनिवार्य सुरक्षात्मक उपबन्ध अपनाने के लिये खान मालिकों को सहायता देना।

मेरा निवेदन है कि यह विधेयक पारित हो गया तो कोयले का मूल्य बढ़ जायेगा। और इसका प्रभाव इस्पात तथा रेलों पर पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में खान मालिकों को मूल्य के संबंध में कई बार छूट दी गई हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि जब उनको इतनी छूट दी गई है तो कोयले के उत्पादन तथा खान मालिकों द्वारा सुरक्षा और संभरण के लिए क्या किया गया है।

दूसरे समुद्र द्वारा कोयले के यातायात के लिये सहायता दी जायेगी। यह बात तो ठीक है कि आज कल कोयले को देश के एक भाग से दूसरे भाग तक लाने और ले जाने के लिये वैगन नहीं मिलते लेकिन मेरा निवेदन तो यह है कि समुद्र द्वारा कोयले के यातायात के लिये सहायता देने का अभिप्राय तो यह होगा कि एक बार फिर गैर-सरकारी क्षेत्र को सहायता देना। सरकार द्वारा रेल का संभरण करना तथा थाक लगाने के लिये सरकार जो सहायता दे रही है क्या उसका सदुपयोग किया जा रहा है। पिछले वर्षों में थाक लगाने के लिये जो सहायता दी जाती रही है केवल १/१० खानों ने ही वास्तव में थाक लगाने का काम शुरू किया है। हम यह भी जानना चाहते हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि यह कार्य उचित ढंग से किया जायेगा ताकि जो दुर्घटनायें आजकल हो रही हैं उनकी पुनरावृत्ति न हो। और एक दिन वह आये जब कि ये बिल्कुल ही बंद हो जायें। १९६० में बहुत सी गम्भीर दुर्घटनाये हुई थीं। इनकी संख्या लगभग ३,००० हैं। हम यह चाहते हैं कि माननीय मंत्री यह बताये कि इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या किया गया है। और इन दुर्घटनाओं में से कितनी दुर्घटनाएं थाक न लगाने के कारण हैं।

झरिया तथा रानीगंज का इलाका असुरक्षित होता जा रहा है। पृथ्वी के भीतर वहां आग लगती रहती है। सरकार तथा कोयला बोर्ड ने इन को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है। इस आग के कारण सारे गांव में आतंक छा जाता है।

अंत में मैं निवेदन करूंगी कि सरकार यह देखे कि ये खदान मालिक खान कर्मचारियों के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें।

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: माननीय सदस्यों ने जो भाषण यहां दिये हैं उन से तो यह प्रकट होता है कि इस विधेयक के सिद्धान्त तो उन सभी को मान्य हैं।

ये दो बातें उठाई गई हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र की सहायता करने के लिये उत्पादन शुल्क बढ़ाया जा रहा है। दूसरे गैर सरकारी नौवहन समवायों को सहायता देने का विचार है। मैं बता देना चाहता हूं कि ये दोनों बातें ही गलत हैं।

तटीय नौवहन समवायों को सहायता देने का कोई प्रश्न नहीं है। बढ़ते हुए यातायात को देख कर ही वास्तव में यह सोचा गया था कि नौवहन समवाय इस भार को कुछ कम करें। परिवहन मंत्रालय तटीय नौवहन समवायों से यह बात चीत कर रहा है कि वे वर्तमान प्रशुल्क दरों को कम करें। इसलिये इन को और सहायता देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह ठीक है कि समुद्र द्वारा यातायात महंगा पड़ता है । यदि तटीय नौवहन समवायों ने वर्तमान प्रशुल्क की दरों में कमी भी कर दी तो भी रेल द्वारा माल ले जाने की अपेक्षा तटीय नौवहन से माल ले जाना महंगा पड़ेगा । क्योंकि एक निश्चित दूरी के बाद रेलवे कोयला के लिये एक ही दाम लेती है । इस प्रकार रेलवे कोयले को अधिक दूर ले जाने में खर्च तो अधिक कर रही है लेकिन उपभोक्ता से ले कम रही है । अतः रेलों द्वारा अधिक दूर तक माल ले जाने के मामले में सहायता तो वैसे ही मिल जाती है । इस प्रकार उत्पादन केन्द्र से अधिक दूर रहने वाले उपभोक्ता को यातायात को पूरा भार उठाना नहीं पड़ता । ऐसी छूट की आशा हम समुद्री समवायों से नहीं कर सकते ।

उपरोक्त विश्लेषण को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि नौवहन समवाय को किसी प्रकार की सहायता दी जा रही है । वैसे हम यह सिद्धान्त बना रहे हैं कि आवश्यकता पड़ने पर यदि समुद्र द्वारा कोयला मंगाया जाता है तो उपभोक्ता को उस मूल्य से अधिक न देना पड़े तो वह सामान्य रूप से रेल द्वारा मंगाने पर देता । अतः यदि थोड़ी सी यह वृद्धि की भी गई है तो उपभोक्ता को इस दृष्टि से हमें अधिक महत्व नहीं देना चाहिये ।

उन राज्यों के सदस्यों ने जो कोयला उत्पादन क्षेत्र से दूर हैं यह मांग की है कि कोयला सभी जगह समान मूल्य पर ही उपलब्ध कराया जाये । लेकिन निकट वर्ती राज्यों के सदस्यों ने इस मांग का विरोध किया है । कोयले का मूल्य तो समान नहीं हो सकता लेकिन इतना अवश्य है कि उस के ऊपर आने वाले और खर्च को कम करने का प्रयत्न अवश्य किया जा रहा है । अतः मेरा निवेदन है कि उन की यह मांग न्यायसंगत नहीं है ।

कोयले के परिवहन के बारे में भी कुछ बातें अब मैं बताना चाहता हूं । इस विषय पर कोयला बोर्ड और सरकार ने बराबर ध्यान दिया है । परन्तु सड़क द्वारा कोयले का परिवहन करने के बारे में कुछ सीमाएं हैं । सड़कों की हालत, पुलों की दशा, और ट्रकों की कमी इन सारी बातों से माननीय सदस्य परिचित हैं । तब भी सड़कों के मार्ग से काफी कोयला ढोया जाता है । इस के अलावा सड़क के द्वारा कोयला ले जाने से काफी खर्चा आएगा और वह खर्चा न केवल उपभोक्ताओं पर वरन् अन्य सभी लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा । इस समय बिहार उड़ीसा आदि में मुख्य रूप से कोयले का परिवहन सड़क द्वारा होता है । पहले इस कारण कुछ रुकावटें थीं कि उत्पादन शुल्क का अपवंचन न हो सके । किन्तु अब हम इस दिशा में प्रक्रिया को सरल बना रहे है । इस से सड़क द्वारा कोयले का परिवहन करने के कार्य में जो रुकावटें हैं वे दूर हो जायंगी ।

दूसरा मार्ग नदियों द्वारा परिवहन का है । कई देशों में लोहे और कोयले की काफी बड़ी मात्रा नदियों में नावों से ढोयी जाती है । परन्तु हम ने नदियों द्वारा परिवहन करने का विकास नहीं किया । हमारी नहरें इस किस्म से बनी हैं कि उन में कुछ सीमाओं के अन्दर रह कर ही परिवहन किया जा सकता है । हम अब इस पर ध्यान देंगे और यह दीर्घकालीन समस्या है ।

हमारे सामने उन स्थानों में कोयले के अभाव की समस्या उपस्थित है जो कोयला केन्द्रों से काफी दूरी पर हैं । वहां की कमी पूरी करने के लिए शीघ्र ही निर्णय करने की आवश्यकता है । समुद्र द्वारा परिवहन करने से हमारा तटवर्ती नौवहन दृढ़ होगा । इस उत्पादन शुल्क की वृद्धि से कोयले के परिवहन के भाड़े भी ठीक हो जायेंगे और उपभोक्ताओं पर इस चीज का असर भी न पड़ेगा ।

[सरदार स्वर्ण सिंह]

इस से केन्द्रीय रज्जुपथ योजना के लिए धन की व्यवस्था करने का भी विचार है । इस के अलावा सब लोग इस बात पर भी सहमत हैं कि मिट्टी भरने का काम भी होता रहना चाहिए। दुर्घटनाओं को रोकने और अन्य परिक्षण संबंधी कारणों से मिट्टी भरने का काम अत्यावश्यक प्रतीत होता है । उस के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है। इस के अलावा जिस क्षेत्र में नियंत्रित मूल्यों का प्रभाव हो उस में सभी को वास्तविकता और व्यावहारिकता से काम लेना चाहिये । इस के अलावा सभी खानों में काम के लिए एक से हालात नहीं हुआ करते। कुछ खानें ओपन कास्ट होती हैं और कुछ गैमी और कुछ गहरी आदि। अब यदि हम इस क्षेत्र में कुछ नियंत्रित मूल्य निर्धारित करना चाहें तो या तो हमें उन खानों का ध्यान रखना होगा जहां से कोयला बड़ी कठिनाई से निकाला जाता है। यदि हम इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ खानों से लोग कोयला निकालना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि उन में से कोयला निकालना बड़ा ही कठिन काम होगा । इन सब बातों को देखते हुए स्टोइंग संबंधी राजसहायता हमें बड़ी ठीक प्रतीत होती है । कोयला का मूल्य बढ़ाने की अपेक्षा यही ज्यादा अच्छा है कि इस में और लोग भी भागीदार बनें। यह चीज भी एक समान मूल्यों के निर्धारण की बात के बराबर ही है ।

यदि हम इस चीज को मान लें तो हम समझ जायेंगे कि केन्द्रीय रज्जुपथ योजना भी श्रेयस्कर है। इस से रेत दूर तक पहुंचाई जा सकेगी। इस लिए स्टोइंग का औचित्य ठोस प्रकार से सिद्ध हो जाता है । किसी भी दृष्टि से देखने से यही योजनायें न्यायोचित प्रतीत होती हैं।

श्री त० ब० विट्ठलराव ने कहा कि रज्जुपथ योजना पर काफी रुपया बर्बाद हो जायगा और फिर समुद्री भाड़े में राज सहायता देने के लिए रुपया नहीं बचेगा। हम इन सब बातों पर विचार कर चुके हैं और ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देंगे। उसी कारण ३ करोड़ रुपये की रकम दिखाई गयी है।

जिन सदस्यों ने रेलवे सम्पति के संरक्षण के संशोधन का समर्थन किया है मैं उन सब का अत्याधिक आभारी हूं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या सरकार कोयला खनन क्षेत्रों से २००मील तक सड़क परिवहन आदि की बात के लिए व्यवस्था नहीं कर सकती ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : ऐसे निषेध चलेंगे नही। सभी इस्पात कारखाने २०० मील से अधिक दूरी पर हैं। और वह [illegible] के काम को व्यवस्थित आधार पर नहीं चलाया जा सकता। कुछ उद्योगों के लिए सड़क द्वारा येले के परिवहन की बात समझ में आती है पर एक सामान्य निषेध उचित प्रतीत नहीं होता।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : क्या चार रुपया प्रतिटन का शुल्क अभी लगाया जायेगा या बाद में? दूसरे डिब्बों की कमी को दूर कैसे किया जायगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस शुल्क के दो उद्देश्य हैं। एक तो रज्जुपथ योजना के व्यय की पूर्ति के लिए और दूसरे किराये के मामले में राजसहायता देने के सिलसिले में । रेलवे धड़ाधड़ डिब्बों का निर्यात करती जा रही है । किन्तु इधर मुगलसराय के आगे कुछ रुकावटें आती हैं। इस

†मूल अंग्रेजी में

कारण केवल डिब्बों की संख्या बढ़ाने से ही सारी समस्या हल न होगी। पटरियां आदि भी बनानी होंगी। आशा है कि जुलाई में प्रतिदिन २०० डिब्बे उपलब्ध होने लगेंगे।

†**श्री त्यागी** : क्या इन योजानाओं की पूर्ति के बाद शुल्क घटा दिया जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इसी लिये जो अधिकार लिये जा रहे हैं वे काफी नम्रशील हैं। इसी प्रश्न के उत्तर से श्री ब्रजराज सिंह की बात का भी उत्तर मिल जाता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह नहीं है कि रुपया कमाया जाय।

†**श्री त्यागी** : हमारा अनुभव यह है कि जब कोई कर एक बार लगाया जाता है तो पुनः कभी वापस नहीं लिया जाता। मेरा निवेदन है कि क्या माननीय मंत्री इसे कम करेंगे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इसे कम करने के लिये हम प्रयत्न करेंगे।

†**डा० म० श्री अणे** (नागपुर): १२ वर्ष से अधिक हुए तब मैं रेलवे सम्बन्धी स्थायी समिति का सदस्य था। मैं ने पढ़ा है कि यूरोपीय देशों में जल-परिवहन, रेल-परिवहन की अपेक्षा सस्ता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जल परिवहन के विकास की कोई संभावना नहीं है। जिस से कि यह रेल परिवहन की अपेक्षा सस्ता हो सके।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं इस बात से सहमत हूं परन्तु ऐतिहासिक तथ्य को बदला तो जा नहीं सकता। हमें उत्तराधिकार में जो परिवहन प्रणाली मिली है वह मुख्य रूप से रेलवे पर आधारित है। पहले ये रेलवे निजी कम्पनियों के हाथ में थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रिटिश शासकों ने रेलों को प्रोत्साहन दिया और अन्य परिवहनों को दबाया।

†**डा० मेलकोटे** : जल सुविधा की व्यवस्था के लिये भूमि पर सुधार शुल्क लगाया जा रहा है है। रज्जुपथ बनाये जा रहे हैं। थाक लगाने के लिये रेल लिया जा रहा है लेकिन खान मालिक इसका लाभ उठा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि यह राशि खान मालिकों से ही क्यों न वसूल की जाये।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस सम्बन्ध में कठिनाई यह है कि ऐसा करने के लिये कोयला का मूल्य बढ़ाना होगा। क्योंकि यह नियंत्रित मद है।

†**अध्यक्ष महोदय** प्रश्न यह है कि :

"कि कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम १९५२ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ३–(धारा ८ का संशोधन)

---

†मूल अंग्रेजी में

संशोधन विधेयक

श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्भम) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं । इस संशोधन का प्रयोजन यह है कि सहायता की राशि ४ रुपये प्रति टन से घटा कर २ रुपये प्रतिटन कर दी जाये । २ रुपये प्रतिटन की राशि चालू वर्ष के व्यय को पूरा करने के लिये काफी है । मैं ने शुरू में भी कहा था कि इस अधिनियम में संशोधन करने के लिये एक व्यापक विधेयक लाने की आवश्यकता है । मेरा सुझाव है कि २ रुपये प्रतिटन की दर से इकट्ठी की गई राशि का आधा भाग दक्षिण तथा पश्चिमी किनारे के कारखानों को सहायता पहुंचाने के लिये खर्च किया जाये । दक्षिण अथवा पश्चिमी तट के कारखानों को भाड़े के रूप में २६ रुपये प्रति टन अधिक देना पड़ता है । इसके अतिरिक्त उन्हें उपकर भी देना पड़ता है । इस लिये मेरा निवेदन है कि यह शुल्क घटाया जाये । अगर माननीय मंत्री को अधिक धन की आवश्यकता है तो वे एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करें ; उस समय हम अच्छी तरह विचार कर के इस बारे में निर्णय करेंगे ।

ज्ञात हुआ है कि कोयले के परिवहन के सम्बन्ध में पोलैंड में अन्वेषण किया गया है । उस से खर्च में काफी बचत होती है । सरकार को इस मामले का परीक्षण कराना चाहिये । एक प्रतिनिधि मंडल पोलैंड जाय और उसकी जांच करे ।

आशा है कि माननीय मंत्री महोदय शुल्क घटाने सम्बन्धी मेरे सुझाव पर विचार करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन सभा के समक्ष है ।

श्री बजराज सिंह अध्यक्ष महोदय, कल मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा उस से ऐसा प्रतीत होता था कि किसी भी सूरत में वे डेढ़ रुपया प्रति टन से अधिक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने वाले नहीं हैं, किन्तु आज जो आंकड़े उन्होंने पेश किये उन में कहा गया है कि वे ७ करोड़ रु० लेना चाहते हैं एक्साइज से । इस के बाद उन्होंने कहा कि १ रु० २० नये पैसे से ले कर १रु० ५० नये पैसे के बीच में वे एक्साइज ड्यूटी बढ़ायेंगे । अगर इस को हिसाब में ले लिया जाय और जो आज लगी हुई है उसको भी ले लिया जाय तो किसी भी सूरत में एक्साइज ढाई रुपये से ज्यादा नहीं पड़ती है । मैं नहीं समझता कि जब हिसाब से ढाई रुपया ही आता है तो उसे चार रुपये तक बढ़ाने की क्या जरूरत है । वे एक साल का हिसाब लगा रहे हैं : वे चार रुपये की व्यवस्था अभी कर लेंगे और उस के बाद सदन के सामने न आयेंगे । यह जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है १ रु० २० नये पैसे या १ रु० ५६ नये पैसे तक बढ़ाने का, उस के बाद सदन के सामने उनका न आना उचित नहीं होगा ।

हमारे मंत्री जी कहते हैं कि यह कोई पैसे लेने वाला मेजर नहीं है , कोई ऐसा कानून नहीं है कि बजट प्रस्तावों के अन्तर्गत आता हो । तो फिर उतनी ही व्यवस्था करनी चाहिये जितनी आवश्यकता हो । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो चार रुपये की एक्साइज रक्खी है उस की इस वक्त आवश्यकता नहीं है । इसलिये यदि चार रुपये के बजाय दो रुपये को ही वे मान लें तो अच्छा है । लेकिन अगर वे दो रुपये न भी कर सकें तो भी ७ करोड़ रुपये जो वे इकट्ठा कर रहे हैं वह ढाई रुपये से आ जाता है —ज्यादा की कोई आवश्यकता है ही नहीं और मैं समझता हूं कि वे चार रुपये के बजाय ढाई रुपये मान लेंगे । यह एक ऐसा सुझाव है कि जिसे न मानने का, मैं समझता हूं कि मंत्री जी के पास कोई कारण नहीं हो सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : शुल्क लगाने की जो सीमा रखी गई है और जो शुल्क हम वसूल करेंगे उसमें अन्तर है । मैं बता चुका हूं कि इस विधान का प्रयोजन राजस्व उगाहना नहीं है। इसका उद्देश्य (१) समुद्र द्वारा कोयले की ढुलाई में सहायता देने का प्रयत्न करना और (२) रज्जुपथ योजना के लिये धन देने का प्रयत्न करना है । इसलिये माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात नहीं आनी चाहिये कि यह हम राजस्व बढ़ाने की दृष्टि से कर रहे हैं ।

हम इस बात से सहमत हैं कि कुछ तो सहायता होनी चाहिये लेकिन यह निश्चित करना ठीक नहीं होगा कि समुद्र द्वारा ढोये जाने वाले कोयले को सहायता देने के लिये उसका कुछ विशिष्ट भाग निर्धारित कर दिया जाये । दूरस्थ स्थानों को ढोये जाने वाले कोयले को हम सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं । हम यह नहीं चाहते कि किसी पर अतिरिक्त भार पड़े ।

जहां तक अधिनियम में सामान्य संशोधन करने का प्रश्न है हम उस पर विचार कर रहे हैं । हम इसके उपबन्धों पर विचार कर रहे हैं । शुल्क की प्रस्तावित अधिकतम सीमा को स्वीकार करने में कोई खतरा नहीं है ? समय समय पर इतना ही शुल्क वसूल किया जायेगा जो इस काम के लिये पर्याप्त होगा । आशा है कि सभा इस बात से सहमत होगी ।

जहां तक श्री त्यागी द्वारा व्यक्त किये इस सन्देह का प्रश्न है कि इस विधान के कारण कोयले का मूल्य बढ़ जायेगा, उनका सन्देह निराधार है, क्योंकि कमी वाले स्थानों में अधिक मात्रा में कोयला पहुंच जायेगा और सरकारी सहायता के कारण कोयले का मूल्य बढ़ने न पायेगा । इसके अलावा कोयला एक नियंत्रित वस्तु है, इसलिये इसमें सट्टा होने की संभावना नहीं है। दूसरे एक बात यह भी है कि यह एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग होने से पूव ही इसे बाहर भेज दिया जाता है । इसलिये मैं नहीं सोचता कि इसमें सट्टा भी हो सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या १ मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या १ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं खंड ३, ४ ५ और १ को एक साथ मतदान के लिये रखूंगा । प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ से ५, खंड १, अधिनियमन सूत्र, और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ से ५, खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव**: कोयला बोर्ड ने कई समितियां जैसे टेकनीकल समिति, परामर्श समिति थाक समिति आदि बनाई हैं लेकिन इन समितियों में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को नहीं लिया गया है। हम ऐसी स्थिति पर आ गये हैं जहां कि कर्मचारियों को प्रबन्ध में हाथ बटाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त० ब० विट्ठल राव]

इसलिये मेरा निवेदन है कि हमें इन समितियों में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दिया जाये। क्योंकि

[श्री जगन्नाथराव पीठासीन हुये]

उनका उत्पादन के काम से प्रत्यक्ष संबंध होता है और वे उपयोगी परामर्श दे सकेंगे।

तीसरी योजना के लिये हमने ९७० लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया है। बहुत से लोगों का विचार है कि यह लक्ष्य काफी नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि न केवल इस लक्ष्य की ही पूर्ति हो बल्कि उत्पादन इससे भी अधिक बढ़े।

श्री ब्रजराज सिंह: मैं केवल दो आश्वासन चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से। एक तो यह कि जब वह एक्साइज की दर १ रुपया २० नये पैसे या १ रुपया ५० नये पैसे से अधिक बढ़ायेंगे, जैसा कि उन्होंने कल कहा था, तो वे इस सदन के सम्मुख सदन की प्रतिक्रिया जानने के लिये आवेंगे, और इस साल इससे ज्यादा दर नहीं बढ़ायी जायेगी, और दूसरे यह कि जो कोयला क्षेत्र के २०० मील के भीतर के स्थान हैं उन स्थानों पर जहां भी संभव हो सके, सरकारी कारखानों को छोड़ कर जहां कि यह संभव नहीं है, कोयले का यातायात सड़क से किया जायेगा और अभी अगर सड़क द्वारा १५ या २० लाख टन कोयला ढोया जाता है तो उसे बढ़ाकर ४०–५० लाख टन करने का प्रयत्न किया जायेगा।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह सुझाव बड़ा अच्छा है कि कर्मचारियों के दृष्टिकोण का भी पता लगाना चाहिये। । सुझाव बड़ा अच्छा है। मैं ऐसा कोई तरीका निकालने की कोशिश करूंगा कि कर्मचारियों के अनुभव का भी लाभ उठाया जा सके। आशा है कि विभिन्न कार्मिक संघों के नेता इसमें हमारे साथ सहयोग करेंगे। मैं इस सिद्धांत से सहमत हूं। ऐसा कोई तरीका निकालना चाहिये जिससे कि उनके दृष्टिकोण का पता भी लगाया जाये। लेकिन यह किस तरह से किया जायेगा—यह अभी स्पष्ट नहीं है।

लक्ष्यों की पूर्ति का प्रश्न भी उठाया गया था। हम अब तृतीय योजना आरम्भ करने जा रहे हैं। कुछ कमियां जरूर हैं, पर हमारा आत्म विश्वास पहले से अधिक है। यह सही है कि पिछले बारह महीनों में हम उत्पादन की गति बढ़ाने का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाये हैं। हम लगभग६०० लाख टन का उत्पादन नहीं कर पाये हैं। लेकिन साथ ही यह भी सही है कि हर महीने हमारा कोयले का उत्पादन जितना रहा है, यदि उसे १२ से गुणा किया जाये, तो बारह महीनों का हमारा उत्पादन कुल क्षमता से अधिक हुआ है। इसलिये हमें विश्वास रखना चाहिये कि हम तृतीय योजना काल में ९७० लाख टन उत्पादन तक पहुंच सकेंगे। इसका अर्थ है कि इन दस वर्षों में हम अपना उत्पादन तीन गुना कर लेंगे। हम इसी की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि काम बहुत बड़ा है,पर मुझे विश्वास है कि हम इसे पूरा कर लेंगे।

हम प्रयास करेंगे कि सड़क द्वारा जितने भी कोयले का परिवहन संभव हो, किया जाये।

अन्य प्रश्नों के संबंध में, मुझे यही कहना है कि जब भी उत्पादन शुल्क में कोई वृद्धि की जायेगी, तब संबंधित अधिसूचना अवश्य ही सभा पटल पर रखी जायेगी, और माननीय सदस्य उस पर चर्चा कर सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजराज सिंह :** लेकिन एक वर्ष में वह डेढ़ रुपये से ज्यादा नहीं बढ़ाई जायेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह**. इतना आश्वासन मैं दे सकता हूं । अगले वर्ष हमरी मंशा यही है । डेढ़ रुपया तो अधिकतम है, वास्तविक वृद्धि शायद इससे कम ही रहेगी ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दिल्ली दूकानें तथा संस्थान (संशोधन) विधेयक

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली दूकान तथा संस्थान अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर,राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

दिल्ली में दूकानों और संस्थानों के खुलने व बन्द होने के बारे में जो उपबन्ध मौजूद हैं, वे बड़े सख्त और असुविधाजनक हैं । सरकार अब समुचित जांच पड़ताल के बाद उनके काम के घंटे निर्धारित करना चाहती है । इस विधेयक के अधीन विभिन्न क्षेत्रों या वर्ष के विभिन्न समयों के लिये काम के विभिन्न घंटे निर्धारित किये जा सकेंगे । स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उनमें घटा-बड़ी भी की जा सकेगी ।

†**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभापति महोदय, दुकानों और कमर्शियल इस्टैब्लिशमेंटस में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके काम के घंटे निर्धारित नहीं हैं तो आखिर उनके वास्ते भी कोई तसल्लीबख्श कानून ऐसा पास किया जाये जिससे कि उनको कोई राहत मिले ।

सभापति महोदय, यह बिल या इसके पीछे जिस तरीके से लोग सोचने की कोशिश करते हैं यह कर्मचारियों की समस्या केवल दिल्ली की ही नहीं है । आखिर यहां बाजार कर्मचारी तकरीबन ७ लाख हैं । उनकी तरफ से भी बहुत से मेमोरैंडम और अपीलें पार्लियामेंट के मेम्बरों को और मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय को भी दी गई हैं ।

सवाल यह था कि उनके काम के घंटे किस तरीके से नियत किये जाये ? मंत्री महोदय ने जो बिल के स्टेटमेंट औफ औब्जेक्टस एंड रीजंस पढ़े उसमें कोई ऐसी चीज नहीं लिखी गई है । बिल में भी कहीं पर उनके काम के घंटे निर्धारित नहीं किये गये हैं । बिल में पुराने सैक्शन १५ की जगह एक नया सैक्शन रक्खा जा रहा है जिसके कि मुताबिक चीफ कमिश्नर को यह पावर दी जा रही है कि वह इनक्वायरी करने के बाद उनके काम के घंटे निर्धारित करेंगे । फर्ज कीजिये कि दिल्ली के किसी एरिया में करोलबाग, जनपथ या कुछ दूसरी जगहों के दुकानदार काफी शक्तिशाली हैं और उनका असर भी है और हो सकता है कि उनके द्वारा कमिश्नर पर कुछ असर डाला जाय । मैं यह नहीं कहता कि कमिश्नर साहब असर में आ ही जायेंगे लेकिन उन दुकानदारों की कोशिश तो यह जरूर होगी कि वह काम के घंटे इस तरीके से निर्धारित करें जिससे दुकानदारों को तो सहूलियत हो और

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

वहां पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनको सहूलियत न मिल पाये। इसलिये मैं समझता हूं कि इस बिल को लाने का जो असली मतलब था वह शायद हासिल नहीं हुआ है।

बिल में कहा गया है कि कमिश्नर इनक्वायरी करेगा। अब इनक्वायरी उसके सामने क्या होगी ? कर्मचारी जाकर कहेंगे कि हमारे काम के घंटे जाड़े के दिनों में १० बजे से लेकर शाम के ७ बजे तक हों और गरमियों के दिनों में ८ बजे सुबह से रात के ८ बजे तक हों, १२ घंटे हों या ११ घंटे हों। अब कमिश्नर साहब किस चीज की इनक्वायरी करेंगे ? क्या वे इस चीज की इनक्वायरी करेंगे कि ८ बजे के बाद कोई कस्टमर आता है कि नहीं ? मेरी तो समझ में नहीं आता कि वे किस चीज की इनक्वायरी करेंगे ? अलबत्ता यह तो हो सकता है कि सरकार अपनी तरफ से कर्मचारियों के लिये काम के घंटे नियत कर दे और यह प्रोवाइड कर दे कि ८ घंटे या ९ घंटे के बाद भी जो कर्मचारी काम करें तो उनको ओवरटाइम मिले, अतिरिक्त पैसा मिले। अब एक छोटा दुकानदार है और वह एक से ज्यादा कर्मचारी अपनी दुकान पर नहीं रख सकता है तो मैं इस चीज को मानता हूं कि उस दुकानदार के लिये शायद यह मुमकिन न हो कि अपने कर्मचारी को सुबह ९ बजे से ५–६ बजे तक काम लेने के बाद छुट्टी दे दे क्योंकि उस हालत में दुकान में कौन काम करेगा। इसके लिये मैंने बतलाया कि सरकार द्वारा नियत घंटों से जो भी कर्मचारी अधिक काम करें उन्हें ज्यादा पैसा दिया जाये।

जहां पर एक से अधिक कर्मचारी काम करते हों वहां काम के घंटों को स्टैगर किया जा सकता है। ९ बजे आने वाले कर्मचारी को ५ या ६ बजे छुट्टी दी जा सकती है और दूसरा कर्मचारी १ बजे दिन में आ सकता है और वह रात के ९ बजे तक काम कर सकता है और इस तरह से काम के घंटों को स्टैगर करके दुकानदार का काम भी चल जायेगा और साथ ही कस्टमर्स को भी कोई असुविधा नहीं होगी। मेरे ख्याल में इन चीजों की तरफ कम ध्यान दिया गया है। मुझे खुशी है कि सरकार को कम से कम इस बात का एहसास हुआ कि जो सात लाख कर्मचारी दिल्ली में हैं और लाखों कर्मचारी हिन्दुस्तान के दूसरे शहरों में हैं भले ही वे कानपुर में हों, बम्बई में हों, मद्रास में हों या दूसरी जगहों पर हों, उनके लिये भी कुछ होना चाहिये। एक मेमोरेंडम नई दिल्ली ट्रेड एम्पलायीज़ एसोसियेशन की तरफ से आया है और उसकी एक कापी मेरे पास है और इसमें उन्होंने यह कहा है कि यह घंटों का ही सवाल नहीं है या इतना सवाल ही नहीं है कि कमिश्नर साहब के सुपुर्द इस मामले को कर दिया जाये और वह इनक्वायरी करने के बाद काम के घंटे निर्धारित कर दी बल्कि श्रम मंत्री जी को यह भी देखना है कि वहां पर जो लोग काम करते हैं, उनकी हालत क्या है। सवाल उठ सकता है कि उनकी हालत को सुधारने के लिए पैसे की जरूरत है और दूकानदारों के पास पैसा नहीं है। मैं मानता हूं कि जो छोटे दूकानदार हैं या जो पुरुषार्थी भाई हैं जिन्होंने अपने बूते पर, अपनी ईमानदारी का सहारा लेकर, अपने बाल बच्चों को काम में लगा कर किसी तरह से अपने आपको दिल्ली शहर में या दूसरे शहरों में आबाद कर लिया है, फिर से बसाने की कोशिश की है और उसमें वे कामयाब भी हुए हैं, उनके पास पैसा नहीं हैं, लेकिन जो बड़े बड़े दूकानदार हैं, क्या वाकई में उनके पास भी पैसा नहीं है, क्या वाकई में वे भी इस स्थिति में नहीं हैं कि इनकी हालत को सुधार सकें ? इन लोगों ने अपनी डिमाण्ड में कहा है कि टर्म आफ एम्पलायमेंट क्या होगा, इस पर भी विचार होना चाहिये। आज किसी भी दूकान में आप चले जाइये, आपको मालूम नहीं होगा कि वे जहां पर काम करते हैं, उनकी जो आज नौकरी है, वह कल रहेगी भी या नहीं। उसके बाद वे फिर कंसिलिएशन बोर्ड के पास जायें, मुकदमा करें, हजारों रुपया खर्च करें और मुकदमे में अगर जीत जायें तो जो मालिक लोग हैं, वे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले जायें.....

†**श्री आबदि अली** : काम के घण्टे अभी भी निर्धारित ही हैं। दिल्ली में एक अधिनियम पहले से लागू है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : उसमें एकरूपता नहीं है।

†**श्री आबिद अली** : हम काम के घण्टे बड़ा नहीं रहे हैं। पहले से निर्धारित घण्टों में विभिन्न क्षेत्रों की दृष्टि से समायोजन कर रहे हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरे पास इन याचिकाओं की प्रतियां हैं। नयी दिल्ली ट्रेड कर्मचारी संघ की याचिका में कहा गया है कि निर्धारित घण्टों की १९५४ के अधिनियम की व्यवस्था का पालन नहीं किया जाता।

†**श्री आबिद अली** : हमें उनका पालन कराना होगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : शिकायत तो यही है कि उनका पालन नहीं हो रहा है।

मैं चाहता था कि हस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक रखा जाता और उसके जरिये कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों, उनकी छट्टी तथा अवकाश, सेवा निवृत्ति लाभ, इत्यादि की व्यवस्था की जाती।

अब दिल्ली के मुख्य आयुक्त को अधिकार दिया जा रहा है कि वह आवश्यक छानबीन करने के बाद स्वयं काम के घण्टे निर्धारित करें। लेकिन उस छानबीन का तरीका क्या होगा ? क्या दोनों की बात सुनी जायेगी ? प्रबन्ध ऐसा किया जाना चाहिये कि बड़े-बड़े दूकानदार मुख्य आयुक्त को अनुचित रूप से प्रभावित न कर सकें। नहीं तो उनकी दूकानों में काम करने वाले कर्मचारियों का बड़ा अहित होगा।

दिल्ली प्रदेश व्यापारी समिति ने १९५९ में एक प्रस्ताव पास किया था, जिसका आशय था कि दूकानों तथा संस्थानों के काम के घण्टे घटा कर, गर्मियों के लिये ११ और जाड़ों के लिये १० घण्टे कर दिये जायें। इससे कर्मचारियों को कुछ आराम मिलने की आशा है। वे चाहते थे कि दूकानें और संस्थान खुलने और बन्द होने का समय निर्धारित किया जाये। सरकार को इस पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये।

दिल्ली में व्यापारियों और उनके कर्मचारियों को बड़ी दूर-दूर से आना पड़ता है। परन्तु ऐसा कोई स्थान नहीं है कि वे वहां बैठ कर थोड़ा आराम कर सकें। इसलिये काम के घण्टे १० निर्धारित किये जाने चाहियें। दोपहर के खाने के समय एक घण्टे से ज्यादा नहीं होना चाहिये।

नई दिल्ली व्यापारिक कर्मचारी संस्था ने जो मांग-पत्र प्रस्तुत किया है, उस पर सरकार को विचार करना चाहिये।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे इस चीज के बारे में भी किसी प्रकार का विरोध नहीं कि श्रमिकों को पूरी सुविधाएं प्रदान की जायें। परन्तु मैं इस बात पर भी आग्रहपूर्वक सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब तक हम रोजगार के मार्ग नहीं खोलते तब तक हम किसी प्रकार की सेवा उन श्रमिकों की नहीं कर सकते जो इस समय रोजगार पर लगे हुए हैं। केवलमात्र कानून बनाने से ही सारी समस्याओं का हल नहीं हो जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्यागी]

यह ठीक है कि हम पश्चिमी देशों में यह चीजें देखते हैं कि वहां दुकानों में माल वैसे ही बिकता है और दुकानदार से सौदा पटाने की आवश्यकता नहीं होती किन्तु बात वास्तव में यह है कि भारत जैसे देश की स्थिति दूसरी है। यहां पर आप दुकानों के समय को निश्चित करना चाहते हैं इतवार को आप छट्टी करना चाहते हें कीजिए। परन्तु यह भी तो देखिये कि इतवार ही को आपके दफ्तरों के क्लर्कों को छुट्टी होती है। वे लोग किस वक्त सामान खरीदेंगे। उनकी सुविधाओं का भी आपको ध्यान रखना होगा।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : श्रीमान् मुझे अमृतसर से दिल्ली आते समय एक व्यापारी मिला जिसने बताया कि हमारे श्रम सम्बन्धी कानून इतने कड़े हो गये हैं कि इनसे उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ने का खतरा हो गया है। दूसरी ओर कर्मचारियों के दृष्टिकोण से भी मैं अवगत हूं। जहां तक दुकानों का सम्बन्ध है एक ही किस्म की चीजों के दाम हर दुकान में अलग अलग हैं। इस विधेयक द्वारा सभी के हितों में सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की गयी है।

यद्यपि यह प्रयास सराहनीय है तदपि मेरा यह विचार है कि इस दिशा में सामाजिक पक्ष का अनुसन्धान पर्याप्त रूप से नहीं किया गया है। वास्तव में सरकार को यह करना चाहिये कि अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा ग्राहकों और दुकानदारों की कठिनाइयों को जाने। यह चीज बड़ी आवश्यक थी।

इसके अलावा विधि ऐसी बनानी चाहिये जिसे ठीक से लागू किया जा सकता हो। इस उद्देश्य को लेकर जो कानून पहले बना था उसके अन्तर्गत कोई ज्यादा कार्यवाही नहीं की गयी और उसे लागू नहीं किया गया।

†**श्री आबिद अली** : उसके अन्तर्गत ३५०० लोगों पर मुकदमे चलाये गये और जुर्माने के तौर पर ९८,००० रुपये वसूल किये गये।

श्री दी० चं० शर्मा : श्री त्यागी विदेशों की बात कर रहे थे। विदेशों में भी प्रतियोगिता है और जो बुराइयां यहां चलती हैं वहां वे भी चलती हैं। यह चीजें भारत ही में हों ऐसी बात नहीं है। हमारे यहां तो मूलभूत चीजें भी नहीं हैं।

यह विधेयक तब और भी ज्यादा प्रभावपूर्ण हो सकेगा यदि हम दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों के काम की दशा सुधारेंगे। वस्तुतः उनको बड़ी कष्टमय सेवा करनी पड़ती है और उनकी सेवा में अभी तक सुधार नहीं किया गया है। यह ठीक है कि सरकार ने दुकानों की देख रेख के लिये निरीक्षक कर्मचारी नियुक्त कर रखे हैं मगर उनकी संख्या इतनी थोड़ी है कि जरूरत के समय वे किसी की सहायता को नहीं पहुंच सकते। उनका कार्यक्षेत्र बड़ा है। इस स्थिति का विचारयुक्त सुधार किया जाना चाहिये।

इसके अलावा यह व्यवस्था भी करनी चाहिये कि दुकानों में जो माल रखा रहता है उस के साथ मूल्य की पर्ची रखी रहनी चाहिये। ऐसा करने से दुकानदार किसी ग्राहक को धोखा नहीं दे पायेंगे।

अन्त में मैं दुबारा यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार को दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में कुछ न कुछ आवश्य करना चाहिये।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : इस विधेयक का उद्देश्य दुकानों के काम की अवधि को लचीला बनाने से है। हम इस पहलू पर तभी कुछ कहने के अधिकारी हैं जब हमें यह पता चले कि विधेयक

---

†मूल अंग्रेजी में

दुकानदारों या नौकरों को सुविधा देने के लिये बनाया जा रहा है। पर इस सम्बन्ध में मैं एक बात साफ तौर पर कह देना चाहता हूं और वह यह कि कानून को लागू करते समय कर्मकारियों के हितों को सर्वोपरि रखा जाये क्योंकि कर्मचारी ही नियोजक की कृपा पर निर्भर रहते हैं।

जहां तक मूल्यों का निर्धारण का सम्बन्ध है मैं श्री त्यागी की बात को समझ नहीं पाया हूं। क्या सौदेबाजी को रोकने के लिये मूल्यों का निर्धारण भी कानूनी आधार पर करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे देश की परम्परा ही अलग है। हमें ग्राहकों को भी समझाना होगा कि वे भी दूकानदारों पर थोड़ा बहुत भरोसा करना सीखें। यदि स्थिति को ठीक ढंग से न सुधारा गया तो इन चीजों से कोई ज्यादा लाभ नहीं पहुंचेगा।

दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों को दस-दस घंटे काम करना पड़ता है। उन्हें अत्यावश्यक कामों के लिये भी छुट्टी नहीं मिलती। उनकी हालत खराब हो जाती है। इस कारण उनकी दशा सुधारने का प्रयत्न सरकार को करना चाहिये। कुछ छोटी दुकानें होती हैं जो कि दो या तीन कर्मचारी ही रखती हैं और वे भी बेचारे अपनी बात किसी भी प्रकार से मनवा नहीं सकते। वही दुकानें उन लोगों को बहुत तंग करती हैं। उन कर्मचारियों की स्थिति इस विधेयक से सुधर नहीं सकती इस कारण हम इसका समर्थन नहीं कर सकते।

†**डा० मेलकोटे** (रायपुर) : यह कानून सामाजिक है और दुकानों को खोलने या बन्द करने के समयों के निर्धारण का अधिकार मुख्य आयुक्त को दिया गया है।

[श्री हेडा पीठासीन हुये]

सब से पहली बात तो यह है कि श्री त्यागी के मुख से यह सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यदि विद्यमान मजदूरों तथा कर्मचारियों की हालत बेहतर बनाई गयी तो उन लोगों पर अच्छा असर न पड़ेगा जो बेकार हैं। बेकार आदिमियों पर बुरा असर कैसे होगा ? यह चीज हमारी समझ में नहीं आती। अन्य देशों में स्थिति का अध्ययन करने से यही पता चलता है कि यह भय कभी सत्य प्रमाणित नहीं हुआ।

दूसरी चीज यह है कि हमें इस दिशा में कर्मचारियों के हित को भी देखना चाहिये था। अब जब मुख्य आयुक्त निगम बनाये तो उन नियमों को सभा के समक्ष रखा जाना चाहिये ताकि हमें पता चल जाय कि कर्मचारियों के हितों पर भी समुचित ध्यान रखा गया है या कि नहीं।

श्री बलराज मधोक (नई दिल्ली) : सभापति महोदय, यह विधेयक दिल्ली की बहुत बड़ी जनता के साथ सम्बन्ध रखता हैं। दिल्ली बहुत तेजी से फैल रही है और उसकी आबादी बढ़ती चली जा रही है और उसके साथ ही साथ दुकानों की और इसी प्रकार के और जो व्यापारिक संस्थान हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। आज दिल्ली के अन्दर इस प्रकार की दुकानों और व्यापारिक संस्थानों में काम करने वालों की संख्या लाखों में है और इसलिए उन्हें जो सुविधा मिलती है वह सारी दिल्ली के लिए महत्व रखती है।

आज से ६ वर्ष पूर्व दिल्ली की विधान सभा ने एक कानून पास किया था। उस कानून के अन्तर्गत दुकानों के खुलने और बंद करने का समय निश्चित किया था। सप्ताह में कर्मचारियों को एक दिन की छुट्टी हो यह तय भी किया था और भी कुछ बातें उस बिल में कही गई थीं। लेकिन वह बिल अपूर्ण था और उससे काम करने वालों को जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था वह प्रोटेक्शन भी उनको पूरा नहीं मिला और न ही खुद जो दुकानें चलाने वालों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वह सुविधा ही उनको मिली।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बलराज मधोक]

दिल्ली में दो तरह की दुकानें हैं। एक तो वह बड़ी बड़ी दुकानें और फर्में हैं जहां बहुत से कर्मचारी काम करते हैं और दूसरी वह दूकानें हैं और जिनकी कि काफी संख्या दिल्ली में है जो सैल्फ एम्प्लायेड सैक्टर में आती हैं। उन दुकानों में कोई मुलाजिम नहीं होता है, सब भाई बंध मिल कर वह दुकानें स्व ही चलाते हैं। हमें विधेयक बनाते समय इन दोनों ही तरह की दुकानों को दृष्टि में रख कर विचार करना होगा।

इसके अलावा कुछ और तरीके के भी काम धंधे हैं जिनके कि ऊपर सन् १९५४ का कानून लागू होता है जैसे कि डाक्टर साहबान हैं। अब दिल्ली के अंदर डाक्टरों की संख्या लगभग ४००० के ऊपर है और उन पर भी यह शर्त लागू की गई कि वह भी इतवार को या किसी और दिन अपनी दुकानें बंद रक्खें। अब जहां तक डाक्टरों का सम्बन्ध है हम सब जानते हैं कि मरीज का कोई समय नहीं होता और डाक्टरों की दुकानें बंद करने से बहुत जगहों पर मरीजों को तकलीफ भी हुई है। लेकिन उन डाक्टरों की दुकानों पर जो कम्पाउंडर्स और दूसरे एम्प्लाईज काम करते हैं उनकी यह मांग कि उनको हफ्ते में एक छुट्टी मिले, वह एक जायज मांग थी। उस बिल के अन्दर बहुत सी कठिनाइयां थीं जिनको दूर करने की आवश्यकता थी। परन्तु यह जो बिल लाया गया है यह तो समस्या की अपेक्षा नाकाफी है। जिस तरीके से दिल्ली अरबन टेनेन्ट्स के लिए बिल लाया गया और वह समस्या को देखते हुए नाकाफी था और टिंकरिंग करता था उसी तरीके से यह आज का बिल केवल टिंकरिंग करता है और जो मूल सवाल है उस तक यह पहुंचता नहीं है। मूल बिल में समय निर्धारण की बात कही गई है। मूल बिल में समय यह निर्धारित किया था कि कोई भी दुकान या कमर्शियल इस्टैब्लिशमेंट गर्मी के दिनों में सुबह ७ बजे से पहले नहीं खुलेगा और रात में दस बजे तक बंद हो जायगा। इसी तरह जाड़े में कोई दुकान सुबह ८ बजे से पहले नहीं खुलेगी और रात में ९ बजे के बाद बंद नहीं होगी, ९ बजे के अन्दर अन्दर बंद हो जायगी। इन टाइमिंग्स के बारे में दुकानों के व्यापारियों और एम्प्लाईज की मांग यह थी कि यह समय बहुत अधिक है और अगर एक दुकान वाला इतनी देर तक अपनी दुकान खोलता है तो दूसरे दुकान वाले भी खोलना चाहते हैं क्योंकि उसमें एक कम्पीटीशन आ जाता है। अब दुकानदार अगर यही सोच कर अपनी दुकान खोल कर बैठा रहे कि मौत और गाहक का कोई पता नहीं कि कब आ जाय और इसलिए दुकान खुली रक्खे तो इससे न केवल उनको कठिनाई होगी बल्कि जो उन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी लोग होते हैं उनको विशेष रूप से बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और वह किसी तरह के और सामाजिक व अन्य कामों में भाग नहीं ले सकते हैं। इसलिए दिल्ली व्यापार मंडल की ओर से कई वर्षों से यह मांग की जा रही थी कि यह समय कम किये जायें और जिस प्रकार से पंजाब के अंदर दुकानों के खुलने और बंद होने का समय तय कर दिया गया था उसी तरीके से यहां भी इस को फिक्स कर दिया जाय।

इस बिल के अंदर चीफ कमिश्नर को यह पावर्स दी गई हैं कि अगर चीफ कमिश्नर चाहे तो वह छानबीन करने के बाद समय तय करे और यह भी तय करे कि कौन से दिन कौन सी दुकानें किस इलाके में बंद रहेंगी। मेरा कहना है कि यह चीज चीफ़ कमिश्नर पर छोड़ देना ठीक नहीं है। जिस तरीके से पंजाब ने बिल पास किया और उसमें तय कर दिया कि दुकानें गरमी के दिनों में ९ बजे खुल कर ७ बजे बंद होंगी और जाड़े का भी उनका समय नियत कर दिया उसी तरीके से यहां भी समय दुकानों के खुलने के और बंद होने के समय नियत कर दिये जायें। कर्मचारियों के काम के घंटे भी तय कर दिये जायें। यह भी तय कर दिया जाय कि कोई भी दूकान और कोई भी संस्थान १० घंटे से अधिक खुला न रहे। इस समय के अन्दर कुछ थोड़ा विश्राम दिया जा सकता है। आज कहीं पर १३ घंटे काम लिया जाता है तो कहीं पर १५ घंटे काम कराया जाता है।

मेरा तो सुझाव यह है कि सरकार को गरमी के दिनों में दुकान खुलने का समय साढ़े ६ बजे सुबह से लेकर साढ़े ७ बजे शाम तक का और जाड़े में १० बजे सुबह से लेकर ७ बजे शाम तक का समय फिक्स कर देना चाहिए । अब इसके लिए कहा जाता है कि उससे कुछ लोगों को कठिनाई होगी । दफ्तरों में जो लोग काम करते हैं उनको बाजार से खरीद फरोख्त करने का समय नहीं मिलेगा । इसके लिए मेरा कहना है कि जहां पर समय निश्चित होता है वहां लोग उसके मुताबिक अपने आप को ऐडजस्ट कर लेते हैं । इसके अलावा गवर्नमेंट कालोनीज के अंदर दुकानें आमतौर से इतवार को खुलती हैं । सप्ताह में एक दिन की छुट्टी के बारे में एक मत दिल्ली में यह है कि सारी दिल्ली के अंदर एक ही दिन फिक्स कर दिया जाय जब कि तमाम दुकानें बंद रहेंगी परन्तु मैं उस मत से सहमत नहीं हूं । गवर्नमेंट सर्वेंट्स की कालोनीज जहां पर कि सरकारी मुलाजिम रहते हैं वह सप्ताह में ६ दिन तो दफ्तरों में जाकर काम करते हैं और उनके पास बाजार से खरीद फरोख्त करने के लिए केवल इतवार ही रहता है जिस दिन कि उनके दफ्तर बंद रहते हैं और इसलिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स की कालोनीज में साप्ताहिक छुट्टी दुकानों की इतवार की न होकर किसी और दिन की हो और ऐसी व्यवस्था रहने से सरकारी मुलाजिमों को कोई असुविधा नहीं होगी ।

मेरा एक सुझाव तो यह है कि इस बिल के अंदर यह निश्चित कर दिया जाय कि कोई भी दूकान या संस्थान १० घंटे से अधिक नहीं खुलेगा । यह मामला चीफ़ कमिश्नर के स्वविवेक पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए ।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि सारे शहर को ज़ोंस में बांट दिया जाय और यह तय कर दिया जाय कि फलां जोन में आने वाली दुकानें सोमवार को छुट्टी करेंगी और अमुक जोन की दुकानें मंगलवार को छुट्टी करेंगी और गवर्नमेंट सर्वेंट्स की कालोनीज इतवार के अलावा और कोई छुट्टी करें ताकि सरकारी मुलाजिमों को कोई असुविधा न हो और वह इतवार को अपनी खरीद फरोख्त कर सकें ।

जहां तक डाक्टरों का ताल्लुक है उनके ऊपर किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं होनी चाहिए । मैं इस चीज़ को जानता हूं कि जो डाक्टर हैं उन्हें भी एक छुट्टी मिलनी चाहिए, इतवार की छुट्टी वह मना सकते हैं लेकिन दूसरी ओर मरीजों की कठिनाई भी देखनी है क्योंकि बीमारी तो कह कर आती नहीं है और हो सकता है कि उनको उस छुट्टी वाले दिन डाक्टर की और दवा की जरूरत पड़ जाय । इसलिए डाक्टरों के ऊपर इसकी बंदिश न हो और उनको यह औप्शन दे दिया जाय कि जो बंद करना चाहें बंद करें और जो न बंद करना चाहें वे न बंद करें । अलबत्ता जो डाक्टर अपने दवाखाने बंद न करें उनके कम्पांउडर्स और दूसरे जो कार्यकर्त्ता हैं उनको ओवरटाइम मिलना चाहिए । अगर उनको इसके लिए एक्स्ट्रा वेजेज मिलें तो उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी ।

इसी प्रकार के कुछ और भी इदारे हैं । अब सब्जीमंडी को ही ले लीजिये । वह सुबह ४ बजे से शुरू हो जाती है और रात को १२ बजे तक चलती रहती है । उसके कारण वहां के जो एम्पलाईज हैं उनको बहुत काम करना पड़ता है । मैं इस चीज से इन्कार नहीं करता कि उनके लिए कोई समय निश्चित करना कठिन नहीं है क्योंकि गाड़ियां अलग अलग समय पर आती हैं और गाड़ियों से माल समय समय पर उनको लाना होता है । लेकिन आप उनके लिए यह तो कर सकते हैं कि एक फिक्सेड टाईम के बाद अगर कर्मचारियों से काम कराया जाय तो उनको उसके लिए ओवरटाईम मिले । यही चीज कोयले के डिपोज के बारे में लागू होती है । उनके काम के घंटे निश्चित कर दिये जायें । ताकि वहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी कुछ राहत मिले । आज जो स्थिति है, उसमें उनको कोई राहत नहीं मिली । जैसा मैंने कहा कि एक

[श्री बलराज मधोक]

कहावत है कि ग्राहक और मौत का पता नहीं होता है, इस कारण से जो दूकानदार हैं, उन्हें पता भी हो कि ग्राहक नहीं आ रहा है तो भी वे बैठे रहते हैं और इस कारण से उन्हें राहत नहीं मिलती है ।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी दूकानों में जो एम्प्लायीज़ हैं, जो मुलाजिम हैं, उनको भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिये । इस बिल के अन्दर जो सुविधायें दी गई हैं वे बहुत थोड़ी हैं । बहुत सी दूकानें हैं जहां पर कि कोई एम्पलायीज़ नहीं हैं, जो कि सैल्फ एम्पलायड सैक्टर में आती हैं । वहां यह समस्या नहीं है । परन्तु जो बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े बिजिनेस हाउसिस हैं, जहां बहुत से कर्मचारी काम करते हैं, उनके लिए कुछ निश्चित रूल्ज़ होने चाहियें, उन्हें बाकायदा छुट्टी मिलनी चाहिये, उनके बाकायदा तौर पर वर्किंग आवर्ज़ होने चाहियें, उन्हें कैजुअल लीव मिलनी चाहियें, प्रिविलेज लीव मिलनी चाहिये और साथ ही साथ इनक्रीमेंट्स का भी प्रबन्ध उनके लिए होना चाहिये । मैं अपने जाती तजुर्बे की बिना पर कह सकता हूं कि बहुत सी दूकानों में जो सहूलियतें कानून में दी गई हैं, वे भी कर्मचारियों को नहीं मिलती हैं । इसके कई कारण हैं । एक कारण तो यह है कि आज देश में अनएम्पलायमेंट बहुत है, बेकारी बहुत अधिक है और जब एम्पलायर को जरूरत होती वह किसी भी कीमत पर किसी भी आदमी को अपनी ही शर्तों पर नौकर रख लेता है और बाद में चूंकि मालिक जानता है कि वह मुलाजिम उस पर निर्भर है, मनमाने ढंग से उसके साथ व्यवहार करता है ।

ये कुछ बातें हैं जो कि मैं माननीय श्रम मंत्री जी के सामने रखना चाहता था । जैसा मैंने कहा वह विधेयक बिल्कुल लिमिटिड सी चीज़ को सामने रख कर तैयार किया गया है और यह केवल प्रोबलैम के साथ टिकर करता है । इस वास्ते इस विधेयक के क्षेत्र को बढ़ाने की जरूरत है । जरूरत इस बात की थी कि सारे का सारा नए सिरे से यह बिल बनाया जाता है । मैं चाहता हूं कि श्रम मंत्री जी इस पर विचार करें । तो भी जिस हद तक है बहुत अच्छा है । इसके बारे में बहुत सी देर की जाती रही है और इसको पास भी हो जाना चाहिये । लेकिन साथ ही साथ एक कम्प्रीहेंसिव बिल भी लाया जाना चाहिये जिस के अन्दर दिल्ली में जितने भी व्यापारिक संस्थान हैं, उन सब पर वह लागू हो सके । साथ ही साथ जो खामियां हैं, उनको भी दूर किया जाना चाहिये ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर) : शुरू में ही माननीय श्रम मंत्री ने कहा था कि यह विधेयक हानि रहित है परन्तु बाद की चर्चा से बिल्कुल इसके विपरीत सिद्धि होती है । अतैव हम भी इसे हानि रहित नहीं मान सकते क्योंकि मुख्य आयुक्त को समय निर्धारित करने के लिए खुली छुट्टी दी गयी है और निर्बाध अधिकार प्रदान किये गये हैं । यह अच्छी चीज नहीं है ।

हमें आशा थी कि हमें प्रस्तावित अवधि का थोड़ा ज्ञान कराया जायगा परन्तु हमें उस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया । यदि काम के घंटे ज्यादा निश्चित किये गये तो भी कर्मचारियों को बड़ी भारी हानि होगी । यदि काम के घंटे ठीक से निश्चित न किये गये तब भी कठिनाई होगी । यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि माननीय मंत्री हमें इस बारे में साफ साफ क्यों नहीं बतलाते । दुकानों में काम करने वाले लोगों को इस समय किसी भी प्रकार की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं । उन्हें त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर भी छुट्टी नहीं मिलती जबकि कारखानों में काम करने वाल मजूरों को वह रियायत मिल जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जब इतनी छोटी सुविधाएं उन्हें प्राप्त नहीं है तब बड़ी सुविधाओं अर्थात् चिकित्सा की सुविधा देने आदि की तो बात ही नहीं उठती । इन सब बातों को देखकर मैं यही चाहती हूं कि इस विषय पर एक व्यापक कानून पेश किया जाय और इस विधेयक को वापिस ले लिया जाय ।

†**श्री बलराज मधोक** : मैं इसके पक्ष में नहीं हूं ।

श्री नबल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, दिल्ली दूकान तथा संस्थान अधिनियम के संशोधन के निमित्त यह विधेयक यहां लाया गया है । जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मैं इस का स्वागत करता हूं किन्तु जो कुछ कठिनाइयां हैं, उन को मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं ।

एक कठिनाई यह है कि दूकानें खुलती हैं, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि वे नियिमित रूप से खुलती हैं या नहीं, और कानून के ऊपर अमल किया जाता है या नहीं । यहां से बहुत से अधिनियम बनते हैं और वे लागू हो जाते हैं, किन्तु उन पर ठीक तरह से अमल नहीं होता । वही बात आज इस कानून के सम्बन्ध में भी है । मैंने यह देखा है कि दूकानों पर छुट्टी का दिन घोषित किया होता है, लिखा होता है, किन्तु पिछले दरवाजे से दूकान चालू होती है और सौदा भी उसी तरह से बिकता है क्योंकि ग्राहक जब देखता है कि पिछले दरवाजे से सामान मिल सकता है तो वह उधर चला ही जाता है । मैं ने इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी लेने की कोशिश की तो ज्ञात हुआ कि दिल्ली प्रशासन के पास सात या आठ निरीक्षक या इन्स्पेक्टर हैं । दिल्ली में, जहां की साढ़े छबीस लाख की आबादी है और बहुत बड़ी संख्या में दुकानें हैं छोटी बड़ी, वहां पर कुल सात या आठ अथवा अधिक से अधिक दस या बारह निरीक्षक हैं । इतने निरीक्षक या इन्स्पेक्टर ठीक ठीक सब देख भाल कर सकेंगे, यह, मैं समझता हूं, उन की शक्ति के बाहर की बात है । यदि आप की वास्तव में उन कर्मचारियों के साथ, जो दूकानों पर काम करते हैं, हमदर्दी है तो यह आवश्यक है कि दूकानों द्वारा जो उन के खुलने और बन्द होने का समय है, उस का पालन हो, समय की जो पाबन्दी है वह ठीक ढंग से होनी चाहिये, और वह तभी हो सकती है जब कि उन से नियमों का कड़ाई के साथ पालन कराया जाय । जैसा मैं ने बतलाया, हालत तो यह है कि छुट्टी का दिन निश्चित है, किन्तु हिसाब किताब के बहाने से मजदूर या कर्मचारियों को बुला लिया जाता है और उनका सारा दिन उसी तरह से गुजर जाता है । समय भी कोई ठीक ठीक निश्चित नहीं है । सवेरे ७ बजे से दुकान खुलती है और रात को १० बजे तक खुली रहती है । आप कल्पना कीजिये उन लोगों की । आप बूढ़े आदमियों को छोड़ दीजिये, मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक आदमी से मिलने का मौका मिला जो दुकान पर काम करते हैं । उन्होंने बतलाया कि उन का विवाह भी हुआ है परन्तु उन्होंने दिन के उजाले में अपनी दुल्हन की शक्ल नहीं देखी । इस से आप उन की स्थिति का अन्दाजा लगा सकते हैं । चूंकि ७ बजे दुकान खुलने का समय है इस लिये उनको ५ बजे उठ कर चलना पड़ता है क्योंकि तभी जा कर वह अपनी दुकान पर समय से पहुंच सकता है । अगर कोई आदमी तिलक नगर में रहता है और करौलबाग में दुकान पर काम करता है तो वह ५ बजे अपने घर से चलेगा तभी तो ७ बजे पहुंच सकता है । वह ७ या ६॥। बजे दुकान पर आयेगा, दुकान खोलेगा, उस की सफाई करेगा, चीज़ों को लगायेगा और सजायेगा, तब जा कर दुकान का काम शुद्ध हो सकेगा । इसलिये मैं चाहता हू कि दूकानों का समय ठीक ढंग से निर्धारित किया जाय । जो ग्राहक है, अगर उसे सौदा देना है तो वह समय पर लेगा । अगर उस के आठ घंटे भी मुकर्रर कर दिये जायें तो वह आठ घंटों में भी ले सकता है, और अगर आप २४ घंटे भी दुकान के लिये मुकर्रर कर दें तो २४ घंटों में भी आदमी आ सकते हैं क्योंकि ग्राहक

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नवल प्रभाकर]

को २४ घंटे सामान बिकता दिखाई देगा । परन्तु मैं ने देखा है कि कितनी ही दूकानें हैं जहां पर काम ठीक समय पर से होता है, वह ठीक समय से खुलती हैं और ठीक समय से बन्द हो जाती हैं, ग्राहक को पता होता है कि अमुक अमुक दुकान अमुक अमुक समय पर खुलती है और अगर उसे सौदा लेना है तो उस को वहां समय से पहुंचना होगा । आप देखिये हमारा खादी ग्रामोद्योग भवन है, वह निश्चित समय पर खुलता है और ठीक समय पर बन्द हो जाता है, बीच में छट्टी भी हो जाती है, परन्तु इससे उन की बिक्री में को कमी नहीं आती । वहां पर बिक्री उसी तरह चलती है जैसे कि दूसरी दुकानों पर । जिन दुकानों पर ईमानदारी है, सच्चाई है, वह ठीक समय पर खुलती हैं और उन की बिक्री उसी तरह से होती है, तो कोई वजह नहीं है कि उन के काम के लिये एक समय न निर्धारित कर दिया जाय और उस समय के अन्दर ग्राहक आयें और माल ले जाये ।

मैंने एक शिकायत कर्मचारियों की सुनी है, और वह यह है कि इतवार का दिन ऐसा होता है जो कि छट्टी का दिन होता है । वे कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि छुट्टी हो, हमारे गहुत से मित्र हैं, सम्बन्धी हैं, प्रेमी हैं, हम उन से मिलना चाहते हैं । हमारा अपना सामाजिक व्यवहार है और उन को हम निभाना चाहते हैं । किन्तु वर्षों गुजर जाते हैं और हम उन को निभा नहीं पाते हैं क्योंकि मित्र की छुट्टी तो इतवार को होती है और दुकान के कर्मचारियों की मंगलवार को होती है । मंगलवार के दिन और सब लोग तो दफ्तरों में होते हैं और दुकान के कर्मचारियों की छुट्टी होती है और इतवार के दिन जिस दिन औरों की छट्टी होती है उस दिन कर्मचारी दूकानों पर सौदा तोलते होते हैं । इस तरह की स्थिति है जसके कारण जो सामाजिक जीवन के सम्बन्ध हैं उन के वे सम्बन्धी अच्छी तरह से नहीं बन पाते हैं । मैं चाहता हूं कि कुछ भी हो, एक दन नश्चित किया जाये और उस निश्चित दिन को छुट्टी होनी चाहिये । चाहे वह इतवार का दिन हो या कोई और दिन हो, लेकिन सारी दिल्ली में उस दिन दूकान के कर्मचारियों के लिए छट्टी होनी चाहिये । साथ ही दूकान की बिक्री के लिये एक निश्चित समय होना चाहिये और वह निश्चित समय आठ घंटों से अधिक नहीं होना चाहिये । बहुत से काम हैं, गहुत व्यापार हैं, बहुत सी फैक्टरीज़ हैं, कारखाने हैं उन सब के अन्दर एक मजदूर आठ घंटे काम करता है जब कि दूकानों पर मजदूर को बारह चौदह और कभी कभी बीस बीस घंटों तक काम करना पड़ता है । आखिर वह इतनी देर तक क्यों पिसे ? उसको भी उतना ही अख्त्यार होना चाहिये आराम का जितना एक मजदूर को होता है । जिस तरह से निश्चित समय पर लोग दफ्तरों में आते हैं, वे दस बजे आते हैं और जैसे ही घड़ी की सुई पांच बजाती है, वे कुर्सी छोड़ कर चले जाते हैं, उसी तरह से इन कर्मचारियों को भी अधिकार होना चाहिये कि वे ठीक समय पर अपनी ड्यूटी अदा कर के घर चले जायें । मैं समझता हूं कि इस तरह का प्रबन्ध होना चाहिये ।

आपने चीफ कमिश्नर को इस के लिये अधिकार दिया है । मैं चाहता हूं कि यह सदन उन अधिकारों के साथ यह बात भी जोड़ दे कि इन मजदूरों के साथ इंसाफ होगा और जो लोग दूकानों पर काम करते हैं उनको किसी भी सूरत में आठ घंटों से अधिक काम नहीं करना होगा । अगर किसी दूकान में काम ज्यादा है तो मालिक दो पालियों में काम पूरा कराये । मालिकों का क्या है, वह तो घंटे भर को आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं लेकिन जो मजदूर आता है वह तो सुबह से शाम तक पिसता रहता है । अगर कोई ग्राहक नहीं होता तो भी देखता रहता है कि कब मालिक आयेंगे और कब कहेंगे कि दुकान बढ़ाओ और मैं दुकान बढ़ा कर चलूंगा । अगर मालिक की समझ में आ गया कि आज सिनेमा देखना है तो वह कह जाता है कि आज मैं जरा

देर से आऊंगा, और अगर वह ९ से १२ बजे तक के शो में चला गया तो नौकर बेचारा बैठा उसकी राह देखता है कि कब मालिक आये और कब वह उसको चाबी देकर अपने घर जाये। तो मैं चाहता हूं कि मजदूरों के साथ जो बरताव होता आया है उसमें आज के जमाने में परिवर्तन होना चाहिये। जब हम सब के साथ न्याय बरत रहे हैं तो कोई वजह नहीं कि इनके साथ भी न्याय न बरता जाये। मैं चाहता हूं कि किसी एक दिन सारी दुकानें बन्द रहें, और वह दिन इतवार हो। इससे यह लाभ होगा कि वे भाई जो कि एक दूसरे से बरसों नहीं मिल पाते आपस में मिल सकेंगे और उनका जीवन भी अच्छा होगा।

आप यह कहेंगे कि इतवार को लोगों को छुट्टी होती है। अगर उस दिन सारी दुकानें बन्द रहेंगी तो वे सौदा कैसे करेंगे। आपको कैनाट प्लेस की मिसाल देना चाहता हूं। वह बाजार इतवार को बन्द रहता है तो क्या उनका माल नहीं बिकता। चांदनी चौक भी इतवार को बन्द रहता है तो क्या वहां के दुकानदारों का माल नहीं बिकता। मैंने देखा कि उनका सब से ज्यादा माल बिकता है। जिनको उनके माल की जरूरत होती है वे उसको खरीदते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इतवार का दिन छुट्टी का दिन घोषित किया जाना चाहिये। उस दिन सब की छुट्टी हो, सब को पूरे दिन की छुट्टी का आनन्द मनाने का मौका मिले।

मैं समझता हूं कि इन्सपेक्टरों की तादाद बढ़ानी चाहिए। । अभी यह होता है कि कुछ दुकानदार लालच के वशीभूत होकर छुट्टी के दिन भी अपनी दुकान का पल्ला खुला रखते हैं और सामान बेचते रहते हैं, इंस्पेक्टर आता है तो कह देते हैं कि हिसाब कर रहे हैं। यह चीज़ भी बन्द होनी चाहिए क्योंकि वे इस प्रकार दूसरे दुकानदारों को धोखा देते हैं। मैं चाहता हूं कि इन लोगों के साथ कड़ाई से व्यवहार होना चाहिए और कानून का पालन सख्ती से होना चाहिए।

बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि सब्जी खराब हो जाती है। आज के जमाने में यह कहना कि कोई चीज़ खराब हो जाती है उचित नहीं है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज खुले हुए हैं। वैसे भी जब सब्जी का भाव नरम होता है तो उनको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है। यही छुट्टी के दिन भी किया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि यह कहना कि अगर एक दिन सब की छुट्टी कर दी गयी तो सब्जी खराब हो जायेगी, सही नहीं है। आज भी सब्जी वालों ने कुछ दिन नियत किये हुए हैं जिस दिन छुट्टी रहती है। उस दिन कोई सब्जी खराब नहीं होती। सब्जी दूसरे दिन के लिए खरीद कर रखी जा सकती है और काम में लायी जा सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक दिन सब के लिए छुट्टी होनी चाहिए और सब के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।

जहां तक डाक्टरों का सवाल है डाक्टर भी इतवार के दिन शाम को दुकान बन्द रखते हैं। उस दिन शाम को कम्पाउन्डर नहीं आता। मैं चाहता हूं कि जिस तरह डाक्टर इतवार को एक वक्त दुकान बन्द रखते हैं इसी तरह शनिवार को भी एक वक्त बन्द रखें ताकि उनके नौकरों को पूरे दिन की छुट्टी मिल जाये।

श्री त्यागी : बीमारी की भी छुट्टी होनी चाहिए कि कोई आदमी इतवार को बीमार न पड़े।

श्री नवल प्रभाकर : त्यागी जी ने कहा कि बीमारी की भी छुट्टी होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि अच्छा हो कि जनता को प्राइवेट डाक्टरों की जरूरत ही न पड़े। सरकार को यह इन्तजाम करना चाहिए अस्पतालों के अन्दर कि हर आदमी को वहां पूर्ण सुविधा प्राप्त हों और उसको इलाज के लिए प्राइवेट डाक्टरों का दरवाजा न खटखटाना पड़े। मैं चाहता हूं कि वह दिन जल्द आये। मैं समझता हूं कि त्यागी जी इस बात को तो स्वीकार करेंगे।

श्री त्यागी : यह ठीक है ।

श्री नवल प्रभाकर : तो मैं चाहता हूं कि इन तथ्यों को ध्यान में रखा जाये और समय का निर्धारण ठीक ढ़ंग से और कड़ाई के साथ होना चाहिए और किसी भी सूरत में एक नौकर को आठ घंटे से ज्यादा काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए । कोई वजह नहीं है कि यह नियम दुकानों के कर्मचारियों पर लागू न किया जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि सदन की भावनाओं के अनुसार कार्रवाई हो ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोज़ाबाद) : सभापति जी, इस बिल की व्यवस्थाओं को देख कर मुझे आश्चर्य होता है और मैं सोचता हूं कि यह सरकार दिल्ली की सन १९५४ की प्रादेशिक सरकार से आगे जा रही है या पीछे जा रही है । इस बिल में यह व्यवस्था की गई है कि चीफ कमिश्नर को यह अधिकार होगा कि वह चाहें तो १८ घंटे तक के लिए दुकान खोलने की इजाजत दे सकते हैं । इससे तो यह प्रमाणित होता है कि यह सरकार आगे नहीं जा रही है । सारे हिन्दुस्तान के राज्यों में काम के घंटे निश्चित करने का कानून है । इसलिए जो बाजार में कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं उनके काम के घंटे भी निश्चित होने चाहिएं । यह तै होना चाहिए कि उनको कब से कब तक काम करना है । इसके पीछे भी एक सिद्धान्त है । सिद्धान्त यह है कि अगर उनको सारे दिन काम पर लगाया जाये तो उनको उस श्रम का उचित एवज नहीं मिल सकता । आखिर फैक्टरियों में और दूसरी जगहों में भी काम के घंटे निश्चित हैं और उनके पीछे भी वही सिद्धान्त है । उसके पीछे भी वही भावना है, और अगर यह भावना नहीं है तो ऐसा कानून लाने की जरूरत ही क्या है । हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों में पहले से काम के घंटे निश्चित करने के कानून मौजूद हैं तो फिर इन कर्मचारियों के काम के घंटे भी निश्चित होने चाहिए । इनको १५ घंटे काम करने के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिए । आखिर उनसे आप क्या आशा करते हैं । उनका भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन है, उनसे भी आप आशा करते हैं कि वे अखबार पढ़ें, क्लबों में जायें, सभा सोसाइटियों में भाग लें और लोक सभा की कार्रवाई आकर देखें । तो आपको इन सब बातों पर विचार करने की जरूरत है । लेकिन मंत्री महोदय ऐसा बिल लाये हैं कि जो अन्य राज्यों के बिल के मुकाबले प्रतिक्रियावादी बिल है । मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का कानून इससे अधिक प्रगतिशील है । आज सन् १९६१ में चीफ कमिश्नर को यह अधिकार देना कि वह जैसा चाहे दुकानों को खोलने के घंटे निश्चित कर सकता है मैं समझता हूं उचित नहीं है । आज दुनिया आगे जा रही है, लेकिन यह तो पीछे जाना है कि चीफ कमिश्नर को इस प्रकार के अधिकार दिये जायें । हम ने सुना कि रूस ने चन्द्रमा में जाने के लिए एक स्पेशल शिप बनाया है और अमरीका भी ऐसा शिप छोड़ने वाला था लेकिन मौसम खराब होने की वजह से नहीं छोड़ पाया । लेकिन आज मंत्री महोदय इस प्रकार का बिल ला रहे हैं जो कि पीछे ले जाने वाला है । आज हमको पीछे नहीं आगे जाने की जरूरत है इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि किसी एक व्यक्ति को इतने अधिकार दे दिये जायें और वह चाहे जैसे उनका इस्तेमाल करे । इन लोगों के काम के घंटे निश्चित होने चाहिएं । यह सोचना कि अगर १३ घंटे या १५ घंटे दुकान खुली रहेगी तो ज्यादा बिक्री होगी सही नहीं है । यह तो डिमांड और सप्लाई का सवाल है । जितनी डिमांड है उसको ८ घंटे में पूरा किया जा सकता है । उसके लिए १५ घंटे तक दुकान खोले रहना तो समय की बरबादी करना है ।

अभी भी बहुत से लोग निश्चित घंटों में अपनी दुकान खोलते हैं, लोग समझते हैं कि इनकी दुकान इस समय से इस समय तक खुलती है और उसी समय में उनकी बिक्री हो जाती है । जिसको उनके यहां से सामान लेना होता है वह उस समय के भीतर ले लेता है, इसलिये एक बात सिद्धान्त रूप से तय हो जानी चाहिये कि यह १५, १५ और १३, १३ घंटे किसी से भी काम लेना आज के जमाने में यह बिल्कुल गलत बात है और इस चीज का किसी भी हालत में समर्थन नहीं किया जा सकता । जिस तरह से सरकारी दफ्तरों में काम के घंटे आपने निश्चित किये हुए हैं उसी तरीके से दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों के भी काम के घंटे नियत कर दिये जायें । दुकानों में कोई उत्पादन कार्य तो होता नहीं है कि इस सीमा के बांध देने से उस पर असर पड़ेगा । उदाहरण के लिये लोक-सभा को ही ले लीजिये । मैं उन लोगों में से हूं जो कि यह मानते हैं कि लोक-सभा अगर और ज्यादा घंटे बैठा करे तो ज्यादा काम हो सकेगा । यहां पर जो लोग अपने अपने विचार प्रकट करते हैं उन को अपने विचार प्रकट करने का ज्यादा समय मिल जायेगा वह और अधिक अपने विचार प्रकट कर सकते हैं लेकिन दुकानों के बारे में यह चीज लागू नहीं हो सकती है । वहां पर कोई उत्पादन का सवाल नहीं होता केवल चीजों की बिक्री होती है दुकान बजाय १५ घंटे खुलने के अगर ८, १० घंटे ही खुले तो उस का कोई प्रतिकूल असर पड़ने वाला नहीं है और ग्राहक जो समय आप निश्चित करेंगे उन के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे । इसलिये दुकानों के १३, १३ और १५, १५ घंटे खुलने की चीज को चैक करना चाहिये और उन के खुलने और बन्द होने के समय निश्चित कर दिये जाने चाहियें ।

इस बिल में चीफ कमिश्नर को जो दुकानों के बन्द होने और खुलने का समय निश्चित करने का अधिकार दिया गया है कि वह जैसा चाहें तय कर दें, मेरी समझ में इस तरह का अधिकार चीफ कमिश्नर को देना उचित नहीं है । सन १९५४ में दिल्ली की विधान सभा ने दुकान कर्मचारियों को दृष्टि में रख कर दुकानों के खुलने और बन्द होने का समय नियत किया था । उस में कहा गया था कि गरमी के दिनों में दिल्ली में दुकानें ७ बजे खुल कर रात में १० बजे बन्द हुआ करेंगी और जाड़े के मौसम में ८ बजे सुबह खुल कर रात में ९ बजे बन्द हुआ करेंगी । मेरा कहना यह है कि इस में काम के घंटे बहुत अधिक रखे गये थे और दूसरे राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में काम के घंटे इतने अधिक नहीं रखे गये हैं । होना तो यह चाहिये कि कम से कम कौनकरेंट लेजिस्लेशन में सेंटर स्टेट्स को सही लीड दे लेकिन इस में हम देखते हैं कि सेंटर स्टेट्स से पीछे रहा है । सरकार की तरफ से कहा जा सकता है कि हम उन के काम के घंटे ८ घंटे के ऊपर नहीं ला सकते हैं लेकिन यह पन्द्रह घंटे तो बहुत ही अधिक आपने रखे हैं और इन में अवश्य कमी की जानी चाहिये । आखिर दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी भी इन्सान हैं और उन को इतना समय तो हमें देना ही चाहिये जिस से वे कुछ लिख सकें, पढ़ सकें और अन्य सामाजिक आदि कार्यों में हिस्सा ले सकें लेकिन आप उन के काम के घंटे इतने अधिक तय कर के इन सब कार्यों में हिस्सा लेने से उन को रोक देते हैं

श्री च० द० पांडे (नैनीताल): क्या ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि कर्मचारी ८ या १० घंटे ही काम करें और दुकानें फिर भी खुली रहें ताकि ग्राहकों को कोई असुविधा न हो ? कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि एक कर्मचारी जिस का कि काम का समय समाप्त हो गया हो उस की जगह पर दूसरा व्यक्ति काम करे और दुकान खुली रह सके ।

श्री ब्रजराज सिंह : ऐसा यहां इसलिये नहीं हो सकेगा क्योंकि आज जिन हालात में से हमारा मुल्क गुजर रहा है उस में दुकान के मालिकों की हमेशा यह मनोवृत्ति रहती है कि दुकान पर जो कर्मचारी काम करते हैं उन से अधिक से अधिक काम लिया जाय और वह खुद भी दुकान पर इस उम्मीद में बैठे रहना चाहते हैं कि क्या मालूम कब हमारे पांडे जी सरीखे ग्राहक सामान खरीदने के लिये आ जायें। इस कारण से मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था मुमकिन नहीं होगी। यह बात तय कर देनी चाहिये कि किसी भी कर्मचारी से ८ घंटे से अधिक काम नहीं लिया जायेगा। इस के अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दुकान के खुलने और बन्द होने का समय अगर निश्चित कर दिया जायेगा तो दुकानदार पर उस का कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ने वाला है मसलन अगर आप तय कर दें कि १० बजे से ७ बजे तक दुकान का समय रहेगा तो ग्राहक उसी समय के भीतर अपनी सब जरूरत का सामान खरीद लेगा। सारा सवाल अपनी आदतों को बनाने का है। बिक्री तो उतनी ही ८ घंटे में हो जायेगी जितनी कि १५ घंटे में होनी है। जनता की जरूरत के मुताबिक बिक्री होगी। श्रम मंत्री महोदय को यह सब सोच कर एक ऐसा कानून लाना चाहिये जो कि अन्य राज्यों के लिये एक आदर्श कानून बन सके लेकिन हम देखते हैं कि जहां १३ घंटे और १५ घंटे दुकान खोलने की व्यवस्था हम ने सन १९५४ के कानून में रखी है वहां उत्तर प्रदेश में केवल ८ या ९ घंटे का ही समय फिक्स किया गया है। अब आप के इस पीछे की ओर ले जाने वाले लेजिस्लेशन का उत्तर प्रदेश में यह असर पड़ सकता है और वहां एक आन्दोलन चल सकता है कि दिल्ली की तरह हमें भी अपनी दुकानें ज्यादा समय के लिये खोलने की इजाजत मिलनी चाहिये। इसलिये कोई भी कानून बनाने से पहले हमें यह विचार कर लेना चाहिये कि कौनकरेंट लैजिस्लेशन जो हम करने जा रहे हैं वह सब राज्यों के लिये एक अच्छा उदाहरण और आदर्श बन सकेगा या नहीं।

यह बहुत आवश्यक है कि कर्मचारियों के काम के घंटे कम किये जायें और निश्चित कर दिये जायें। आज मुल्क में जनतन्त्र है और उसमें सब को यह अधिकार हासिल है कि वह अपने विचार रक्खे, ज्ञान प्राप्त करे, विद्याध्ययन करे और दुकानों के कर्मचारी सभी यह सब करने योग्य बन सकेंगे जब आप उन के काम के घंटे आज के मुकाबले कम करें और उन को नियत कर दें।

मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि आज जो आप यह व्यवस्था इस लेजिस्लेशन से कर रहे हैं वह प्रतिक्रियावादी है और हमारे माननीय मन्त्री सिर्फ इस कारण से कि चूंकि कम्युनिस्ट मित्रों ने इस लेजिस्लेशन का विरोध किया है, हकीकत को नजरअन्दाज न कर दें। हमें कोशिश यह करनी चाहिये कि दुकानें ८ घंटे से अधिक न खुलें ताकि कर्मचारियों से ८ घंटे से अधिक काम न लिया जा सके। अगर आप आज इस चीज को पूरा नहीं कर सकते हैं तो इस को छः महीने बाद करिये या साल भर बाद करिये लेकिन इस तरह की व्यवस्था आप को देर सबेर निश्चित रूप से करनी होगी। खास तौर से दिल्ली की दुकानों के कर्मचारियों के लिये तो यह व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है क्योंकि उन को कई कई मील चल कर दुकानों पर पहुंचना होता है, बसों की व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है और दूसरी सवारियां, कारें वह उन के बस की बात नहीं है और मैं तो कहूंगा कि उन के ही नहीं अपितु पार्लियामेंट के मेम्बर भी उन पर नहीं चल सकते हैं, मन्त्री लोगों की बात अलबत्ता मैं नहीं कहता। जब दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उचित नहीं है और काफी दूर दूर से उनको दुकानों पर आना पड़ता है तो यह और भी जरूरी हो जाता है कि उन के काम के घंटे ८ घंटे से ज्यादा फिक्स न किये जायें। आप अगर आज यह चीज नहीं कर सकते तो साल भर बाद या ६ महीने बाद करें। लेकिन इस कानून से यह मंशा कभी पूरी नहीं होगी। अब चीफ कमिश्नर को जो यह दुकानों का टाइम फिक्स करने का अधिकार दिया जा रहा है इसमें होगा यह कि उन पर दुकानदार असर डाल सकते हैं और उनके पास

जाकर कहेंगे कि गरमी जब अधिक हो जाती है और दोपहर को जब लू चलने लगती है तो उन को सुबह ६ या ७ बजे दुकान खोलने की इजाजत दे दी जाय और दोपहर में लू चलने के समय दुकान बन्द करके थोड़ा वे आराम कर लिया करेंगे लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि दुकानदार तो आराम कर लेंगे लेकिन वह बेचारा कर्मचारी कहां जायेगा। उसका घर तो वहां से ४, ६ मील के फासले पर है और इस थोड़ी सी छुट्टी का वह क्या करेगा ? इसलिये यह सारी बातें असम्भव हो जायेंगी और उन पर अमल नहीं हो सकेगा।

अन्त में मैं फिर यही कहूंगा कि सरकार को इस बारे में एक ऐसा लेजिस्लेशन लाना चाहिये जो कि दूसरे राज्यों के वास्ते एक आदर्श बन सके। जिस तरीके से दूसरे कर्मचारियों के लिये सुविधायें दी जा रही हैं उसी तरह से बाजार कर्मचारियों को भी सहूलियतें दी जायं क्योंकि आप यह क्यों भूल जाते हैं कि वह भी उसी तरह समाज का एक अंग है जैसे कि हम आप सब हैं। उन के साथ ज्यादा दिन तक उपेक्षा और लापरवाही नहीं बरती जा सकती है। सरकार को उनकी ओर ध्यान देना चाहिये और आवश्यक लेजिस्लेशन लाना चाहिये।

श्री राधा रमण (चांदनी चौक): सभापति महोदय, यह विधेयक जो यहां दिल्ली की विधान सभा ने सन् १९५४ में एक कानून पास किया था उस के संशोधन के रूप में आज सदन के सामने आया है और मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत इसलिये करता हूं कि पिछले ६, ७ वर्षों में जो मूल विधेयक था और जो दिल्ली में लागू हुआ उस के लागू होने के पश्चात् जो त्रुटियां और जो कमियां उसमें नजर आईं उन को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने यह संशोधन विधेयक लाना उचित समझा है। और उसी विचार को लेकर यह विधेयक बनाया गया और हमारे सामने आया। इस विधेयक में कई बातें ऐसी हैं जो पुरानी त्रुटियों को दूर करती हैं और कई बातें ऐसी हैं जो सम्भवतः उन की पूर्ति पूरे तौर पर नहीं करतीं। कुछ मित्रों ने चर्चा किया है कि हम देश में समाजवादी समाज की कल्पना करते हैं और उस दिशा मे हल्के हल्के बढ़ना चाहते हैं। उसके लिये यह आवश्यक है कि इन सारे क्षेत्रों में इन सारे इदारों में जो जीवन से सम्बन्धित हैं, हल्के हल्के हम संशोधन करते जायें ताकि समाज का वर्ग जो कि आर्थिक दृष्टि से निर्बल है, उसका जीवन स्तर भी हल्के हल्के ऊंचा उठ सके, वह भी आगे बढ़ सके। शाप असिस्टेंट्स या दूकान कर्मचारियों का तबका एक ऐसा तबका है जो कि बहुत बरसों से दूकानदारों के हाथों पिसता चला आ रहा है। उन की न तो कोई नौकरी की शर्तों के बारे में कानून या कायदे थे और न ही उन के आने जाने के कोई नियम थे। जिस प्रकार से भी मालिक चाहता थ , कर्मचारी से काम लेता था और उससे जितने भी फायदे उठा सकता था, उठाता था। उन की तरफ पहले हमारा कम ध्यान गया था। यही कारण है कि यहां की असेम्बली ने सन् १९५४ में इस पर विचार किया और एक कानून बनाया जिसमें संशोधन करने के लिये एक विधेयक आज यहां लाया गया है और हम विचार कर रहे हैं।

सबसे पहली बात इस विधेयक के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि क्या ही अच्छा होता अगर एक आदर्श रूप में इस विधेयक को रखा जाता ताकि यह सारे देश में लागू किया जा सकता और राज्य सरकारें भी इससे कुछ फायदा उठा सकतीं। इस विधेयक को दिल्ली तक ही सीमित रखा गया है और जब इसको दिल्ली में ही लागू किया जा रहा है तो दिल्ली के कर्मचारियों से ही इसका ताल्लुक रह जाता है। मैं अब भी सरकार से प्रार्थना करता हूं कि यह जो विधेयक आया है और जिसके द्वारा मूल विधेयक में संशोधन करना मकसद है, इसलिये इस को तो हम आज पास कर दें, मगर यह ध्यान में रखें कि सभी राज्यों में से इस वर्ग के कर्मचारियों की समस्याओं का निदान हो, उनके काम के घंटों के लिये कानून बनें और जो सुविधायें दी जानी हैं, वे उनको कानून के तहत मिलें और साथ ही जो उनके जीवन की आवश्यकतायें हैं, वे मालिकों से उन को मिलें।

[श्री राधा रमण]

हमारे मित्र श्री नवल प्रभाकर ने कहा है कि दिल्ली में ज्यादा अच्छा हो कि हर किस्म की दूकान का एक ही वक्त खुलने का और एक ही वक्त बन्द करने का हो । उन्होंने इस बात का प्रचार किया है कि फिक्स्ड आवर्ज होने चाहियें और फिक्स्ड आवर्ज एक ही तरह के हों । दस से पांच तक हों या ग्यारह से छः बजे तक । इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं । मैं समझता हूं कि यह बहुत ज्यादा प्रेक्टिकल बात नहीं होगी । इसका कारण यह है कि जो दूकानदार आज किसी भी मार्किट के अन्दर कोई काम करता है, या किसी वस्तु को बेचता है, उसकी अलग अलग जरूरियात होती हैं और उन जरूरियात के मुताबिक ही दूकान खुलती और बन्द होती है । यह स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी की दूध की दूकान है, तो अगर उसको दस बजे से पांच बजे तक या ग्यारह बजे से छः बजे तक खोला जाता है और इस समय दूध की बिक्री की जाती है, तो शायद जो उसका दूध है, वह सड़ कर ही जाएगा और जो दूध पीने वाले हैं या दूध की चाय बना कर पीते हैं, वे दोनों के दोनों उससे वंचित रह जायेंगे । इसी प्रकार से किसी सब्जी वाले को अगर यह कहा जाता है कि वह नौ बजे या आठ बजे दूकान खोले और शाम को छः बजे या सात बजे दूकान बन्द कर दे तो मैं समझता हूं कि यह कोई उपयुक्त बात नहीं होगी । इस तरह की मांग के अन्दर मुझे कोई प्रेक्टिकल नजरिया सामने रखा गया हो, ऐसा दिखाई नहीं देता है । इसलिये मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है कि कोई ऐसी आथोरिटी या ताकत किसी के हाथ में रहे जो इस बात का निर्धारण करे कि दूकानें मुकर्रा वक्त पर तो खुलें और बन्द हों, आठ या दस घंटे वहां पर काम हो, जैसा भी मुनासिब समझा जाए वे खुलें और बन्द हों लेकिन उनके खुलने और बंद होने का समय अलग अलग हो । अगर ऐसा किया जाता तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आपत्तिजनक कहा जा सके । इससे फायदा ही होगा । जो खरीदार लोग हैं वे उसी समय जा कर खरीदेंगे जब दूकान खुली होगी । बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में और ऐसे मुल्कों में भी जिन को साम्यवादी मुल्क कहा जाता है इस बात का ख्याल जरूर रखा जाता है कि जैसे आवश्यकता हो उसके मुताबिक दुकानें खुलें और बन्द हों । यह सही है कि समय खुलने और बन्द होने का निर्धारित है, यह भी सही है कि जो कर्मचारी वहां काम करते हैं वे उतने ही घंटे काम करते हैं जितने घंटे कि उनको काम करना चाहिये, यह भी सही है कि जो कर्मचारी उन में काम करते हैं, उनको छट्टियां मिलती हैं, उनके साथ अच्छा बरताव होता है, मुनासिब तरीके से उनको तनख्वाह मिलती है । इन सब चीजों को वहां देखा जाता है और इनका समुचित इन्तिजाम किया जाता है मगर इस पर वहां भी कोई बहुत ज्यादा दबाव नहीं डाला जाता है कि दुकानें सिर्फ एक ही वक्त खुलें और एक ही वक्त बन्द हों । अगर इस तरह की चीज यहां की जाती है और सरकार अगर बिल के अन्दर कोई इस प्रकार के बन्धन लगाती है तो वह मुनासिब बात न होगी ।

यहां पर यह भी कहा गया है कि चीफ कमिश्नर को उसके अन्दर बहुत वाइड पावर्ज दी गई हैं । इसमें सन्देह नहीं कि एक आथोरिटी को हमने मुकर्रर किया है कि इस बिल के अन्दर और एक धारा के मुताबिक चीफ कमिश्नर को इस बात का अख्तियार दिया है कि वह जैसा भी मुनासिब समझे इलाके तथा काम की स्थिति को देखते हुए और संस्था को देखते हुए समय निर्धारित कर दे और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन दूकानों को खुलवाये और बन्द कराये । मैं समझता हूं कि चीफ कमिश्नर की पावर्ज इतनी वाईड नहीं होनी चाहियें थीं । मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार अगर इस पर अब भी विचार करे और चीफ कमिश्नर को जो ताकत दी जा रही है वह उसी हदतक दी जाये जो लाजिमी है,तो ज्यादा अच्छा होगा और यदि ऐसा किया जाय तो बहुत सारी दिक्कतें साफ हो जायेंगी । कोई कितना अच्छा भी इंसान क्यों न हो,उसकी नीयत कितनी भी नेक क्यों न हो, कि नी ही अच्छी रह से एडमिनिस्ट्रेशन को रन क्यों न करता हो वह कहीं न कहीं दबाव में आकर ऐसा काम कर सकता है जो एक वर्ग के लिये तो फायदेमन्द साबित हो और दूसरे के लिये उना फायदेमन्द

साबित न हो। वह कितना भी ईमानदार क्यों न हो, उसके दिल और दिमाग पर कभी असर पड़ सकता है, किसी के असर में आकर कुछ काम कर भी सकता है। जितनी पावर्ज चीफ कमिश्नर को दी गई हैं वे न देकर सिर्फ उतनी ही दी जातीं जो लाजिमी थीं, तो अच्छा रहता। कई बातें ऐसी थीं जो हम बिल में ही निर्धारित कर सकते थे। हम एक शेड्यूल बना सकते हैं जिसमें कह सकते थे कि इस काम को करने वाली दूकानें इस वक्त से इस वक्त तक खुलेंगी और बाकी की दूसरी चीज़ों के लिये, हम अपने हाथ में ताकत रखते और उनका इस्तेमाल करते। उनके बारे में जैसा हम मुनासिब समझते कर सकते थे। अगर ऐसा किया गया होता तो जो डर यहां प्रकट किया गया है, वह प्रकट न किया जाता और हमें पता चल जाता कि चीफ़ कमिश्नर इन कामों के लिये दूकानें खुलवाने और बन्द करवाने का फैसला कर सकते हैं। इससे काफी आसानी हो सकती थी।

आप धीरे धीरे दूकानदारों और कर्मचारियों दोनों को इस बात की आदत डाल रहे हैं, कि वे समय पर काम करें और समय पर दूकानें खोलें और बन्द करें। यह सही है कि बहुत से दूकानदार ऐसे हैं जो शाप असिस्टैंट्स के बारे में जो कानून है, उसके अनुसार कहने को तो अमल करते हैं, लेकिन असल में वैसा नहीं करते हैं। एक तरफ तो ऐसे दूकानदार हैं दूसरी तरफ वे इंस्पेक्टर भी हैं जो दूकानें अगर समय से पहले या बाद में खुली भी होती हैं तो जब उनके हाथ में दस बीस रुपये का नोट पकड़ा दिया जाता है तो दूकानों को खुला रहने देते हैं और उन दूकानदारों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। कर्मचारी भी अगर कोई गलत काम करते हैं तो अगर इंस्पैक्टर के हाथ में वे एक दो रुपया थमा देते हैं तो उस गलत काम को भी नजरअन्दाज़ कर देते हैं, उसकी चश्मपोशी कर देते हैं। इस सब का दोष अगर दूकानदार पर हम मढ़ने लग जायें तो भी ठीक नहीं होगा और अगर सरकारी मुलाजिमों पर इसका इल्जाम लगाने लग जायें, तो भी ठीक नहीं होगा। इस वास्ते हल्के हल्के इन सब बातों को हमें सुधारना है। अगर आप यह कहेंगे कि फलां फलां दूकानों के खुलने का यह वक्त होगा और बन्द होने का यह, कपड़े की दूकानों का एक होगा, सब्जी की दूकानों का दूसरा होगा, दूध की दूकानों का तीसरा होगा, तो मैं समझता हूं कि जो खरीदार है वह उसी समय चीज़ें खरीदने के लिये जायेगा जब दूकानें खुली होगीं और खुलने से पहले और बन्द होने के बाद के वक्त में नहीं जायेगा। खरीदार की आदत यह नहीं है कि वह बेवक्त जाकर सौदा खरीदे। हजार में एक या सौ में एक आध ऐसा खरीदार हो सकता है जो बेवक्त जाकर किसी चीज़ को खरीदता है, लेकिन ९९ प्रतिशत आदमी आपको ऐसे मिलेंगे जो वक्त पर जाकर खरीदते हैं। जब यह चीज़ हो जायेगी तो न इंस्पेक्टर जाकर कोई ऐसी बात कर सकेगा, न कर्मचारी वक्त से पहले जा सकेंगे न ही दूकानदार वक्त से पहले दूकानें खोल सकेगा, क्योंकि उसे मालूम होगा कि बेवक्त कोई खरीदारी नहीं करेगा। ये चीज़ें हैं जिनकी आदतें हमें लोगों में डालनी हैं। लेकिन आज हमारी ऐसी आदत हो गई है कि कानून बना कर और कानून की लाठी से ही हम हर चीज़ को संभालना चाहते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि बात बनती नहीं है, बिगड़ती चली जाती है क्योंकि लोग समझते हैं कि कानून बनते रहते हैं, कानून को इग्नोर करना उन लोगो का रोजाना काम हो गया है जिनके लिये वह बनाये जाते हैं। शायद जो कानून की पैरवी करने वाले सरकारी मुलाजिम होते हैं सही वह भी समझते हैं कि उनके हाथ में एक और लकड़ी आ गई है। जिसके जरिये से उनकी आमदनी पहले से ज्यादा बढ़ जायेगी। इस लिये हमारे लिये इस बात की आवश्यकता है कि हम हल्के हल्के समाज को इस बात के लिये तैयार करें कि वह इन चीज़ों की रोक करें, हम इस को जनता की संजीदगी के ऊपर छोड़ें। उनके लिये कानून न लाकर हम जनता को इस बात से आगाह करे कि यह समय है कर्मचारियों के आने का, यह वक्त है उनके जाने का, यह वक्त है खरीदने का और यह वक्त है न खरीदने का। तमाम शख्स जब

[श्री राधा रमण]

अवेअर हो जाते हैं इनकी निस्बत तो फिर इस सदन का समय इसके लियें लेने की जरूरत नहीं है । सभी लोग अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हैं, गलत रास्ते पर जाना बहुत कम लोग चाहते हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि इस बात की बड़ी आवश्यकता है ।

इसलिये मुझे इस बिल का स्वागत करने में बड़ी खुशी है । पिछले विधेयक में यह बात साफ नहीं थी कि जो कानून इस बारे में बनाये जायेंगे, दिल्ली शाप्स ऐंड एस्टेब्लिशमेंट्स (अमेंडमेंट्स) बिल जो होंगे, उन कानूनों को सदन के सामने रक्खा जाय तो दोनों हाउस उन पर गौर कर सकते हैं और तमाम कानूनों पर वे अपनी नुक्ताचीनी कर सकते हैं, और साथ में उनमें सुधार और संशोधन भी कर सकते हैं । आज तक यह कमी थी । मैं समझता हूं कि यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो कानून बने, अगर उनके नुमाइन्दों के जरिये वह पास न हो, अगर उनके दिल व दिमाग को वह यहां न रख सकें तो ऐसी सूरत में यह कानून भले ही बनाये जायें और लागू कर दिये जायें, उनसे शायद लोगों को तकलीफ ज्यादा होती है, उनमें कमी होती है । इसलिये मैं समझता हूं कि इस बात की जरूरत है कि हम अपने मुल्क को और समाज को हल्के हल्के इस बात के लिये आमदा करें कि वह इन कानूनों को सही तरीके पर और ईमानदारी से, नेकनियती से, अपने ऊपर लागू करें, अपने ऊपर रिस्ट्रेंट रख कर, उन पर अमल करने की ख्वाहिश रक्खें मेरा अपना ख्याल ऐसा है, और दूसरे भाइयों ने भी इसका जिक्र किया है, कि अपने समाज के अन्दर एक इस किस्म की फिजा पैदा होती जाती है, एक हवा बनती जाती है कि दुकानें १० बजे खुलेंगी और ६ बजे बन्द होंगी या १० बजे से खुलकर १ बजे बन्द होंगी फिर ४ या ५ बजे खुल कर ८ या ९ बजे बन्द होंगी, और आम लोग इस पर अमल करने लगते हैं और उनकी ख्वाहिश नहीं होती उस टाइम को गड़बड़ करने की या चोर दरवाजे से खुलवा कर चीज़ों को खरीदने की । १ या २ परसेंट ऐसे हो सकते हैं जिनके हाथों से गलत काम हो सकते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है उनकी अक्ल भी दुरुस्त हो जायेगी और वह अच्छे काम करने लगेंगे । ऐसा होना चाहिये कि एक फिक्सड अवर, फिक्सड टाइम को लेकर आपको बढ़ना चाहिये और वह चीज चलनी चाहिये । अगर ऐसा हुआ तो इसमें शक नहीं है कि हम देखेंगे कि हमारी सब तकलीफ खत्म हो जायेंगी और किसी भी चीज़ को, एक दाम पर और किसी भी दूकान से निश्चित टाइम पर, हम हासिल कर सकेंगे और तश्फी और तसल्ली पा सकेंगे ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं इन चन्द शब्दों के साथ से बिल का समर्थन करूंगा और यह उम्मीद करूंगा कि इस बिल को पास करने के बाद सरकार इस बात पर गौर करेगी कि वह आइन्दा एक ऐसा अच्छा बिल लाये जो कि ज्यादा कांम्प्रिहेन्सिव हो और जिसके अन्दर तमाम चीजें शामिल हों, जिसके मातहत तमाम राज्यों में जितने भी कर्मचारी दुकानों पर काम करते हैं वह आ सकें और तमाम दुकानदार इस कानून पर अमल करें और अपने कर्मचारियों को आराम पहुंचा सकें ।

श्री च० कृ० नायर (बाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, जो सन् १९५४ मे शाप्स ऐंड एस्टैब्लिशमेंटस ऐक्ट दिल्ली विधान सभा ने बनाया था, उस के अमेंडमेंट की शक्ल में यह बिल पेश किया गया है । इस में चीफ कमिश्नर को टाइम मुकर्रर करने का अधिकार दिया गया है । इस का यह मतलब नहीं है, जैसा कि हमारे श्री ब्रजराज सिंह ने फरमाया कि सारा हिन्दुस्तान आगे बढ़ रहा है लेबर राइट्स के बारे में और दिल्ली पीछे जा रहा है क्योंकि चीफ कमिश्नर को इस बात का पूरा अधिकार दिया गया है । ऐसा मालूम होता है कि वह एक बहुत बड़ी गलतफहमी में मुब्तला है और इसी वजह से उन को ऐसा मालूम होता है । असल में जो सन् १९५४ का ऐक्ट है, उस में ही टाइम मुकर्रर हो चुका है कि आठ घंटों से ज्यादा कोई दूकानदार या एस्टेब्लिशमेंट अपने नौकरों से काम नहीं ले सकता । चीफ कमिश्नर को केवल यह अधिकार दिया जाता है कि वह समय मुकर्रर

करे क्योंकि दिल्ली में सर्दी और गर्मी के दिनों मे बहुत फर्क है । हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट आफ इंडिया में भी जो नेवी है, एअर फोर्स है, उसके दफ्तरों का काम सवेरे साढ़े सात बजे से शुरू हो जाता है और डेढ़ या दो बजे तक खत्म हो जाता है, जब कि बाकी के आफिसेज दस बजे से पांच बजे तक काम करते हैं । इसी तरह से यह रिवाज और डिपार्टमेंट्स में भी है, और होनी भी चाहिये । अगर काम दस बजे शुरू कर दें और पांच बजे खत्म कर, तो गर्मियों में जरा मुश्किल हो जाती है और इसी लिये बीच में जरा आराम का टाइम दे दिया जाता है । इस लिये इस सिलसिले में कुछ एजिटेशन शाप असिस्टेंट्स के बीच पैदा हुआ था और उसे खत्म करने के लिये, उन को तसल्ली देने के लिये, यह बिल पेश किया गया है । इस का मकसद केवल यह है कि चीफ कमिशनर को यह अधिकार दिया जाता है कि वह समय निश्चित करे, इस में कोई अनन्त अधिकार उस को नहीं दिया जाता है । उस को कोई बहुत ज्यादा या अनकंट्रोल्ड पावर्स नहीं दी जा रही है । केवल टाइम मुकर्रर करने की बात है और वह भी अलग अलग जगहों के लिये अलग अलग टाइम मुकर्रर करने की आवश्यकता है । जैसे सब्जी मण्डी है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो पांच बजे सवेरे से सब्जी का काम शुरू हो जाता है और दस या ग्यारह बजे तक ९० फी सदी काम खत्म हो जाता है । इस लिये उन का टाइम दस बजे से मुकर्रर करने में कोई अक्लमंदी नहीं है । असल में बात यह है कि दिल्ली के अन्दर जहां २६ लाख की आबादी है, इस कानून के मातहत बहुत से कर्मचारी आ जाते हैं, उन के अधिकारों की रक्षा के लिये यह कानून लाया जा रहा है, और मैं समझता हूं कि सन् १९५४ में कानून पास होने के बावजूद उन गरीबों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है । इस वजह से भी यह कानून अभी लाना पड़ा ।

इसमें एक और चीज मैं कहना चाहता हूं यह अच्छा होता यदि इसके साथ उन की फेसिलिटीज में भी जाकर कोई तसल्लीबख्श कानून हम पास करते, लेकिन इस में ऐसा नहीं किया गया, और मैं ऐसा मानने वाला हूं कि मजदूरों के अधिकार उन की संगठित शक्ति के जरिये पैदा होते हैं । उन को अधिकार तो दिये गये सन १९५४ में, लेकिन अब तक वे उन अधिकारों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाये । इसकी वजह यह है कि उनके अन्दर भी संगठन की कमी है । परन्तु वह संगठित होते जायेंगे तो उनको अधिकार मिलेंगे ही । मैं समझता हूं कि इस कानून का पास करना भी एक कदम है उन के अधिकारों की रक्षा के लिये। इस के पास हो जाने से उन लोगों में ज्यादा जागृति पैदा होगी । अलग अलग तबकों में, शाप असिस्टेंटस और दफ्तरों में काम करने वाले नौकर जितने भी हैं वे अपना संगठन करके चीफ कमिश्नर से मिल सकते हैं, अपनी दिक्कतों को बतला सकते हैं, उन के लिये जो कन्वीनिएंट टाइम हो सकता है उस के मुताबिक वह अपना समय निर्धारित करा सकते हैं, और मैं समझता हूं कि चीफ कमिश्नर साहब भी अपनी मर्जी के मुताबिक, मनमाने ढंग से टाइम मुकर्रर करने वाले नहीं हैं । हमारे जैसे नुमाइन्दों से सलाह मश्विरा कर के ही वह टाइम मुकर्रर करेंगे । इसलिये उन को कोई ज्यादा पावर दी जा रही है, इस बिल के अन्दर यह कहना सच्ची बात नहीं है । अगर पार्लियामेंट बैठ कर के दिल्ली के शाप असिस्टेंटस और एस्टैब्लिशमेंटस के नौकरों के लिये दूकानों के खुलने और बन्द होने का समय तक मुकर्रर करने लगे तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी क्योंकि अगर इस तरह से उन लोगों को कोई शिकायत रह गई, तो उन को सुनने वाला कौन हो सकता है । उन को उसे इस पार्लियामेंट में ही लाना होगा और यह गलत बात होगी । इसलिये दिल्ली के जो मुख्य ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको जो यह अधिकार दिया जाता है वह बहुत माकूल है और मैं समझता हूं कि वे दुकानदारों नौकरों और दिल्ली की पब्लिक के नुमाइन्दों से सलाह मश्विरा कर के टाइम मुकर्रर करेंगे । जितने घण्टे उन को काम करना है वह तो आलरेडी सन १९५४ के ऐक्ट में निर्धारित है और इसलिये उसको कम करने का या घटाने का कोई अधिकार उन को नहीं रहेगा । उन को केवल टाइम मुकर्रर करने का अधिकार होगा । लेकिन अफसोस यह है कि इस कानन पर अमल कम होता है और उसकी बजूहात

[श्री च० कु० नायर]

है। जैसा मैंने पहले कहा हमारे मजदूरों में और शाप असिस्टेंटस में संगठन की कमी है। मेरा विचार है कि अगर ज्यादा इंस्पेक्टर नियत किये जाएं तो कानून पर ज्यादा अच्छी तरह अमल होने लगेगा और अभी जो बहुत सी शिकायतें सुनने में आती हैं वे कम हो जाएंगी। इसलिए मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्दी, एक दो साल के अन्दर ऐसा कानून लाया जाएगा जिससे कि दिल्ली के शाप असिस्टेंटस और दूसरे मज़दूरों के अधिकारों की ज्यादा अच्छी तरह से रक्षा की जा सकेगी ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं, इसलिये नहीं कि मुझे इस बात का शौक है कि चीफ कमिश्नर को और ज्यादा अधिकार दे दिए जाएं। उनके पास पहले से ही काफी अधिकार हैं और उनके पास बहुत काम है ।

कई भाई जो इस वक्त सोचते हैं तो वे दुकानदार और उसके नौकरों की समस्याओं से बाहर जाकर नहीं सोचते । लेकिन इनके साथ साथ खरीदार का भी सवाल आता है और उसकी भी सहूलियत का ध्यान रखना चाहिए । और हर किस्म के दुकानदार के अलाहिदा अलाहिदा किस्म के खरीदार होते हैं । कई खरीदार बाहर से आते हैं और कई अपने मकान से उठ कर दुकान पर सामान लेने चले आते हैं । तो अलाहिदा अलहिदा किस्म की दुकानों के अलाहिदा अलाहिदा किस्म के खरीदार हैं और उनको अलग-अलग तरह की सुविधा की जरूरत होती है । यह कहना कि इन बातों का अन्दाजा यह सदन या कोई विधान सभा लगा सकती है, गलत है ।

ब्रजराजसिंह जी ने कहा कि यह प्रतिक्रियावादी कानून लाया गया है । लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, यह तो उससे उलटा है । इससे तो यह साबित होता है कि आज लोगों के आराम और तकलीफ का सरकार पर कितना असर होता है, और लोगों के आराम के लिये ही सरकार मजबूर हुई है यह कानून लाने के लिये । यह कानून लोगों के हकों को छीनने के लिये नहीं लाया गया है यह तो लोगों को आराम पहुंचाने के लिये लाया गया है ।

मैं न दुकानदार हूं और न दुकानदारों से मुझे बहुत सम्बन्ध है, खास तौर से दिल्ली के दुकानदारों से, लेकिन दिल्ली के दुकानदारों में और रोहतक के दुकानदारों में ज्यादा अन्तर नहीं है । कुछ दुकानदार मेरे मतदाता जरूर हैं । मुझे मालूम है कि इन दुकानदारों के पास कई तरह के इंस्पेक्टर आते हैं। मेरे दूसरे भाइयों ने बताया कि कानून पर ठीक अमल होने के लिए यह जरूरी है कि दुकानदारों के पास इंस्पेक्टर जाएं । इससे काम ठीक हो सकता है । लेकिन उनके पास तरह तरह के इंस्पेक्टर आते हैं और अलग-अलग समय पर आते हैं और अलग-अलग सवाल लेकर आते हैं । इस तरह से इन इंस्पेक्टरों की तादाद भी बहुत बढ़ जाती है जिससे दुकानदारों को दिक्कत होती है और सरकार का भी बहुत खर्चा होता है ।

यह ठीक है कि लेबर का इंस्पेक्टर दुकानदारों के पास जाना चाहिए और इस बात की जांच पड़ताल होनी चाहिए कि नौकरों से कहीं ८ घंटे से ज्यादा तो काम नहीं लिया जाता । लेकिन मेरा सुझाव है कि एक इंस्पेक्टर के जिम्मे चार पांच इंस्पेक्टरों का काम कर दिया जाए ताकि वह एक साथ सब बातों को देख सकें । अभी कोई इंस्पेक्टर बाट देखने आता है । कोई दूसरी चीज देखने आता है । मैं समझता हूं कि यह ज्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर इन इंस्पेक्टरों को चार पांच बातें देखने की ट्रेनिंग दे दी जाए । हमारे सामने भी तरह तरह की शिकायतें आती हैं और हम उनको समझने की कोशिश करते हैं । इसी तरह से मैं समझता हूं कि यह बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए जो लेबर का इंस्पेक्टर हो उसको दूसरे काम करने की भी ट्रेनिंग दी जाए । वह यह देखे कि मजदूरों से ८ घंटे से ज्यादा काम

न लिया जाए, साथ ही वाट और नाप वगैरह भी देख ले । इससे सरकार का पैसा भी बच सकता है और दुकानदारां को भी सुविधा हो सकती है ।

इसके अलावा खरीदार का भी हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए । जैसा कि नायर साहब ने कहा, यह जो अधिकार चीफ कमिश्नर को दिया जा रहा है वह उनकी एडवाइजरी कमेटी को पहुंचता है । और जो लोग शिकायत करते हैं उनकी एसोसिएशन को भी पहुंचता है । जो हमने पहले कानून बनाया था उसमें हमने सब चीज़ बांध कर रख दी थी और न चीफ कमिश्नर को अधिकार था, न एडवाइजरी कमेटी को अधिकार था । इसलिये लोगों की शिकायत कोई सुनने वाला नहीं था । यह अच्छा हुआ कि यह कानून आया, इसके द्वारा लोग अपनी शिकायत दूर करवा सकेंगे और अपनी आवाज चीफ कमिश्नर तक पहुंचा सकेंगे । मैं इस बिल का स्वागत करता हूं ।

†**डा० म० श्री अणे** (नागपुर): यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है मैं इसका स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं । सरकार को ऐसा विधेयक पारित करना भी चाहिये क्योंकि उसे तो कल्याण-कारी राज्य होने का उत्तरदायित्व निभाना है । वैसे भी दूकानों और संस्थानों में अनुशासन लाने की दृष्टि से यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है । मेरा मत यह है कि अनुशासन लाने का सर्वोत्तम उपाय इनके काम के घंटे निर्धारित करना है ।

इस विधेयक के अन्तर्गत मुख्य आयुक्त को बहुत ही व्यापक अधिकार दिये गये हैं । आशा करनी चाहिए कि वह सदन में दिये गये सुझावों को ध्यान में रखेंगे । यह भी आशा है कि वह इस अधिनियम को लागू ही नहीं करेंगे प्रत्युत इसे एक आदर्श विधान बनाने का प्रयत्न करेंगे ।

†**श्री बाला साहेब पाटिल** (मिराज) : मेरा मत तो यह है कि यह विधेयक अनावश्यक है । यह सोचना गलत है कि मूल अधिनियम में कुछ खामियां हैं जो इस विधेयक द्वारा दूर हो जायेंगी । इस दिशा में मेरा मत यह है कि यदि कोई समस्या है तो यह है कि कर्मचारियों के काम की मात्रा निर्धारित कर दी जाये । मेरा विचार सरकार को इस समस्या का व्यापक अध्ययन करके और कर्म-चारियों की सेवा शर्तों का और वेतन इत्यादि का पूरा अध्ययन करके इस सम्बन्ध में विधेयक लाना चाहिये था ।

मेरा यह भी अनुरोध है कि पटरियों पर माल बेचने वाली दूकानों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये । ये दुकानें छुट्टी के दिन भी खुलती हैं और दुकानदार माल बेचते हैं । इस बात की ओर भी मैं ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि दुकानदारों द्वारा ध्वनि-विस्तारक यन्त्रों के प्रयोग से जो शोर गुल किया जाता है, इस दिशा में भी कुछ किया जाना चाहिये । जिन बस्तियों में दुकानें हैं, उनकी सुविधा का ध्यान रखा जाना चाहिये । इन सब प्रश्नों का हल करने और सारी सम्बद्ध बातों को समुचित ढंग से सुलझाने के लिये अपेक्षित विधान प्रस्तुत किया जाना चाहिए । यह विधेयक तो बिल्कुल अनावश्यक है ।

†**श्री आबिद अली** : इस विधेयक पर चर्चा के दौरान में बड़ी मजोरंजक बातें कही गयी हैं । परन्तु जो कुछ बातें कही गयी हैं, उनका विधेयक से कुछ भी सम्बन्ध नहीं । जब भी कभी श्रम समस्या के किसी अंग पर चर्चा होती है तो सभी बातें उसमें आ जाती हैं । विधेयक के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि इसका क्षेत्र काफी सीमित है और हमारा मूल अधिनियम की व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं । मूल अधिनियम में जो परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया गया है उसका अधार काफी ठोस है । दिल्ली सलाहकार समिति ने एक प्रस्ताव द्वारा यह मांग की थी कि दिल्ली के चीफ कमिश्नर को यह अधिकार दिया जाय कि वह दुकानों तथा अन्य संस्थाओं के खुलने तथा बन्द होने का समय निर्धारित करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आबिद अली]

हमें इस बात का ध्यान रखना है कि विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए उसके अनुसार ही दुकानों के खुलने और बन्द होने का समय निर्धारित किया जाय। सम्पूर्ण दिल्ली के लिए छुट्टी का एक ही दिन रखा जाना सम्भव नहीं है। यह कोई प्रतिगामी विधान नहीं है। इसके द्वारा यह ही केवल व्यवस्था की गयी है कि चीफ कमिश्नर को यह अधिकार प्राप्त होंगे कि वह विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार दुकानों के खुलने तथा बन्द होने का समय निर्धारित करें। इस दिशा में मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस विधेयक के अन्तर्गत जो नियम इत्यादि बनेंगे उन्हें संसद के समक्ष रख दिया जायेगा।

एक यह बात भी स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि यह विधेयक राज्यों में प्रचलित विभिन्न अधिनियमों के विरुद्ध नहीं है। न ही यह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निश्चयों के ही विरुद्ध जाता है। कहा गया है कि इसके लिए कोई व्यापक विधान प्रस्तुत किया जाय। मेरा विचार है कि इस प्रकार की कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती। हम इस प्रकार का कोई विधान प्रस्तुत करने नहीं जा रहे। सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि दुकानों के सहायक कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत आ जायें। इसके लिए मूल अधिनियम में किसी प्रकार का संशोधन किये जाने की आवश्यकता नहीं।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि बम्बई में इस अधिनियम के अन्तर्गत ३,५८३ व्यक्ति १९६० में पकड़े गये और उनसे ३,५८३ रुपये जुर्माना लिया गया। दिल्ली में इन्स्पेक्टरों की संख्या १७ है। दिल्ली प्रशासन के अधीन जो निरीक्षणालय हैं, उन्हें विधेयक के अधीन अधिकार दिये जा रहे हैं। मूल अधिनियम के सभी उपबन्धों को कार्यान्वित कराने के लिए प्रत्येक प्रकार के प्रयत्न किये जायेंगे। यह भी मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि डाक्टरों तथा कम्पाउण्डरों की संस्थाओं के बीच उनके काम के घंटों के सम्बन्ध में समझौता हो गया है। यह समझना गलत है कि दिल्ली प्रशासन कर्मचारियों की मांगों को सुनता नहीं है। यह बात सब को समझ लेनी चाहिए कि यदि किसी कर्मचारी को सप्ताह में एक छुट्टी नहीं मिलती तो अधिकारियों के पास शिकायत की जा सकती है। और इस सम्बन्ध में तुरन्त समुचित कार्यवाही की जायेगी। आशा है कि इससे सब को सन्तोष होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली दुकान तथा संस्थान अधिनियम १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ५, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड १ से ५, अधिनियम सूत्र विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री आबिद अली** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाय ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सालारजंग संग्रहालय विधेयक

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** मैं श्री हुमायूं कबिर की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि हैदराबाद स्थित सालारजंग संग्रहालय को सालारजंग पुस्तकालय सहित राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने वाले और इसके प्रशासन तथा तत्सम्बन्धी अन्य बातों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

इस विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ साथ मैं स्वर्गीय नवाब सालारजंग बहादुर को श्रद्धांजली अर्पित करता हूं जिनके अकेले द्वारा ही एकत्रित वस्तुओं के परिणामस्वरूप इस संग्रहालय की स्थापना हुई । सन् १९४९ में नवाब साहब की मृत्य हुई और उस समय उनकी आयु ६० वर्ष थी । अपने जीवन के पिछले ३५ वर्ष उन्होंने कलात्मक वस्तुओं के संग्रह में ही बिताये । उनके द्वारा इन एकत्रित वस्तुओं ने न केवल देश के कलाप्रेमियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है बल्कि विदेशी कलाप्रेमी भी इसके प्रति आकर्षित हुए हैं । ऐसा अनुमान है कि इस संग्रहालय तथा पुस्तकालय में जो चीजें रखी हुई हैं उन पर ५ करोड़ रुपये व्यय हुए हैं अगर इनका मूल्यांकन आज के बाजार भाव से लगाया जाये तो इन वस्तुओं का मूल्य तीन गुना होगा । नवाब साहब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी ने ये वस्तुएं राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने के लिये अर्पित कर दीं ।

इस संग्रहालय में विभिन्न प्रकार की लगभग २५ हज़ार कलात्मक वस्तुएं हैं । ये कलात्मक वस्तुएं निराली एवं मूल्यवान हैं । अब तक इस का प्रशासन सालारजंग सम्पदा समिति द्वारा किया जाता था जिसकी स्थापना नवाबसाहब की मृत्यु के बाद की गई थी । सन् १९५० के अधिनियम ३६ के द्वारा भी इस समिति को अधिकार दिये गये थे । नवाब साहब के बहुत से उत्तराधिकारी भी आये जिन्होंने हैदराबाद सरकार, केन्द्रीय सरकार तथा इस सम्पदा समिति के सामने अपने अपने दावे रखे लेकिन बाद को सभी ने संग्रहालय के पक्ष में अपने दावे छोड़ दिये । और २ दिसम्बर, १९५८ को आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में उन्होंने अपने सभी दावे केन्द्रीय सरकार के पक्ष में समाप्त कर दिये । और उसी दिन सालारजंग सम्पदा समिति ने भी इस संग्रहालय का चार्ज भी दे दिया । आशा है कि सभा इस विधेयक का समर्थन करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

यह विषय कल जारी रहेगा ।

---

*भाखड़ा नंगल परियोजना

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : भाखड़ा नंगल परियोजना के अनुमित व्यय के बारे में १४ मार्च, १९६१ को तारांकित प्रश्न संख्या ८२० के उत्तर में पांच मदें दी गईं थीं और बताया गया था कि उन पर ५ करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा । यदि हम इन मदों को देखें तो पता चलता है कि ये पांचों मदें भाखड़ा दुर्घटना के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हैं न कि किसी विशेष कारण से । हमें बताया गया है कि भाखड़ा दुर्घटना के कारण अधिक से अधिक १.२० करोड़ रुपये खर्च होगा ; यह राशि बिल्कुल गलत है, सच तो यह है कि भाखड़ा के प्रबन्ध कर्ता जानते थे कि खर्च ५ या ६ करोड़ रुपये से कम नहीं होगा । सरकार को चाहिये कि वह निम्नलिखित चार मदों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय के अलग अलग आंकड़े दे । (१) होइस्ट चैम्बर की मरम्मत (२) बांध, विद्युत, संयंत्र और नहरों के लिये कर्मचारियों आदि की व्यवस्था में वृद्धि (३) बांध के लिये जमीन की कीमत और (४) पावर हाउस और स्टेपिंग अब सब स्टेशन का बढ़ा हुआ व्यय । जिस तरह से यह काम हो रहा है और खर्च बढ़ रहा है इस सम्बन्ध में जांच करना आवश्यक है । गत पांच या छः वर्षों में इस परियोजना में पांच या छः दुर्घटनाएं हुई हैं और अब तक कोई जांच नहीं की गई है । होइस्ट चैम्बर में हुई दुर्घटना के बारे में डा० ए० एम० खोसला के सभापतित्व में एक समिति तो नियुक्त की गई है लेकिन वह स्वतंत्र समिति नहीं है क्योंकि उसके अधिकांश सदस्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। इसके अलावा समिति ने जो प्रतिवेदन दिया है वह असन्तोषजनक है । समिति ने उन बातों के लिये किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जिनके कर्तव्य न करने से यह दुर्घटना हुई । परियोजना के अनुमित व्यय में वृद्धि होती जा रही है । इसका अनुमित व्यय शुरू में ७५ करोड़ रुपया था और आज वह १७५ करोड़ रुपये हो गया है । दुर्घटना के फलस्वरूप आवश्यक मरम्मत का व्यय भी बढ़ कर ५ करोड़ रुपये हो गया है इससे पता चलता है कि प्रशासकीय व्यवस्था में कहीं कोई कमी अवश्य है ।

पंजाब की लोक लेखा समिति ने अपने चौथे प्रतिवेदन में परियोजना के कार्यान्वयन की शोचनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और योजना के कार्य की जांच के लिये एक उच्च स्तरीय एवं शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने की सिफारिश की है । सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी जिसने लगभग ९ करोड़ रुपये से हुए कार्य की जांच की और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कोई पचास लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ है । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस परियोजना के कार्य की उच्चस्तरीय जांच करना आवश्यक है नियंत्रण बोर्ड समाप्त कर दिया जाये और परियोजना का पूरा दायित्व पंजाब सरकार को सौंप दिया जाये इसमें राजस्थान सरकार का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है ।

मेरा विचार है कि यह नियंत्रण मंडल बिल्कुल बेकार है । निर्माण कार्य के बारे में शुरु से लेकर अब तक अच्छी तरह जांच की जानी चाहिये । दौलत समिति ने भी इसी बात पर जोर दिया है ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : क्या यह सच नहीं है कि जिन मदों का उल्लेख किया गया है, उनमें से अधिकांश मद पहले की बातों से सम्बन्धित हैं और अब जो कुछ हो रहा है उसका उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा

†**सरदार इकबाल सिंह** (फिरोज़पुर) : मैं दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं । खर्च में जो वृद्धि हुई है वह वृद्धि है और इसके लिये जनता को सुधार शुल्क देना होगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वृद्धि का औचित्य सिद्ध करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ? जहां तक परियोजना को क्रियान्वित करने का सम्बन्ध है इस काम में जनता क विश्वास प्राप्त करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ।

क्या सरकार कोई ऐसा प्रबन्ध करेगी कि यह सारी परियोजना प्राक्कलन खर्च के भीतर ही पूरी हो जाये ।

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) : भाखरा नंगल बांध के बारे में कुछ भ्रांति हो गई है । इस भ्रांति को दूर करने के लिये मुझे इसके इतिहास पर प्रकाश डालना होगा । सन १९४६ में इस परियोजना का मूल प्राक्कलन ७५ करोड़ रुपये था । १९४९ में इसको बढ़ा कर १३० करोड़ रुपये कर दिया गया क्योंकि पंजाब के अलावा पेप्सू और राजस्थान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये परियोजना को अधिक व्यापक बना दिया गया । अतः यह वृद्धि न्याय संगत थी । १९५१–५२ में इस प्राक्कलन को और भी बढ़ा कर १५६ करोड़ रुपये किया गया यह परिवर्तन इसलिये किया गया क्योंकि सामग्री तथा श्रम मंहगा हो गया था तथा रुपये का अवमूल्यन भी हो गया था और परियोजना की व्याप्ति में भी परिवर्तन किया गया था । डिजाइन में कुछ परिवर्तन करने और नंगल उर्वरक कारखाने को बिजली देने का निश्चय करने के कारण १९५४ में प्राक्कलन को संशोधित करके १५८.८८ करोड़ रुपये कर दिया गया था । १९५५ में प्राक्कलन बढ़ा कर १७० करोड़ रुपये कर दिया गया क्योंकि वहां कुछ अतिरिक्त संयंत्र लगाने थे । यही कारण हैं जिनके कारण समय समय पर इन प्राक्कलनों में वृद्धि होती रही है ।

५ करोड़ रुपये की वृद्धि के बारे में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उसके बारे में मैं कई बार यहां वक्तव्य दे चुका हूं । जब होइस्ट चैम्बर की दुर्घटना हुई तो उसमें जो संयंत्र था उसको ठीक करने के लिये ५५ लाख रुपयेकी आवश्यकता है । इसमें चैम्बर की मरम्मत का खर्चा नहीं है । १० सितम्बर, १९५९ को जो वक्तव्य दिया गया था उस में बताया गया था कि मरम्मत पर लगभग १ करोड़ रुपया खर्च होगा । १९ नवम्बर, १९५९ को जो वक्तव्य दिया गया था उसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया था कि मरम्मत पर अब तक १४ लाख रुपये व्यय हो चुके हैं । साथ ही उस समय यह भी बताया गया था कि मरम्मत पर अधिक से अधिक १·२ करोड़ रुपये व्यय होंगे । ९ फरवरी, १९६० को जो वक्तव्य दिया गया था उसमें बताया गया था कि मरम्मत का अनुमानित व्यय १·१८ करोड़ रुपये है । मरम्मत का वास्तविक व्यय १·१५ करोड़ रुपये हुआ है और विद्युत संयंत्र मशीन की हानि लगभग १० लाख रुपये की हुई है । अतः मैं कह सकता हूं कि भाखरा का निर्माण व्यय इस दुर्घटना के फलस्वरूप नहीं बढ़ा है । यह वृद्धि तो कुछ और कारणों के कारण हुई थी जिनका उल्लेख मैं ऊपर कर चुका हूं । अतः मेरा विचार है कि माननीय सदस्यों के मन में इस खर्च के बारे में कुछ भ्रांति है । मैं आशा करता हूं कि वह भ्रांति अब खतम हो जायेगी । यदि अब भी कुछ भ्रांति रह जाती है तो माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे मेरे पास आयें और मैं उनके सभी संदेहों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा । मैं कह सकता हूं कि वहां खर्चे के मामले में कोई गड़बड़ नहीं हुई है । वहां जो कुछ भी हो रहा है वह देश के हित को ध्यान में रख कर हो रहा है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, ४ मई, १९६१/१४ वैशाख, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बुधवार, ३ मई, १९६१
१३ वैशाख, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	६७८३—६८०७
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१८६०	कोनार बांध	६७८३—८४
१८६१	रुड़की-बद्रीनाथ सड़क	६७८४—८५
१८६२	भारत में हृदय रोग	६७८५—८७
१८६३	भारतीय रेलवे इंजनों का निर्यात	६७८८—८९
१८६४	राष्ट्रीय राजपथ विस्तार योजना	६७८९—९२
१८६६	चम्बल बांध से बिजली	६७९२—९४
१८६८	रक्त चाप की नई औषधि	६७९४—९६
१८७१	झांसी में वाटर वर्क्स	६७९६—९७
१८७२	नागार्जुन सागर परियोजना के लिए ऋण	६७९८—९९
१८७३	ग्लाइडर निर्माण परियोजना	६८००
१८७४	हीराकुद बांध	६८००—०१
१८७६	दामोदर में बाढ़	६८०१—०२
१८७७	यात्री और भारवाही जहाज़ों पर लाइफ-बोट ले जाने के विनियम	६८०२—०३
१८७८	ग्राम्य क्षेत्रों में एक्सप्रेस चिट्ठियों और तारों का पहुंचाया जाना	६८०३—०४
१८७९	लोको रनिंग शेड, कोजीकोडे, की छत का गिरना	६८०४—०५
१८८२	'पैकेज प्रोग्राम'	६८०५—०७
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	६८०७—७८
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१८६५	मुगलसराय रेलवे यार्ड	६८०७—०८
१८६७	हुगली नदी के लिये तलकर्षण-यंत्र	६८०८
१८६९	माल डिब्बों के आवंटन की प्रक्रिया	६८०८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१८७०	चाय बागानों के लिए उर्वरक	६८०८–०९
१८७५	इटारसी स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु	६८०९
१८८०	हवाई अड्डों पर भोजन-व्यवस्था के ठेके	६८०९–१०
१८८१	केरल में मीटर गेज रेलवे माल डिब्बों का कारखाना	६८१०
१८८३	नमक के यातायात के लिए माल डिब्बों की कमी	६८१०
१८८४	लंका के लिए नाव-सेवा का बन्द किया जाना	६८११
१८८५	रेलवे वर्दी समिति	६८११
१८८६	राष्ट्रीय उष्णदेशीय ऋतु विज्ञान संस्था	६८११–१२
१८८७	चाय उद्योग के लिए रासायनिक उर्वरक	६८१२
१८८८	गाड़ी की टक्कर	६८१२
१८८९	चेचक नियंत्रण आयोग	६८१३
१८९०	आन्ध्र प्रदेश में 'पोलिओ' रोग	६८१३
१८९१	रूरकेला और तालचेर के बीच रेलवे लाइन	६८१३–१४
१८९२	दिल्ली में विद्युत व्यवस्था का अस्त-व्यस्त होना	६८१४
१८९३	बिजली का उपभोग	६८१४–१५
१८९४	कुरडवाही मिरज-लातूर लाइन	६८१५
१८९५	डीजल रेलवे इंजनों के निर्माण के लिए कारखाना	६८१५
१८९६	हैजा नियंत्रण	६८१६
१८९७	गांवों में डाकियों के लिए दैनिक भत्ता	६८१६
१८९८	इर्विन अस्पताल, दिल्ली	६८१६
अतारांकित प्रश्न संख्या		
४३२७	अतेली-मंडी (पंजाब) में पी० सी० ओ	६८१७
४३२८	पंजाब में विकास खंड	६८१७
४३२९	पंजाब में नये टेलीफोन कनेक्शन	६८१७
४३३०	पुरी स्टेशन पर प्रतीक्षालय	६८१८
४३३१	मध्य रेलवे पर चोरियां	६८१८
४३३२	आन्ध्र प्रदेश में खाद्यान्नों का लाना ले जाना	६८१८
४३३३	मनीपुर तथा त्रिपुरा में कृषि योग्य भूमि	६८१८–१९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
४३३४	महाराष्ट्र में गांवों में बिजली लगाना	६८१९
४३३५	दिल्ली दुग्ध योजना	६८१९–२०
४३३७	मछुओं के लिए खाद्य सम्बन्धी आवश्यकतायें	६८२०–२१
४३३८	उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों की नियुक्ति	६८२१
४३३९	पंजाब में चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण	६८२१
४३४०	ओलवक्कोट में चौथी श्रेणी के कर्मचारी	६८२१–२२
४३४१	सिलीगुडी के निकट रेल दुर्घटना	६८२२
४३४२	विजयवाड़ा में ऊपरी पुल	६८२२
४३४३	तीसरे दर्जे के यात्री	६८२३
४३४४	फूलबाग में रेलवे स्टेशन	६८२३
४३४५	आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण	६८२३
४३४६	आन्ध्र प्रदेश में सामुदायिक विकास	६८२३–२४
४३४७	आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय भाण्डागार	६८२४
४३४८	आन्ध्र प्रदेश में परिवार नियोजन केन्द्र	६८२४
४३४९	निजामुद्दीन स्टेशन के निकट दीवार का निर्माण	६८२५
४३५०	उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन	६८२५
४३५१	रेलवे कर्मशालाओं में मजूरियों का आकलन	६८२६
४३५२	विमानों की खरीद	६८२६
४३५३	चिकित्सा सम्बन्धी अध्ययन के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय	६८२६–२७
४३५४	हिमाचल प्रदेश के वनों में पशु चराना	६८२७
४३५५	सिंचाई प्रशिक्षण	६८२७
४३५६	दूसरी योजना में रेलवे प्रगति	६८२७–२८
४३५७	कुष्ठ नियंत्रण	६८२८–२९
४३५८	राष्ट्रीय राजपथों का विकास	६८२९
४३५९	रेल दुर्घटना	६८२९–३०
४३६०	दामोदर घाटी निगम की नौपरिवहन नहर	६८३०
४३६१	केन्द्रीय अपराध ब्यूरो	६८३०
४३६२	विदेशी नस्ल के मुर्गी के बच्चे	६८३१
४३६३	हावड़ा बर्दवान सेक्शन पर बिजली से रेल चलाना	६८३१
४३६४	चिल्का झील में मछलियां	६८३१–३२
४३६५	भारतीय रेलों द्वारा रियायती दरों पर वस्तुओं का परिवहन	६८३२

विषय

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः पृष्ठ

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४३६६	उड़ीसा में मध्यम सिंचाई परियोजनायें . . .	६८३२
४३६७	उड़ीसा में लघु सिंचाई परियोजनायें . . .	६८३३
४३६८	रस्सी उद्योग के लिए रेशों का उत्पादन . . .	६८३३–३४
४३६९	सहायक प्रचार निरीक्षक	६८३४
४३७०	त्रिपुरा में भूमि का अर्जन	६८३४
४३७१	छुट्टी जाने वालों के स्थान पर काम करने वाले टिकट कलेक्टर .	६८३५
४३७२	मद्रास में मीनक्षेत्रों का विकास . . .	६८३५
४३७३	मद्रास राज्य में लघु सिंचाई योजनायें	६८३६
४३७४	मद्रास राज्य में ग्रामों में बिजली लगाना	६८३६
४३७५	हार्ड कोक का माल-डिब्बा	६८३६–३७
४३७६	कैलाशहर, त्रिपुरा के खंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध अभ्यावेदन	६८३७
४३७७	सूत क्रय-विक्रय सहकारी समिति, त्रिपुरा . . .	६८३७
४३७८	बस्ती (उत्तर प्रदेश) में रेलवे अस्पताल का खोला जाना .	६८३८
४३७९	कलकत्ता में चाय के लिये भाण्डागार . .	६८३८
४३८०	तहसील सहकारी समिति के धन का गबन . .	६८३८–३९
४३८१	हिमाचल प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा धन का गबन .	६८३९–४०
४३८२	हिमाचल प्रदेश सहकारी विपणन विकास संघ .	६८४०
४३८३	हिमाचल प्रदेश में आलू की बिक्री .	६८४१
४३८४	भोजन व्यवस्था सम्बन्धी कालेज .	६८४१
४३८५	तटवर्ती नौवहन	६८४१–४२
४३८६	नई दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां . .	६८४२
४३८७	रेलवे कर्मचारियों का नौकरी से निकाला जाना .	६८४२–४३
४३८८	मध्य प्रदेश में नदी परियोजनायें . . .	६८४३
४३८९	दिल्ली दुग्ध योजना . . .	६८४३
४३९०	जंगपुरा (नई दिल्ली) में जल की कमी . . .	६८४३–४४
४३९१	डाक व तार विभाग की इमारत, अमृतसर . .	६८४४
४३९२	पंजाब सर्कल में डाक व तार कर्मचारी . .	६८४४–४५
४३९३	काली खांसी आदि से उन्मुक्ति के लिये कार्यवाही . .	६८४५–४६

विषय

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः		पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
४३९४	टेलीफोन ऐक्सचेंज, इम्फाल	६८४६
४३९५	पंजाब में भूमिहीन श्रमिकों का बसाया जाना	६८४६–४७
४३९६	दक्षिण पूर्व रेलवे पर भूमिगत तारों का बिछाया जाना	६८४७
४३९७	पश्चिम रेलवे में काम न करने वाले इंजन	६८४७
४३९८	टिड्डी निरोधक उपाय	६८४७–४८
४३९९	दक्षिण रेलवे के ओलाबाक्कोट में आकस्मिक श्रमिक	६८४८
४४००	सहकारी क्षेत्र में चीनी की मिलें	६८४८–४९
४४०१	रेलवे पुलिस के सिपाही के खिलाफ कार्यवाही	६८४९
४४०२	उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग और पुल	६८४९–५०
४४०३	इम्फाल नगरपालिका के निर्वाचन	६८५०
४४०४	रेलवे कर्मचारियों का नौकरी से हटाया जाना	६८५०
४४०५	विमान उद्योग	६८५१
४४०६	गणतंत्र दिवस को डाकघरों में कार्य	६८५१–५२
४४०७	मोनिटरिंग स्टेशन, कलकत्ता की इमारत	६८५२
४४०८	गाड़ी परीक्षक	६८५२
४४०९	दिल्ली दुग्ध योजना	६८५३
४४१०	नाला संस्था ८ का नजफगढ़ झील में ले जाया जाना	६८५३–५४
४४११	दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई	६८५४–५५
४४१२	नाला संख्या ८ का यमुना की ओर ले जाया जाना	६८५५
४४१३	दिल्ली में सर्जनों का वेतन क्रम	६८५५–५६
४४१४	सम्बलपुर और रूरकेला के बीच स्टेशनों पर बिजली लगाना	६८५६
४४१५	उड़ीसा में सिंचाई के लिये पानी की कमी	६८५६–५७
४४१६	जिला सम्बलपुर में सामुदायिक खंड ५२	६८५७
४४१७	भुवनेश्वर-रूरकेला बस सर्विस	६८५७
४४१८	ब्राम्हिणी नदी (उड़ीसा) पर पुल	६८५८
४४१९	उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ६	६८५८
४४२०	उड़ीसा के कुचंडा सब-डिविजन में फल	६८५८–५९
४४२१	उड़ीसा में चावल को रखने के लिये गोदाम	६८५९
४४२२	सम्बलपुर और देवगढ़ के बीच ट्रंक टेलीफोन लाइन	६८५९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४४२३ उड़ीसा में देवगढ़ अस्पताल . . ६८५९–६०
४४२४ उड़ीसा में इमारती लकड़ी के संभरण की प्रक्रिया . ६८६०
४४२५ हीराकुद परियोजना से सम्बलपुर को बिजली का संभरण ६८६०
४४२६ उड़ीसा में डाक घर ६८६०
४४२७ भुवनेश्वर ग्लाइडिंग क्लब ६८६१
४४२८ मुचकुंड जल विद्युत परियोजना ६८६१
४४२९ संबल का (उड़ीसा) में बामरा-गारपोश मोटर सड़क . ६८६१–६२
४४३० उत्तर प्रदेश में डाक तार परिमंडल में नये डिवीजन और सब-डिवीजन ६८६२
४४३१ खाद्यान्न में लदे वैगनों का भेजा जाना ६८६२
४४३२ नये टेलीफोन . . ६८६२–६३
४४३३ दिल्ली में कृषि सहकारी संस्था द्वारा देय धन ६८६३
४४३४ रेलवे बोर्ड के दफ्तर में फाइलों का खो जाना ६८६३
४४३५ बटाला और मोरन्डा सहकारी चीनी मिलें ६८६३–६४
४४३६ दिल्ली के लिये बिजली सप्लाई . . ६८६४
४४३७ उत्तर और पूर्व रेलवे में विधि निरीक्षक और विधि सहायक ६८६४
४४३८ रेलवे में विधि निरीक्षक ६८६४–६५
४४३९ सहकारी आन्दोलन पर फिल्म ६८६५
४४४० रेलवे द्वारा भूमि का अर्जन . . ६८६५
४४४१ ठेकेदारों का जमानती धन . . . ६८६६–६७
४४४२ दिल्ली में छने हुए पानी की बरबादी . ६८६७
४४४३ राज्य परिवहन विभाग, उड़ीसा के कर्मचारी . . ६८६८
४४४४ दिल्ली का चिड़ियाघर . . ६८६८
४४४५ केन्द्रीय तार घर, नई दिल्ली के कर्मचारी ६८६९
४४४६ बाल पक्षाघात (पोलियो) सम्बन्धी अनुसन्धान ६८६९
४४४७ बिजली का उत्पादन ६८६९–७०
४४४८ वारंगल में निचला पुल . . ६८७०
४४४९ उत्तर रेलवे कर्मचारी सहकारी ऋण समिति, दिल्ली ६८७०–७१
४४५० अनुसूचित जातियों के रेलवे कर्मचारियों की पद नियुक्ति ६८७१
४४५१ सरकारी बस्तियों में मच्छरों का आतंक ६८७१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
४४५२	रात की हवाई डाक सेवा	६८७१–७२
४४५३	मद्रास राज्य में चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण	६८७२
४४५४	खाद्यान्न संग्रहण गोष्ठी	६८७२–७३
४४५५	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में 'आउटलुक डिविजन'	६८७३
४४५६	वनस्पति उद्योग	६८७३
४४५७	दिल्ली-जयपुर ट्रंक कॉल प्रणाली	६८७३
४४५८	मद्रास राज्य में आमातिसार	६८७४
४४५९	दिल्ली में सड़क कर कूपन	६८७४–७५
४४६०	दिल्ली दुग्ध योजना	६८७५
४४६१	सीधा ट्रंक काल	६८७५
४४६२	दिल्ली में चेचक का टीका	६८७५–७६
४४६३	भारत में टीका	६८७६
४४६४	टीके के हानिकारक प्रभाव	६८७६
४४६५	भूतपूर्व दिल्ली राशनिंग विभाग के कर्मचारी	६८७६–७७
४४६५-क	मद्रास और मैसूर राज्यों में प्लेग	६८७७
४४६५-ख	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा	६८७७
४४६५-ग	धनौली स्टेशन के पास एक डिपो में आग	६८७८
४४६५-घ	अदन में चीनी बाजार	६८७८
स्थगन प्रस्ताव		६८७९
अध्यक्ष महोदय ने भारतीय वायु सेना के एक विमान के १ मई, १९६१ से लापता होने के समाचार के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना श्री ब्रजराज सिंह ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।		
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		६८७९–८०
श्री रघुनाथ सिंह ने भारतीय, ब्रिटिश और यूरोपियन नौवहन कम्पनियों के बीच एक साथ मिल कर कार्य करने की व्यवस्था (पूलिंग अरेंजमेंट) की ओर परिवहन तथा संचार मंत्री का ध्यान दिलाया ।		
परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।		

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६८८०–८४

निम्नलिखित पत्र टेबल पर रखे गये :—

(१) वणिक नौवहन अधिनियम १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ८ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४९४ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि (ऋण) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(२) कृष्णा-गोदावरी आयोग की स्थापना के बारे में एक वक्तव्य ।

(३) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा वर्ष १९५८–५९ के अपने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही बताने वाले एक विवरण की एक प्रति ।

(४) विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा १५ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) वर्ष १९५८–५९ के लिए एयर-इण्डिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के वार्षिक लेखे और उस पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

(ख) वर्ष १९५७–५८ के लिए इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन के वार्षिक लेखे और उस पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

(५) विमान निगम नियम १९५४ के नियम ३ के उप-नियम (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) वर्ष १९६१–६२ के लिए इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के राजस्व और व्यय के बजट प्राक्कलनों का सारांश ।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की पूंजी के अन्तर्गत वर्ष १९५९–६० के वास्तविक आंकड़ों वर्ष १९६०–६१ के बजट प्राक्कलनों का सारांश ।

(ग) वर्ष १९६१–६२ के लिए एयर-इंडिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन के राजस्व और व्यय के बजट प्राक्कलनों का सारांश ।

(घ) एयर-इंडिया इन्टरनेशनल की पूंजी के अन्तर्गत, वर्ष १९५९–६० के वास्तविक आंकड़ों, वर्ष १९६०–६१ के बजट प्राक्कलनों और पुनरीक्षित प्राक्कलनों तथा वर्ष १९६१–६२ के बजट प्राक्कलनों का सारांश ।

विषय पृष्ठ

अनुपस्थिति की अनुमति ६८८४–८५

निम्नलिखित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गयी :—

(१) लाला अचिंत राम (२) श्री पोकर साहिब (३) श्री फतहसिंह घोडासर (४) श्री स्वामी (५) श्री इ० मधुसूदन राव (६) श्री जीन चन्द्रन (७) श्री च० शरण सिंह (८) श्री ले० अचौ सिंह (९) श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (१०) श्री न० म० देव (११) श्री दुरायस्वामी गोंडर (१२) कुंवरानी विजय राजे (१३) श्री स० र० अरुमुगम ।

पारित किये गये विधेयक ६८४५–६९१९

(१) कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात विधेयक पारित किया गया ।

(२) श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि दिल्ली दुकानें तथा संस्थान (संशोधन) विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये । विचार करने का प्रस्ताव पारित हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया।

विधेयक विचाराधीन ६९१९––२०

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म ० मो० दास) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सालारजंग संग्रहालय विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

आधे घंटे की चर्चा ६९२०–२१

श्री अजीत सिंह सरहदी ने भाखड़ा-नंगल परियोजना के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ८२० के १४ मार्च, १९६१ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई ।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री हाफिज मोहम्मद इब्राहीम) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

गुरुवार, ४ मई, १९६१/१४ वैशाख, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि .

सालारजंग संग्रहालय विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में अग्रेतर विचार करना तथा पारित करना ; मोटर परिवहन कामगार विधेयक पर राज्य सभा द्वारा संशोधन पर किये गये विचार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा ।

GIPD—LS III—580(Ai) LSD—6-7-61—125.

	पृष्ठ
खड २ से ५ तथा १ . .	६८९३–९४
पारित करने का प्रस्ताव . . .	६८९४—९७
सरदार स्वर्ण सिंह . . .	६८९५
श्री त० ब० विट्ठल राव . . .	६८९५–९६
श्री ब्रजराज सिंह	६८९६–९७
दिल्ली दुकानें तथा संस्थान (संशोधन) विधेयक . .	६८९७
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	६८९७
श्री आबिद अली .	६८९७
श्री स० मो० बनर्जी	६८९७—९९
श्री त्यागी	६८९९–६९००
श्री दी० चं० शर्मा .	६९००
श्री वारियर	६९००–०१
डा० मेलकोटे .	६९०१
श्री बलराज मधोक .	६९०१—०४
श्रीमती पारवती कृष्णन .	६९०४–०५
श्री नवल प्रभाकर .	६९०५—०८
श्री ब्रजराज सिंह .	६९०८—११
श्री राधा रमण	६९११—१४
श्री च० कृ० नायर	६९१४—१६
चौधरी रण वीर सिंह	६९१६–१७
डा० मा० श्री अणे .	६९१७
श्री बाला साहब पाटिल . .	६९१७
खण्ड २ से ५ तथा १, .	६९१७—१९
पारित करने का प्रस्ताव—	
श्री आबिद अली . . .	६९१७—१९
सालारजंग संग्रहालय विधेयक	६९१९–२०
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६९१९–२०
डा० म० मो० दास . .	६९१९–२०
भाखड़ा नंगल परियोजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	६९२०
श्री अजित सिंह सरहदी	६९२०
सरदार इकबाल सिंह	६९२१
हाफिज मोहम्मद इब्राहीम	६९२१
दैनिक संक्षेपिका	६९२२—३०

PLS. 41. LV. 59. 61.
125

© १९६१ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित